लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 57
Dated 18.3.05

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 10, शुक्रवार, 16 जुलाई, 2004/25 आषाढ़, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा निवेदन	
सतलुज यमुना संपर्क समझौते के कार्यान्वयन हेतु उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा याचिका दायर किए जाने के बारे में	1–3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 162 से 165	3–37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 166 से 181	37–77
अतारांकित प्रश्न संख्या 1357 से 1534	77–292
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) असम में बाढ़ की स्थिति	
श्री शिवराज वि. पाटील	293–298
(दो) बिहार में बाढ़ की स्थिति	
श्री शिवराज वि. पाटील	298–302
(तीन) मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के भोमटोला गांव में दलित महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार	
श्री शिवराज वि. पाटील	302–303
सभा पटल पर रखे गए पत्र	303–320
नियम 357 के अधीन वैयक्तिक स्पष्टीकरण	
श्री नीतीश कुमार	320–335
सभा का कार्य	335–340
समिति के लिए निर्वाचन	
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	340–342
तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक नर्सरी स्कूल में लगी आग से हुई दुर्घटना के बारे में	357–359
सामान्य बजट, 2004-2005—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2004-2005	359–372, 373–386

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री मोहन सिंह	359–363
श्री के.सी. पलनिसामी	363–364
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	364–372, 373–383
श्री पी.के. वासुदेवन नायर	383–385
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कुंभकोणम के लार्ड कृष्ण स्कूल में लगी आग में मारे गए निरीह बच्चों की स्मृति में व्यक्त किए गए शोक के बारे में	372–373
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(एक) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार में आरक्षण—*वापस लिया गया*	386–430
श्री मधुसूदन मिस्त्री	386–391
श्री ए. कृष्णास्वामी	391–393
श्री रामजीलाल सुमन	393–398
श्री प्रबोध पाण्डा	398–399
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	400–402
श्री भर्तृहरि महताब	402–408
श्री शैलेन्द्र कुमार	409–412
डा. टोकचोम मैन्या	412–413
श्री पी. राजेन्द्रन	413–415
डा. के.एस. मनोज	415–417
श्री मणि चारेनामै	417–418
श्री एस.के. खारवेनथन	418–420
श्रीमती पी. सतीदेवी	420–421
श्री टी.के. हमजा	421–422
श्री पुन्नूलाल मोहले	422–424
श्रीमती मीरा कुमार	424–430
श्री एस. अजय कुमार	430
(दो) कृषि क्षेत्र में कर्मकारों हेतु राहत उपायों के बारे में—*विचाराधीन*	
श्री पी.के. वासुदेवन नायर	431–432
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	433–434
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	434–438
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	439–440
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	439–440

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री गुरदीप चन्द्र मलहोत्रा

लोक सभा

शुक्रवार, 16 जुलाई, 2004/25 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सदस्य द्वारा निवेदन

सतलुज यमुना संपर्क समझौते के कार्यान्वयन हेतु उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा याचिका दायर किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे विनम्रता पूर्वक कहना है कि यह बहुत सेंसिटिव इश्यू है, एसवाईएस नहर का मामला है। हाउस चल रहा है, प्रधानमंत्री जी को यहा स्टेटमेंट करना चाहिए था। *...(व्यवधान)* सरकार उच्चतम न्यायालय में चली गई है। हाउस को कांफीडेंस में लेना चाहिए था। हाउस जब चल रहा हो तो हाउस में स्टेटमेंट करना चाहिए था। प्रधानमंत्री को यहां आना चाहिए था। चारों राज्यों का बहुत सेंसिटिव मामला है। ऐसे में सरकार ने जब कोई एक्शन लिया है, *...(व्यवधान)* इस सभा को विश्वास में नहीं लिया गया है। तब यहां बताना चाहिए था, फिर उसके बाद कोई एक्शन लेते। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभा को बिना सूचित किए वे पहले ही उच्चतम न्यायालय में चले गए। *...(व्यवधान)*

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सिर्फ सूचित कर सकता हूं कि यह सच है कि भारत सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए था। कुछ बातें हुई हैं। इसलिए, याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय को स्थिति की जानकारी दी गई है। यह तो सूचित करने का हिस्सा भर है। इसलिए, अब कुछ नहीं है। यदि कोई कार्रवाई होगी, तो निश्चित रूप से सरकार सभा को सूचित करेगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद का समय नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हाउस जब चल रहा हो तो प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले हाउस में बताना चाहिए था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री कृपलानी, आपके नेता ने अपनी बात कह दी है, कृपया सहयोग कीजिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा की टिप्पणियों के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

प्रश्न संख्या 162, श्री बीर सिंह महतो।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष जी, मेरा एडजर्नमेंट मोशन है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एडनर्जमेंट मोशन अभी नहीं होता है, अभी क्वैश्चन आवर है। उसके बाद देखेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप एक वरिष्ठ, जाने-माने एवं सहयोग करने वाले सदस्य हैं, कृपया सहयोग कीजिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: सर, मंडे को ले लीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय: मंडे में हो जाएगा।

[अनुवाद]

प्रश्न काल के पश्चात सूचना ग्राह्य होगी। कृपया सहयोग कीजिए। सभा की सम्पूर्ण कार्यवाही का प्रसारण हो रहा है।

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए मैं कृतज्ञ हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्वैश्चन आवर के बाद देखेंगे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

ऋण स्वीकृत करने में विलम्ब

+

*162. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के समक्ष लंबित पड़े ऋण आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने की दर बहुत अधिक है और ऋण संवितरण में अत्यधिक विलंब होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार अस्वीकृत किए जाने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) ऋण को त्वरित गति से स्वीकृत करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दो प्रमुख कल्याण योजनाओं अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) एवं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत आवेदनों की अस्वीकृति की दर का ब्यौरा और स्कावेंजरों की उन्मुक्ति एवं पुनर्वास की योजना (एसएलआरएस) तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा स्वीकृत ऋणों की संख्या के ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं। वर्ष 2003-2004 (दिसम्बर 2003 तक) में एसजीएसवाई और एसजेएसआरवाई के अंतर्गत आवेदनों की अस्वीकृति की दरें बहुत अधिक नहीं हैं और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में अस्वीकृति की प्रतिशतता में गिरावट आई है। ऋणों के संवितरण में विलंब के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

(1) जटिल और विस्तृत प्रलेखन;

(2) अन्य बैंकों से बेबाकी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विलंब;

(3) खराब वसूली की वजह से बैंकों की ओर से उत्साह का अभाव; और

(4) लंबी एवं अंतर्ग्रस्त प्रक्रियाएं।

(ख) ऋण आवेदनों की अस्वीकृति के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:

(1) आयु, शिक्षा, आय आदि जैसे पात्रता संबंधी मानदण्डों को पूरा करने में असमर्थता;

(2) अपूर्ण आवेदन;

(3) गतिविधि की संभाव्यता/गुंजाइश का अभाव;

(4) प्रस्तावित गतिविधि में अनुभव या प्रशिक्षण के अभाव की वजह से हिताधिकारी के लिए योजना की अनुप्रयुक्तता; और

(5) कोटेशनों, ऋण प्रस्तावों के साथ परियोजना रिपोर्टों (जहां कहीं आवश्यक हो) जैसे आवश्यक दस्तावेजों का अभाव, भूमि संबंधी रिकार्ड के बारे में अद्यतन सूचना का अभाव, आवेदक का सेवा क्षेत्र से संबंधित न होना और सेवा क्षेत्र शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र का अभाव।

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रगति की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन करते

हैं। योजना के अंतर्गत मंजूरी और संवितरण के संबंध में बैंकों के कार्यनिष्पादन की जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) आदि जैसे विभिन्न मंचों में भी विस्तृत समीक्षा की जाती है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, कार्यान्वयन करने वाले बैंकों, संबंधित राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनिधियों तथा जनप्रतिनिधि भी विचार-विमर्श में भाग लेते हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की भारतीय रिजर्व बैंक के उप गर्वनर की अध्यक्षता में निगरानी कक्ष द्वारा समीक्षा भी की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह हिदायत दी गई है कि वे शाखा स्तर के अधिकारियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करें ताकि उन्हें संभावित हिताधिकारियों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। इसके अलावा हिताधिकारियों के लिए कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि वे ऋण आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के अंदर निपटान करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रलेखन सरल हो।

अनुबंध

एसजीएसवाई एवं एसजेएसआरवाई के अंतर्गत अस्वीकृत की दर के ब्यौरे

योजना	वर्ष	प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृति का प्रतिशत
एसजीएसवाई	2001-02	273109	81528	29.85
	2002-03	3084111	48812	15.82
	2003-04 (दिसम्बर 2003 तक)	150486	18171	12.07
एसजेएसआरवाई	2001-02	176418	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	2002-03	128325	39331	30.64
	2003-04 (दिसम्बर 2003 तक)	86030	18752	21.79

एसएलआरएस एवं पीएमआरवाई के अंतर्गत प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदन

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृति का प्रतिशत
एसएलआरएस				
2001-02	21878	25085	15681	62 प्रतिशत
2002-03	14857	17055	12705	74 प्रतिशत
2003-04 (दिसम्बर 2003 तक)	13228	9932	5984	60 प्रतिशत
पीएमआरवाई				
2001-02	347135	437445	237392	54 प्रतिशत
2002-03	356769	413788	228465	55 प्रतिशत
2003-04	361591	313091	155972	49 प्रतिशत

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो: अध्यक्ष महोदय, ऋण संवितरण में विलंब के लिए चार प्रमुख कारण बताए गए हैं, वे हैं:

(एक) जटिल और विस्तृत प्रलेखन;

(दो) अन्य बैंकों से बे-बाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विलंब;

(तीन) बैंकों की ओर से उत्साह का अभाव; और

(चार) लंबी और अनर्ग्रस्त प्रक्रियाएं।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सरकार प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाएगी जिसके कारण विलंब होता है जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने ऋण संवितरण में विलंब के कारण बताए हैं, लेकिन मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं। वस्तुत: यदि आप देखेंगे तो आवेदन रद्द होने के प्रतिशत की तुलना में सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अर्थात आवेदन स्वीकृति का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। इसी तरह से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में, जिस पर माननीय सदस्य के प्रश्न में विशेष जोर दिया गया है, पिछले तीन वर्षों में, स्वीकृति का प्रतिशत 49 और 55 प्रतिशत के बीच है। अब इनमें विलंब तो हो रहा है। हम अभी-अभी सरकार में आए हैं। हमनें आपको विलंब के कारणों के बारे में बताया है और हम धीर-धीरे प्रणाली में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन, पिछले तीन वर्षों में जो हुआ है, उसके बारे में मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि 49 से 55 प्रतिशत ऋण स्वीकृत हो रहे हैं।

श्री बीर सिंह महतो: महोदय, ग्रामीण ऋण की आम धारणा इस विश्वास से प्रभावित है कि किसान एक ऐसा वर्ग है जिसे ऋण लेने की आदत है और ऋण की उनकी आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होती है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जमा करने वाले किसानों की संख्या अधिक है जो अपनी जमा राशि का 44 प्रतिशत निकालते हैं। क्या सरकार जानबूझकर ऋण अस्वीकृत करने और ऋण संवितरण में विलंब करने के लिए संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यदि पात्र आवेदन को जानबूझकर अस्वीकृत करने की कोई सूचना मेरे ध्यान में लाई जाती है, तो मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के लिखित उत्तर से मैं पूर्णत: संतुष्ट नहीं हूं। मैंने अपने लिखित प्रश्न के 'ग' भाग में पूछा था कि ऋण को त्वरित गति से स्वीकृत करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। मंत्री जी ने अपने जवाब में इसका कहीं जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा इन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वे राज्यवार नहीं किए गए हैं। सरकार जिन तीन योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराती है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जानबूझकर आवेदनों को अस्वीकृत करने का काम करते हैं। मैं समझता हूं पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि इन योजनाओं के तहत ऋण बांटने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है बेरोजगार युवकों से दस प्रतिशत घूस लेकर, तब उनके आवेदनों को स्वीकार किया जाता है। इससे सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पाती है।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछें।

श्री राम कृपाल यादव: वे लोग कार्यालयों के चक्कर लगा-लगा कर थक जाते हैं। जब तक वे घूस नहीं देते, उनको पैसा नहीं दिया जाता। आपने जो इन तीन योजनाओं के बारे में आंकड़े दिए हैं, उसके तहत बिहार में कितने प्रतिशत आवेदन पत्रों की स्वीकृति हुई है और उनको शीघ्र लोन देने के लिए तथा भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कौन से उपाय ढूंढे जा रहे हैं, ताकि गरीब तबके लोगों को और बेरोजगार युवकों को राहत मिल सके?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, माननीय सदस्य की तरह मैं भी चिन्तित हूं। मैंने अनुबंध में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति और अस्वीकृति की दर का ब्यौरा दिया है। मेरे पास राज्य-वार आंकड़े नहीं हैं। इसलिए, सिर्फ बिहार राज्य का ब्यौरा मैं नहीं दे सकता। किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इसमें प्रणालीगत खामियां नहीं हैं। मैं यही कह रहा हूं कि हम अभी-अभी सरकार में आए हैं। प्रणालीगत खामियां हैं। हम प्रणालीगत त्रुटियों पर ध्यान देंगे और निश्चित रूप से प्रणाली में सुधार लाने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: इसका जवाब नहीं आया कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप संतुष्ट नहीं है तो एक तरीका है। कृपया अपनी सीट पर बैठिए। श्री श्रीपाद येसो नाईक।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस आदत को छोड़ दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: जो जवाब दिया गया है, वह ठीक है।

[अनुवाद]

यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसका एक तरीका है। कृपया बाधा न डालें। कुछ समय बाद इस समय प्रश्न काल चल रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर का उपयोग करें।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: मंत्री जी ने अपने जवाब में जो ऋणों के वितरण में विलम्ब के कारण दिए हैं, वे थोड़े-बहुत सच होंगे, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवक लोन लेने के लिए डाक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, जिसमें करीब छ: महीने लग जाते हैं, फिर सेंक्शन कमेटी उनका लोन मंजूर करती है, लेकिन जब गांव में वह एप्लीकेशन और डाक्यूमेंट्स जाते हैं तो बैंक उनको रीजेक्ट कर देता है। छ:-छ: महीने के बाद, सेंक्शन होने के बाद क्या बैंक को उनके आवेदन रीजेक्ट करने का अधिकार है? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रोसीजर को सिम्पलिफाई करने के लिए कदम उठाएगी? प्रधान मंत्री रोजगार योजना में सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बैंक मैनेजर्स सिक्योरिटी के अभाव में एप्लीकेशन रिजैक्ट कर देते हैं। इस समस्या के निदान के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करके शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति प्रधानमंत्री रोजगार योजना उन्मुख है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना का इसी पर विशेष ध्यान है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता और मात्र पांच प्रतिशत सीमांत राशि की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुछ छूट है। यह सच है कि ऋण स्वीकृत होने या अस्वीकृत होने में विलम्ब होता है। यदि कृपया आप मेरे उत्तर पर ध्यान दें तो मैंने कहा था कि कार्यक्रमों की तीन स्तरों पर समीक्षा होती है। एक जिला स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और मुझे बताया गया है कि प्रखण्ड स्तर पर भी समीक्षा तंत्र उपलब्ध है। जाहिर है, इन समीक्षा तंत्रों से माननीय सदस्यगण संतुष्ट नहीं हैं। इन समीक्षा तंत्रों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया की त्वरित नहीं किया है। मुझे इसकी जानकारी है। किन्तु, जैसा मैंने कहा, ये प्रणालीगत खामियां हैं। हमें प्रणाली में सुधार करने के लिए कदम उठाने होंगे। इस प्रणाली को सुधारने के लिए आपको मुझे समय देना होगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: युवाओं की सहायता करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास कुल ऋण का 18 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान करने की जिम्मेदारी है। अध्ययन से पता चलता है कि उड़ीसा को दो प्रतिशत भी नहीं दिया गया और कुछ राज्यों में यह स्थिति अत्यन्त दयनीय है। क्या माननीय मंत्री इस पूरी स्थिति की समीक्षा करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उन्होंने कहा था कि वे नए हैं और वे इसकी पूरी जांच करेंगे।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: वह नए नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: वर्तमान अवतार में वह नए हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, वस्तुत: माननीय सदस्य का प्रश्न प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण और लक्षित 18 प्रतिशत में कमी से संबंधित है। वह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। किन्तु प्राथमिकता क्षेत्र में कमी होने के कारण हमने आर.आई.डी.एफ. पुनरूज्जीवित किया है। हमने इस कमी को पूरा करने के लिए 8000 करोड़ रु. का आबंटन आर.आई.डी.एफ. को किया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस पर किसी वाद-विवाद की अनुमति नहीं है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: मैं माननीय वित्त मंत्री को अपने उत्कृष्ट बजट के माध्यम से राष्ट्र के चहुमुंखी विकास हेतु कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं। मेरा एक खास प्रश्न है। अन्नामलाई विश्वविद्यालय में बी डी एस पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए एक विद्यार्थी ने 4 लाख रु. के शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री पोन्नुस्वामी कोई वैयक्तिक प्रश्न न पूछें।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: हमारे माननीय वित्त मंत्री के अनुसार प्रतिभूति के बिना 7.5 लाख रु. का प्रावधान है किन्तु यद्यपि उसने आधी राशि के लिए आवेदन किया, 3.5 लाख रु. से कम या 4 लाख रु. तक, तथापि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है। उसका नाम इलावारिसी, पुत्री शनमुगसुन्दरम है, जो मेरे ही जिला तिरुवन्नमलाई, तमिलनाडु के हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। मुझे खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. पोन्नुस्वामी: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या बजटीय प्रावधानों के अनुसार बैंकों के पास आदेश गए हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: यह प्रश्न इससे जुड़ा हुआ नहीं है, किन्तु मैं उत्तर दूंगा। यह संभव है कि बैंक प्रबन्धक नए निर्णय से अवगत न हों। हमें ब्यौरा दीजिए और हम निश्चित रूप से ऋण देने हेतु उनसे कहेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, इन तीन योजनाओं—एस.जी.एस.वाई., एस.जे.एस.आर.वाई. और पी.एम.आर.वाई.—में जब शिक्षित बेरोजगार युवक ऋण लेता है, तो बड़े अरमानों से लेता है कि रोजगार करेंगे और अपने परिवार का भरण-पोषण करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक बैंक में दस प्रतिशत नहीं दिया जाता है, तब तक काम नहीं होता है। वह अपना रोजगार नहीं कर पाता। यहां तक ऋण की अदायगी नहीं होती है। वह तहसील में बंद होता है और उसके ऋण की वसूली होती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि समय सीमा के अन्दर जिन ऋणों को देने का निपटारा नहीं किया गया, क्या सरकार उन तमाम बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी? मैं इस बारे में खास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में पूछना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)* यह दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की चिन्ता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अच्छा अनुपूरक प्रश्न है। अब, उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री रामदास बंडु आठवले: किन्तु हम एक बहुत अच्छा उत्तर चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, माननीय सदस्य भ्रष्टाचार का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें बैंक अधिकारी या तो सीधे पैसा लेते हैं या राजसहायता का एक हिस्सा लेते हैं। ये भ्रष्ट आचरण हैं। भ्रष्ट आचरण से तभी निपटा जा सकता है जब शिकायत की जाए, यदि कोई इसे मेरे ध्यान में लाए। यदि कोई ऐसा मामला है जो मेरे ध्यान में लाया जाता है या सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाया जाता है तो निश्चय ही कार्रवाई की जाएगी ...*(व्यवधान)* मैं यह नहीं कह सकता कि हर व्यक्ति भ्रष्ट है। किन्तु मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं कि कुछ लोग भ्रष्ट हैं।

महोदय, यदि माननीय सदस्य मुझे कोई विशेष घटना बतायें, विशेष शाखाओं के बारे में बताते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: अब, डा. रामचन्द्र डोम।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया स्वयं को नियंत्रित रखें। दूसरे सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अधिकार है।

डा. रामचन्द्र डोम: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार एस एल आर एस श्रेणी तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसमें रोजगार की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवा आते हैं—में अस्वीकृति दर सर्वाधिक है। यहां सर्वाधिक मामले अस्वीकृत होते हैं।

अत: माननीय मंत्री से मेरा सीधा प्रश्न है कि एस.एल.आर.एस. और पी.एम.आर.वाई. मामलों में सर्वाधिक अस्वीकृति होने के क्या कारण हैं? यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि जिला स्तर पर निगरानी बैठकों के दौरान हमें ऋण भुगतान में विलम्ब का पता चलता है। लाभार्थियों द्वारा ऋण नहीं लौटाए जाने के कारण संवितरण नहीं किया जाता है। समस्त पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्र में हमारा अनुभव है कि बैंकों का नकद जमा अनुपात बहुत कम है। ऋण के संवितरण के दौरान विशेषत: पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों हो रहा है? अधिकारीगण उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनके मामलों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपना प्रश्न पूछिए।

डा. रामचन्द्र डोम: क्या सरकार पूरे मामले की समीक्षा करने पर विचार कर रही है ताकि भेदभाव की इस समस्या को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सुलझाया जा सके?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं माननीय सदस्य के आरंभिक वक्तव्य को स्वीकार कर रहा हूं। वास्तव में एसएलआरएस को स्वीकृत करने की दर अधिक है। यह पीएमआरवाई से भी अधिक है। गत तीन वर्षों में यह स्वीकृति दर 60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के बीच रही जबकि पी एम आर वाई के मामले में यह केवल 49 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के बीच है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह 74 प्रतिशत दर बहुत संतोषजनक है। किंतु यह पीएमआरवाई के अंतर्गत रही दर से अधिक है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम सीडी अनुपात का प्रश्न एक बड़ा मामला है जिसका संबंध विकास से है ...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम: मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में भी बात कर रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बड़े मामले शामिल हैं। इस मामले को पीएमआरवाई और एसएलआरएस संबंधी प्रश्न के उत्तर के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप इसकी जांच कर सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: श्रीमान निश्चित रूप से मैं इसकी जांच करूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इस मामले की जांच करने का वादा किया है। धन्यवाद।

अब, डा. अरूण कुमार शर्मा बोलें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, इस सभा में 41 दल हैं और मैं यह प्रयत्न कर रहा हूं कि प्रत्येक दल को बोलने का मौका मिले। कृपया एकाधिकार जमाने की कोशिश न करें।

...*(व्यवधान)*

डा. अरूण कुमार शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, असम में ऋण वितरण की स्थिति संभवतया सारे देश में सबसे बदत्तर है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपको बोलने का मौका कभी नहीं मिलेगा।

डा. अरूण कुमार शर्मा: महोदय, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वे ऋण मंजूर करने की बजाय ऋण आवेदनों को अस्वीकृत कर रहे हैं।

क्या माननीय मंत्री सभी संसद सदस्यों और बैंकों के साथ एक विशेष बैठक करेंगे ताकि बैंक की कार्य प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, बैंकों को प्राप्त होने वाले सभी ऋण आवेदनों का उत्तर देने हेतु उनको बाध्य किया जा सके और उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर निपटाया जा सके और पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक पृथक्करण को देखते हुए ऐसा करना समस्या समधान के लिए उचित हो सकता है?

श्री पी. चिदम्बरम: माननीय सदस्य और उनके सहयोगियों का मुझसे मिलने हेतु आने के लिए स्वागत है। उस बैठक में यदि वे किसी क्षेत्र विशेष में काम कर रहे कतिपय बैंक के चेयरमैन या ई डी को बुलाना चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से उन्हें उपस्थित रहने के लिए कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह। कृपया संगत प्रश्न पूछें। आपके दल का कोई और सदस्य यहां नहीं है इसलिए आपको बोलने का मौका मिल रहा है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उद्योग कार्यालय के माध्यम से ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: उन्हें हर रोज बोलने का मौका मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय: एक विशेष व्यवस्था!

अगली बारी श्री मधुसूदन मिस्त्री की है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: व्यवधान के लिए खेद है। श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया बोलना जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, जितनी बात मैंने कही थी, हम आपकी बातों में उलझ गये, इसलिये मैं उसे नये सिरे से कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि उद्योग कार्यालय या प्रखंड कार्यालय के माध्यम से उसकी अनुशंसा बैंकों को जाती है तभी बैंक का टारगेट फिक्स होता है कि किस बैंक को इस वर्ष में कितना ऋण मुहैय्या कराना है। उद्योग कार्यालय से टारगेट फिक्स होकर जाता है, उसमें लीड बैंक के पदाधिकारी भी मौजूद रहते हैं। जब सभी सही पैटीशन्स स्वीकृत हो जाती हैं, अगर बैंक टारगेट पूरा नहीं करता है तो क्रमवार एक-दो, सौ-दो सौ पैटीशन्स बीच में ही स्वीकृत कर दी जाती हैं, लेकिन बाद में स्वीकृत नहीं की जाती हैं। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं बैंक का पदाधिकारी उससे प्रभावित होता है, उसे ऋण मुहैय्या कराता है और जिससे प्रभावित नहीं होता, उसे ऋण मुहैय्या नहीं कराता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो उद्योग कार्यालय और प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने की प्रक्रिया है, उससे बचने के लिये वह कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं कि जो सक्षम व्यक्ति है, वह सीधे बैंक से सम्पर्क करके या जो अपनी योग्यता प्रमाणित करे, उसे ऋण मुहैय्या करा सकें?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: हालांकि मैं निश्चित तौर पर इस बात से चिंतित हूं कि सब कुछ ठीक नहीं है और प्रणाली में सुधार की जरूरत है, मैं समझता हूं कि सच यह है कि काफी आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हां, शायद कुछ मामलों में एक सीधे आवेदनकर्त्ता को नकार दिया गया जबकि किसी औद्योगिक अधिकारी के माध्यम से आए एक आवेदन पर बिना बारी के विचार किया गया। यह जीवन की सच्चाईयां हैं; प्रणाली को सुधारना होगा आपको सरकार को प्रणाली की समीक्षा करने के लिए समय देना होगा और उसे सुधारने का प्रयत्न करना होगा। लेकिन मैं उस बारे में बात कर रहा हूं जो गत तीन वर्षों में घटित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसलिए मैं कुछ और माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। अब श्री श्रीनिवास पाटील बोलें। कृपया संक्षेप में सटीक बात कहें।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: महोदय, प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय: ये भूमिका आवश्यक नहीं है।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: गत 4-5 वर्षों से मैं यह देख रहा हूं कि अधिकारियों, बैंकों और सरकारी तंत्र की आलोचना की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नई सरकार और योग्य वित्त मंत्री के पास कोई ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा जो कुछ अच्छी बातें की जा रही हैं और वे अधिकारी जो अच्छा काम कर रहे हैं, को पुरस्कृत किया जा रहा है? क्या 'जन मित्र' या 'लोक मित्र' जैसी 'उपाधियां' देने की कोई पुरस्कार प्रणाली उनके पास है? यदि हां, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन देने हेतु इस नई प्रणाली पर विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि वे पुरस्कार सहित सब कुछ देंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है अच्छे और बुरे अधिकारी होते हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अच्छे व्यक्तियों को सचमुच प्रोत्साहित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: सभी माननीय सदस्य अच्छे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: मुझसे प्रश्न पूछने वाले सभी सदस्य काफी अच्छे हैं।

हम उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करेंगे, बैंकों के पास कुछ प्रणालियां हैं और हम उन्हें प्रोत्साहन देंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री अर्जुन सेठी, कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री अर्जुन सेठी: क्या यह सच है कि विशेषतौर पर पी एम आर वाई के अंतर्गत ऋण मंजूर करते समय बैंक अतिरिक्त जमानत देने पर जोर देते हैं? जिसके फलस्वरूप अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के अभ्यर्थी अतिरिक्त जमानत नहीं दे पाते हैं और इस प्रकार उनके आवेदन अस्वीकृत किए जा रहे हैं।

सरकार इस दिशा में क्या विशेष उपाय या कदम उठा रही है? आर.बी.आई. भी अतिरिक्त जमानत के पक्ष में नहीं है। बैंक किस प्रकार अतिरिक्त जमानत लेने पर जोर दे सकते हैं? क्या सरकार अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों की सहायता करने के लिए इस दिशा में कोई कदम उठी रही है?

श्री पी. चिदम्बरम: यह सही नहीं है। एस जी एस वाई के अंतर्गत 50,000 रु. के व्यक्तिगत ऋण और 5 लाख रु. तक के समूह ऋण के संबंध में बैंक ऋणों से सृजित परिसंपत्ति ही जमानत होती है। उन मामलों में जहां प्राथमिक जमानत के अतिरिक्त 5 लाख रुपये से ऊपर के व्यक्तिगत ऋण के लिए जो ऋण से सृजित परिसंपत्तियां हैं, एक उपयुक्त अंतर राशि अथवा अन्य अतिरिक्त जमानत के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार एस जे एस आर वाई और पी एम आर वाई के लिए कतिपय दिशानिर्देश हैं। यदि

माननीय सदस्य मेरे ध्यान में यह बात लाते हैं कि इन दिशानिर्देशों के विपरीत यदि कोई व्यक्ति जमानत या अतिरिक्त जमानत की मांग कर रहा है तो निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.सी. थामस।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वह भी माननीय सदस्य हैं। यदि आप इस प्रकार व्यवधान पैदा करेंगे तो आपको अवसर नहीं मिलेगा।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैं भी अच्छे सदस्यों की श्रेणी में आता हूं क्योंकि मैं भी एक प्रश्न पूछ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे लगता है कि माननीय सदस्य वही बातें कह रहे हैं जिन्हें बार-बार दोहराया जाता है। यदि आपके पास कोई नई बात है तो जरूर पूछिये अन्यथा मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। हरेक विलंब के बारे में बात कर रहा है।

श्री पी.सी. थामस: बात यह है कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने शिक्षा ऋण की श्रेणी में राशि को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए तक कर दिया है परन्तु यह भी सच्चाई है कि संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर दिया जा रहा है और यदि संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाता है तो ऋण नहीं दिया जाता है। यह सच्चाई है।

अध्यक्ष महोदय: आप वही बात कह रहे हैं। यह पहले ही पूछा जा चुका है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: क्या ऐसा कोई तंत्र है अथवा क्या वह एक नया तंत्र बना सकते हैं जिसके द्वारा शिक्षा के संबंध में निगरानी रखी जा सके क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है? यह इस अर्थ में महत्वपूर्ण बात है कि वे लोग रोजगार प्राप्त करने के पश्चात ऋण वापस कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिये। अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं नहीं समझता कि हम कुछ ऐसा कहें कि हर चीज खराब है। शिक्षा ऋण भारत सरकार की सबसे सफल ऋण योजनाओं में से एक है। शिक्षा ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं। मेरे पास शिक्षा ऋण के आंकड़ें नहीं हैं। यहां इन आंकड़ों का जिक्र यहां नहीं होता है परन्तु किसी अन्य प्रश्न के संबंध में मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। बड़ी संख्या में शिक्षा ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं। 8 जुलाई के बजट भाषण में 7.5 लाख रुपए तक की बात कही गई है। संभवत: पहले तीन दिनों में हरेक बैंक प्रबंधक को इसका पता न लगे परन्तु निर्देश अवश्य जाएंगे। यदि कोई विशिष्ट मामला हुआ तो उसे मेरे ध्यान में लाइये। मैं चाहता हूं कि युवक और युवतियां जाएं और शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करें।

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सदन में आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बैंकों के ऋण के बारे में चल रहा है। इसके तहत मैं जानना चाहता हूं कि तमाम माननीय सांसदों ने तमाम प्रकार की समस्याओं के बारे में आपको बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसा कोई कदम उठाने जा रहे हैं कि हर जनपत में मंथली ऐसी कोई बैठक हो जिसमें सारे बैंकर्स को बुलाया जाए और उस बैटक में उस क्षेत्र के माननीय सांसदों को भी बुलाया जाए और जो भी समस्याएं सामने आयें, वे मैनेजर्स को बताई जाएं। क्या आप कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह केवल कार्यवाही के लिए सुझाव है। मंत्री ने इसे सुना है।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले: अध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसका जवाब भी महत्वपूर्ण चाहते हैं। देश में 9 करोड़ 40 लाख लोगों के नाम इम्पलायमैन्ट एक्सचेंजिज में दर्ज हैं और आपने एश्योरेन्स दिया है कि आप हस साल नौ लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। इससे पहले एन.डी.ए. की सरकार ने एश्योरेन्स दिया था कि वह हर साल एक करोड़ लोगों को रोजगार देगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न करें।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले: मगर इन लोगों ने एक करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, इसलिए इनकी हालत ऐसी हो गई है। अत: मेरा सवाल यह है कि आपने प्रति वर्ष नौ लाख लोगों को रोजगार देने का एश्योरेन्स दिया है। हम चाहते हैं कि हर साल कम से कम पचास लाख लोगों को रोजगार देने की स्कीम आपकी

सरकार को बनाने की आवस्यकता है। इसके बारे में आपकी क्या ओपीनियन है, कृपया बतायें।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: यह प्रश्न एस पी आर वाई, पी एम आर वाई इत्यादि जैसी विशिष्ट योजनाओं से संबंधित है। रोजगार एक अलग प्रश्न है। सदस्य बजट बहस में भाग ले सकते हैं अथवा रोजगार के संबंध में अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब, प्रश्न सं. 163।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने एक प्रश्न पर 14 माननीय सदस्यों को अनुमति दी है। तब भी आप संतुष्ट नहीं हैं।

...(व्यवधान)

देश पर ऋण का बोझ

*163. **श्री सुरेश कुरूप:**
श्री मोहन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश पर कितना घरेलू और विदेशी ऋण है;

(ख) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान विदेशी और घरेलू ऋण में काफी बढ़ोतरी हुई है;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों की जमाराशि से देश का विदेशी ऋण प्रभावित हुआ है जैसाकि 19 जून, 2004 के "हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन ऋणों पर प्रतिवर्ष ब्याज और ऋण सेवा प्रभार के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है;

(च) क्या सरकार का विचार पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार को ध्यान में रखते हुए विदेशी ऋण की पूर्वअदायगी करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) देश पर ऋण के बोझ को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ज) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दिनांक 31 मार्च, 2004 को, वर्ष 2003-2004 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार का आंतरिक ऋण 1,134,020 करोड़ रुपए है। मौजूदा विनिमय दरों पर, केन्द्रीय सरकार का विदेशी ऋण 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार, 1,84,099 करोड़ रुपए था।

(ख) जी, नहीं। वर्ष 2003-2004 के दौरान, केन्द्रीय सरकार के आंतरिक ऋण में वर्ष 2002-2003 के 11.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, सरकारी खाते से विदेशी ऋण में वर्ष 2002-2003 की 1.9 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में वर्ष 2003-2004 के दौरान 6.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

(ग) जी, हां।

(घ) दिसम्बर 2003 में समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान अनिवासी भारतीय जमाओं में 7.2 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि देखी गई। अनिवासी भारतीय जमाराशियों में यह वृद्धि मुख्यत: अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमाराशि ने [एन आर (एनआर) आरडी] लेखा की परिपक्वता आय की जमा (क्रेडिट) को अप्रैल, 2002 से धारकों के अनिवासी (विदेशी) रुपया लेखा [एनआर (ई) आरए] में दर्शाया है। एनआर (एनआर) आरडी स्कीम के अन्तर्गत जमाराशियों को उनकी अप्रत्यावर्तनीय प्रकृति को देखते हुए पूर्व में विदेशी ऋण के स्टाक के घटक के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के आंतरिक तथा विदेशी ऋण के सम्बन्ध में, पिछले दो वर्षों के दौरान ब्याज तथा किए गए ऋण शोधन भुगतानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

ऋण शोधन भुगतान

(करोड़ रुपए में)

	आंतरिक ऋण		विदेशी ऋण	
	2002-03 (वास्त.)	2003-04 (सं.अ.)	2002-03	2003-04 (अनं.)
ब्याज भुगतान	91,472	95,345	4,532	3,182
मूल वापसी अदायगी*	62,874	1,29,641	24,030	25,194
कुल ऋणशोधन भुगतान	1,54,346	2,24,986	28,562	28,376

*आंतरिक ऋण के संबंध में, 91 दिवसीय एवं 14 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों, अर्थोपाय अग्रिमों के निर्वहन को शामिल नहीं किया गया है।
वास्त.: वास्तविक आंकड़े; सं.अ.: संशोधित अनुमान, अनं.: अनंतिम।

(च) और (छ) घरेलू बाजार में प्रवृत्त ब्याज दरों के कम स्तर तथा विदेशी मुद्रा भंडारों के सुखद स्तर का लाभ उठाते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान क्रमशः 2.9 बिलियन अमरीकी डालर तथा 3.8 बिलियन अमरीकी डालर तक के बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋणों की पूर्व-अदायगी की है।

(ज) सरकार राजकोषीय औचित्य की नीति का अनुपालन कर रही है जिसका लक्ष्य उच्चतर राजस्व तथा आयोजना-भिन्न व्यय को वृद्धि को नियंत्रित करना है ताकि राजस्व घाटे तथा सकल राजकोषीय घाटे को कम किया जा सके और इसके उधारों पर नियंत्रण रखा जा सके। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अधिनियमन तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के साथ 5 जुलाई, 2004 को जारी की गई अधिसूचना सरकार की समयबद्ध तरीके से राजस्व घाटा समाप्त करने तथा लांक ऋण को नियंत्रित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इसी प्रकार, सरकार द्वारा जारी विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन नीतियों से, सुखद विदेशी ऋण स्थिति को कायम रखने में सहायता मिली है। इन नीतियों में अल्पावधिक परिपक्वता वाली व्यय की शर्तों पर निधियां जुटाना अल्पावधिक ऋण पर कड़ी निगरानी रखना, उच्च लागत ऋणों की समयपूर्ण अदायगी करना तथा ऋण-भिन्न सृजक पूंजीगत प्रभावों को प्रोत्साहन देना शामिल है।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश कुरूप द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, जैसा कि हम सबको पता है कि अमरीका में ब्याज दरें बढ़नी शुरू हो गई हैं। इससे भारत सहित उभरते हुए बाजारों से अमरीका और अन्य विकसित बाजारों में धन जाना शुरू हो गया है। इससे निश्चय ही हमारे विदेशी मुद्रा भंडारों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों के ब्याज पर कर लगाने के वित्त मंत्री के नए प्रस्ताव से इस धन के बाहर जाने से और वृद्धि होगी।

मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार का विदेशी मुद्रा भंडारों तथा हमारी घरेलू ब्याज दरों पर इन सब चीजों के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए क्या करने का प्रस्ताव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके द्वारा लगाये जाने वाले नए ब्याज को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विशेषकर केरल सरकार द्वारा आलोचना की गई है तो क्या वह प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यह प्रश्न देश के आंतरिक और बाहरी ऋण से संबंधित है जिसको मैं समझता हूं कि भारत सरकार को आंतिरक और बाहरी ऋण के साधन/वे 120 बिलियन डालर की विदेशी मुद्रा है। तो फिर इस विदेशी मुद्रा भंडार की भी लागत है और सदस्यों को पता होगा कि भारी स्टोरिलाइजेसन लागत है। अब हम अनिवासी भारतीयों से राशि जमा कराना चाहते हैं। इसके साथ ही हमें मौद्रिक नीति और सार्वजनिक वित्त के बड़े प्रश्नों पर सावधानी पूर्वक निगाह रखनी होगी। मैंने यह बताते हुए कि भारत की ऋण की स्थिति में कैसे सुधार हो रहा है, हम ऋण का पूर्व भुगतान कैसे कर पा रहे हैं और हमारा ऋण सेवा अनुपात कैसे कम हो रहा है, प्रश्न का विस्तापूर्वक उत्तर दे दिया है।

माननीय सदस्य अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों पर कर लगाने संबंधी प्रस्ताव के बारे में पूछ रहे हैं। उसके लिए एक अलग प्रश्न की आवश्यकता है क्योंकि अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों पर कर लगाने के बारे में और विस्तृत उत्तर की आवश्यकता होगी। मैं इस सभा के सामने रखूंगा कि प्रावधान क्या हैं और इन्हें कैसे लागू किया जाता है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि यदि वह अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों के कर निरुपण के बारे में जानना चाहते हैं तो अलग प्रश्न करें।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, मैं विशेष रूप से यह कह रहा था कि इस नए कर प्रस्ताव से निश्चय ही अनिवासी भारतीयों और विदेशी मुद्रा भंडारों पर प्रभाव पड़ेगा। इससे केरल जैसी राज्य सरकारों पर प्रभाव पड़ेगा। मैं समझता हूं कि केरल सरकार ने इस संबंध में पहले ही वित्त मंत्री को अभ्यावेदन दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न वास्तव में इस बात को लेकर नहीं उठाया जा सकता है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताता हूं कि अनिवासी भारतीयों के कर निरूपण से अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वह अलग प्रश्न करते हैं अथवा वह बहस में भाग लेते हैं तो मैं उनको स्थिति स्पष्ट करूंगा।

श्री सुरेश कुरूप: अब मैं देश की आंतरिक ऋण की स्थिति की बात करता हूं। हम सब राज्य सरकारों को दिए गए ऋण पर कर कम करने के वित्त मंत्री के प्रस्ताव की प्रशंसा करते हैं। किंतु मैं बताना चाहता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों की वित्तीय दशा संकटग्रस्त है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बकाया ऋण के कम से कम कुछ अंश को बट्टे खाते में डालने पर विचार करेगी ताकि राज्य सरकारों की राजकोषीय वृद्धि हो सके।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, किसी प्रश्न के उत्तर में इतने दूरगामी परिणामों वाला नीतिगत वक्तव्य देना कैसे संभव है?

अध्यक्ष महोदय: किंतु मुझे विश्वास है कि आप अपनी सहानुभूति रखते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, इन ऋणों में से सबसे गम्भीर पक्ष है अल्पावधि ऋण चूंकि इस मामले में ब्याज दर सर्वाधिक है। क्या माननीय मंत्री यह जवाब देंगे कि कुल ऋणों में से भारत का अल्पावधि ऋण कितना है, और हम उसके लिए कितना ब्याज दे रहे हैं और यह भी बतायें कि सरकार का ऐसे अल्पावधि ऋणों की सूक्ष्मतौर पर निगरानी रखने का क्या प्रस्ताव है?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, कुल विदेशी ऋण की तुलना में अल्पकालिक ऋण का अनुपात वर्ष 1991 में 10.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2001-02 में 2.8 प्रतिशत रह गया है। लेकिन इसके पश्चात यह वर्ष 2002-03 में यह पुन: बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2003-04 में यह फिर से घटकर 4.2 प्रतिशत रह गया है। इस वृद्धि का कारण बैंकिंग क्षेत्र में होने वाला विकास है। अंतरपणन समय के कारण, गत दो वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में धन में वृद्धि हुई है। इसी कारण, कुल विदेशी ऋण की तुलना में अल्पकालिक ऋण के अनुपात में वृद्धि हुई है।

श्री खारबेल स्वाईं: आपने कहा कि आप इसकी निगरानी करने वाले हैं आप इसकी निगरानी कैसे करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: आप वह प्रश्न पहले ही पूछ चुके हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैंने वह प्रश्न पूछा था। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दिया था।

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, आपका धन्यवाद। मैं आपको एक अवसर दे चुका हूं।

श्री के.एस. राव: महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि विदेशी ऋण 1,84,099 करोड़ रुपए है और ब्याज भुगतान 3,182 करोड़ रुपए है। स्पष्ट रुप से, भारत सरकार जिस ब्याज दर पर भुगतान कर रही है वह दो प्रतिशत से कम है। कुछ श्रेष्ठ उद्योगपतियों, जैसे कि रिलायंस, टाटा और बिड़ला को छोड़कर, यदि शेष उद्योगपति सावधि ऋण संस्थाओं से सीधे-सीधे ऋण मांगें तो उनके द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर कहीं अधिक है। तो, क्या माननीय मंत्री उन सक्षम और दूरदर्शी उद्योगपतियों और उद्यमियों को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु कोई उपाय करने के संबंध में सोचेंगे?

अध्यक्ष महोदय: इसका संबंध मुख्य प्रश्न से नहीं है।

श्री के.एस. राव: सरकार गारन्टर के रूप में उद्योगपतियों से शुल्क वसूल कर रही है। इस देश के लिए विदेशों से हजारों करोड़ रुपये कमाने का यह सुनहरा अवसर है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस बात पर ध्यान दें कि प्रश्नों के लिए हमारे पास केवल एक घंटा है।

श्री के.एस. राव: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन सक्षम उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर भारत सरकार के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के लिए किसी उपाय के बारे में सोचेगी।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, सम्मानपूर्वक, मैं यह समझता हूं कि इस प्रश्न की विषय वस्तु ठीक नहीं है। भारतीय निगमों के विदेशी वाणिज्यिक ऋण का निर्धारण बाजार की शक्तियां करती हैं और वे उद्योगपतियों, जो विदेशी वाणिज्यिक ऋण तक अपनी पहुंच बना सकते हैं वे तुलन पत्र के बल पर वाणिज्यिक ऋण प्राप्त कर लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, भारत पर जो देशी और विदेशी कर्जे का बोझ है, वह अत्यधिक है। मैं आपकी अनुमति से बहुत संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि सरकार का जो खर्च है उसका 42 फीसदी हमें कर्जे और ब्याज के रूप में देना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह देश कब तक कर्ज से मुक्त हो जाएगा क्या उन्होंने कोई लक्ष्य घोषित किया है या कोई ऐसी रूपरेखा बनाई है जिससे लगता हो कि यह देश फलां समय तक कर्ज से मुक्त हो जाएगा?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, हमारा विदेशी ऋण प्रबंधन परवर्ती सरकारों के अधीन सफलता की कहानी रहा है। दलगत भेदभावों को छोड़कर हमने एक अति दूरदर्शी विदेशी ऋण प्रबंधन की नीति अपनायी है। वस्तुत: यदि आप दूसरे देशों को देखें, तो आप पायेंगे कि कुछ देश विदेशी ऋण से बुरी तरह ग्रस्त हैं तो कुछ देशों पर ऋण का भार कम है। हमें कम ऋण वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। सभी राजनैतिक दलों में पूर्णत: आम सहमति यह है कि किस प्रकार हमारा विदेशी ऋण व्यवस्थित किया जाए। चहुं ओर हमारे विदेशी ऋण प्रबंधन की प्रशंसा हुई है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हम कोई लक्ष्य क्यों घोषित नहीं करना चाहते हैं, क्या हम पूरी जिंदगी कर्जदार बने रहेंगे और इस देश में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे देने दें।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनसे उत्तर देने के लिए नहीं कहा है बल्कि वह स्वयं उत्तर देने के लिए तैयार हुए हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, अति सम्मानपूर्वक मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तर्क में कोई दम नहीं है कि भारत को विश्व के किसी भी देश से ऋण नहीं लेना चाहिए। यदि भारत ऋण-योग्य है, यदि भारतीय परियोजनाएं ऋण-योग्य हैं और यदि विदेशों में इन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए धन है, इन परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता के लिए यदि वहां धन है, तो ऐसा करना भारत के हित में हैं। ऋण स्वयं में कलंक नहीं है। यह आपकी साख है जो आपको ऊपर या नीचे की श्रेणी में लाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि विदेशी बैंकों से जो हम लोग कर्जा ले रहे हैं, उस कर्जे में सैंक्शन तो होता है, मैं खास तौर से इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि उन स्वायत्त शासित संस्थाओं को विदेशी बैंक, वर्ल्ड बैंक से उनकी स्थिति की डेवलपमेंट के लिए जो लोन दिया जाता है, उन्हें सैंक्शन हो जाता है लेकिन सैंक्शन के बाद डिसबर्समेंट नहीं होता है, क्योंकि उनके पास इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। उस स्थिति में लोन का जो इंटरस्ट है, वह चालू हो गया है। वास्तव में जो स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं, उनको लोन नहीं मिलता। क्या ऐसे कोई आंकड़े आपके पास हैं कि ऐसी कितनी स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं, जिन्होंने लोन लिया है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मुझे भरोसा है कि मंत्रालय के पास सभी आंकड़े उपलब्ध हैं। लेकिन यह अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें पृथक नोटिस दे सकते हैं अथवा आप उनको पत्र लिख सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: माननीय सदस्य मुझे पत्र लिख सकते हैं।

[हिन्दी]

हथकरघा उद्योग

*164. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार से हथकरघा उद्योग को बचाने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास हथकरघा उद्योग की सहायता हेतु उन विभिन्न सहायता योजनाओं को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव है जो पूर्व में इसकी सहायता हेतु चल रही थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) हथकरघा बुनकरों को बचाने तथा हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क हटाने हेतु केन्द्र सरकार से मांग की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) वित्त मंत्री ने 8 जुलाई, 2004 के अपने बजट भाषण में वस्त्र क्षेत्र के लिए एक नई कर प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत अनिवार्य सेनवेट श्रृंखला समाप्त कर दी जाएगी तथा विशुद्ध सूती, ऊन एवं रेशम पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाएगा, चाहे वह रेशे, यार्न या परिधान ही क्यों न हों।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: अध्यक्ष महोदय, केरल का हथकरघा उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है। हथकरघा मजदूरों की बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है। उनके परिवार गंभीर भुखमरी में जी रहे हैं। हथकरघा उद्योग के पुनरुद्धार और इन गरीब मजदूरों के जीवन की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर्वों के दौरान, विशेषकर ओणम के समय क्या सरकार हथकरघा उत्पादों के लिए छूट देगी?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, हैंडलूम के लिए पूरी सेनवेट चैन निकाल दी गई है। इंसेंटिव भी बहुत दे रहे हैं, इसमें स्पेशल इंसेंटिव भी है। अगर आपके पास कोई और प्रपोजल्स हैं तो उसे भेज देना, उस पर भी हम विचार करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय सदस्य के बोलते समय व्यवधान उत्पन्न न करें।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हथकरघा क्षेत्र को खुले बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु इसके आधुनिकीकरण के प्रस्ताव का ब्यौरा देगी।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, हम स्पेशल इंसेंटिव दे रहे हैं, पहले भी दस प्रतिशत स्पेशल इंसेंटिव था और अभी भी उतना ही है। जितनी भी मोनिटरिंग हो, उसे और रिव्यू करके हम आगे की सोच रहे हैं।

श्रीमती जयाप्रदा: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इंडस्ट्री की हमारे देश में खेती से ज्यादा, जो रोजगार बनाती है, उसमें हमारा जो रा-मेटीरियल है, मोटा सूत है, उसकी बहुत आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या उसके लिए कुछ सर्वे किया है और अगर किया है तो उसके लिए हर वर्ष कितना मोटा सूत जरूरी है, उसके लिए क्या व्यवस्था की है? दूसरा मैं यह पूछना चाहती हूं कि जितनी हैंडलूम इंडस्ट्रीस हैं, वे सब स्केटर्ड हैं। उनके लिए जैसे हम सैल्फ हैल्प ग्रुप्स का सिंडीकेट बनाते हैं, उसी तरह अगर इन्हें करेंगे तो उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन कर सकते हैं और उनकी अर्पालफ्टमेंट ज्यादा जल्दी हो सकती है। क्या इसके लिए सरकार के पास कोई योजना है?

श्री शंकर सिंह वाघेला: मैडम ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। टैक्सटाईल के बारे में जितना भी हो सके, एक्सपोर्ट के लिए तकरीबन एक्साइज ड्यूटी खत्म होने के बाद लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट 2-3 वर्ष में होगा। पूरी इण्डस्ट्री में हर साल दो लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। आपने जो रिव्यू की बात कही है, वह भी हम करेंगे। सरकार की आज तक जो योजनाएं तीं, चाहे वह जनता क्लाथ वाली हो या दीनदयाल हथकरघा की योजना हो, इसमें मोडीफिकेशन करके और अच्छी योजनाएं रखी जाएंगी, जिसमें हम हैण्डलूम क्लस्टर डवलप करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाप्रदा: मेरा क्वश्चन है कि जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई हैं,

[अनुवाद]

हम इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें और अधिक कार्य करना है।

[हिन्दी]

लेकिन मेरा प्रश्न है कि जो शार्टेज है तो रा-मैटीरियल आप किस तरह से उपलब्ध कराएंगे और हर साल कितने रा मैटीरियल की खपत का अनुमान है?

श्री शंकर सिंह वाघेला: वह डिटेल तो अभी मेरे पास नहीं है, डिटेल आयेगी तो कितनी शार्टेज है, वह मैं आपके पास भिजवा दूंगा। लेकिन गवर्नमेंट रा मैटीरियल सप्लाई करने के लिए पूरी चिन्ता करती है।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: महोदय, हथकरघा का हमारी परंपरा, संस्कृति और विरासत से घनिष्ठ संबंध है। रोजगार प्रदान करने में इसकी व्यापक संभावनाओं के मद्देनजर, इस क्षेत्र के लिए कुछ प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने, बाजार लिंकेज आदि से संबंधित इस क्षेत्र को प्रदान की जा रही मौजूदा सहायताओं के संबंध में और राज्यों के परामर्श से इस क्षेत्र को प्रदान की जा रही व्यापक कल्याणकारी सहायताओं के बारे में पूछ सकता हूं? तीसरे स्तर के हथकरघा को विद्युतकरघा में बदलने का क्या मूल्य है?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, अगर मिल गेट प्राइस स्कीम हर राज्य की हैण्डलूम इण्डस्ट्री देखती है, टैक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से इनको सब्सिडी के रूप में 1 परसेंट या 1.25 परसेंट मिलता रहता है। आपने जो हैण्डलूम को आगे बढ़ाने के लिए कहा है इसमें भी भारत सरकार पूरी चिन्ता करेगी। पूरी इण्डस्ट्री को टेक आफ लेने के लिए बजटरी प्रोवीजन भी किया

गया है। आने वाले दिनों में आपने जो प्रपोजल दिया है, उसके बारे में भी सोचकर जो करना है, वह करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, इस क्षेत्र की हथकरघा सोसाइटियों तथा कई संघों ने इस एम.डी.ए. के बजाए छूट देने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है। एम.डी.ए. भी 2007 तक लागू है। यह हथकरघा उद्योग के लिए कारगर नहीं है।

इसलिए, क्या सरकार पुन: छूट देने पर विचार करेगी? केरल की सरकार ने हथकरघा उद्योग को बचाने के लिए केन्द्र सरकार से कुछ विशेष प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं की घोषणा करने हेतु अनुरोध किया है। क्या सरकार इन सभी मुद्दों पर विचार करेगी?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के लिए 2002-2003 में 1067.13 लाख का भी उसमें प्रोवीजन है, 2003-2004 में 679.35 लाख, 2004-2005 में 36.95 लाख रुपये, ऐसे ही मार्केटिंग प्रमोशन प्रोग्राम भी रखा गया है। वर्कशेड कम हाउसिंग स्कीम भी रखी गई है, वीवर्स वैलफैयर स्कीम में भी पैसा रखा गया है, हैल्थ पैकेज टैरिफ फंड, ग्रुप इन्श्योरेंस, न्यू इन्श्योरेंस हैण्डलूम एक्सपोर्ट है। ऐसे ही हैण्डलूम एक्सपोर्ट स्कीम है और एन्फोर्समेंट मार्केट डवलपमेंट असिस्टेंस, रिअम्बर्समेंट आफ सिनवेट 10 परसेंट स्पेशल रिबेट है। ऐसे ही उसमें हर राज्य को 50 परसेंट के हिसाब से हम मदद करते हैं। लेकिन राज्यों की सपोर्ट आनी चाहिए, जैसे गुजरात या दूसरे राज्यों में हालांकि केरल इसमें अपवाद है, इसमें आपकी राज्य सरकार का अच्छा सपोर्ट है। दूसरे राज्यों से जितना रैस्पोंस आना चाहिए, वह नहीं आ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा पूरा रिव्यू करके एक नयी स्कीम रखी जायेगी, जिससे हैण्डलूम को और वीवर्स को भी सपोर्ट मिले।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, हथकरघा उद्योग बुनकरों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इतनी सारी योजनाएं होते हुए भी देश के अन्दर बुनकरों का जो विकास होना चाहिए, जो उन्नति होनी चाहिए, वह उन्नति आज तक नहीं हुई है और बुनकरों की पूरे देश में आज तक वही स्थिति है। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बुनकर मजदूर है, वह मालिक नहीं है कि वह अपने आप बुनकरों को नौकर बना सके और खुद मालिक बनकर खुद अपने साथियों को काम दे सके, नौकरी दे सके। इसके लिए क्या कोई योजना बनाई गई है? गुजरात में बार-बार यार्न की कमी होती है, बुनकरों को यार्न न मिलने के कारण वे लोग बिना काम बैठे रहते हैं और परेशान हैं। उनको सही मूल्यों पर यार्न उपलब्ध कराने के लिए क्या कोई आयोजन किया गया है?

[अनुवाद]

श्री शंकर सिंह वाघेला: 2003-04 में 425 मिलियन किलोग्राम सूत हैंक यार्न सेक्टर को दिया जा रहा था।

[हिन्दी]

भारत सरकार की एक बुनकर बीमा योजना टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर है। उसमें इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है। आपने बुनकरों के बारे में जो कुछ कहा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्लस्टर डेवलप हो और क्लस्टर में सभी बुनकर्स का समावेश किया जाये तथा गवर्नमैंट उसकी पूरी मौनीटरिंग करे, आने वाले दिनों में हम क्लस्टर के हिसाब से चिन्ता करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: बुनकर हमारे समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं। ढांचागत संरचना के अभाव तथा वित्तीय संकट के कारण भी दिनों-दिन वे बर्बाद होते जा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार बुनकरों को सभी प्रकार की वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है जिससे कि मशीनी-करघा क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी ढांचागत संरचना का विकास कर सकें।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: हैंडलूम सैक्टर पूरा डीसैंट्रलाइज है। इसको आर्गनाइज करते हुए जो भी फाइनेंशियल इन्सेंटिव्स देने चाहिए, वे हम देंगे और उसके बारे में सोचेंगे। क्लस्टर डेवलप हो और उसकी पूरी मौनीटरिंग हो और उनकी काफी डेवलपमैंट हो, इसके लिए हम क्लस्टर की योजना अमल में लाने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: मैं माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहूंगा। वह यह है कि वस्त्र उद्योग विपणन की समस्या से परेशान है। वस्त्र उद्योग में लोगों को अपना उत्पाद बाजार में बेचना होता है। क्या सरकार अपने विभिन्न विभागों को अपने उपयोग के लिए हथकरघा से बने वस्त्रों को खरीदने का निर्देश देगी तथा वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों को भी यूनीफार्म के लिए हथकरघा से बने कपड़े खरीदने का निर्देश देगी जैसा कि श्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में किया है-जिससे कि

वस्त्रों की बिक्री संभव हो? यदि ऐसा होता है तो इससे इस उद्योग को बाजार का समर्थन प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार के जितने भी डिपार्टमैंट्स हैं जैसे हैल्थ मिनिस्ट्री हो या रेलवे मिनिस्ट्री हो, उन सबमें सोफे के ऊपर या बाकी चीजों में हैंडलूम के कपड़े का प्रयोग हो। आप प्रधान मंत्री के कार्यालय में देखें तो पायेंगे कि वहां भी इसका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा हम और जगह में भी इसका उपयोग करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: खादी और हथकरघा में मिल के कपड़े का क्या काम है?

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में चंदेरी एक बहुत ही पुरानी हैंडलूम की धरोहर है। इस हैंडलूम के व्यय में करीब 20 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से टेक्सटाइल के क्षेत्र में अनेक क्लस्टर बनाये गये हैं जैसे साउथ इंडिया में तिरूप्पूर बनाया गया है। इसी तरह वहां इस तरह से अनेक क्लस्टर बनाये गये हैं। हैंडलूम सैक्टर में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक मार्केट को बुनकरों के पास ले जाना और बुनकरों को मार्केट के पास ले जाना। दूसरा, नई टेक्नोलाजी के बारे में यह मंत्रालय कौन से कदम उठाने वाला है?

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, हैंडलूम में नयी टेक्नोलाजी का कोई सवाल नहीं है। अभी माननीय सदस्य ने चंदेरी के बारे में बताया। हमारे पाटन में पाटन के पटोले बहुत पुरानी चीजें हैं। वे आउट आफ डेट होती जा रही हैं। क्लस्टर को डेवलप करते हुए इन सबका समावेश किया जायेगा ताकि मिडिल मैन ज्यादा पैसा न ले और रियल हैंडलूम वीवर्स को इसका फायदा मिले, हम इसकी चिन्ता करेंगे। इसके अलावा मिडिल मैन को भी निकालने की योजना है जो बीच में से मुनाफा कमा रहे हैं।

सुश्री महबूबा मुफ्ती: स्पीकर साहब, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर जम्मू-कश्मीर के लिए एक इंटीग्रेटी पैकेज था जिसमें पहले 31 करोड़ रुपये रखे गये थे। उसके बाद

[अनुवाद]

यह 21 करोड़ रुपये तक नीचे आ गया था।

[हिन्दी]

इस बार हमने सुना है कि उसमें सिर्फ 4 करोड़ रुपये रखे गये हैं जब कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर की बैकबोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है। पिछले 15 साल में उसने काफी सफर किया है।

[अनुवाद]

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या वे इसकी जांच कराएंगे तथा जो गलती हुई है या राज्य को जो क्षति हुई है उसे दुरुस्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, मैडम ने सही फरमाया। जम्मू-कश्मीर के लिए पूरे देश में सहानुभूति है। आपने जो हैंडीक्राफ्ट के बारे में कहा, अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने पैसा कम रखा है और पुरानी सरकार ने ज्यादा रखा था तो हम आपकी ओर से उनसे रिक्वैस्ट करेंगे कि आपको अच्छा पैसा दिया जाये। अगर आप कश्मीर बुलायेंगी तो हम आयेंगे और वहां हैंडिक्राफ्ट को और इन्सेंटिव्स मिले, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा।

श्री प्रदीप गांधी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह वित्त मंत्री जी से हथकरघा उद्योग में कुछ क्षेत्रों को चिहिन्त करके छूट प्रदान की है, क्या केन्द्र सरकार ऐसे निर्देश जारी करेगी, राज्य सरकारों से निवेदन करेगी कि कुछ क्षेत्रों में केवल हथकरघा द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाएगा? *...(व्यवधान)*

विदेशों से पूर्व में हथकरघा उद्योगों के निर्यात का आर्डर मिला था। छत्तीसगढ़ को स्वीडन से आर्डर प्राप्त हुआ था कि उनको यहां से चादरें भेजी जाएं। क्या इस तरह के आदेश विदेशों से प्राप्त हो रहे हैं और उसके लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे पास विदेशों से आर्डर है तो उसे हम इम्प्लीमैंट करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

मुक्त-व्यापार समझौता

+

***165. श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने किन-किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है;

(ख) क्या सरकार ने मुक्त-व्यापार के स्वदेशी उद्योग पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार मुक्त व्यापार के संबंध में विभिन्न देशों के साथ समझौते करते समय उद्गम स्रोत संबंधी नियमों "रूल्स आफ ओरीजन" का ध्यान रख रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत ने निम्नलिखित देशों/क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार करार किए हैं:

(1) भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार, जिस पर दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 को हस्ताक्षर किए गए और मार्च, 2000 में उसका कार्यान्वयन शुरू हुआ।

(2) दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार जिस पर दिनांक 6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क सदस्य देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह करार 1 जनवरी, 2006 से लागू होगा।

भारत ने नेपाल एवं भूटान के साथ द्विपक्षीय व्यापार संधियां भी की हैं जिनके अंतर्गत गैर-पारस्परिकता के सिद्धांत पर इन दोनों देशों से शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) के अंतर्गत कोई टैरिफ रिआयत प्रदान किए जाने के पूर्व शीर्षस्थ वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों एवं विभागों के जरिए घरेलू हितबद्ध पक्षों के साथ परामर्श किए जाते हैं। नकारात्मक/ संवेदनशील सूची की मदों, जिन पर एफटीए के अंतर्गत कोई टैरिफ रिआयत प्रदान नहीं की जाएगी, को तैयार करते समय घरेलू हितबद्ध पक्षों के साथ विस्तृत परामर्श किए जाते हैं।

(घ) एफटीए का उद्देश्य केवल ऐसे उत्पादों के आयातों के लिए अधिमानी पहुंच उपलब्ध कराना है जिनका उत्पादन अथवा विनिर्माण हस्ताक्षरकर्ता पक्षकारों द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए, एफटीए के अंतर्गत दिए जाने वाले अधिमान प्रत्येक करार के लिए निर्धारित मूलता के नियमों के अंतर्गत अर्हकारी मापदंडों को पूरा करने के अध्यधीन होते हैं। घरेलू उद्योग के सुभेद्य खण्डों की सुरक्षा के लिए इन करारों में प्रत्येक देश द्वारा ऐसी मदों, जिन पर एफटीए के अंतर्गत कोई टैरिफ रिआयत प्रदान नहीं की जाएगी, की एक नकारात्मक/संवेदनशील सूची रखे जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, करारों में व्यापार प्रतिरक्षा उपायों, जिनका किसी भी आयातकर्ता देश द्वारा सहारा लिया जा सकता है, की व्यवस्था है। आयातों में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के मामले में किसी भी देश को पाटनरोधी एवं रक्षोपायों जैसे उपाय लागू करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, इन करारों में सीमाशुल्क प्राधिकारियों के बीच सहयोग का भी प्रावधान किया गया है।

(ङ) और (च) एफटीए के अंतर्गत दिए गए टैरिफ अधिमान मूलता के नियमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए अर्हकारी मापदंडों को पूरा करने के अध्यधीन होते हैं। मूलता के नियमों के अंतर्गत मूलता की स्थिति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ वस्तुओं की दो श्रेणियों अर्थात पूर्णत: प्राप्त तथा पूर्णत: न प्राप्त, में वर्गीकृत किया जाता है। एफटीए के अंतर्गत पूर्णत: न प्राप्त श्रेणी की वस्तुओं के लिए मूलता के नियमों के संबंध में व्यापारिक भागीदारों के साथ हमारी वार्ताओं में मूल्यवर्धन, पर्याप्त रूपान्तरण को विनिर्दिष्ट करने तथा गैर-अर्हकारी प्रचालनों को परिभाषित करने का पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष महोदय, भारत सौ करोड़ आबादी वाला देश है लेकिन इस देश के तकनीकी प्रदान उद्योग किसी कीमत पर व्यावहारिक नहीं हैं। इन उद्योगों की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि यहां मशीनों द्वारा कार्य किए जाते हैं, मजदूरों द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। हमारे देश के श्रम प्रदान उद्योग बंद होते जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्रम प्रदान उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? क्या सरकार इस बारे में कोई निर्णय ले रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हैं?

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: महादोय, इस पूरक प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में जिन देशों के साथ समझौता हुआ, उनमें हमारे देश के उद्योग शामिल नहीं हो पा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: समय ज्यादा नहीं है, इसलिए जल्दी-जल्दी प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री रघुराज सिंह शाक्य: यहां उनकी जो वस्तुएं आ रही हैं, वे ड्यूरेबल नहीं है, उनकी स्थिति घटती जा रही है और यहां के लोग लालच में फंसते जा रहे हैं। चीन का इतना माल आ रहा है लेकिन वह दो-तीन दिन बाद खराब हो जाता है। उनकी कोई चीज ड्यूरेबल नहीं है लेकिन हमारे देश के लोग लालच में फंसते जा रहे हैं। हमारे देश में उद्योगों पर लागत अधिक होने की वजह से, मजदूरी अधिक होने की वजह से उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वे बंद हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, हमारे देश में जो मजदूर हैं, उनकी मजदूरी के लिए चीन या अन्य देशों का जो माल आ रहा है, क्या सरकार उसकी ड्यूरेबिलिटी की गारंटी देगी कि वह माल चलेगा या नहीं? हमारे देश के उद्योगों का माल टिकाऊ है, मजबूत है। क्या सरकार द्वारा उनकी तरफ कोई ध्यान दिया जाएगा?

[अनुवाद]

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: यह प्रश्न भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौते से सम्बंधित है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को अलग प्रश्न पूछना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: इसमें केवल श्रीलंका का उल्लेख नहीं है।

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: वे चीन के बारे में बात कर रहे थे। भारत का चीन के साथ कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया उसे पढ़िए। ठीक है। यह प्रश्न से सम्बंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना: अध्यक्ष महोदय, फिरोजपुर का बार्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उसे व्यापार के लिए खोला जाएगा? जिनके पास पुराने लाइसैंस हैं, वे उनसे ही काम करेंगे या उनको नए लाइसैंस लेने पड़ेंगे?

[अनुवाद]

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: महोदय, यह पूरक प्रश्न नहीं बनता क्योंकि मुख्य प्रश्न श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते से सम्बंधित है और पाकिस्तान के साथ हमारा कोई भी मुक्त व्यापार समझौता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, यही बात है। उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि अब तक मुक्त व्यापार समझौता कौन-कौन से देशों के साथ सम्पन्न हुआ है और भविष्य में कौन-कौन से देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता होने की चर्चा चल रही है? क्या इस संदर्भ में भारत के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है जिससे स्वदेशी उद्योगों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे?

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: महोदय, सभा पटल पर जो उत्तर रखा गया है उसमें यह सम्मिलित है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं इसे दोबारा पढ़ता हूं।

भारत ने निम्नलखित देशों/क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है:

(एक) भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता जिस पर 28 दिसम्बर 1998 को हस्ताक्षर हुए और इसका क्रियान्वयन मार्च 2000 से शुरू हुआ।

(दो) दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा) पर सार्क के सदस्य देशों अर्थात, बंगलादेश, भूटान, भारत, मालद्वीप, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा 6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में सम्पन्न सार्क सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते पर क्रियान्वयन 1 जनवरी, 2006 से होना है ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कहां से पढ़ रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न-काल समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं उपयुक्त समय पर आपको मौका दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

''नाबार्ड'' द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता/ऋण

***166. श्री सुरेश चन्देल:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरन तथा आज की तारीख तक नाबार्ड ने नई ग्रामीण अवसंरचना इकाईयों के सृजन तथा अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से विभिन्न राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी राशि के ऋण मंजूर किए हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयनाधीन अवसंरचना परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या निधियों में प्रति वर्ष वृद्धि के बावजूद ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि द्वारा ऋण वितरण में लगातार कमी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार ने नाबार्ड के अंतर्गत गठित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में समेकित राशि को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(च) क्या नाबार्ड ने उपभोक्ताओं को सीधे ऋण देने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने गत तीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत 16,414 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। मंजूर की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) नाबार्ड ने इस अवधि के दौरान आरआईडीएफ के तहत 83481 परियोजनाएं मंजूर की थी जिनमें से 6935 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं के 31 मार्च, 2005 तक पूरा होने की आशा है। वर्ष 2003-04 के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन अवधि 31 मार्च, 2006 तक है।

(ग) और (घ) आरआईडीएफ-9 श्रृंखला, जिसके तहत 5437.51 करोड़ रुपए की कुल मंजूरियां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा आबंटित कार्पस अर्थात 5,500 करोड़ रुपए के भीतर थी, को छोड़कर आरआईडीएफ के तहत जारी की गई मंजूरियों में लगातार वृद्धि हो रही है।

(ङ) आरआईडीएफ का कार्पस जो आरआईडीएफ-8 (2002-03) तथा आरआईडीएफ-9 (2003-04) के तहत 5,500 करोड़ रुपए था, को बढ़ाकर वर्ष 2004-05 के लिए आरआईडीएफ-10 के तहत 8,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(च) और (छ) नाबार्ड ने आरआईडीएफ के तहत परियोजनाएं पूरी करने के लिए राज्य सरकारों को ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त हाल ही में वाणिज्यिक बैंकों की साझेदारी में सह-वित्तपोषण की व्यवस्था के तहत चयनित आधार पर अलग-अलग उधारकर्ताओं को उच्च प्रौद्योगिकी निर्यातोन्मुख कृषि परियोजनाओं, तेजी से बढ़ने वाली प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित अन्य परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष ऋण देना शुरू किया है।

विवरण

नाबार्ड द्वारा वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान आरआईडीएफ के तहत मंजूर की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	626.39	909.56	868.20
2.	अरूणाचल प्रदेश	69.41	0.00	15.12
3.	असम	0.00	76.23	189.75
4.	बिहार	78.76	218.93	84.52
5.	छत्तीसगढ़	84.42	281.30	432.88
6.	गोवा	15.79	16.10	0.00
7.	गुजरात	40.90	283.82	899.21
8.	हरियाणा	151.92	270.87	153.62
9.	हिमाचल प्रदेश	176.19	196.85	119.67
10	जम्मू एवं कश्मीर	216.80	175.64	153.82
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	49.13
12.	कर्नाटक	236.77	231.03	250.31
13.	केरल	191.76	196.55	91.75
14.	मध्य प्रदेश	311.05	575.23	277.46
15.	महाराष्ट्र	529.73	443.09	67.03
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	18.30	18.39	15.52
18.	मिजोरम	7.33	2.00	13.50
19.	नागालैण्ड	0.95	6.68	12.43
20.	उड़ीसा	153.25	246.83	122.84
21.	पंजाब	239.98	210.17	288.18
22.	राजस्थान	435.12	346.75	140.27
23.	सिक्किम	5.48	4.89	3.30
24.	तमिलनाडु	353.11	387.97	547.73
25.	त्रिपुरा	6.79	50.13	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	338.50	322.71	201.24
27.	उत्तरांचल	53.96	75.43	226.62
28.	पश्चिम बंगाल	474.41	520.73	213.41
	कुल	4817.07	6067.88	5437.51

तीन वर्षों का योग—16,414 करोड़ रुपए।

[अनुवाद]

खान दुर्घटनाएं

***167. श्री दलपत सिंह परस्ते:**
श्री बाबू लाल मरांडी:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध खनन के कारण बंद पड़ी और खतरनाक घोषित की गई कोयला खदानों में अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः माह के दौरान ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और इनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं उन्हें कितना मुआवजा दिया गया; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है?

कोयला और खान मंत्री (श्री शिबु सोरेन): (क) जी, हां। बंद खानों में अवैध खनन के कारण दुर्घटनाएं होती हैं।

(ख) और (ग) संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन

***168. श्री प्रकाश परांजपे:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जनता से सावधि जमा निधियां एकत्रित तो करती हैं परंतु वे सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों और विनियमों का अनुपालन नहीं करतीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मानदण्डों का अनुपालन करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करने वाली दोषी कम्पनियों के विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान दायर किये गये मुकदमों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) दायर किये गये मुकदमों की प्रगति क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने उल्लंघन के लम्बित मामलों के संबंध में कम्पनी विधि बोर्ड से सम्पर्क किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) सरकार को मालूम है कि कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों ने जनता से सावधि जमाराशि की स्वीकृति तथा भुगतान से संबंधित सांविधिक रूप से निर्धारित मानदण्डों तथा विनियमों का पालन नहीं किया।

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अंतर्गत जमाराशि की स्वीकृति के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। कंपनी अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के लिए मुख्य मानदण्ड ये हैं:

* निर्धारित फार्म में विज्ञापन जारी किया जाना होता है।
* जमाराशियां कम से कम छः महीनों की अवधि के लिए स्वीकार की जा सकती हैं, लेकिन 36 महीनों से अधिक नहीं।
* कुल जमाराशि प्रदत्त पूंजी तथा फ्री रिजर्व का 35% से अधिक नहीं हो सकती।
* गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम से अधिक नहीं हो सकती।
* वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाली जमाराशि का कम से कम 15% के अस्थिर परिसंपत्तियों का रख-रखाव।

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ मानदण्ड निम्न हैं:

* कोई भी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण के प्रमाणपत्र के बिना व्यापार शुरू नहीं कर सकती जिसके लिए कंपनी का शुद्ध अपना फंड 200 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए।
* जमाराशि स्वीकृत मानदण्डों जैसे कि न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रैडिट रेटिंग जहां लागू हो, जनता की जमाराशि की मात्रा पर सीमा, जमाराशि की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि, ब्याज दर की सीमा आदि की अनुपालना।
* इसके अतिरिक्त पूंजी पर्याप्तता अनुपात सहित विवेकपूर्ण मानदण्ड जो कि बैंकों पर लागू होते हैं, ऐसी एन बी एफ सी के लिए निर्धारित किए गए हैं।
* जनता की जमाराशि के 15% पर अस्थिर परिसंपत्तियों का रख-रखाव।
* आवधिक अंतराल पर रिर्पोटिंग अपेक्षाएं तथा विवरणियां भेजना।

सरकार ने पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के विरुद्ध जमाराशि की स्वीकृति या भुगतान में चूक के नियमों के उल्लंघन के बारे में अभियोजन चलाए जाने सहित कार्रवाई की है। छोटे जमाकर्ताओं को भुगतान करने में चूक के बारे में दिसम्बर, 2000 में कंपनी अधिनियम, में विशेष उपबंध जोड़े गए थे और अब पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को आवश्यक रूप से इस प्रकार की चूक को कंपनी विधि बोर्ड को रिपोर्ट करना होता है। एक कंपनी के निदेशक जो जमाराशि का भुगतान नहीं कर पाए वे कंपनी अधिनियम की धारा 274 (1) (छ) के उपबन्धों के अनुसार अन्य कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं होंगे। लेखापरीक्षकों को विशेष रूप से यह स्टेटमेंट देनी होगी कि क्या कोई निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त करने के अयोग्य है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्राधिकार में आने वाली कम्पनियों के बारे में भी जनता की जमाराशि की स्वीकृति तथा वापसी और उल्लंघन/चूक के आधार पर दण्ड/अभियोजन पर विचार करने के लिए उपयुक्त उपबन्ध हैं।

(ग) और (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान जमाराशि से संबंधित उपबंधों की गैर-अनुपालना के लिए कम्पनियों के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए अभियोजनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	चलाए गए अभियोजन
2001-02	52
2002-03	57
2003-04*	38

*आंकड़े अनंतिम हैं।

ये मामले विभिन्न अवस्थाओं में सुनवाई के लिए न्यायालयों में हैं।

(ङ) से (छ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी विधि बोर्ड एक न्यायिककल्प निकाय है, जो या तो स्वयं के प्रस्ताव पर या जमाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई आरम्भ कर सकता है। मंत्रालय को कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा इसके पास कम्पनी अधिनियम के समक्ष विभिन्न मामलों के लंबित होने तथा निपटान के बारे में आवधिक रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। कम्पनी विधि बोर्ड जमाराशि के भुगतान में हुए उल्लंघन के बारे में पारित आदेशों की प्रतियां भी इन आदेशों की गैर अनुपालना के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय को भेजता है। मंत्रालय द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड के आदेशों के उल्लंघन के लिए अभियोजन चलाए गए हैं।

जापान से ऋण

***169. श्री विजय कृष्ण:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार भारत को अवसंरचना विकास, गरीबी उपशमन और पर्यावरणीय विकास के लिए 5102 करोड़ रुपए का ऋण देने को सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ऋण की निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(घ) इस धनराशि से वित्तपोषित संभावित परियोजनाओं का परियोजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जापान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए सरकारी विकास सहायता पैकेज के अन्तर्गत आठ परियोजनाओं के लिए भारत को 125.004 बिलियन येन (लगभग 5250 करोड़ रुपए) का ऋण दिया है।

(ख) से (ङ) जापान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए सरकारी विकास सहायता के अन्तर्गत निम्नलिखित आठ परियोजनाओं हेतु ऋण दिया है:

परियोजना का नाम	ऋण की राशि		उस राज्य का नाम जहां परियोजना का स्थल है	परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तारीख
	मिलियन येन	करोड़ रुपए (लगभग)		
1	2	3	4	5
दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (5)	59,296	2490.43	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली	सितम्बर, 2005
पुरूलिया पम्पड संचयन परियोजना (2)	23,578	990.28	पश्चिम बंगाल	जनवरी, 2008
धौलीगंगा जल विद्युत विजली संयंत्र निर्माण परियोजना (3)	13,890	583.38	उत्तरांचल	मार्च, 2005
रेंगाली सिंचाई परियोजना (2)	6,342	266.36	उड़ीसा	दिसम्बर, 2007

1	2	3	4	5
कुरूनूल-कुड्डापाह नहर आधुनिकीकरण परियोजना (2)	4,773	200.47	आन्ध्र प्रदेश	मार्च, 2009
उमियाम चरण-2 जल विद्युत केन्द्र नवीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजना	1,964	82.49	मेघालय	सितम्बर, 2008
बिसलपुर जयपुर जलापूर्ति परियोजना (अंतरण प्रणाली)	8,881	373	राजस्थान	दिसम्बर, 2007
हरियाणा में इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एण्ड पावर्टी रिडक्शन परियोजना	6,280	263.76	हरियाणा	मार्च, 2011

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए सरकारी विकास सहायता ऋण सामान्य परियोजनाओं के लिए 1.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष और पर्यावरण परियोजना के लिए 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया है। वापसी-अदायगी की अवधि सामान्य परियोजनाओं के लिए 20 वर्ष (10 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित) और पर्यावरण परियोजना के लिए 30 वर्ष (10 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित) है।

[हिन्दी]

खाद्य पदार्थों का पेटेंट किया जाना

*170. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान नियमों की जटिलताओं के कारण भारतीय कंपनियों को खाद्य पदार्थों का पेटेंट कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे जटिल नियमों को सरल बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय कंपनियों द्वारा अब तक कौन-कौन से खाद्य पदार्थों का पेटेंट करवाया जा चुका है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार, खाद्य के रूप में प्रयोगार्थ अथवा प्रयोग किये जाने योग्य पदार्थों का दावा करने वाले आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं होते। तथापि, वर्तमान में खाद्य उत्पादों से संबंधित आविष्कारों के लिए प्रक्रिया संबंधी पेटेंट उपलब्ध हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर करार (ट्रिप्स) के तहत भारत पर, अन्य बातों के साथ-साथ, खाद्य उत्पादों के लिए 1 जनवरी, 2005 से पेटेंट उपलब्ध का दायित्व है। इस दायित्व के कार्यान्वयन के कारण पेटेंट अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो जायेगा।

यूटीआई द्वारा किया गया निवेश

*171. **श्री नीतीश कुमार:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तारापुर समिति रिपोर्ट के आधार पर यूटीआई द्वारा 89 कंपनियों में किए गए निवेश संबंधी जांच की जिम्मेदारी 17 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्मों को सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन 89 कंपनियों में यूटीआई द्वारा कुल कितना निवेश किया गया है और इन कंपनियों के नाम क्या हैं एवं उनमें कंपनीवार कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ग) बकाया राशि का कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनको जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और किन मानदंडों के आधार पर इन फर्मों का चयन किया गया है;

(ङ) क्या जिन लोगों ने यूटीआई में करोड़ों रुपए निवेश किया है उन्हें अपना लाभ नहीं मिल रहा है और उनका विश्वास उठ चुका है; और

(च) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि यूटीआई के निवेशक पूर्णत: सुरक्षित हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस प्रयोजनार्थ 16 चार्टर्ड लेखाकार फर्मों की नियुक्ति की है।

(ख) और (ग) 89 कंपनियों में (88 कंपनियां, एक नाम दोहराया गया है) पूर्ववर्ती यूटीआई के बकाया निवेश के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ) इस प्रयोजनार्थ नियुक्त 16 चार्टर्ड लेखाकार फर्मों के नामों के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं। लेखापरीक्षा फर्मों की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक की सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों की सूची में से की गई है। चयन करते समय ध्यान में रखे गए तथ्यों में, अन्य के साथ-साथ, सेबी के लिए म्यूचुअल फंड निरीक्षण करने का अनुभव, तथा जांच की जा रही अवधि के दौरान यूटीआई के सांविधिक लेखापरीक्षक न होने अथवा यूटीआई बोर्ड में सदस्य न होना, शामिल हैं। आगे, लेखापरीक्षकों से इन कंपनियों में अपने हिस्से, यदि कोई हो, का प्रकटन करने के लिए भी कहा गया था, और हितों के टकराव से सुरक्षोपाय करने के लिए कार्य का आवंटन करते समय इस पहलू पर उनसे प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखा गया था।

(ङ) और (च) यद्यपि यूएस-64 का निवल आस्ति मूल्य बहुत कम था, सरकार ने खुदरा निवेशकों को प्रति यूनिट कम से कम 10.00 रुपए प्रदान करने का निर्णय किया जो प्रतिमाह 0.10 रुपए बढ़ता हुआ मई, 2003 में 12.00 रुपए पर बंद हुआ। यूएस-64 में अन्य निवेशकों को 10.00 रुपए या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो, का आश्वासन दिया गया था। सरकार ने निवेशकों के लिए यूएस-64 में कमी को पूरा कर दिया। इसी प्रकार, आश्वासित प्रतिफल योजनाओं के मामले में सम्पूर्ण पूंजी तथा वचनबद्ध किए गए प्रतिफलों की अदायगी बंद होने या समय-पूर्व बंद होने की तिथि तक की गई है जिनमें कमी की पूर्ति सरकार द्वारा की गई है।

विवरण 1

दिनांक 31 जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार 88 कंपनियों में भूतपूर्व यूटीआई का बकाया निवेश

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कंपनी	इक्विटी	ऋण	जोड़
1	2	3	4	5
1.	अदानी एक्सपोर्टस लिमिटेड	4236.16	3017.41	7253.57
2.	एफ्टेक इन्फोसिस लिमिटेड	2192.73	0.00	2192.73
3.	एल्प्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	829.42	0.00	829.42
4.	अंबिका अगरबत्ती एंड एरोमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1062.76	0.00	1062.76
5.	एटीएन इंटरनेशनल लिमिटेड	1215.12	0.00	1215.12
6.	बीएजी फिल्म्स् लिमिटेड	0.00	750.00	750.00
7.	बालाजी डिस्टिलर्स लिमिटेड	1799.07	0.00	1799.07
8.	बालाजी टेलीफिल्म्स् लिमिटेड	157.98	0.00	157.98
9.	बोरेक्स मोरारजी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
10.	बीपीएल लिमिटेड	4069.28	0.00	4069.28
11.	बिजनेश इंडिया पब्लिकेशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
12.	डीसीएम लिमिटेड	1398.62	0.00	1398.62
13.	देवान एचएसजी फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	990.20	3303.28	4293.48

1	2	3	4	5
14.	धर सीमेंट लिमिटेड	27.28	0.00	27.28
15.	धर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	29.26	0.00	29.26
16.	डीएसक्यू सोफ्टवेयर लिमिटेड	3386.13	0.00	3386.13
17.	एलबी सर्विसेज लिमिटेड (एलबी एक्सप्रेस)	808.65	0.00	808.65
18.	एस्सार आयल लिमिटेड	1897.37	12457.41	14354.78
19.	एस्सार शिपिंग लिमिटेड	739.36	7204.14	7943.50
20.	एस्सार स्टील लिमिटेड	7.09	32839.09	32846.18
21.	यूरेका इंडस्ट्रीज लिमिटेड	156.09	0.00	156.09
22.	फ्युचूरा पोलियेस्टर्स लिमिटेड	1798.16	0.00	1798.16
23.	गैलैक्सी एन्टरटेन्मेंट कारपोरेशन लिमिटेड	28.98	0.00	28.98
24.	जीके एक्जिम (इंडिया) लिमिटेड	850.88	0.00	850.88
25.	जीटीएल लिमिटेड	17269.21	0.00	17269.21
26.	गुजरात अदामी पोर्ट लिमिटेड	4340.06	0.00	4340.06
27.	हिमाचल फ्युचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड	49717.06	0.00	49717.06
28.	होटल लीला वेंचर लिमिटेड	0.29	867.96	868.25
29.	हाई-ग्रेड पैलेट्स लिमिटेड	0.00	23402.58	23402.58
30.	आईएजी कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
31.	इंडियन सीमलेस मेटल ट्यूब्स लिमिटेड	3747.75	1890.43	5638.18
32.	इन्फोरमेशन टेक्नोलोजिज (इंडिया) लिमिटेड	8546.82	0.00	8546.82
33.	इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	4436.01	31688.83	36124.84
34.	जैन स्टूडियोज लिमिटेड	1230.15	0.00	1230.15
35.	जेबीएफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1194.85	0.00	1194.85
36.	जेन्सन एंड निकोलसन (आई) लिमिटेड	546.63	914.29	1460.92
37.	जेआईके इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1957.81	0.00	1957.81
38.	जिंदल आईरन एंड स्टील कपनी लिमिटेड	0.00	16168.36	16168.36
39.	जिंदल विजयानगर स्टील लिमिटेड	1557.46	37423.63	38981.09
40.	जेके कार्प लिमिटेड	3213.41	8301.34	11514.75

1	2	3	4	5
41.	किरलोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड	95.12	1122.52	1217.64
42.	कोपरान लिमिटेड	1008.25	3990.00	4998.25
43.	लौएड्स स्टील्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1385.83	1719.10	3104.93
44.	लुपिन लिमिटेड	3053.61	2947.06	6000.67
45.	मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2499.50	0.00	2499.50
46.	मालविका स्टील लिमिटेड	402.78	11202.63	11605.41
47.	मालवा काटन एसपीजी मिल्स लिमिटेड	1987.06	0.00	1987.06
48.	मारवाड़ होट्ल्स लिमिटेड	1393.20	0.00	1393.20
49.	मोबाईल टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड	1668.18	0.00	1668.18
50.	मोडर्न थ्रेड्स (इंडिया) लिमिटेड	37.88	1263.96	1301.84
51.	मोदी रब्बर लिमिटेड	2360.14	0.00	2360.14
52.	मोरारजी गोकुलदास एसपीजी एंड डब्ल्यूवीजी कंपनी लि.	308.39	0.00	308.39
53.	एमटीजेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	702.06	0.00	702.06
54.	एमटीजेड पोलीफिल्म्स् लिमिटेड	1776.05	0.00	1776.05
55.	मुक्ता आर्टस लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
56.	न्यूमेरो ऊनो इंटरनेशनल लिमिटेड	910.61	0.00	910.61
57.	ओसवाल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2515.35	11072.05	13587.40
58.	पाम फार्मास्युटीकल्स (दिल्ली) लिमिटेड	10.16	196.63	206.79
59.	पदमालया टेलीफिल्म्स् लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
60.	पदमिनी टेक्नोलोजिज लिमिटेड	951.77	610.78	1562.55
61.	पाल प्युगियाट लिमिटेड	410.14	2303.05	2713.19
62.	पारसरामपुरिया सिन्थेटिक्स	1325.57	0.00	1325.57
63.	पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड	724.41	365.60	1090.01
64.	पेंटामीडिया ग्राफिक्स लिमिटेड	155.38	0.00	155.38

1	2	3	4	5
65.	प्रीतीश नंदी कम्युनिकेशन लिमिटेड	13.79	0.00	13.79
66.	रामा फोस्फेट्स लिमिटेड	1031.60	1484.25	2515.85
67.	रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज लिमिटेड	31586.31	0.00	31586.31
68.	रिलायंस कैपिटल लिमिटेड	1494.70	0.00	1494.70
69.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	320251.81	197721.05	517972.86
70.	रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
71.	रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1955.66	500.00	2455.66
72.	एस. कुमारस् नेशनवाईड लिमिटेड	2526.55	2151.89	4678.44
73.	सत्यम कम्प्यूटर्स लिमिटेड	60376.49	0.00	60376.49
74.	शारदूल सिक्युरिटीज लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
75.	शाँख टेक्नोलोजिज लिमिटेड	1230.04	0.00	1230.04
76.	सिल्करलाईन टेक्नोलोजिज लिमिटेड	2726.74	0.00	2726.74
77.	साउंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1893.86	0.00	1893.86
78.	एसएसआई लिमिटेड	10893.12	0.00	10893.12
79.	स्टील ट्यूब्स आफ इंडिया लिमिटेड	425.16	0.00	425.16
80.	सन अर्थ सिरामिक्स लिमिटेड	1285.71	502.30	1788.01
81.	सन इन्फोवेज लिमिटेड	528.10	0.00	528.10
82.	त्रिवेनी इंजीनियरिंग एंड एंडस्ट्रीज लिमिटेड	1093.15	0.00	1093.15
83.	ऊषा इस्पात लिमिटेड	437.34	3036.51	3473.85
84.	वेरोनिका लैबोरेट्रीज लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
85.	वायसराय होटल्स लिमिटेड	842.06	1341.29	2183.35
86.	विजुअल साफ्ट टेक्नोलोजिज लिमिटेड	4263.09	0.00	4263.09
87.	वेलस्पन इंडिया लिमिटेड	4195.21	225.00	4420.21
88.	जी. टेलीफिल्म्स लिमिटेड	87200.70	0.00	87200.70
	कुल जोड़			1081385.15

विवरण 2

भूतपूर्व यूटीआई द्वारा 88 कंपनियों में किए गए निवेश की लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त 16 चार्टर्ड लेखाकार फर्मों के नाम निम्नानुसार हैं:

1. मैसर्स बी.के. खरे एंड कंपनी
2. मैसर्स सिंगवी, ओटुरकर और केलकर
3. मैसर्स छजेड एंड दोषी
4. मैसर्स एम.एम. निसिम एंड कंपनी
5. मैसर्स बोरकार एंड मजूमदार
6. मैसर्स आर. देवेन्द्र कुमार अंड एसोसिएट्स
7. मैसर्स चतुर्वेदी एंड शाह
8. मैसर्स लूनकर एंड कंपनी
9. मैसर्स भूचर एंड चंडक
10. मैसर्स उम्मेद जैन एंड कंपनी
11. मैसर्स शंकरलाल जैन एंड कंपनी
12. मैसर्स एन.बी. शेट्टी एंड कंपनी
13. मैसर्स मुकुंद एन. चिताले एंड कंपनी
14. मैसर्स खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
15. मैसर्स सुदित के. पारेख एंड कंपनी
16. मैसर्स चौकसी एंड चौकसी

[अनुवाद]

दसवें वित्त आयोग द्वारा असम के लिए धनराशि का आबंटन

*172. **श्री अनवर हुसैन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवें वित्त आयोग द्वारा असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राज्यवार अलग-अलग कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया था और इन राज्यों की जनसंख्या क्रमश: कितनी-कितनी है;

(ख) ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या असम के लिए दसवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आबंटन की तुलना में ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा बहुत कम आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक विशेष पैकेज अथवा आबंटन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (च) वित्त आयोग केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यों के शेयर तथा राज्यों के बीच उनके पारस्परिक वितरण की सिफारिश करते हैं।

दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों से अनुमानित राजस्व तथा संस्तुत विशिष्ट अनुदानों के आधार पर असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के शेयर क्रमश: संलग्न विवरण के कालम 3 और 4 में दिए गए हैं।

जैसाकि इस विवरण से देखा जा सकता है कि दसवें वित्त आयोग की अवधि, 1995-2000 की तुलना में 2000-05 की अवधि के दौरान असम को 61.19 प्रतिशत संसाधन अधिक अंतरित किए गए हैं।

सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने योजना बजट का कम से कम 10 प्रतिशत भाग पूर्वोत्तर राज्यों की स्कीमों पर खर्च करें। यह आबंटन चालू वर्ष में 5823 करोड़ रुपए का बैठता है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए इस आबंटन से केवल अव्ययित राशि ही व्यपगत न होने वाले पूल में स्थानांतरित की जाती है। मौजूदा वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्कीमों एवं परियोजनाओं के लिए इस पूल से 650 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों को दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुमानित सकल अंतरित राशि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	दसवां वित्त आयोग (1995-2000) अनुमानित अंतरित राशि	ग्यारहवां वित्त आयोग (2000-2005) अनुमानित अंतरित राशि	राज्यों की जनसंख्या-1971 टी.एफ.सी. द्वारा मान्य आंकड़े (लाख में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	1768.36	2319.76	4.68
2.	असम	8328.05	13423.70	146.25
3.	मणिपुर	2136.62	3226.39	10.73
4.	मेघालय	1888.85	2971.30	10.12
5.	मिजोरम	1802.01	2538.52	3.32
6.	नागालैंड	2793.04	4454.80	5.16
7.	सिक्किम	698.89	1635.97	2.10
8.	त्रिपुरा	2873.21	4376.23	15.56
	कुल	22289.03	34946.67	197.92

[हिन्दी]

बंद पड़ी खानों को खोलना

*173. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री प्रदीप गांधी:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कोयले की कितनी खानें बंद पड़ी हैं और उनमें कितने कर्मचारी कार्यरत थे;

(ख) क्या सरकार का विचार इन बंद पड़ी कोयला खानों को पुन: खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में बंद पड़ी कोयला खानों के कर्मचारियों के संरक्षण के लिए समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (श्री शिबु सोरेन): (क) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की 184 खानें और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. (एस.सी.सी.एल.) की 30 खानें इस समय बन्द पड़ी हैं। इन खानों में काम करने वाले श्रमिकों को कार्यशील खानों में पुन: नियोजित किया गया है और कुछ श्रमिकों को इनमें से कुछ खानों में पम्पिंग और निकटवर्ती खानों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। इन कोयला खानों के बन्द होने के कारण किसी भी श्रमिक को बेरोजगार नहीं रखा गया है।

(ख) और (ग) खानों को बन्द करना खनन प्रक्रिया का एक सतत अंग है। कोयला कंपनियों द्वारा खानें विभिन्न कारणों से बन्द की जाती हैं जिनमें मुख्यत: भण्डारों का समाप्त होना, तकनीकी-आर्थिक कारण, सुरक्षा संबंधी पहलू, प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां, आग, पिट का जलमग्न होना, अन्य इंक्लाइन के माध्यम से काम करना/अन्य खानों के साथ समामेलित किया जाना, कम उठान के कारण, कोयले का अव्यवहार्य घटिया ग्रेड आदि शामिल हैं। कोयला

कम्पनियां तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर बन्द खानों को खोलने के बारे में निर्णय लेती हैं जैसेकि ऐसी खानों को खोलने को वाणिज्यिक और तकनीकी दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी की उपलब्धता।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश को आर्थिक पैकेज

*174. **योगी आदित्यनाथ:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन के मद्देनजर सरकार ने हाल ही में राज्यों में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के अन्य राज्यों और उत्तर प्रदेश के अन्य भागों की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों के लिए एक आर्थिक पैकेज देने हेतु एक योजना तैयार करने का है ताकि उक्त क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों को सहायता

*175. **श्री बी. विनोद कुमार:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में सहकारी बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार तथा "नाबार्ड" ने इन बैंकों की सहायता हेतु एक नई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो पुनर्गठन योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार 5 राज्य सहकारी बैंकों, 103 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और 317 शहरी सहकारी बैंकों को घाटा हुआ है।

(ग) और (घ) नाबार्ड ने ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे को पुनरूज्जीवित करने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें लगभग 14500 करोड़ रुपए की पुनरूज्जीवन सहायता को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में (जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 के अनुपात में) बांटा जाना है। यह निर्णय लिया गया है कि सहकारी बैंकों के लिए प्रभावी विनियामक ढांचा बनाए जाने के बाद यह योजना कार्यान्वित की जाएगी। इस बीच सहकारी बैंकिंग संस्थाओं को पुनरूज्जीवित करने के लिए कार्य योजना की संस्तुति हेतु कृतिक बल स्थापित करने का प्रस्ताव है। कृतिक बल से अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 2004 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

राजस्व अधिकारियों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापे

*176. **श्री के.एस. राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाल ही में कुछ राजस्व अधिकारियों के कार्यालयों तथा उनके आवास परिसरों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन छापों के परिणामों के आधार पर इन अधिकारियों के विरुद्ध और क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने देशव्यापी विशेष अभियान के भाग के रूप में दिनांक 25.6.2004 को आयकर तथा सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों के अधिकारियों के परिसरों में तलाशियां ली थीं। इन विभागों के 19 अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत 10 मामले दर्ज किए गए हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जिन 19 अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं उनमें से पहले उपाय के रूप में 13 अधिकारियों को असंवेदनशील तैनातियों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। 5 अधिकारी पहले से ही निलंबनाधीन थे और 1 अधिकारी को दिनांक 2.7.2004 को निलंबित किया गया है।

विवरण

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राजस्व अधिकारियों द्वारा पंजीकृत किए गए मामलों और ली गई तलाशियों का ब्यौरा

क्र.सं.	मामला सं.	अभियुक्त/अधिकारियों के नाम	आरोप संक्षेप में	तलाशी के स्थान	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पता लगाया गया/जब्त किया गया
1	2	3	4	5	6
1	आर सी 3 (ए) /2004 जे डी एच	श्री बृजलाल साहू, संयुक्त आयुक्त, आयकर रेंज-1 बीकानेर (राजस्थान)	अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियां रखना	श्री बी.एल. साहू के आवासीय एवं कार्यालय परिसर	68,35,171/-रु. मूल्य की नकदी एवं संपत्ति
2.	आर सी 3 (ए) /2004 ए सी यू 3	श्री बामिन तारी तत्कालीन उपायुक्त सीमाशुल्क संयुक्त आयुक्त, प्रणाली महानिदेशालय, नई दिल्ली 2. श्री एस.एल. बंसल, तत्कालीन सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, ए सी टी एल, वल्लभगढ़ तथा अन्य निजी व्यक्ति	वर्ष 2002-2003 के दौरान आपराधिक षडयंत्र में अभियुक्त सीमा शुल्क अधिकारियों ने निर्यातकों के स्वामित्व वाली/उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों/फर्मों को फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखाधड़ी वाले निर्यात की अनुमति देकर 24 करोड़ रु. की सीमा तक गलत डी ई पी बी लाभों की अनुमति दी, और कई लाख रुपये के गैर कानूनी पारितोषिक के बदले में भारत सरकार को धोखा दिया तथा सरकारी राजकोष को गलत तरीके से घाटा पहुंचाया	अभियुक्त व्यक्तियों का कार्यालय	अभिशंसी दस्तावेजों की वसूली के अतिरिक्त 6,03,936/-रु. मूय की संपत्ति का पता लगाया गया

1	2	3	4	5	6
3.	आर सी 24(ए) /2004 ए सी बी/के ओ एल	1. श्री बिजय कुमार, तत्कालीन सीमा शुल्क अपर आयुक्त, कोलकाता 2. श्री पी.के. गोस्वामी, तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, कोलकाता 3. श्री शौकत अली, तत्कालीन सीमा शुल्क मूल्यांकन, सीमा शुल्क गृह कोलकाता और अन्य निजी व्यक्ति	पूर्ण फोटो कापियर मशीनों को गलत ढंग से अपूर्ण फोटोकापियर मशीने घोषित करके सीमाशुल्क विभाग को धोखा दिया और इस प्रकार सीमा शुल्क के भुगतान का अपवंचन किया।	अभियुक्त व्यक्तियों के कार्यालय तथा आवासीय परिसर	अभिशंसी दस्तावेज
4.	आर सी 27/ (ए) /2004/ के ओ एल	1. श्री पी.सी. बिस्वास, अधीक्षक 2. श्री पी.के. पाल, निरीक्षक 3. श्री डी.के. सिन्हा, निरीक्षक सभी घोजादांगा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, 24 परगना, पश्चिम बंगाल के हैं	झूठी निरीक्षण रिपोर्ट जारी करके और 5.46 करोड़ रु. मूल्य के नाइट गाउनों के निर्यात परेषण को स्वीकृति देकर डी ई ई सी स्कीम के अंतर्गत 65 लाख रु. के शुल्क का दावा प्रस्तुत करके सीमा शुल्क विभाग को धोखा देने का प्रयास किया।	अभियुक्त व्यक्तियों का और कार्यालय एवं आवास	अभिशंसी दस्तावेज और 62,000/- रु. मूल्य के राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र
5.	आर.सी. 28 (ए) /2004 ए सी बी/के ओ एल	श्री पी.सी. बिस्वास, अधीक्षक, घोजादांगा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, 24 परगना, पश्चिम बंगाल तथा अन्य निजी व्यक्ति	झूठी निरीक्षण रिपोर्ट जारी करके और 5.02 करोड़ रु. के गैर मिश्रित स्टील बार तथा वायर राड्स के निर्यात परेषण की निकासी की अनुमति देकर डी ई ई सी स्कीम के अंतर्गत शुल्क लाभ के रूप में 2 करोड़ रु. के लिए सीमा शुल्क विभाग को धोखा दिया।	अभियुक्त का कार्यालय तथा आवास	अभिशंसी दस्तावेज
6.	आर सी 34 (ए) /2004 ए सी बी/एम यू/एम	श्री हेमन्त कोथीकर संयुक्त आयुक्त, सी.शु., निर्यात, जे एन पी टी, न्हावाशेवा	आय के उनके ज्ञात स्रोतों के असमानुपातिक परिसंपत्तियां रखना	अभियुक्त और उसके रिश्तेदारों के आवासीय परिसर	3.87 करोड़ रु. मूल्य की परिसंपत्तियां

1	2	3	4	5	6
7.	आर सी 14 (ए) /2004 जी एन आर	1. श्री ए परेरा, सहायक आयुक्त 2. श्री पी.एस. देसाई, अधीक्षक (तकनीकी) 3. श्री आर.आई. पटेल, अधीक्षक 4. श्री डी.एम. जुतका, अधीक्षक 5. श्रीमती दीपिका सी. पटेल, निरीक्षक। ये सभी संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वलसाड प्रभाग, गुजरात से हैं।	यह कहा जाता है कि एक दूसरे की मिलीभगत से अभियुक्तों ने जानबूझकर वर्ष 2002-2003 की अवधि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में शुल्क मुक्त तांबे के आयात के आधार पर तैयार माल के निर्यात के संबंध में मैसर्स शिव मैटल कारपोरेशन आफ धोलाा, पिपला, नवसारी (गुजरात) का मामला अनदेखा किया, जिसके कारण सरकारी राजकोष को 13 करोड़ रु. का घाटा हुआ। एकक ने दिनांक 24.1.2002 से 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक का दर्जा प्राप्त कर लिया। उक्त फर्म के पास निर्यातोन्मुखी माल के उत्पादन के लिए कोई मूलभूत विनिर्माणकारी उपस्कर नहीं हैं और वस्तुत: इसने तांबा आयात किया है जिसे खुले बाजार में प्रत्यक्ष रूप से बेचा गया था।	सभी अभियुक्तों के आवासीय परिसर	अभिशंसी दस्तावेज
8.	आर सी 31 (ए) /2004 ए सी बी, एम यू एम	1. श्री आर.के. अग्रवाल के.उ.शु. आयुक्त, पनवेल। 2. श्री ए.के. असवाल, सहायक आयुक्त, के.उ.शु. पनवेल। 3. श्री राजेश सी.एच. ए.*	यह कहा जाता है कि अभियुक्त श्री आर.के. अग्रवाल आयुक्त, के.उ.शु., पनवेल ने शिकायतकर्ता से 50 लाख रु. की रिश्वत की मांग की थी जो एक निर्यात एकक के मालिक हैं। मामले के पंजीकरण	अभियुक्त 1 और 3 का आवास	नकदी 11,70,000/-रु. मूल्य की चल/अचल सम्पत्ति

1	2	3	4	5	6
			के बाद, मांग-सत्यापन किया गया और सत्यता प्रमाणित होने पर एक जाल बिछाया गया। तथापि, सुपुर्दगी के समय, अभियुक्त श्री आर.के. अग्रवाल ने शिकायतकर्ता को धनराशि किसी तीसरी पार्टी के सुपुर्द करने का अनुदेश दिया जो अन्ततः फलीभूत नहीं हुआ। तथापि, सत्यापन के दौरान भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत एक अपराध सिद्ध हो गया था इसलिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जांच-पड़ताल की और तलाशियां ली गई		
9.	आर सी 33 (ए) /2004 ए सी बी/एम यू एम	श्री पी.के. अग्रवाल, तत्कालीन उप-आयुक्त, कल्याण-1 प्रभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, थाणे	लोक सेवक ने अभियुक्त निजी पार्टियों के साथ मिलकर, उन्हें गलत तरीके से लाभ देने और भारत सरकार को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का षडयंत्र रचा इससे अनुमानतः 15 करोड़ रु. का राजस्व घाटा हुआ।	अभियुक्त का आवास	5 लाख रु. (लगभग) की नकदी
10.	आर सी 13 (ए) /2004 जी डब्ल्यू एच	श्री द्विपेन बनिया, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बारपेटा रोड, असम	आय के उनके ज्ञात स्रोतों से लगभग 14,96,515/-रु. की अनानुपातिक परिसम्पत्ति का होना।	कार्यालय और आवासीय परिसर	पता लगाई गई परिसंपत्ति/ की गई वसूलियों का मूल्य लगभग 24,62,685/-रु.

*श्री राकेश एक निजी व्यक्ति है और सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी नहीं है।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 में संशोधन

*177. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री उदय सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निगमित क्षेत्र के चूककर्ताओं से बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितनी धनराशि वसूल की जानी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार बैंकिंग प्रतिभूतिकरण अधिनियम तथा ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे अशोध्य ऋण की वसूली के लिए बैंकों को और अधिकार दिए जाएंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अधिनियम में संशोधनों से एक विनिर्दिष्ट अवधि में अशोध्य ऋणों की वसूली करने में कितनी मदद मिलेगी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक पूछे गए तरीके से जानकारी नहीं रखता है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 50,148 करोड़ रुपए थीं, वित्तीय संस्थाओं की सकल अनुपयोज्य आस्तियां 23,785 करोड़ रुपए थीं।

(ख) और (ग) जी, हां। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसएआरएफईएसआई) के संगत उपबंधों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि ऋणकर्ताओं के साथ सही लेन-देन हो और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वसूली प्रक्रिया में विलंब न हो या उसमें बाधा न पड़े। यदि आवश्यक होगा तो बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (डीबीएफआई) में भी संबधित संशोधन किए जाएंगे।

(घ) और (ङ) बैंकों को एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत अशोध्य ऋणों की वसूली हेतु पहले ही शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(च) सकल अग्रिम राशि की तुलना में गैर-निष्पादित ऋणों के समग्र प्रतिशत में वर्ष 1999-2000 में 14 प्रतिशत से वर्ष 2002-03 में 9.4 प्रतिशत की गिरावट यह दर्शाती है कि एसएआरएफईएसआई अधिनियम, 2002 तथा डीबीएफआई अधिनियम, 1993 और किए गए अन्य उपायों का अशोध्य ऋणों की वसूली में लाभप्रद प्रभाव पड़ा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्टाफ की कमी

*178. **श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्टाफ की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को बंद करने के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों में कोई भर्ती की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को पुन: स्थापित किए जाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से केवल निम्नलिखित 7 बैंकों में पद रिक्त थे:

बैंक का नाम	रिक्त पदों की संख्या
इलाहाबाद बैंक	779
बैंक आफ बड़ौदा	696
बैंक आफ महाराष्ट्र	303
देना बैंक	676
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	329
पंजाब नैशनल बैंक	834
विजया बैंक	430

(ग) और (घ) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों की समाप्ति के बाद अर्थात दिनांक 1.1.2002 से 30.6.2004 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों के बैंक-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

इलाहाबाद बैंक	48
आन्ध्रा बैंक	409
बैंक आफ बड़ौदा	139
बैंक आफ इंडिया	33
बैंक आफ महाराष्ट्र	382
केनरा बैंक	1065
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	355
देना बैंक	20
इंडियन बैंक	31
इंडियन ओवरसीज बैंक	222
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	297
पंजाब नैशनल बैंक	1113
सिंडिकेट बैंक	235
यूनियन बैंक आफ इंडिया	432
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	176
विजया बैंक	49
कार्पोरेशन बैंक	429
यूको बैंक	332
पंजाब एंड सिंध बैंक	85

(ङ) और (च) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को पुनः स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृषि उत्पाद के रूप में नारियल जटा

*179. **श्री वरकला राधाकृष्णनः क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अन्तर्गत नारियल जटा (कायर) को एक कृषि उत्पाद के रूप में शामिल किए जाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या देश में नारियल जटा उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन विभिन्न सहायता योजनाओं को फिर शुरू करने का है जो इस उद्योग की सहायता हेतु पहले चल रही थीं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कृषि संबंधी करार (एओए) के दायरे में कायर को लाने के लिए केरल की राज्य सरकार से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। सरकार कृषि संबंधी करार में उत्पाद कवरेज को युक्तिसंगत बनाने में कायर जैसे उत्पादों को शामिल करने हेतु डब्ल्यूटीओ में अपने वार्ताकारी प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुकी है। ये वार्ताएं 1 जनवरी, 2005 तक सम्पन्न होंगी।

(ग) से (ङ) नारियल ताड़ों में कृमिजनित रोग के कारण नारियल जटा का विकास अवरुद्ध होने के साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ने के परिणामस्वरूप कायर रेशे की कम पैदावार हुई है। इसके फलस्वरूप कायर रेशे की उच्च कीमत होने के कारण कायर उत्पादों का उत्पादन अलाभकारी हो गया है। सरकार ने कायर उद्योग के सहायतार्थ चलाई जा रही वित्तीय सहायता संबंधी किसी भी स्कीम को बंद नहीं किया है। इसके विपरीत, कायर रेशे की कमी को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं जिनमें तमिलनाडु एवं केरल से होने वाली आपूर्तियों में आई कमी को पूरा करने के लिए कर्नाटक, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आपूर्ति के स्रोतों को अभिज्ञात करना, स्थानीय रूप से उपलब्ध जटा के उपयोग को बढ़ाने के लिए केरल के अलेप्पी जिले में तीन डि-फाइबरिंग एककों की स्थापना करना तथा कायर उत्पादों के लघु विनिर्माताओं में कायर रेशे के वितरण हेतु विपणन संबंधी विभिन्न व्यवस्थाएं करना शामिल हैं।

लघु उद्योगों को बैंक ऋण

*180. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु और बहुत छोटे उद्यमों को बैंकों से पर्याप्त ऋण नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 2003-04 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऐसे एककों को दिए गए ऋण का बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु और बहुत छोटे उद्यमों को बैंकों से आसान शर्तों पर और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की मात्रा मार्च 2002 के 49743 करोड़ रुपए से समग्र रूप से बढ़कर मार्च 2003 में 52988 करोड़ रुपए हो गई है। तथापि, निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के प्रतिशत के रूप में लघु उद्योग क्षेत्र को बकाया ऋणों में इसी अवधि के दौरान 12.5 प्रतिशत से 11.1 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(ख) लघु उद्योग अग्रिमों के प्रतिशत में गिरावट का एक कारण इस तथ्य को दिया जाता है कि अन्य क्षेत्रों को बैंक ऋण की विकास दर लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिमों की वृद्धि से अधिक है। मार्च 2003 की समाप्ति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहियों में निवल बैंक ऋण (एनबीसी) तथा लघु उद्योग अग्रिमों की बकाया राशि (बैंक-वार) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) लघु उद्योग तथा अति लघु उद्यमों को बैंकों से आसान एवं पर्याप्त ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई नीतिगत उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) लघु उद्योग इकाइयों के पिछले अच्छे कार्य निष्पादन रिकार्ड एवं वित्तीय स्थिति के अध्यधीन 25 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

(2) बैंकों को संमिश्र ऋण सीमा को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की सलाह दी गई है।

(3) लघु उद्योग क्षेत्र को कम ब्याज दरों का लाभ देने के लिए बैंकों को प्रतिभूति अग्रिमों के लिए अपनी मूल उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक एवं कम की ब्याज दर सीमा अपनाने की सलाह दी गई है।

(4) बैंकों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशिष्ट लघु उद्योग शाखा खोलने की सलाह दी गई है।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को सलाह दी गई है कि वे पिछले वर्ष की उपलब्धि के आधार पर लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिमों में वृद्धि करने तथा निवल बैंक ऋण की वृद्धि में समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए स्व-निर्धारित लक्ष्य नियत करें।

(6) बैंकों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है कि लघु उद्योग क्षेत्र को दी गई उनकी कुल निधियों में से कम से कम 40 प्रतिशत संयंत्र एवं मशीनरी में 5 लाख रुपए तक निवेश करने वाली इकाइयों को और 20 प्रतिशत संयंत्र एवं मशीनरी में 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच निवेश करने वाली इकाइयों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस प्रकार, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों का 60 प्रतिशत अति लघु क्षेत्र की इकाइयों को मिलना चाहिए।

(7) लघु उद्योग इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) के तहत सब्सिडी की दर तथा ऋणों की उच्चतम सीमा बढ़ाकर क्रमश: 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तथा 40 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कर दी गई है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंक—लघु उद्योग क्षेत्र को उधार का कार्य निष्पादन मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार आंकड़ें

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	निवल बैंक ऋण	लघु उद्योग को कुल अग्रिम
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	12668.92	861.34
2.	आन्ध्रा बैंक	10946.02	1077.32
3.	बैंक आफ बड़ौदा	24381.12	3560.38
4.	बैंक आफ इंडिया	28960.00	3754.77
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	9358.55	924.14
6.	केनरा बैंक	35072.00	3884.00
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	22705.00	2399.58
8.	कार्पोरेशन बैंक	9479.66	651.88
9.	देना बैंक	8310.10	1377.45
10.	इंडियन बैंक	10263.64	1003.32
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	14629.21	1826.03
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	15933.55	1635.00
13.	पंजाब नैशनल बैंक	39968.00	4789.19

1	2	3	4
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	5977.17	877.20
15.	सिंडिकेट बैंक	13098.03	1087.35
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	23253.82	2668.19
17.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	7820.00	532.00
18.	यूको बैंक	14850.00	1459.00
19.	विजया बैंक	7068.75	585.80
20.	भारतीय स्टेट बैंक	115006.33	12392.58
21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	6722.84	1111.00
22.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	9741.00	968.71
23.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	5183.10	712.13
24.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	4671.57	561.95
25.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	9882.00	881.00
26.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4542.17	772.30
27.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	7406.87	634.10

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन में भारतीय हितों की रक्षा

***181. प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व व्यापार संगठन में भारत के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई है;

(ख) सरकार द्वारा भारत में कृषि क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में राजसहायता जारी रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के कारण भारत को निकट भविष्य में क्या लाभ और हानि होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) डब्ल्यूटीओ में भारत की कार्यनीति के मुख्य तत्व निम्नानुसार हैं:

(1) भारतीय कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के लिए विशेष रूप से विकसित देशों के बाजारों में बढ़ी हुई बाजार पहुंच;

(2) भारत और अन्य विकासशील देशों के निर्यात हित के क्षेत्रों जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक सेवाओं और विकसित देशों के बाजारों में व्यावसायिकों और कुशल व्यक्तियों के लिए आसान पहुंच पर विशेष जोर देते हुए सेवाओं के क्षेत्र में भारत की व्यापक संभाव्यता का पूर्ण विकास;

(3) सबसे गरीब लोगों की समस्याओं पर जोर देते हुए डब्ल्यूटीओ की वैश्विक विकास के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोगात्मक कार्रवाई करना; और

(4) भारत में संवेदनशील और असुरक्षित क्षेत्रों, विशेषकर कृषि का संरक्षण करना।

इस कार्यनीति के एक भाग के रूप में अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए भारत दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही वार्ताओं में कृषि सहित विभिन्न मुद्दों में समान हित और चिंताए रखने वाले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अन्य सदस्यों के साथ नियमित रूप से समन्वय कर रहा है। इस प्रकार भारत जी-20 (कृषि में) और जी-16 (सिंगापुर मुद्दों में) जैसे विकासशील देशों के समूहों का अंग है। जिनेवा में भारत विकासशील देशों के समान विचारधारा वाले समूह का भी भाग है जो डब्ल्यूटीओ में सेवाओं में पद्धति 4 के उदारीकरण जैसे विकासशील देशों के हित और चिंता से संबंधित दृष्टिकोण का समन्वय करता है। कृषि एवं गैर-कृषि उत्पादों की बाजार पहुंच सहित इन सभी मुद्दों के संबंध में विचार-विमर्श विभिन्न वार्ताकारी निकायों में चल रहे हैं ताकि वार्ताओं की रूपरेखा के बारे में किसी आम सहमति पर पहुंचा जा सके। इन प्रयासों का उद्देश्य विकासशील देशों को इन वार्ताओं में अपनी विकासपरक एवं विशिष्ट व्यापारिक चिंताओं के समाधान हेतु समर्थ बनाने के लिए इन देशों के प्रति अपेक्षित विशेष एवं अलग प्रकार के व्यवहार सहित इन वार्ताओं के अंत में एक संतुलित परिणाम हासिल करना है।

(ख) डब्ल्यूटीओ की दृष्टि से विकासशील देशों में कृषि पर सब्सिडी समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत के लिए प्रमुख अड़चन संसाधनों की कमी की होगी न की डब्ल्यूटीओ शर्तों की अन्य क्षेत्रों में, भारत उरूग्वे दौर के एक भाग के रूप में निष्पादित सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के प्रावधानों द्वारा वचनबद्ध है। इसके अतिरिक्त दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही वार्ताओं में भारत ने विकासशील देशों के लिए विशेष एवं अलग प्रकार के व्यवहार के एक भाग के रूप में सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार में मौजूद लोचशीलता को जारी रखने का अनुरोध किया है ताकि भारत अनुमत्य सब्सिडियों का उपयोग जारी रख सके।

(ग) भेदभाव रहित बाध्यकारी विवाद निपटान प्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों की एक पहुपक्षीय प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक ढांचे में निहित असमानता के कारण भारत जैसे विकासशील देशों के लिए हमेशा लाभकारी होती है। भारत के डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के बाद भारत के निर्यात वर्ष 1994-95 में हुए 26.33 बिलियन अम. डालर से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 61.85 बिलियन अम. डालर (अनन्तिम) के हो हए है। विश्व पण्य वस्तु व्यापार में भारत का हिस्सा वर्ष 1995 के 0.6% से बढ़कर वर्ष 2002 में 0.8% हो गया है, जबकि वाणिज्यिक सेवाओं के संबंध में हिस्सा इसी अवधि में 0.7% से बढ़कर 1.5% हो गया है। चूंकि भारतीय उद्योग और सेवा क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है और आंतरिक सुधार के परिणामस्वरूप हमारी कृषि उत्पादकता बढ़ रही है, इसलिए भारत को अगले कुछ वर्षों के भीतर विश्व के प्रमुख प्रतिस्पर्धियों में से एक बन जाने की उम्मीद है। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से ऐसी आशा है कि भारत अपनी संभाव्यताओं को पूरी तरह से दोहन करने में समर्थ बन जाएगा।

[अनुवाद]

रेशम कीट पालन हेतु सहायता

1357. श्री सुनील खां: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रेशम कीट पालक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रेशम कीट पालक किसानों की दशा के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) भारत सरकार राज्य रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत रेशम उत्पादन में लगे कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई राज्य-वार एवं वर्ष-वार वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) और (घ) केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान संस्थान प्रौद्योगिकी के अंतरण में अंतरालों तथा प्रौद्योगिकी को कम अपनाए जाने अथवा न अपनाए जाने के कारणों का पता लगाने के लिए प्राय: सर्वेक्षण करते हैं और उपयुक्त रूप से अनुसंधान विस्तार कार्यक्रम डिजाइन करते हैं। इसके अलावा, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलूर ने दक्षिणी क्षेत्र में रेशम उत्पादन में लगे कृषकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के संबंध में अध्ययन किए हैं। पूर्वी क्षेत्र में भारतीय मानक संस्थान, कोलकाता और उद्यम विकास संस्थान, अहमदाबाद द्वारा अध्ययन किए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई राज्य-वार एवं वर्ष-वार वित्तीय सहायता के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निधि जारी करने/खर्च करने की अवधि		
		2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	कर्नाटक	364.96	671.85	572.40
2.	तमिलनाडु	107.11	43.53	119.04
3.	जम्मू व कश्मीर	60.98	29.25	138.78
4.	आंध्र प्रदेश	237.50	1362.13	832.24

1	2	3	4	5
5.	पश्चिम बंगाल	81.80	50.31	30.36
6.	महाराष्ट्र	28.17	64.64	74.35
7.	मध्य प्रदेश	—	35.82	70.90
8.	उड़ीसा	14.79	29.42	18.59
9.	बिहार	1.96	94.53	154.35
10.	झारखंड	—	102.33	126.57
11.	उत्तर प्रदेश	24.01	12.10	35.73
12.	उत्तरांचल	—	81.83	86.54
13.	केरल	7.31	28.38	66.81
14.	हिमाचल प्रदेश	—	—	250.06
15.	छत्तीसगढ़	—	1.14	84.11
16.	सिक्किम	3.00	15.16	14.65
17.	असम	113.85	57.17	245.91
18.	अरुणाचल प्रदेश	7.53	2.62	48.79
19.	मणिपुर	—	—	22.82
20.	मेघालय	35.73	21.38	87.39
21.	मिजोरम	12.79	52.36	85.84
22.	नगालैंड	7.96	2.49	9.36
23.	त्रिपुरा	—	13.16	25.31
	कुल	1109.45	2771.60	3200.90

हथकरघा क्षेत्र की समस्याएं

1358. श्री मणीकुमार सुब्बा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के माध्यम से उत्पादन की उच्च लागत, कम उत्पादकता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय हथकरघा के समक्ष विद्यमान प्रतिस्पर्धा सहित हथकरघा उत्पादकों और निर्यातकों के समक्ष आ रही समस्याओं को रेखांकित करते हुए हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा किन विशेष मुद्दों को उठाया गया है और उद्योग के लिए कितनी सहायता अथवा राहत मांगी गई है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी हां, अध्यक्ष, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एच ई पी सी) ने हथकरघा निर्यातकों के समक्ष आ रही कम उत्पादकता एवं उच्च उत्पादन लागत इत्यादि से संबंधित समस्याओं को रेखांकित करते हुए माह

जून, 2004 के दौरान वस्त्र मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया था। ऐसा बताया गया है कि अध्यक्ष, एच ई पी सी ने हथकरघा उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सहायता एवं सहयोग हेतु वित्त मंत्री को भी ज्ञापन भेजा था तथा उस पत्र को कुछ सांसदों को भी भेजा था।

(ख) ज्ञापन में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं या सहायता मांगी गई है:

(1) आपूर्ति संबंधी प्रतिबंध हटाना।

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं पूर्व क्षेत्र से निर्यात संवर्धन हेतु विशेष प्रयास।

(3) उत्पाद विविधता/विकास हेतु छोटे निर्यातकों को डिजाइन सहायता।

(4) विपणन अध्ययन एवं व्यापार सूचना संकलन हेतु सहायता।

(5) आयातक देशों में प्रचार।

(6) बेंचमार्किंग एवं ब्राण्ड प्रमोशन।

(7) हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क को पुनर्स्थापित करना।

(8) अनुच्छेद 80 एच एच सी के तहत आयकर छूट को पुनर्स्थापित करना।

(9) हथकरघा वस्त्रों/मेड-अप्स पर उत्पाद शुल्क से छूट-चाहे वह प्रसंस्कृत या अप्रसंस्कृत हो और यदि वह प्रसंस्कृत है चाहे वह विद्युत या भाप से प्रसंस्कृत हो या न हो।

(10) लघु एवं मध्यम हथकरघा उद्यमों के संवर्धन हेतु विशेष योजना।

(11) एक समन्वित समूह विकास कार्यक्रम की शुरुआत।

(12) आयातक देशों में हथकरघा पर सीमा शुल्क छूट हेतु दबाव।

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 801ए/801 बी एवं 80 एच एच सी (3 ए) के अधीन लाभ या छूट से इंकार।

(ग) अध्यक्ष, एच ई पी सी ने व्यक्तिगत रूप से उक्त समस्याओं के बारे में माननीय वित्त मंत्री, माननीय वस्त्र मंत्री एवं माननीय वाणिज्य मंत्री को बताया तथा उन्होंने परिषद के सुझावों को नोट किया। वास्तव में, हाल के बजट में एक नई प्रणाली शुरू करके हथकरघा क्षेत्र को भरपूर राहत दी गई है जिसके तहत पहली अनिवार्य सेनवैट श्रृंखला समाप्त की जाएगी तथा दूसरी विशुद्ध सूती, ऊनी एवं रेशमी कपड़ों पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाएगा चाहे वे रेशे, यार्न, फैब्रिक्स या परिधान क्यों न हों।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का निर्यात

1359. श्री मित्रसेन यादव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय निर्यात किए जा रहे कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्यात से देश को प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा से संबंधित ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) वर्ष 2003-04 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान कृषि निर्यात (चाय, काफी, समुद्री उत्पाद, अपशिष्ट सहित कपास एवं अरण्डी को शामिल करते हुए) 20784.96 करोड़ रुपये के हुए थे (स्रोत: डीजीसीआई एंड एस कलकत्ता)। निर्यातित कुछ प्रमुख कृषि उत्पाद हैं-चावल (बासमती और गैर-बासमती), गेहूं, तम्बाकू, मसाले, काजू, तेल खाद्य, चीनी मांस एवं मांस उत्पाद, ताजे फल एवं सब्जियां तथा प्रसंस्कृत खाद्य।

लाभ अलग-अलग निर्यातकों द्वारा अर्जित किए जाते हैं जिनके बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

कृषि निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा 4515 मिलियन अम. डालर थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दर्शायी गयी है:

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	अर्जित विदेशी मुद्रा (मिलियन अम. डालर)
2000-01	3672
2001-02	3934
2002-03	4378

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस कलकत्ता)

तथापि निर्यातों के मात्रावार और उत्पादवार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस कलकत्ता) द्वारा संकलित भारत के विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक अंक में दिये गये हैं जिसकी काम्पैक्ट डिस्क की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

जिलेटीन पर प्रतिबंध

1360. डा. एम. जगन्नाथ: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में जिलेटीन की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध है; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में जिलेटीन मुक्त रूप से कैसे उपलब्ध है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सरकार ने विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 6.1 (क) के तहत दिनांक 1.4.2004 से देश भर में नाइट्रो-ग्लिसरीन आधारित विस्फोटकों (जिलेटीन) के स्वामित्व, बिक्री और उपयोग को निषेध करने के लिए दिनांक 21.1.2004 को एक अधिसूचना [सा.का.नि. 59 (अ)] जारी की है। संबंधित लाइसेंस धारकों और जिला प्राधिकारियों को इस अधिसूचना के बारे में सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध

1361. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि सरकार पड़ोसी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कितने देश हैं जिनके साथ भारत का इस समय व्यापारिक संबंध है, और इसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी हां। सरकार का पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का सतत प्रयास रहा है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस समय 200 से अधिक देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। अप्रैल-फरवरी, 2004, जो कि वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), कोलकाता से उपलब्ध ऐसे आंकड़ों के लिए नवीनतम अवधि है, के दौरान भारत का कुल निर्यात 55716.92 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ था जबकि अप्रैल-फरवरी, 2004 के दौरान अपने व्यापारिक भागीदारों से भारत को कुल आयात 69034.94 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ था।

विवरण

(मूल्य मिलियन अम. डालर में)

देश का नाम		2002-03 (अप्रैल-फरवरी)	2003-04 (अप्रैल-फरवरी)
बांग्लादेश	निर्यात	985.12	1452.60
	आयात	53.92	61.72
	कुल व्यापर	1039.04	1514.32
भूटान	निर्यात	29.73	77.93
	आयात	25.80	46.45
	कुल व्यापार	55.53	124.38
चीन जन. गण.	निर्यात	1693.46	2496.81
	आयात	2527.17	3611.16
	कुल व्यापार	4220.63	6107.97
मालदीव	निर्यात	29.22	38.44
	आयात	0.31	0.35
	कुल व्यापार	29.53	38.79
म्यांमार	निर्यात	69.63	70.21
	आयात	312.05	363.11
	कुल व्यापार	381.68	433.32
नेपाल	निर्यात	266.14	571.42
	आयात	261.20	239.91
	कुल व्यापार	527.34	811.33
पाकिस्तान	निर्यात	193.85	237.03
	आयात	40.15	53.67
	कुल व्यापार	234.0	290.7
श्रीलंका	निर्यात	820.05	1164.42
	आयात	77.15	120.85
	कुल व्यापार	897.2	1285.27

[अनुवाद]

कर चूककर्त्ता

1362. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 2001 से सितम्बर, 2001 के दौरान आंतरिक नियंत्रण की कमी के कारण चूककर्त्ताओं की संख्या गत वर्ष की समवर्ती अवधि की तुलना में कई गुना बढ़ी है जिसके अंतर्गत 215.04 करोड़ रुपए की शुल्क राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो आंतरिक नियंत्रण में कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अक्तूबर, 2001 से आज तक चूककर्त्ताओं की संख्या बढ़ी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

1363. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा भारत को रुपए में कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर इस राशि को खर्च किया गया है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें इस सहायता राशि को परियोजनाओं को पूरा करने हेतु खर्च किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

2001-02	9433 करोड़ रुपए
2002-03	7544 करोड़ रुपए
2003-04	9539 करोड़ रुपए

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2004-05 (मई तक) के दौरान विश्व बैंक द्वारा 279 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है।

(घ) विश्व बैंक की सहायता सभी राज्यों में इस्तेमाल में लाई जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
1.	नाथ्पा झाकड़ी विद्युत परियोजना
2.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना
3.	द्वितीय चैन्नई जलापूर्ति
4.	मुम्बई मल-निपटान
5.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना
6.	उ.प्र. ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना
7.	राज्य सड़क अवसंरचना विकास तकनीकी सहायता
8.	ए.पी. आपदा उपशमन
9.	ए.पी. सिंचाई परियोजना-3
10.	ए.पी. राज्य राजमार्ग परियोजना
11.	हरियाणा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
12.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना
13.	ए.पी. आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना
14.	उ.प्र. विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना
15.	ए.पी. विद्युत पुनर्संरचना परियोजना
16.	द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना
17.	समेकित जलसंभर विकास परियोजना (पहाड़ी-2)
18.	उ.प्र. विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
19.	दूरसंचार क्षेत्र सुधार तकनीकी सहायता
20.	तीसरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना
21.	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना
22.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
23.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना
24.	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना
25.	जी.टी. रोड सुधार परियोजना

1	2
26.	ए.पी. आर्थिक सुधार कार्यक्रम
27.	झींगा और मत्स्य पालन
28.	परिवार कल्याण (शहरी गन्दी बस्तियां)
29.	नवीकरणीय संसाधन विकास परियोजना
30.	दूसरी समेकित बाल विकास परियोजना
31.	उ.प्र. लवणयुक्त भूमि सुधार परियोजना
32.	राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन परियोजना
33.	वानिकी अनुसंधान शिक्षा और विस्तार परियोजना
34.	हरियाणा जल संसाधन समेकन पयिोजना
35.	मोतियाबिन्द अन्धता नियंत्रण परियोजना
36.	परिवार कल्याण परियोजना
37.	औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम
38.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना
39.	ए.पी. स्वास्थ्य प्रणाली
40.	कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना
41.	असम ग्रामीण अवसंरचना
42.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना
43.	जल विद्युत
44.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन
45.	द्वितीय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास
46.	निजी आधारभूत ढांचा (आईएल एण्ड एफएस)
47.	कोयला क्षेत्र पर्यावरण एवं सामाजिक उपशमन
48.	द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना
49.	पारिस्थितिकीय विकास
50.	क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता
51.	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना
52.	ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकारिता
53.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना
54.	तीसरी जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना
55.	उ.प्र. वानिकी परियोजना
56.	केरल वानिकी
57.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास
58.	उ.प्र. लवणयुक्त भूमि सुधार परियोजना-2
59.	द्वितीय राष्ट्रीय एड्स/एचआईवी नियंत्रण
60.	उ.प्र. तीसरी जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना
61.	ए.पी. जिला निर्धनता उन्मूलन परियोजना
62.	उ.प्र. स्वास्थ्य प्रणाली विकास योजना
63.	राजस्थान जिला निर्धनता उन्मूलन उपाय
64.	टीकाकरण सुदृढ़ीकरण
65.	द्वितीय नवीकरणीय ऊर्जा
66.	तीसरी तकनीकी शिक्षा परियोजना
67.	म.प्र. जिला निर्धनता उपाय
68.	केरल ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता
69.	द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन परियोजना
70.	कर्नाटक जलसंभर विकास
71.	राजस्थान द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना
72.	उ.प्र. जलक्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
73.	राजस्थान जलक्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
74.	प्रजननकारी बाल स्वास्थ्य
75.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना
76.	महिला एवं बाल विकास परियोजना
77.	राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना
78.	आर्थिक सुधार तकनीकी सहायता
79.	केरल राज्य परिवहन
80.	मुम्बई शहरी परिवहन
81.	उं.प्र. राज्य सड़क परिवहन
82.	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता
83.	उ.प्र. जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना
84.	मिजोरम राज्य सड़क परियोजना
85.	कर्नाटक सामुदायिक तालाब प्रबंधन
86.	गुजरात आपात भूकम्प पुनर्निर्माण परियोजना
87.	ए.पी. सामुदायिक वानिकी प्रबंधन
88.	तकनीकी इंजीनियरी शिक्षा गुणवत्ता सुधार
89.	तमिलनाडु सड़क क्षेत्र
90.	इलाहाबाद बाईपास
91.	द्वितीय ए.पी. आर्थिक सुधार

1	2
92.	ए.पी. ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन
93.	छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता परियोजना
94.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता
95.	पीजीसीएल पावरग्रिड सिस्टम विकास
96.	कानकार कन्टेनर परिवहन संभारिकी
97.	आईडीबीआई औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम
98.	आईसीआईसीआई औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम
99.	आईडीबीआई आधुनिकीकरण एवं संस्थागत विकास
100.	आईएल एण्ड एफएस निजी आधारभूत वित्त
101.	कोयला क्षेत्र पुनः सुधार
102.	द्वितीय पावरग्रिड सिस्टम विकास
103.	एनटीपीसी विद्युत उत्पादन
104.	शहरी पर्यावरणीय प्रबंधन
105.	मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण
106.	समेकित कृषि मांग पक्ष प्रबंधन
107.	राज्य विद्युत क्षेत्र में योजना-निर्माण
108.	सूचना विकास कार्यक्रम
109.	राज्य विद्युत क्षेत्र में डीएसएम योजना-निर्माण
110.	पश्चिम बंगाल नगरपालिका विकास परियोजना
111.	विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम
112.	सीएजी का आधुनिकीकरण एवं क्षमता निर्माण
113.	आईआरईडीईए द्वितीय नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना
114.	गुजरात जिला प्राथमिक शिक्षा
115.	राजमार्ग संस्थागत सुदृढ़ीकरण
116.	औद्योगिक सुरक्षा एवं आपदा रोकथाम
117.	राज्य विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना कार्यक्रम
118.	जल अनुसंधान नवाचार एवं प्रशिक्षण
119.	आधारभूत ढांचा एवं-ई रेडिनेस मूल्यांकन
120.	द्वितीय मांट्रियाल प्रोटोकोल ओडीएस
121.	सीएफसी उत्पादन क्षेत्र क्रमिक समापन
122.	वहनीय वर्षापोषित कृषि विकास
123.	जिला निर्धनता उन्मूलन परियोजना
124.	कर्नाटक समेकित स्वास्थ्य पोषण एवं परिवार कल्याण
125.	द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता
126.	वैकल्पिक ऊर्जा
127.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
128.	भारत की पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु क्षमता
129.	तमिलनाडु ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता

इसके अतिरिक्त कुछ छोटी अनुदान परियोजनाएं भी थीं।

[अनुवाद]

भवन निर्माण अग्रिम

1364. श्री ए.के. मूर्तिः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनके पूरे सेवाकाल में भवन निर्माण अग्रिम केवल एक ही बार प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को एक भवन का निर्माण अपने कार्य स्थल पर और दूसरा उनके घोषित गृह नगर के लिए एक और भवन निर्माण अग्रिम लेने की अनुमति देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर 'ख' को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भवन निर्माण अग्रिम की स्कीम का प्रयोजन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवा अवधि के दौरान अपना घर बनाने में सक्षम बनाना है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या तथा भवन निर्माण अग्रिम के अनुदान हेतु सीमित बजटीय प्रावधान

को ध्यान में रखते हुए यह व्यवहार्य नहीं लगता कि इस स्थिति में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दो घरों-एक कार्य स्थल तथा दूसरा उनके गृहनगर में भवन निर्माण अग्रिम अर्जित करने की अनुमति दी जाए।

नई ऋण नीति

1365. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का शीघ्र ही नई ऋण नीति की घोषणा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अभिकल्पित नई ऋण नीति की मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पुलों के निर्माण के लिए विश्व बैंक से सहायता

1366. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने पुलों के निर्माण के लिए भारत को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वित्तीय सहायता की क्या शर्तें हैं; और

(घ) इस सहायता से निर्माण किए जाने वाले संभावित पुलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। विश्व बैंक ने विशिष्ट रूप से पुलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अनाज निर्यातकों को सुविधाएं

1367. श्री किन्जरपु येरननाथडु: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अनाज निर्यात करने के लिए निजी व्यापारियों को दी गई सुविधाओं और राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): वर्तमान एक्जिम नीति के अनुसार गेहूं और चावल निर्यात मुक्त है। खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए प्रावधानों में से कुछ प्रावधानों में शामिल हैं-प्रचार अभियान चलाना, विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी करना, संभावित क्रेताओं को आमंत्रित करना और उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग में सुधार, ब्रांड संवर्धन हेतु निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा बाजार सर्वेक्षण करना।

परिसीमन आयोग

1368. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परिसीमन आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या लोक सभा और विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ सुझावों की सिफारिश की है और विभिन्न पक्षों से जन प्रतिनिधियों के विचार प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के समय इन सुझावों पर ध्यान देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) परिसीमन आयोग का गठन जुलाई, 2002 में किया

गया था। परिसीमन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, आयोग ने नवंबर/दिसंबर, 2002 में कार्य करना आरंभ कर दिया था। सांविधानिक उपबंधों के निबंधनों के अनुसार, आयोग को 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना था। जून, 2003 तक आयोग ने अपना लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूरा कर दिया था। आयोग का संपूर्ण कार्य (देश के सभी राज्यों में सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) नवंबर/दिसंबर, 2003 तक पूरा हो गया होता। किंतु इसे इसलिए पूरा नहीं किया जा सका था, क्योंकि संसद ने संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 अधिनियमित कर दिया था, जिसमें यह उपबंध है कि आयोग द्वारा परिसीमन का कार्य 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा न कि 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर। इसके परिणामस्वरूप, आयोग द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर किया गया कार्य विधि के प्रवर्तन द्वारा व्यर्थ हो गया। तथापि, आयोग ने 2001 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों, जो उपलब्ध थे, के आधार पर प्रारंभिक कार्य आरंभ किया था। किंतु यह प्रारंभिक कार्य भी किसी युक्तियुक्त विस्तार तक नहीं पहुंच सका था क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में 2001 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ें भी उपलब्ध नहीं थे।

2001 की जनगणना के आंकड़ें 31 दिसंबर, 2003 को प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, आयोग ने डाटा एकत्रित करने और उसे सारणीबद्ध करने का कार्य आरंभ किया। जब यह प्रक्रिया चल रही थी उस समय 31वीं लोक सभा को विघटित कर दिया गया था और नए निर्वाचनों की घोषणा की गई थी। आयोग में इसके सहबद्ध सदस्यों के रूप में प्रत्येक राज्य से पांच लोक सभा सदस्य होते हैं। जिस किसी राज्य में संसद सदस्यों की संख्या पांच से कम है वहां सभी ऐसे सदस्य आयोग के सदस्य होते हैं। लोक सभा के विघटन के साथ सहबद्ध सदस्य विधि के प्रवर्तन द्वारा आयोग के सदस्य नहीं रहे। अन्यथा भी निर्वाचन के दौरान आयोग का क्षेत्र कार्य प्राय: रुक गया था। चौदहवीं लोक सभा का गठन हो चुका है। आयोग ने माननीय अध्यक्ष से प्रत्येक राज्य से परिसीमन आयोग के सहबद्ध सदस्यों को नामनिर्देशित करने का अनुरोध किया है। उक्त नामनिर्देशन की प्रतीक्षा की जा रही है। ऐसी संभावना है कि जुलाई, 2004 के अंत तक आयोग पूर्णरूप से कार्य करना आरंभ कर देगा।

सभी राज्यों में लोक सभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में काफी समय लगता है। अधिनियम की स्कीम के अधीन सहबद्ध सदस्यों को प्रारंभ से ही परिसीमन कार्य के साथ जुड़े रहना होता है। इसके परिणामस्वरूप, प्रत्येक राज्य से सहबद्ध सदस्यों के साथ एक से अधिक बैठकें करनी होती हैं। तत्पश्चात्, समाचारपत्रों में अंतिम परिसीमन प्रारूप को प्रकाशित किया जाता है तथा जनता से इसके संबंध में सुझाव और विचार आमंत्रित किए जाते हैं। अंत में, आयोग द्वारा सभी राज्यों में आम बैठकें आयोजित की जाती हैं और प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाता है। आयोग कार्य को डेढ़ वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास करेगा।

(घ) और (ङ) तत्कालीन विधि मंत्री ने परिसीमन आयोग को यह सुझाव दिया था कि परिसीमन आयोग के कार्यकरण के संबंध में तारीख 13.03.2003 को आयोजित की गई सर्वदलीय बैठक में हुई आम सहमति के आधार पर सहबद्ध सदस्यों के साथ व्यापक परामर्श किए जाने चाहिए। आयोग ने तदनुसार, अपने मार्गदर्शी सिद्धांतों को पुनरीक्षित किया है। परिसीमन आयोग ने, यह सूचित किया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में आयोग को विभिन्न वर्गों, अर्थात् साधारण जनता/संगठनों/संगमों से अनेक सुझाव प्राप्त हो रहे हैं।

(च) और (छ) परिसीमन का कार्य एक कानूनी निकाय, परिसीमन आयोग द्वारा किया जाना है न कि सरकार द्वारा, अत: परिसीमन आयोग ही उसे दिए गए सुझावों पर समुचित रूप से विचार कर सकता है।

आलू निर्यात

1369. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान आलू की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार की आलू के बढ़े उत्पादन के मद्देनजर इसके निर्यात को बढ़ावा देने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) वर्ष 2003-04 (अप्रैल से सितम्बर) के दौरान निर्यातित आलू की कुल मात्रा 28,729 मी. टन रही है (स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, अनंतिम)।

(ख) और (ग) आलू के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

* बेहतर फसल पूर्व एवं फसलोत्तर पद्धतियां अपनाने, गुणवत्तायुक्त बीजों का उत्पादन करने और किसानों में

उनका वितरण करने तथा उनके लिए बेहतर कीमत प्राप्ति की दृष्टि से प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्रों को अभिज्ञात करना तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आलू से संबंधित अनन्य कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करना।

* कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की विभिन्न योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना।

* एपीडा तथा उत्तर प्रदेश एवं पंजाब की राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त परिवहन सहायता।

* मार्च, 2003 में आहार इंटरनेशनल आयोजन के दौरान आलू के बारे में अनन्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय विचार-विनिमयकारी कार्यशाला का आयोजन करना।

* एपीडा और केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) द्वारा आलू के निर्यात को बढ़ाने के लिए मार्च, 2004 में बांग्लादेश, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और यूएई के क्रेताओं के साथ मोदीपुरम में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला सह क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन करना।

[हिन्दी]

संस्थानों को आयकर छूट

1370. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई आयकर विभाग ने धारा 35 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आयकर छूट के संबंध में चम्पालाल गजराग मोहता न्यास, चेन्नई को छूट प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धारा 35 सी.सी.ए. के अन्तर्गत संस्थानों/न्यासों को दी जा रही छूट का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) चम्पा लाल गजराग मोहता ट्रस्ट, चेन्नई को छूट प्रदान करने संबंधी कोई आदेश धारा 35 ग ग क के अन्तर्गत पारित नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आयातित मशीनरी की खरीद—कोल इंडिया लि.

1371. श्री अजीत जोगी: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. द्वारा खरीदी गई और आयात की गई मशीनों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें से वेस्टर्न कोलफील्ड लि. द्वारा खरीदी गई मशीनों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राप्त की गई मशीनें इस समय उपयोग में हैं अथवा गोदामों में अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मशीनों का उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त मशीनों के क्रय पर कितनी राशि खर्च की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा मशीनों की खरीद का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है। कुल खरीद में से केवल 460 एच.पी. व्हील डोजर आयातित खरीद की श्रेणी से संबंधित थे।

(ख) इनमें से विवरण-2 में दर्शायी गई मशीनें डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा खरीदी तथा प्राप्त की गई थी।

(ग) गोदामों में ऐसी कोई मशीन अप्रयुक्त नहीं पड़ी हुई है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देकते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रय तथा आपूर्ति की गई मशीनरी (डब्ल्यू.सी.एल. सहित कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगियों द्वारा)

उपकरण	कुल आर्डर किए गए	कुल आपूर्ति किए गए
1	2	3
डम्पर 35 टी	212	199
डम्पर 50 टी	84	58
डम्पर 85 टी	102	102
डम्पर 120 टी	42	42

1	2	3
लोडर 5-6 एम 3	6	6
जल छिड़कावक क्रालर	7	7
डोजर 320 एचपी क्रालर	67	61
डोजर 410 एनपी व्हील डोजर	58	58
460 एचपी	4	0
आरबीएच ड्रिल 160 एमएम	46	43
आरबीएच ड्रिल 260 एमएम	15	15
आरबीएच ड्रिल 311 एमएम	3	2
हाइड्रोलिक शावल 3.6 एम 3/2.8 एम 3	35	32
हाइड्रोलिक शावल 4 एम 3	6	6
हाइड्रोलिक शावल 5 एम 3	1	1
हाइड्रोलिक शावल 9.5 एम 3	3	1
रोप शावल 5 एम 3	8	3
रोप शावल 10 एम 3	9	6
क्रेन 30 टी	1	1
क्रेन 70 टी	2	2
क्रेन 40 टी	1	1
साइड डिस्चार्ज लोडर (एसडीएल)	76	76
लोड हाल डम्पर (एलएचडी)	46	46

विवरण-2

पिछले 3 वर्षों के दौरान क्रय तथा आपूर्ति की गई मशीनरी (डब्ल्यू.सी.एल.)

उपकरण	कुल आर्डर किए गए	कुल आपूर्ति किए गए
1	2	3
डम्पर 35 टी	13	0
डम्पर 50 टी	43	32
डम्पर 85 टी	0	
डम्पर 120 टी	0	
लोडर 5-6 एम 3	0	
जल छिड़कावक क्रालर	0	
डोजर 320 एचपी क्रालर	21	17
डोजर 410 एचपी व्हील डोजर	0	
460 एचपी	2	0
आरबीएच ड्रिल 160 एमएम	8	5
आरबीएच ड्रिल 250 एमएम	0	
आरबीएच ड्रिल 311 एमएम	0	
हाइड्रोलिक शावल 3.5 एम 3/2.8 एम 3	9	7
हाइड्रोलिक शावल 4 एम 3	0	
हाइड्रोलिक शावल 5 एम 3	0	
हाइड्रोलिक शावल 9.5 एम 3	0	
रोप शावल 5 एम 3	0	
रोप शावल 10 एम 3	0	
क्रेन 30 टी	1	1
क्रेन 70 टी	0	
क्रेन 40 टी	0	
साइड डिस्चार्ज लोडर (एसडीएल)	3	3
लोड हाल डम्पर (एलएचडी)	22	22

[अनुवाद]

ग्लोबल ट्रस्ट बैंक

1372. श्री महबूब जाहेदी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जीटीबी) 260 करोड़ रुपए के संचित घाटे में फंस गया है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक जीटीबी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ विलय करने की योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जीटीबी का अधिग्रहण करने हेतु क्या योजना बनाई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि. को 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार 272.69 करोड़ रुपए का निवल घाटा हुआ था।

(ग) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में काफी की फसल का विस्तार करना

1373. श्री परसुराम माझी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी तक उड़ीसा में कुल कितने हेक्टेयर भूमि को काफी की फसल के लिए उपयोग में लाया गया है;

(ख) इस राज्य में फसल को कितनी सफलता मिली है;

(ग) क्या उड़ीसा में कुछ क्षेत्रों विशेषकर के.बी.के. जिलों की स्थिति काफी की फसल के लिए उपयुक्त है; और

(घ) यदि हां, तो उन क्षेत्रों को काफी की फसल के लिए उपयोग करने हेतु किन संभावनाओं, यदि कोई है, का पता लगाया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) उड़ीसा में अब तक कुल 2060 हेक्टेयर क्षेत्र को काफी की खेती के अंतर्गत सफलतापूर्वक लाया गया है।

(ग) और (घ) उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिलों के कुछ भागों में काफी की खेती को व्यवहार्य पाया गया है।

उड़ीसा सरकार ने मृदा संरक्षण विभाग तथा काफी बोर्ड ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में काफी की स्थापना में आरंभिक प्रयास किए हैं। काफी बोर्ड द्वारा इन क्षेत्रों में काफी की खेती हेतु अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात अधिकारी

1374. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव [illegible] हाल ही में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनावों के दौरान चुनाव ड्यूटी हेतु तैनात किए गए/प्रतिनियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध सरकार/निर्वाचन आयोग को प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि दमण और दीव के राजनीतिक दलों से दमण और दीव प्रशासन के पांच वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी।

(ख) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि दमण और दीव के मुख्य निर्वाचक अधिकारी ने आयोग को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया है कि ये शिकायतें निराधार हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धारिता

1375. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अपनी धारिता कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विधेयक कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रौद्योगिकी पार्क

1376. श्री गणेश सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लाइम स्टोन, बाक्साइट और लिट्यूआइट मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं;

(ख) क्या सरकार उद्योगों तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उद्योगों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत औद्योगिक पार्कों/विकास केन्द्रों/औद्योगिक माडल कस्बों की स्थापना करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 1क के तहत कर प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं। यह योजना ऐसे किसी भी उपक्रम के लिए उपलब्ध है जो 01 अप्रैल, 1997 को शुरू होने तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए औद्योगिक पार्क का विकास, विकास तथा संचालन अथवा रख-रखाव और संचालन करता है।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास

1377. श्री अधीर चौधरी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ माह के दौरान देश में औद्योगिक विकास में पूर्व वर्ष की विकास दर की तुलना में चिंताजनक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव अगले कुछ माह में अपनी औद्योगिक विकास दर को बढ़ावा देने हेतु कोई नीति तैयार करने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार अगले वर्ष के दौरान देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी स्थानवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक विकास जो कि समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) (आधार वर्ष 1993-94 = 100) के अनुसार मापा जाता है, में हाल के वर्षों में प्रगति हुई है, जो 2001-02 में 2.7% की विकास दर से बढ़कर 2002-03 में 5.7% और 2003-04 में फिर से बढ़कर 7.0% हुआ है। अप्रैल, 2003 की तुलना में अप्रैल, 2004 में समग्र औद्योगिक विकास 8.7% रहा। अप्रैल-मई, 2004-05 के लिए उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7.5% की वृद्धि परिलक्षित हुई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि 5.3% थी। औद्योगिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन की निरंतर समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार समुचित उपाय किये जाते हैं।

(घ) से (च) 1988 में घोषित विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत, देशभर में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित सभी 71 विकास केन्द्रों को पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन 71 विकास केन्द्रों में से पश्चिम बंगाल के लिए 3 केन्द्र हैं, जिनके स्थापना-स्थल इस प्रकार हैं-(1) मालदा (जिला-मालदा), (2) बोलपुर (जिला-बीरभूम) और (3) जलपाईगुड़ी (जिला-जलपाईगुड़ी)। देश में कोई और औद्योगिक विकास केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एचडीएफसी आवास ऋण

1378. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवास ऋण के संबंध में आवास वित्त संस्थाओं जैसे एचडीएफसी पर भारतीय रिजर्व बैंक का कितना नियंत्रण है;

(ख) क्या एचडीएफसी स्वीकृत आवास ऋण की केवल 80% राशि जारी करता है और शेष 20% ऋण ग्राहक द्वारा फ्लैट का कब्जा लेने के पश्चात् जारी किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राहक को 20% राशि बाहरी एजेंसियों से भारी ब्याज देकर उनसे लेनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव ग्राहकों के हित मे एचडीएफसी की आवास ऋण संवितरण नीति में आवश्यक परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक आवास ऋण संवितरण नीति में आवश्यक परिवर्तन करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक का आवास वित्त संस्थाओं पर उनके द्वारा संस्वीकृत आवास ऋण के संबंध में प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) शीर्ष बैंक है, जो आवास विकास वित्त निगम (एचडीएफसी) सहित आवास वित्त संस्थाओं को नियंत्रित करता है।

(ख) और (ग) एचडीएफसी उधारकर्ता की वापसी अदायगी क्षमता के अध्यधीन ऋण के रूप में सम्पत्ति की लागत का 85% प्रदान करता है। शेष 15% उधारकर्ता की ओर से मार्जिन मनी होती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता

1379. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने व्यापार औद्योगिक विकास और बैंक ऋण के संबंध में मुम्बई के सतत् विकास हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आधारभूत और अन्य विकास हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है; और

(घ) उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी, नहीं। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को संबोधित अपने दिनांक 16.01.2004 के पत्र में अनुरोध किया था कि मुम्बई में अवसंरचनात्मक और पुनर्वास की कुछ परियोजनाओं पर प्राथमिकतापूर्वक विचार किया जाए। मुम्बई के लिए आवास, शहरी तथा अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के प्लान के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें इस प्रयोजन के लिए चार वर्षों की अवधि हेतु 6000 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में एक कार्ययोजना तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक कार्यदल का गठन भी किया है।

(घ) वित्त मंत्रालय ने इस कार्यदल में एक सदस्य को नामित किया है। किसी विशिष्ट परियोजना के लिए सहायता पर विचार केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत किया जाता है, जो कि ऐसे ही प्रयोजनों अथवा राज्य की राज्य योजनाओं, जिन्हें प्रतिवर्ष राज्य सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है, के लिए ही शुरू की गई है।

[हिन्दी]

मेक्सिको के साथ व्यापारिक संबंध

1380. श्री मनोज कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मेक्सिको के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय इन दो राष्ट्रों के बीच होने वाले व्यापार का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) और (ख) व्यापार संवर्धन सरकार का सतत और निरंतर चलने वाला प्रयास है। लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार के संवर्धन हेतु नवम्बर, 1997 में एक समेकित कार्यक्रम ''फोकस-एलएसी'' शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार संवर्धन में लगे संगठनों को मेक्सिको सहित लैटिन अमरीकी देशों में व्यापारिक अवसरों के बारे में जागरूक बनाना है।

(ग) भारत और मेक्सिको के बीच व्यापार का मूल्य निम्नानुसार रहा है:

(मूल्य मि.अम. डालर में)

	2002-03	अप्रैल-फरवरी, 2003-04
मेक्सिको को हुए भारत के निर्यात	261.55	229.74
मेक्सिको से हुए भारत के आयात	65.52	67.84

(स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता)

[अनुवाद]

उच्च न्यायालय की पीठ

1381. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की कितनी विशेष पीठें स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) राज्यों में उच्च न्यायालय की विशेष पीठों को स्थापित करने के क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश में कितनी विशेष पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है और उन्हें कहां स्थापित किया जा रहा है; और

(घ) योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (घ) भारत सरकार विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की विशेष न्यायपीठें गठित करने के लिए किसी योजना/स्कीम को कार्यान्वित नहीं करती है, अत:, इसके लिए कोई निधियां नियत नहीं की गई हैं।

जसवंत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, किसी उच्च न्यायालय की, उसके प्रधान स्थान से दूर कोई न्यायपीठ स्थापित करने की समीचीनता और वांछनीयता के प्रश्न का विनिश्चय करते समय अपनाये जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मानदंडों का तथा उन तथ्यों का सुझाव दिया है, जिन्हें उक्त न्यायपीठ के लिए स्थान का चयन करते समय ध्यान में रखा जाना है। आयोग की रिपोर्ट की तारीख 15.10.86 को संसद के पुस्तकालय में रख दिया गया था और क्रमश: 20.04.87 और 21.04.87 को राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर रख दिया गया था, जिसे देखा जा सकता है।

किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने के प्रश्न पर केंद्रीय सरकार इन सिद्धांतों और मानदंडों को ध्यान में रखते हुए तभी विचार करती है, जब कभी राज्य सरकार से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश सरकार से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इस संबंध में सभी प्रकार से पूर्ण कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पालम विमानपत्तन से गायब स्वर्ण कड़े

1382. श्री कैलाश बैठा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की 25 किग्रा. की स्वर्ण कड़े हाल ही में पालम विमानपत्तन कारगो से गायब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा गायब स्वर्ण कड़ों के बारे में की गई जांच का क्या निष्कर्ष निकला और क्या कारगो अधिकारियों की कोई मिली-भगत पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक की विदेश शाखा, मुम्बई ने परेषण संख्या: 39527493 के तहत दिल्ली के लिए 51 किलोग्राम भार के दो पार्सल, जिसमें सोने की सिल्लियां थी, बुक किए थे। ये पार्सल मैसर्स ग्रुप 4 सिक्योरिटाज रोकड़ सेवाएं, दिल्ली को परेषित थे। पार्सलों को 7 मई, 2004 को उड़ान आईसी-658 के द्वारा मुम्बई से दिल्ली भेजा गया था। इनमें से 25.4 किलोग्राम भार का एक पार्सल, आई जी आई हवाईअड्डा, नई दिल्ली में गायब पाया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस मामले में पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है। इंडियन एयरलाइंस ने मामले की प्राथमिक जांच भी की और इसकी रिपोर्ट के आधार पर दो कर्मियों को निलम्बित कर दिया गया। आगे विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बुनकरों के लिए योजनाएं

1383. श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री सीताराम सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण के कारण हुई बुनकरों की दुर्दशा से अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देने और उन्हें कर्मचारियों तथा बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए सुरक्षात्मक कानून बनाने सहित व्यापक सहायता योजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) राज्य सरकारों से बिचौलियों द्वारा हथकरघा बुनकरों के शोषण किए जाने की सूचना देते हुए विशेष शिकायत/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार, हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत हथकरघा के विशिष्ट उत्पादन हेतु 11 प्रकार की वस्त्र मदों को आरक्षित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
3. हथकरघा निर्यात योजना।
4. मिल गेट कीमत योजना।
5. हथकरघा वस्त्रों पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा दी गई 10 प्रतिशत की एक बारगी छूट की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना।
6. हैंक यार्न पर सेनवेट की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना।
7. कार्यशाला-सह-आवास योजना।
8. बुनकर कल्याण योजना
   (1) थ्रिफ्ट फंड योजना।
   (2) नई बीमा योजना।
   (3) स्वास्थ्य पैकेज योजना।
9. बुनकर बीमा योजना।
10. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना।
11. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

चाय बागान श्रमिकों का कल्याण

1384. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा असम में चाय उद्योग में कार्यरत श्रमिकों और उनके बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख और शिक्षा हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) उसमें कार्यरत श्रमिक वर्ग की सुरक्षा हेतु सांख्यिकी बाध्यताओं के उल्लंघन के लिए चाय उद्योग के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) असम में ऐसे कितने चाय उद्योग हैं जिन्हें गत एक वर्ष के दौरान बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1951 में अधिनियमित बागान श्रम अधिनियम में बागान श्रमिकों के कल्याण एवं चाय सहित अन्य बागानों में कार्य की स्थितियों के विनियमन का प्रावधान है। इस अधिनियम में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं शैक्षणिक सुविधाओं सहित विभिन्न कल्याणकारी उपाय शामिल हैं, जिनकी व्यवस्था चाय बागान प्रबंधन की ओर से की जानी अपेक्षित है। संबद्ध राज्य सरकार, उक्त अधिनियम में किए गए विभिन्न प्रावधानों की निगरानी हेतु उक्त अधिनियम के तहत उचित प्राधिकारी है। अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को इस संबंध में उपयुक्त नियम बनाने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। तदनुसार असम सरकार ने असम बागान श्रमिक नियमावली, 1956 में बागान कामगारों के बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं प्राथमिक शैक्षणिक सुविधाओं के प्रावधान किए हैं। चाय बोर्ड, अपनी नियमित योजना स्कीमों के जरिए चाय बागानों के कामगारों तथा उनके आश्रितों के लाभार्थ कुछ कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों जैसे कि शिक्षा (वजीफा, स्कूलों एवं कालेजों का निर्माण एवं विस्तार, इत्यादि) तथा स्वास्थ्य सुरक्षा (चिकित्सा उपकरणों की खरीद, अस्पतालों का निर्माण एवं विस्तार, इत्यादि) हेतु सहायता भी प्रदान करता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों के लिए सरकारी निदेशों का उल्लंघन

1385. श्री मोहन एस. डेलकर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछड़े/जनजातीय क्षेत्र के विकास और स्थानीय गरीब व्यक्तियों को रोजगार देने के लक्ष्य से पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में शुरू होने वाले उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं और कर छूट दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष अवधि के लिए उक्त क्षेत्रों में अपनी यूनिटें स्थापित की थीं तथा उसके बाद उन्होंने स्थानीय गरीब व्यक्तियों को उनके जायज अधिकारों से वंचित करते हुए अपनी यूनिटें वहां से हटा ली थीं;

(घ) क्या भारत सरकार को उक्त कंपनियों के उक्त अवैध कार्यकलापों की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों के लिए विभिन्न सुविधाएं/कर लाभ उपलब्ध हैं, जैसे कि:

(1) आय कर रियायतें/उत्पाद शुल्क छूट

(1) आय कर अधिनियम की धारा 80-आईसी में पूर्वोत्तर राज्यों सहित कतिपय विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार, 24 दिसंबर, 1997 को या इसके बाद किन्तु 1.4.2007 से पहले स्थापित कोई नया औद्योगिक उपक्रम अथवा कोई मौजूदा उपक्रम जो इस अवधि के दौरान पर्याप्त विस्तार करता है और जो कतिपय अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित है, 10 निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आय कर में 100 प्रतिशत छूट पाने का पात्र है। इस प्रकार की कटौती ऐसे सभी नये उपक्रमों अथवा मौजूदा उपक्रमों के लिए भी उपलब्ध है जो पर्याप्त विस्तार करते हैं और विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्र के कार्यकलाप कर रहे हैं।

(2) कर प्रोत्साहन देश के पिछले जिलों में 31.3.2004 को या इससे पूर्व स्थापित उद्योगों के लिए भी उपलब्ध है। एक ओर जहां श्रेणी 'क' के पिछड़े जिलों में स्थित उद्योग 5 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत और इसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत तक (कंपनियों के मामले में 30 प्रतिशत) कटौती के पात्र हैं, वहां श्रेणी 'ख' के पिछड़े जिलों में स्थित उद्योग 3 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत और इसके बाद आगामी 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत तक (कंपनियों के मामले में 30 प्रतिशत) कटौती के पात्र हैं।

(3) उत्पाद शुल्क से छूट की सुविधा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में नई इकाइयों/मौजूदा इकाइयों को पर्याप्त विस्तार हेतु उपलब्ध है।

(2) परिवहन राजसहायता योजना

यह योजना पर्वतीय, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जुलाई, 1971 में शुरू की गई थी। यह योजना हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल का दार्जीलिंग जिला तथा उत्तरांचल के विशिष्ट जिलों के लिए लागू है। इस योजना के तहत, व्यावसायिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए, निर्दिष्ट रेल शीर्षों/पत्तनों से औद्योगिक इकाइयों के स्थापना स्थल तक कच्चा माल ले जाने और वहां से तैयार माल को वापस लाने के लिए 50 प्रतिशत-90 प्रतिशत तक राजसहायता की अनुमति है। यह योजना 31.3.2007 तक बढ़ा दी गई है।

(3) पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित तीन योजनाएं भी शुरू की गई हैं:

(1) पूंजी निवेश राजसहायता योजना

इस योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास केन्द्रों में स्थित उद्योगों और नई औद्योगिक इकाइयों के लिए और/अथवा अन्य अभिज्ञात क्षेत्रों में उनके पर्याप्त विस्तार के लिए संयंत्र और मशीनों में निवेश पर 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 30 लाख रुपये तक राजसहायता स्वीकार्य होगी।

(2) केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना

इस योजना के तहत, उत्पादन शुरू होने के बाद 10 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर राज्य में पात्र औद्योगिक इकाइयों को कार्यशील पूंजी ऋण के ब्याज पर 3 प्रतिशत की दर से राजसहायता प्रदान की जाती है।

(3) व्यापक बीमा योजना

इस योजना में 24 दिसंबर, 1997 के बाद पूर्वोत्तर राज्य में स्थापित किये गये सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को 100 प्रतिशत प्रीमियम का बीमा लाभ देने की परिकल्पना है। बीमित पार्टी प्रारंभिक प्रीमियम का भुगतान करेगी जिसकी प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा रखी गई चक्रीय (रिवोल्विंग) निधि में से नोडल बीमा कंपनी द्वारा करनी होगी। इस चक्रीय (रिवोल्विंग) निधि के लिए धन राशि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा दी जायेगी। यह योजना 10 वर्ष की अवधि अर्थात 13.7.2009 तक प्रभावी रहेगी।

पूर्वोक्त योजनाओं के तहत लाभ जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए भी उपलब्ध हैं। उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में राजसहायता लाभ परिवहन राजसहायता योजना तथा व्यापक बीमा योजना के तहत ही उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) इन योजनाओं में एक नियम बनाया गया है कि यदि केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संबंधित वित्तीय संस्थाएं इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी औद्योगिक इकाई के लिए आवश्यक तथ्य को गलत बताकर या झूठी जानकारी उपलब्ध कराकर राजसहायता अथवा अनुदान प्राप्त किया गया है अथवा यदि इकाई इत्पादन आरंभ करने के 5 वर्षों के भीतर उत्पादन बंद कर दे अथवा यदि इकाई अनुदान या राजसहायता की आंशिक अथवा पूरी राशि प्राप्त करने के बाद राज्य से बाहर स्थानांतरित कर दी गई है, तो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संबंधित वित्तीय संस्था ऐसी इकाई से अनुदान अथवा राजसहायता की राशि लौटाने को कह सकती है।

यदि उत्पाद शुल्क छूट का लाभ प्राप्त कर रही कोई इकाई छूट वाले क्षेत्र से गैर-छूट वाले क्षेत्र में स्थानांतरित कर दी जाती है, तो वह स्वत: ही उत्पाद शुल्क छूट के दायरे से बाहर हो जाएगी।

आय का अधिनियम के तहत कर लाभ एक निर्धारित अवधि के लिए ही उपलब्ध है जो विनिर्दिष्ट की गई शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन हैं। आय कर अधिनियम में निर्धारित क्षेत्रों से इकाइयों को बाहर ले जाने से रोकने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।

स्वदेशी पोलिटेक, गाजियाबाद के कामगारों के साथ भेदभाव

1386. श्री बसुदेव आचार्य: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वदेशी पोलिटेक, गाजियाबाद के कुछ कामगारों के साथ वेतन के भुगतान के संबंध में बरते जा रहे भेदभावपूर्ण रवैये की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ कामगारों का जायज वेतन अवैध रूप से रोक दिया गया है जबकि अन्य कामगार पहले ही उक्त वेतन प्राप्त कर चुके हैं;

(ग) क्या माननीय न्यायालय, इलाहाबाद ने अपना निर्णय सभी कामगारों को देय राशि का भुगतान करने के पक्ष में दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और देय राशि का जल्दी भुगतान करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (घ) स्वदेशी पालिटेक्स लिमिटेड (एस पी एल), गाजियाबाद, यू.पी. एक रुग्ण कंपनी है जिसमें एन टी सी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी एन टी सी (यू पी) लि. के 34% शेयर हैं। इस कंपनी में सितंबर, 1998 से कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं है। तथापि, स्वदेशी पालिटेक्स लिमिटेड के प्रबंध तंत्र ने वेतन एवं मजदूरी के निमित कंपनी के उन कामगारों को अनुत्पादक परिसंपत्तियों की बिक्री से वसूल की गई राशि से कुछ तदर्थ भुगतान कर दिए हैं जो अनुत्पादक परिसंपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया में लगे हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 14.3.2003 को अन्य बातों के साथ-साथ निदेश दिया है कि कलेक्टर द्वारा की गई वसूलियों के अनुसरण में अनुत्पादक परिसंपत्तियों की बिक्री से वसूल की गई राशि सभी कामगारों के दावों के प्रति लागू किए जाने और संवितरित किए जाने के लिए डी एल सी, गाजियाबाद को भेजी जाएगी। परंतु एक शेयर धारी द्वारा दायर एक आवेदन पर इसे स्थगित कर दिया गया था और उच्च न्यायालय ने स्वदेशी पालिटेक्स लिमिटेड की किसी भी चल-अचल परिसंपत्ति की बिक्री पर रोक लगाते हुए 6.4.2004 को आदेश दे दिया है। प्रबंध तंत्र इस स्थगन आदेश को रद्द कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में चला गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की लंबित परियोजनाएं

1387. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 2004, की स्थिति के अनुसार कुछ परियोजनाओं के लिए धन हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) ऊपरलिखित प्रस्तावों के लिए धनराशि स्वीकृत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से जून, 2004 तक वित्त मंत्रालय के अनुमोदनार्थ कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

एम.पी. विद्युत क्षेत्र 2 परियोजना को ए.डी.बी. की कन्ट्री कार्यनीति कार्यक्रम 2004 में शामिल किया गया है। 'मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी तथा गुना जिलों में जच्चा और बच्चा तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के स्तरोन्नयन" परियोजना के लिए जापानी अनुदान हेतु प्रस्ताव को मध्य प्रदेश सरकार को पूर्ण न होने के कारण लौटा दिया गया था।

वस्त्रों का निर्यात

1388. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों को कितने मूल्य के वस्त्र निर्यात किए गए; और

(ख) वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान अन्य देशों के निर्यातित वस्त्रों और क्लोदिंग का मूल्य निम्नलिखितानुसार रहा है:

वर्ष	मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में
अप्रैल, 2001-मार्च, 2002	9515.1
अप्रैल, 2002 मार्च, 2003	10367.9
अप्रैल, 2003-मार्च, 2004	10498.8

(ख) बढ़ती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए घरेलू वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के वास्ते केन्द्रीय बजट 2004-05 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी हैं:

* टेक्सचराइज्ड यार्न, सिंथेटिक और कृत्रिम फाइबरों तथा सिंथेटिक और कृत्रिम फिलामेंट यार्न सहित पालिएस्टर फिलामेंट यार्न पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समस्त मूल्य श्रृंखला को उत्पाद शुल्क के विकल्प से छूट दी गई है।

* वस्त्र और वस्त्र मदों (एटीएंडटी) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है।

* विभिन्न वस्त्र मशीनरी और कल-पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क घटकार 5% कर दिया गया है इसके अलावा, सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने और बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गयी है।

(2) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिगत उपायों से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा।

(3) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए अपैरल पार्क निर्यात योजना नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की गई है।

(4) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

[अनुवाद]

परिवार न्यायालय

1389. श्री पी.सी. थामस: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार कितने परिवार न्यायालय स्थापित किए गए;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक परिवार न्यायालय स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) इस समय देश के विभिन्न भागों में 136 कुटुंब न्यायालय गठित किए गए हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान देश में गठित किए गए कुटुंब न्यायालयों की राज्यवार संख्या उपदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता.

(घ) राज्यों ने कुटुंब न्यायालय गठित न करने के संबंध में अपनी अनेक सीमाएं अभिव्यक्त की हैं। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में विद्यमान रूढ़िजन्य न्यायालय विवाह विषयक मामलों पर कार्यवाही करते हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी, कठिन भौगोलिक दशा तथा विवाह संबंधी मामलों के अपर्याप्त संख्या में संस्थापन के कारण भी कुटुंब न्यायालय स्थापित नहीं किए जा सके हैं।

विवरण

राज्य का नाम	2001-2002	2002-2003	2003-2004
झारखंड	3	—	2
उत्तरांचल	3	3	—
बिहार	—	2	—
छत्तीसगढ़	—	1	1
दिल्ली	—	15	—
गुजरात	—	3	—
मध्य प्रदेश	—	7	—
मणिपुर	—	1	—
केरल	—	2	—
त्रिपुरा	—	1	—
पश्चिम बंगाल	—	1	—
असम	—	—	4
कर्नाटक	—	—	2
नागालैंड	—	—	2
पंजाब	—	—	2
योग	6	36	13

इंदौर विमानपत्तन पर कार्गो परिसर

1390. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदौर विमानपत्तन पर विमान कार्गो परिसर का विकास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या अन्य विमानपत्तनों पर भी ऐसे कार्गो परिसरों का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार और स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) अन्तरिम कार्गो शेड पहले ही निर्मित किया जा चुका है और कस्टम अधिकारियों ने 26.5.2004 को निरीक्षण कर लिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कस्टम से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद आवश्यक परिवर्तन करती है।

(ग) जी, हां।

(घ) मास्टर प्लानों में, श्रीनगर तथा विशाखापटनम हवाई अड्डों पर कार्गो परिसर बनाने के लिए स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। पर्याप्त कार्गो यातायात की उपलब्धता तथा कस्टम द्वारा एएआई को अभिरक्षण प्रदान किए जाने के आधार पर कार्य किया जाता है।

कपड़ा मिलों का बंद होना

1391. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने कपड़ा मिल बंद हुए और इसके कारण कितने कपड़ा कामगार बेरोजगार हुए; और

(ख) इन बेरोजगार कामगारों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) 31.5.2004 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बंद पड़ी कपास/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र (निजी क्षेत्र गैर-एसएसआई)

मिलों की राज्य-वार संख्या और बेरोजगार हुए वस्त्र कामगारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केंद्र सरकार की वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी डब्ल्यू आर एफ एस) नामक एक योजना है जो वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई द्वारा संबंधित राज्य सरकार/कामगार यूनियन/ सरकारी समापक/भविष्य निधि आयुक्त आदि के साथ समन्वय करके क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना संपूर्ण भारत के लिए लागू है और उन कामगारों को टेपरिंग के आधार पर केवल तीन वर्ष की अंतरिम अवधि के लिए अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए है जिन्हें वस्त्र मिलों/एककों को स्थायी रूप से बंद किए जाने अथवा उनको आंशिक रूप से बंद किए जाने की स्थिति में पूर्वी डिविजन के स्थाई रूप से बंद होने से विस्थापित किया गया हो, बशर्ते कि ऐसी मिलें/एकक और कामगार टी डब्ल्यू आर एफ एस के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। टी डब्ल्यू आर एफ एस के तहत इन 150 बंद वस्त्र मिलों के कामगारों को वित्तीय सहायता नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने इसके लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई को आवेदन नहीं किया था।

विवरण

(1) 31.5.2004 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बंद की गई कपास/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र (गैर-एसएसआई) मिलों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	मिलों की संख्या	नामावली में कामगारों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10	3871
2.	असम	3	2413
3.	गुजरात	4	1748
4.	हरियाणा	10	2646
5.	जम्मू व कश्मीर	1	206
6.	झारखंड	1	707
7.	कर्नाटक	3	1765
8.	केरल	4	1395
9.	मध्य प्रदेश	2	403
10.	महाराष्ट्र	13	11515
11.	मणिपुर	1	350
12.	उड़ीसा	5	3919
13.	पांडिचेरी	1	129
14.	पंजाब	7	4936
15.	राजस्थान	5	2853
16.	तमिलनाडु	51	10311
17.	उत्तर प्रदेश	3	2227
18.	उत्तरांचल	1	114
19.	पश्चिम बंगाल	8	4249
	कुल	133	55757

(2) 31.5.2004 की स्थिति के अनुसार देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद की गई कपास/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र (गैर-एसएसआई) मिलों की राज्यवार संख्या जिन्होंने अपनी भूमि एवं मशीनरी का निपटान कर दिया है और वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई के रिकार्ड से हटा दी गई है।

क्र.सं.	राज्य	मिलों की संख्या	नामावली में कामगारों की संख्या
1.	गुजरात	4	3103
2.	केरल	1	462
3.	मध्य प्रदेश	1	886
4.	महाराष्ट्र	1	614
5.	पंजाब	1	454
6.	तमिलनाडु	8	2939
7.	छत्तीसगढ़	1	1236
	कुल	17	9694

भारत के साथ विमान सेवा संपर्क

1392. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या नागर विमानन **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में विमान सेवा के माध्यम से भारत से जुड़े देशों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ और देशों को सीधे विमान सेवा से जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) भारत इस समय 54 देशों से विमान सेवाओं से जुड़ा हुआ है, जिनकी एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) भारत ने अब तक 100 देशों के साथ विमान सेवा करार किए हैं। इन देशों की नामित विमान कम्पनियां, यातायात अधिकारों की उपलब्धता के आधार पर अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार भारत के लिए प्रचालन कर सकती हैं।

विवरण

भारत के साथ विमानन सेवा से जुड़े राष्ट्र

1. अफगानिस्तान
2. आस्ट्रिया
3. बहरीन
4. बंगलादेश
5. भूटान
6. ब्रुनेई
7. कनाडा
8. चीन
9. मिश्र
10. इथोपिया
11. फ्रांस
12. जर्मनी
13. हांग-कांग
14. इन्डोनेशिया
15. ईरान
16. इजरायल
17. इटली
18. जापान
19. जोर्डन
20. कजाखस्तान
21. केन्या
22. कोरिया गणराज्य
23. कुवैत
24. किर्गिस्तान
25. मालदीव
26. मलेशिया
27. मारीशस
28. म्यांमार
29. नेपाल
30. नीदरलैंड्स
31. ओमान
32. कतर
33. पाकिस्तान
34. रूस फेडरेशन
35. सऊदी अरब
36. सेशल्स
37. सिंगापुर
38. स्लोवाकिया
39. दक्षिण अफ्रीका
40. श्रीलंका
41. स्विटजरलैंड

42. सिरिया

43. ताईवान

44. ताजिकिस्तान

45. तंजानिया

46. थाईलैण्ड

47. तुर्की

48. तुर्कमेनिस्तान

49. यूनाइटेड अरब अमीरात

50. यूनाइटेड किंगडम (यूके)

51. यू एस ए

52. यूक्रैन

53. उज्बेकिस्तान

54. यमन अरब गणराज्य

कोयला खानों का आधुनिकीकरण

1393. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकारी क्षेत्र के संयुक्त उद्यम में कोयला खानों के आधुनिकीकरण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) वर्ष 2003-2004 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई और वर्ष 2004-2005 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन खानों के आधुनिकीकरण हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है; और

(घ) इस कदम से कुल कितना फायदा होने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना में कोयला कंपनियों द्वारा कोयला खानों के आधुनिकीकरण हेतु 9175.83 करोड़ रु. की पूंजी का प्रावधान किया गया है।

(ख) वर्ष 2003-04 में कोयला खानों के यंत्रीकरण/आधुनिकीकरण हेतु 1631.97 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया था जबकि वर्ष 2004-05 में 1606.95 करोड़ की राशि का आबंटन किया गया है।

(ग) और (घ) कोयला खानों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा खानों के पुनर्गठन, आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना और नई खानों को खोलना शामिल हैं। इसके साथ-साथ वार्षिक योजना और वार्षिक कार्रवाई योजना में कोयला कंपनियों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। आधुनिकीकरण/यंत्रीकरण से कोयला कंपनियों की उत्पादकता/क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है।

सूरत विमानपत्तन को चालू करना

1394. श्री काशीराम राणा:
श्री गणेश सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूरत और अन्य बंद पड़े विमानपत्तनों को पुन: चालू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विमानपत्तनों के कब तक पूर्णरूप से चालू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) गैर-प्रचालनात्मक हवाई अड्डों की प्रचालनात्मकता, इन हवाईअड्डों पर नियमित उड़ान प्रचालनों के अनुमानों (संख्या) पर निर्भर करती है। उड़ान प्रचालनों की कोई भी मांग न होने की स्थिति में, इन हवाईअड्डों को प्रचालनात्मक बनाना साध्य नहीं है। जहां तक सूरत हवाईअड्डे का संबंध है, रनवे के सुदृढ़ीकरण, विस्तार और चौड़ा करने का कार्य, नये एप्रन और टैक्सीपथ के निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा इस कार्य के मार्च, 2005 तक पूरा हो जाने की संभावना है। 150 यात्रियों की हैंडलिंग के लिए एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

यूटीआई और आईडीबीआई बैंक का विलय

1395. श्री निखिल कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूटीआई और आईडीबीआई बैंकों का विलय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन बैंकों को विलय की अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे यूटीआई और आईडीबीआई बैंकों के निवेशक प्रभावित होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

''कोल विदेश''

1396. श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री परसुराम माझी:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड विदेशों में कोयले की खोज करने और इसका खनन करने के लिए ''कोल विदेश'' नामक एक अनुषंगी कंपनी स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है, और इसके कब तक स्थापित होने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) से (ग) कोयला क्षेत्र की एक समीक्षा के दौरान सरकार में यह निर्णय लिया गया कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अन्य देशों में खान गृहीत करने की कार्रवाई कर सकती है ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में सीआईएल एक अनुषंगी कंपनी स्थापित करने पर विचार कर रही है। सीआईएल बोर्ड ने इसकी संरचना, इसके उद्देश्यों, गठन के तरीकों और आवश्यक दस्तावेज को तैयार करने आदि के मुद्दों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। मैसर्स एस.आर. बाटलीबोई एंड कंपनी, कोलकाता, एक परामर्शदाता को प्रस्तावित अनुशंगी कंपनी के समझौता-ज्ञापन तथा संगम-अनुच्छेद को तैयार करने और अन्य देशों में गतिविधियों हेतु पंजीकरण के लिए भी नियोजित किया गया है। प्रस्तावित अनुषंगी कंपनी का वर्ष 2004 के अंत तक गठन कर लिए जाने की संभावना है।

कॉफी का मूल्य

1397. श्री पी. करुणाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000 से थोक बिक्री बाजार में कॉफी के मूल्य में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान इस पण्य से फुटकर मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादक संघों और मूल्य निर्धारकों को नियंत्रित करने वाले कार्य को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी हां। 1990 के दशक के अंत से हरी कॉफी के थोक बिक्री बाजार में कीमत में गिरावट आ रही थी। तथापि, पिछले कुल महीनों में कीमत में मामूली सुधार हुआ है।

(ख) वर्ष 2000 से बंगलौर के घरेलू बाजार में कॉफी बीज की औसत खुदरा कीमतें (अरेबिका बागान और रोबस्टा चैरी एबी से साफ काफी बीज, रुपए प्रति किग्रा. में) निम्नानुसार रही हैं:

वर्ष/माह	अरेबिका	रोबस्टा
2000	91	48
2001	66	35
2002	66	35
2003	65	40
जनवरी, 2004	63	39
फरवरी, 2004	63	38
मार्च, 2004	69	41
अप्रैल, 2004	74	42
मई, 2004	74	42

(ग) भारत में कॉफी एक निर्यातोन्मुखी जिंस है और इसकी कीमतें मुख्यत: अरेबिका के संबंध में न्यूयार्क एक्सचेंज तथा रोबस्टा के संबंध में लंदन एक्सचेंज द्वारा प्रभावित होती हैं। कॉफी की

कीमतें मांग और आपूर्ति की बाजारी शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं।

पाकिस्तान को चाय का निर्यात

1398. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान को भारत का चाय निर्यात वर्ष 2002 के 3.7 मिलियन किग्रा. से वर्ष 2003 में 6.4 मिलियन किग्रा. से बढ़कर लगभग 73 प्रतिशत हो गया है;

(ख) क्या वर्ष 2004 में पाकिस्तान को किये जाने वाले चाय निर्यात को और अधिक बढ़ाने के लिए किन्हीं ठोस कदमों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या वर्ष 2004 के दौरान पाकिस्तान को चाय निर्यात करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) वर्ष 2004 के दौरान अन्य किन देशों के साथ चाय का निर्यात बढ़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी हां।

(ख) चाय बोर्ड द्वारा तैयार की गई मध्यावधि निर्यात कार्यनीति में पाकिस्तान को भारतीय चाय के निर्यात हेतु बाजार के रूप में अभिज्ञात किया गया है। पाकिस्तान से शिष्टमंडलों को बुलाने और वहां शिष्टमण्डलों को भेजने के कार्य को प्रोत्साहित किया जाता है। पाकिस्तान को भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय चाय एसोसिएशन के साथ 19 मई से 22 मई 2004 तक चाय उत्पादकों का एक शिष्टमंडल पाकिस्तान गया था। इस दौरे के दौरान इस आशय के एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे कि कीमत तथा गुणवत्ता की प्रतिस्पर्धात्मकता के अध्यधीन वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक की अवधि में भारत से चाय का आयात 25 मिलियन किग्रा. के स्तर पर पहुंच जाएगा।

(ग) वर्ष 2004 के दौरान पाकिस्तान को चाय के निर्यात के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) जनवरी से अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए उपलब्ध निर्यात संबंधी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत से मुख्यत: यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, मिस्र अरब गणराज्य, अफगानिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, केन्या, जापान और आस्ट्रेलिया को हुए चाय के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई थी।

[अनुवाद]

एच.सी.एल. की बंद पड़ी रहने की स्थिति

1399. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में हिंदुस्तान कापर स्थित प्रसंस्करण एकक और बडिया, पाथेरगोरा, केन्दादोह और सुद्रह (उत्तर और दक्षिण) स्थित खानें बंद पड़ी हैं;

(ख) क्या सुद्र स्थित खान में अगले 20 वर्षों के लिए तांबे का पर्याप्त स्टाक है और क्या इससे प्रति वर्ष 1300 टन अयस्क प्राप्त किया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार का इन बंद खानों को पुन: चालू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कापर लिमिटेड की एक इकाई इण्डियन कापर काम्प्लेक्स (आई सी सी) है। आई सी सी प्रगालक और शोधनशाला मेजर ओवरहालिंग की वजह से जुलाई, 2003 से बंद थी इसमें 24.6.204 से उत्पादन कार्य फिर से शुरू हो गया है। इण्डियन कापर काम्प्लेक्स स्थित खानें यथा- सुरदा, पाथेरगोरा, केन्दाडीह, राखा और बड़िया सहित मोसाबोनी को आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य होने और घाटे की वजह से बंद कर दिया गया है।

(ख) सुरदा खान में 4.93 मिलियन टन निक्षेप की पुष्टि हुई है और यह लगभग 10 वर्षों तक चल सकता है। यह खान अपने उत्पादन के ईष्टतम स्तर पर प्रतिदिन लगभग 1000 टन तांबा अयस्क (10 टन धातु सांद्र) का उत्पादन कर सकती है।

(ग) और (घ) सुरदा खान में खनन प्रचालन कार्य को पुन: शुरू करने की दृष्टि से झारखंड राज्य सरकार के साथ खनन पट्टा के नवीनीकरण का मामला उठाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है।

[अनुवाद]

अर्थोपाय अग्रिम

1400. श्री दुष्यंत सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को संस्वीकृत अर्थोपाय अग्रिम की धनराशि कितनी है; और

(ख) इन राज्यों को जारी की गई वास्तविक धनराशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को स्वीकृत/जारी किए गए अर्थोपाय अग्रिम के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
1.	आंध्र प्रदेश	329.00	135.00	0.00
2.	असम	675.00	470.00	50.00
3.	गुजरात	91.00	0.00	0.00
4.	हिमाचल प्रदेश	187.00	0.00	125.00
5.	कर्नाटक	0.00	0.00	500.00
6.	केरल	203.00	178.00	310.00
7.	जम्मू और कश्मीर	0.00	15.48	100.00
8.	मध्य प्रदेश	0.00	312.00	0.00
9.	महाराष्ट्र	0.00	25.00	0.00
10.	मणिपुर	333.00	572.68	445.00
11.	मेघालय	0.00	65.00	0.00
12.	नागालैंड	70.00	50.00	0.00
13.	उड़ीसा	565.00	695.00	400.00
14.	पंजाब	305.00	0.00	150.00
15.	राजस्थान	0.00	198.00	0.00
16.	उत्तरांचल	15.00	0.00	0.00
17.	पश्चिम बंगाल	227.00	650.00	0.00
	योग	3000.00	3366.16	2080.00

[हिन्दी]

सिलेसिलाए वस्त्रों का निर्यात

1401. **श्री रामदास बंडु आठवले:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने यह इंगित किया है कि भारत से सिलेसिलाए वस्त्रों के निर्यात कोटे में, भारत में पारस्परिक आधार पर अमरीकी वस्त्र उद्योगों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात् ही वृद्धि की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) "सी इन एन वी ए टी" पर सरकार का क्या मत है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी नहीं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के वस्त्र और क्लोदिंग संबंधी करार (एटीसी) के अनुसार मात्रा संबंधी प्रतिबंध (आयात कोटों पर) चरणबद्ध रूप से पूर्णतया समाप्त हो जायेंगे और वस्त्र क्षेत्र, 1 जनवरी, 2005 तक पूरी तरह से एकीकृत हो जायेगा। संयुक्त राज्य अमरीका सहित डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य इस दायित्व के प्रति बाध्य हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वस्त्र क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के साथ-साथ इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2004-05 के बजट में उत्पाद शुल्क में पर्याप्त राहत प्रदान की है। टेक्स्चराइज्ड यार्न, सिंथेटिक और कृत्रिम फाइबरों तथा सिंथेटिक और कृत्रिम फिलामेंट यार्न सहित पालिएस्टर फिलामेंट यार्न पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को उत्पाद शुल्क से छूट का विकल्प दिया गया है। वस्त्र और वस्त्र मदों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एटीएंडटी) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों के सर्वेक्षण हेतु निजी एजेंसियां

1402. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यात्री सुविधाओं तथा शिकायतों के बारे में विमानपत्तनों के संबंध में सर्वेक्षण कराने हेतु निजी एजेंसियों की सेवा ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैदराबाद विमानपत्तन के संबंध में ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यह सर्वेक्षण कब तक कराये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स विकास एवं अनुसंधान सेवाएं नई दिल्ली को, प्रत्येक हवाईअड्डे पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करने तथा ग्राहक संतुष्टि स्तर का निर्धारण करने के लिए किराये पर लिया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) हैदराबाद हवाईअड्डे के लिए ग्राहक संतुष्टि स्तर जनवरी, 2004 में 74 प्रतिशत आंकलित किया था।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

एलआईसी का कारोबार

1403. श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश देने के पांच वर्षों के अंदर सरकारी क्षेत्र का जीवन बीमा निगम, विशेषकर प्रमुख शहरों में कारोबार में नाटकीय ढंग से हो रही कमी का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा करों का अपवंचन

1404. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में निजी अस्पताल और नर्सिंग होम अपने आयकर विवरणी दाखिल नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार सरकार को देय कर भुगतान का अपवंचन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक इन निकायों ने कर की कुल कितनी धनराशि का अपवंचन किया है; और

(ग) सरकार द्वारा कर की इस प्रकार से अपवंचित धनराशि को तत्काल उगाहने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) आयकर विभाग द्वारा की गई जांच यह दर्शाती है कि कराधेय आय वाले अधिकांश निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम अपनी विवरणियां दायर करते हैं एवं अपने करों का भुगतान करते हैं।

(ग) जहां कहीं ऐसे मामलों में कर-अपवंचन के संबंध में सूचना विभाग की जानकारी में आती है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133क के अन्तर्गत सर्वेक्षण अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी संबंधी कार्रवाई की जाती है। विवरणी दायर न करने वालों का पता लगाने के लिए नियमित आधार पर प्रयास किए जाते हैं और विवरणियां दायर कराने तथा करों का भुगतान कराए जाने के प्रयोजनार्थ आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

चाय की बिक्री

1405. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास नीलामी के माध्यम से चाय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छोटे और सीमांत उत्पादकों द्वारा उत्पादित चाय को नीलामी केन्द्रों तथा लाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) छोटे और मझोले उत्पादकों द्वारा अप्रसंस्कृत चाय पत्तियों का उत्पादन किया जाता है जिसकी बिक्री कच्ची सामग्री के रूप में क्रीत पत्ती फैक्टरियों अथवा बागान फैक्टरियों को प्रसंस्करण हेतु की जाती है। नीलामियों में अप्रसंस्कृत चाय पत्तियों की खरीद फरोख्त नहीं की जाती है। विनिर्माताओं (बागान फैक्टरी अथवा क्रीत पत्ती फैक्टरी) के पास अपनी चाय को नीलामियों के जरिए अथवा गैर-नीलामी के जरिए बेचने का विकल्प होता है। अपनी चाय को नीलामियों के जरिए बेचने के लिए चाय विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) चाय बोर्ड ने सौदे के समय और बिक्री लागत को कम करने और/अथवा नीलामी के जरिए चाय की खरीद करने, नीलामी प्रणाली में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, चाय की अधिकतम मात्रा की खरीद और उसका शीघ्र निपटान करने के लिए नीलामी की गति को बढ़ाने आदि की दृष्टि से कार्यान्वयन हेतु नीलामी संबंधी नियमों के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(2) अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रानिक नीलामी की शुरूआत करना।

जूट बैगों का प्रयोग

1406. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री सुनील खां:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य वस्तुओं की पैकिंग के लिए जूट के थैलों का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करती है;

(ख) क्या खाद्य वस्तुओं की पैकिंग के लिए जूट के थैलों के अनिवार्य उपयोग को स्थिल कर दिया गया है;

(ग) क्या खाद्य वस्तुओं की पैकिंग के लिए सिन्थेटिक थैलों की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय जूट मिल एसोसिएशन ने जूट उद्योग के लिए सरकारी नीति पैकेज की मांग की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापक बाजार नेटवर्क सहित जूट की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने की योजना है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) गत तीन वर्षों के दौरान जूट उद्योग के प्रोत्साहन हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां। केन्द्र सरकार पटसन पैकेजिंग (पैकिंग की वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3(1) के तहत समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार निर्धारित विशिष्ट स्तर पर खाद्यान्न एवं चीनी की पैकिंग के लिए पटसन बोर्डों का अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित करती है।

(ख) स्थाई सलाहकार समिति (एसएसी) की सिफारिशों पर विचार करने के बाद खाद्यान्न एवं चीनी की पैकिंग के लिए पटसन बोर्डों का अनिवार्य प्रयोग समय-समय पर कम किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार ने खाद्यान्न एवं चीनी को सिंथेटिक बोर्डों में पैक करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। पटसन सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग के प्रतिशत में कमी का अभिप्राय सिंथेटिक बोर्डों में अनिवार्य पैकेजिंग नहीं है। यह प्रयोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह पटसन बोर्डों का प्रयोग करें अथवा जेपीएम अधिनियम, 1987 के तहत सरकार द्वारा दी गई छूट की मात्रा तक किसी अन्य वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग करें।

(ङ) और (च) जी, हां। भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन (आईजेएमए) पटसन सामग्री में खाद्यान्न एवं चीनी की पैकिंग के लिए 100% आरक्षण के वास्ते विभिन्न अवसरों पर मांग करती रही है।

(छ) से (झ) जी, हां। दसवीं योजना में यह पेश किया गया है कि पटसन सामग्री का उत्पादन 19.5 लाख मिट्रिक टन तक बढ़ जाएगा। पटसन क्षेत्रों का समग्र जोर पटसन विविधीकृत उत्पाद बढ़ाने, नई उत्पाद श्रृंखला विकसित करने, विशेषकर लघु एवं मध्यम क्षेत्र को और पटसन सेवा केन्द्रों, कच्ची सामग्री बैंकों, डिजाईन विकास योजना और ड्यूटी हकदारी पासबुक योजना जैसी अध्यसंरचना विकास योजनाओं तथा सामान्यत: पूंजीगत सब्सिडी

योजना और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के माध्यम से संगठित क्षेत्र को प्रौद्योगिकीय एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने पर है। विदेशों में बाजार विस्तार के लिए जूट विनिर्माण विकास परिषद क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, प्रतिभागिताओं, प्रदर्शनियों और मेलों आदि का आयोजन करके पटसन जैव-वस्त्रों और फूडग्रेड पटसन बोरों तथा अन्य पटसन उत्पादों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठा रही है। पटसन जैव-वस्त्रों का प्रयोग 2002-03 के दौरान 270 मि. टन की तुलना में 2003-04 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान बढ़कर 787.4 टन हो गया है। वर्ष 2004-05 के लिए जेएमडीसी की कार्ययोजना में निर्यात बाजार विकास, घरेलू बाजार विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान अध्ययनों तथा अन्य से संबंधित क्रियाकलापों के लिए 7.48 करोड़ रु. का प्रस्ताव किया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान जेएमडीसी द्वारा खर्च की गई राशि क्रमश: 269.72 लाख रु., 427.41 लाख रु. और 448.18 लाख रु. थी। इसी प्रकार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान पटसन विविधीकृत उत्पादों (जेडीपी) के संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र (एनसीजेडी) द्वारा प्राप्त किया गया अनुदान क्रमश: 308 लाख रु., 525 लाख रु. और 695 लाख रु. था।

विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा

1407. श्री अनन्त नायक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) कौन-कौन से राज्य विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने भी ऐसी कोई मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) वर्तमान में विशेष श्रेणी के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तरांचल हैं।

(ख) बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखण्ड, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों ने विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे की मांग की है।

(ग) और (घ) जी, हां। उड़ीसा विशेष श्रेणी राज्य की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। इसलिए, उड़ीसा को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है।

हज यात्रियों के लिए विमान

1408. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हज यात्रियों की आवाजाही के लिए विमान किराये पर लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हज यात्रियों के लिए उपलब्ध कराए गए विमान की बुरी हालत के बारे में कई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा हज यात्रियों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले विमानों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) हज यात्रियों के आवागमन के लिए विमान किराये पर लेने की कोई योजनाएं नहीं हैं। हज-2005 के प्रचालन एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और सऊदी अरब एयरलाइंस द्वारा किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए एअर इंडिया अपने स्वामित्व वाले और ड्राई लीज पर लिए विमानों को लगाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जिन विमानों का हज प्रचालन के लिए उपयोग किया जाता है उनकी निर्धारित अनुरक्षण जांच होनी अपेक्षित हैं। वे अच्छी गुणवत्ता/स्थिति के होते हैं और वे डी जी ए जैसी नियामक प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए वैधानिक मानकों तथा शर्तों को भी पूरा करते हैं।

वियतनाम से चाय का आयात

1409. श्री तूफानी सरोज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वियतनाम से भारत को चाय के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003 में वियतनाम से कुल कितनी चाय का आयात किया गया है;

(ग) चालू वर्ष की प्रथम छमाही में वियतनाम से कुल कितनी चाय का आयात किया गया है;

(घ) क्या चाय के आयात से भारतीय चाय उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) वर्ष 2003 के दौरान वियतनाम से भारत में आयातित चाय की मात्रा वर्ष 2002 के दौरान लगभग 12.02 मिलियन किग्रा. की तुलना में लगभग 1.11 मिलियन किग्रा. रही थी।

(ग) जनवरी से मई 2004 के दौरान वियतनाम से भारत में आयातित चाय की मात्रा लगभग 2.38 मिलियन किग्रा. रही थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भारत में चाय का आयात मुख्यत: मूल्यवर्धन के पश्चात उसके पुनर्निर्यात के प्रयोजनार्थ किया जाता है। पुनर्निर्यात हेतु इस प्रकार के आयातों से अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं की जरूरतों को पूरा करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बचत योजना

1410. **श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत परिपक्वता धनराशि के पुनर्भुगतान की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एकाउंट पेयी चेकों को भुनाने में हो रही असुविधा की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या पुनर्भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत परिपक्वता मूल्यों की वापसी अदायगी अन्य बातों के साथ-साथ समय-समय पर यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269न में निहित उपबंधों द्वारा नियंत्रित की जाती है जिनके अनुसार बीस हजार रुपए से अधिक की राशि के ऋणों एवं जमाराशियों की वापसी-अदायगी आदाता के खाते में चैकों अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से की जानी अपेक्षित है।

सरकार के विचाराधीन आयकर अधिनियम, 1961 के संगत उपबंधों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र को अनुदान

1411. **श्री मोहन रावले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र को ऐसा कोई प्रस्ताव सौंपा है जिसमें उसने राज्य की देनदारी को पूरा करने हेतु एकमुश्त 1000 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। हाल ही में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा गया हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला कंपनियों द्वारा राज्यों को भूमि के मूल्य का भुगतान

1412. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अनुसार कोयला कंपनियों को उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित भूमि के लिए राज्यों को मुआवजे (भूमि का मूल्य) का भुगतान करना होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों ने मुआवजे की मांग की है; और

(ग) तत्संबंधी प्रतिक्रिया क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) भारत सरकार ने 1989 में यह निर्णय लिया कि इसके पश्चात या तो सीधे अन्तरण के जरिए अथवा कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत कोयला कंपनियों द्वारा अधिगृहित की गई भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान राज्य सरकार को किया जाए, बशर्ते इस प्रकार प्राप्त की गई भूमि का पूर्ण अधिकार कोयला कंपनी के पास हो तथा यह सभी बाधाओं से मुक्त हो।

(ख) जी, हां। कुछ राज्यों ने मुआवजे की मांग की है।

(ग) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के मामले में संबंधित राज्य सरकारों ने मुआवजे की मांग की थी और उन्हें इसका भुगतान ऊपर भाग (क) में उल्लिखित सरकार के निर्णय के अनुसार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बंद उद्योग का पुनरुद्धार

1413. **श्री संतोष गंगवार**: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में बंद उद्योगों का पुनरुद्धार कम करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं और अगले तीन वर्षों के दौरान इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कितने उद्योगों का पुनरुद्धार किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो पुनरुद्धार हेतु विचार की जा रही कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरूज्जीवन के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, स्वस्थ एककों के साथ रुग्ण एककों का समामेलन, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना आदि शामिल है।

(ख) बीआईएफआर से प्राप्त सूचना के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) के अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अधीन उनके पास इसके आरंभ होने के समय से तथा 31.5.2004 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत निजी कंपनियों के 4756 मामलों में से बीआईएफआर द्वारा 616 मामलों में तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) द्वारा 20 मामलों में पुनरूज्जीवन योजनाएं मंजूर कर दी गयी हैं और 56 मामलों में प्रारूप योजनाएं परिचालित की गयी हैं।

[अनुवाद]

चुनाव सुधार

1414. **श्री चंद्रकांत खैरे**: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चुनावों के राज्य वित्त पोषण सहित व्यापक चुनाव सुधारों पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) सरकार, निर्वाचनों के राज्य वित्तपोषण को आरंभ करने के लिए उपाय करने की अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, इस संबंध में विभिन्न विकल्पों और अनुकल्पों पर विचार कर रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बुनियादी ढांचा उद्योगों में विकास दर

1415. **श्री भर्तृहरि महताब**: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-2005 के लिए बुनियादी ढांचा उद्योगों में कितनी विकास दर प्राप्त करना निर्धारित किया गया है;

(ख) अप्रैल, 2004 तक किस सीमा तक विकास दर हासिल की जा चुकी है;

(ग) क्या इस वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान कुछ उद्योगों की विकास दर में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें कितनी कमी आई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में विकास दर प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) अवसंरचना उद्योग के अंतर्गत विद्युत, कोयला, इस्पात, सीमेंट, पैट्रोलियम आदि जैसी मदें/क्षेत्र आते हैं। इसके लिए लक्ष्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कुल मिलाकर उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। उपलब्धि/कार्यनिष्पादन के संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के सहित जो लक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे नीचे तालिका में दिए गए हैं।

क्षेत्र	इकाई	वार्षिक लक्ष्य (2004-05)	अप्रैल-मई, 2004 के लिए लक्ष्य	अप्रैल-मई, 2004 में प्राप्तियां	विकास (प्रतिशत में)	
					अप्रैल, 2004	अप्रैल-मई 2005
विद्युत	बीयू	566.59	94.57	97.08	10.7	6.9
कोयला	एमटी	364.65	54.9	56.77	7.5	7.0
इस्पात	एमटी	38.55	6.28	5.93	3.0	3.3
सीमेंट	एमटी	133.00	21.26	22.01	16.0	6.4
पैट्रोलियम						
(क) कच्चा तेल	एमटी	33.15	5.57	5.73	10.7	9.4
(ख) रिफाइनरी	एमटी	121.94	20.35	21.41	13.2	13.4

टिप्पणी: बीयू-बिलियन यूनिट, एमटी-मिलियन टन। स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

(ङ) सरकार नीतिगत और राजकोषीय उपायों के माध्यम से अवसंरचना सुविधाओं की अपर्याप्तता को दूर करने के लिए वचनबद्ध है। बजट 2004-2005 में अनेक उपायों की परिकल्पना की गई है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एक अन्तर संस्थागत समूह की स्थापना करना शामिल है ताकि ऋण संबंधी समझौतों का निपटान और अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन तीव्रता से किया जा सके।

विमानपत्तनों का विस्तार

1416. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद विमानपत्तन सहित विभिन्न विमानपत्तनों की कोई विस्तार योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) हवाई अड्डों का विस्तार/स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और जिसे चरणबद्ध तरीके से किया जाता है जो अनुमानित आवश्यकताओं तथा समय-समय पर संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। टर्मिनल भवनों का निर्माण/विस्तार/परिवर्धन, रनवे का विस्तार, एयरोब्रिजों की व्यवस्था, एप्रन, टैक्सीपथों इत्यादि जैसे विभिन्न श्रेणी का विकास कार्यों की 10वीं पंचवर्षीय योजना में अहमदाबाद हवाई अड्डे सहित 36 अंतर्राष्ट्रीय/अन्तर्देशीय हवाईअड्डों पर किए जाने की योजना है। ये कार्य कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं।

स्व-सहायता समूह

1417. श्री गुरूदास कामत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न बैंकों द्वारा महिलाओं के स्वामित्व वाले स्व-सहायता समूहों को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा वित्त पोषित स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में से 90% महिला समूह हैं। 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, 10.79 लाख एसएचजी को बैंकों से 3,904 करोड़ रुपए का संचयी ऋण संवितरित हुआ है।

(ग) एसएचजी सिद्धांत को प्रभावशाली ढंग से बढ़ावा दिया जाएगा तथा 31 मार्च, 2007 तक की अवधि के दौरान नाबार्ड भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), बैंकों एवं अन्य एजेन्सियों के लिए 5.85 लाख स्व-सहायता समूहों की ऋण संबद्धता के निर्देशक लक्ष्य का निर्धारण किया गया है।

विमान दुर्घटना

1418. **श्री रामचन्द्र पासवान:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों के कितने विमान/एयरबसें दुर्घटनाग्रस्त हुईं;

(ख) ऐसे कितने मामलों के लिए जांच समिति गठित की गयी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी/किये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों, 2001-2004 (आज तक) के दौरान, भारत में पंजीकृत विमानों को सरकार तथा निजी कम्पनियों द्वारा उड़ाये जाने के दौरान 22 दुर्घटनाएं हुई। तथापि, अनुसूचित एयरलाइनों का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था।

(ख) सरकार ने दो दुर्घटनाओं में वायुयान अधिनियम, 1937 के नियम 74 के अधीन दो जांच समितियां गठित कर दी हैं।

(1) मैनपुरी के निकट 30.9.2001 को मैसर्स जिन्दल स्ट्रिप्स किंग एअर सी-90 विमान वीटी-ईईएफ जिसमें तत्कालीन माननीय संसद सदस्य श्री माधवराव सिंधिया को घातक चोटें आई थी; तथा

(2) विजयवाड़ा के निकट 03.03.2002 के मैसर्स डेक्कन एविएशन बेल-206 हेलीकाप्टर वीटी-डीएपी जिसमें तत्कालीन माननीय लोक सभा के सभापति श्री जी.एम.सी. बालयोगी को घातक चोटें आई थी।

शेष 20 दुर्घटनाओं के मामले में, वायुयान अधिनियम, 1937 के नियम 71 के अधीन जांच करने के लिए दुर्घटना निरीक्षक की नियुक्ति की गई थी।

(ग) दुर्घटनाओं तथा घटनाओं की जांच से प्राप्त सुरक्षा सिफारिशों का अनुपालन उसी प्रकार की घटनाओं/दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों/यूनिटों द्वारा कार्यान्वयन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा किया जाता है।

पंजाब और सिंध बैंक की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

1419. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब और सिंध बैंक अपने निवल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को शून्य प्रतिशत तक लाने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऋण लेने वालों द्वारा अच्छी पेशकश के बावजूद 25 लाख रुपये से कम राशि की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के मामले एक वर्ष से अधिक समय से निपटान हेतु अभी भी लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो 25 लाख रुपये से कम राशि के कितने मामले निपटान के लिए लंबित हैं और इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। पंजाब एंड सिंध बैंक अपनी निवल अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) को कम स्तर पर लाने के लिये प्रयास कर रहा है। गत चार वर्षों के दौरान एनपीए की वसूली और एनपीए के विरुद्ध बनाए गए और अधिक प्रावधानों की वजह से बैंक का निवल एनपीए 12.27% से घटकर 9.6% रह गया है। बैंक और प्रस्ताव मार्च, 2007 तक इसे और घटाकर 1.99% कर देने का है।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) जी, नहीं।

महंगाई भत्ते का विलय

1420. श्री जी. वेंकटस्वामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते के विलय के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल वेतन में महंगाई भत्ते के विलय को ध्यान में रखे बिना केवल मूल वेतन के आधर पर एल.टी.सी. के हकदार और सरकारी आवास का गणन किया जाना अभी भी जारी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में उपचारात्मक आदेश कब तक जारी किए जाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) यह कार्य एल.टी.सी. और सरकारी आवास की मौजूदा हकदारी में संशोधन करने की आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से किया गया था।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए किसी उपचारात्मक आदेश की आवश्यकता नहीं है।

आंध्र प्रदेश में तंबाकू किसानों की मौत

1421. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि आंध्र प्रदेश में तंबाकू किसानों द्वारा गत तीन वर्षों तक लगातार मानसून न आने और लाभकारी मूल्य न पाने के कारण लिए गए ऋण का भुगतान न कर पाने के कारण उनकी मौतें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के तंबाकू किसानों की मौत रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) तम्बाकू के दो उत्पादकों ने आत्महत्या की थी। उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि उत्पादकों को तम्बाकू की खेती में घाटा नहीं हुआ था। सूचना के अनुसार उत्पादकों ने अन्य फसलों की खेती की थी और उन्हें इन फसलों में घाटा हुआ होगा और वे ऋणों को चुकता करने में अमसर्थ हो गए थे। मृतक उत्पादकों के परिवारों को अन्य उत्पादकों से अंशदानों के जरिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा रही है।

अवसंरचना क्षेत्र में भारत-चीन द्विपक्षीय संधि

1422. श्री किरिप चालिहा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने अवसंरचना क्षेत्र में भारत के साथ द्विपक्षीय संधि का विस्तार करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच विस्तृत वार्ताएं हुई हैं और तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) हाल ही में चीन के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया था तथा भारतीय व्यापारियों के साथ बातचीत की थी और रेलवे, भवन निर्माण अस्पताल, पुलों इत्यादि जैसे क्षेत्रों में बी ओ टी आधार पर परियोजनाओं का संयुक्त रूप से पता लगाने के लिए चीनी कंपनियों की इच्छा व्यक्त की थी। चीनी कंपनियां अवस्थापना क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रदायी प्रक्रिया में भाग ले रही हैं। ऐसी कुछ अवस्थापना संबंधी परियोजनाएं-जिनसे चीनी कंपनियां सहयोग कर रही हैं, निम्नलिखित हैं:

1. मुद्दानूर, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में मै. चाइना नेशनल मशीनरी एंड इक्विपमेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन थर्मल पावर परियोजना।

2. उत्तर प्रदेश में शिकोहाबाद से इटावा तक दो-लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से को चार-लेन का बनाने और उसके सुदृढ़ीकरण में चाइना कोल कंस्ट्रक्शन कंपनी।

3. कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्टरलाइट के स्वामित्व वाले एल्यूमिनियम उत्पादक, बाल्को के लिए केप्टिव पावर परियोजना हेतु तीन वर्षीय प्रचालन पश्चात रख-रखाव के ठेके तथा बाल्को परियोजना के निर्माण में शेंगडांग इलैक्ट्रिक पावर कन्सट्रक्शन कारपोरेशन।

4. डी डब्ल्यू डी एम (डेंस वेवलैंथ डिवीजन मल्टी प्लैक्सिंग) प्रणालियों के लिए बी एस एन एल तथा एम टी एन एल की परियोजनाओं, बी एस एन एल की सी डी एम ए परियोजना और एम टी एन एल की ए डी एस एल (एसीमेट्रिक डिजिटल सबस्क्राइबर्स लाइन) परियोजना में जेड टी ई।

पाटन रोधी मामलों की जांच

1423. श्री दिनशा पटेल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीयन आयोग के दबाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2004 में पाटन रोधी मामलों में काफी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिनांक 1 जनवरी, 2002 को अथवा उसके पश्चात् सभी कंपनियों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा पहली बार किस तिथि को याचिका दायर की गयी, जांच किस तिथि को आरंभ की गयी और इनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) पाटन रोधी नियमों की परिभाषा के अंतर्गत जांच किये बिना भारतीय उद्योग द्वारा दायर की गयी पाटन की शिकायतें बंद कर दिए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 1.1.2002 से 12.7.2004 तक दायर की गई शिकायतों के आधार पर शुरू की गई पाटन रोधी जांच के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पाटन रोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय में 10 आवेदनों की छानबीन की जा रही है।

(घ) दिनांक 1.1.2002 से 12.7.2004 तक प्राप्त और विभिन्न कारणों से बंद किए गए पाटन रोधी आवेदनों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

दिनांक 1.1.2002 से 12.7.2004 तक दायर किए गए पाटन रोधी आवेदन और शुरू की गई जांच

क्र.सं.	उत्पाद/ आवेदक (आवेदकों) का नाम	देश	आवेदन प्राप्त होने/ कार्रवाई करने की तारीख	जांच शुरू करने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	सोडियम ट्राईपोलि फास्फेट (एसटीटीपी) मै. अल्ब्राइट एण्ड विल्सन केमिकल्स इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई	चीन एवं ताईवान*	16.1.02	15.2.2002
2.	फोर्ज्ड रोल्स मै. गान्टरमन-पाइपर (इण्डिया) लि., प. बंगाल	यूक्रेन, रूस एवं कोरिया	30.1.02	27.8.2002
3.	फिनाल मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि., गुजरात	ई.यू., सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका	6.2.02	15.2.2002
4.	(-) पैरा हाइड्राक्सी फिनाइल ग्लिसिन बेस (पीएचपीजी) मै. दौराला आर्गेनिक्स लि., उ.प्र.	ई.यू.	22.2.02	8.3.2002
5.	फैरो सिलिकान मै. इण्डिया मैटल्स एण्ड फैरो एलायस लि., महाराष्ट्र	दक्षिण अफ्रीका एवं मेसीडोनिया	14.3.02	11.4.2002
6.	कास्टिक सोडा अल्कली मैन्यूफैक्चर्रस एसोसिएशन आफ इण्डिया, दिल्ली	कोरिया एवं चीन	21.3.02	14.5.2002

1	2	3	4	5
7.	साइट्रिक एसिड मै. सिट्रुजिया बायोकैमिल्स लि., महाराष्ट्र	इण्डोनेशिया एवं थाईलैंड	28.3.02	16.4.2002
8.	फ्लोट ग्लास आल इण्डिया फ्लैट ग्लास मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली	चीन एवं इण्डोनेशिया	3.4.02	5.7.2002
9.	प्लास्टिक आप्थैल्मिक लैन्सेस मै. टैक्ट्रेन पाली लैंसेस लि., हैदराबाद	ताईवान* एवं चीन	12.4.02	27.8.2002
10.	हाट रोल कायल्स, स्ट्रिप्स, सीट्स एण्ड प्लेट्स सेल एण्ड मै. एस्सार स्टील, नई दिल्ली	दक्षिण अफ्रीका, रोमानिया, वेनेजुएला, नीदरलैंड, सऊदी अरब, यू.के., आस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान एवं सिंगापुर	30.4.02	25.9.2002**
11.	मिथिलीन क्लोराइड मै. गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लि., मुम्बई	ई.यू., दक्षिण अफ्रीका एवं सिंगापुर	16.5.02	19.8.2002
12.	(-) पैरा हाइड्राक्सी फिनाइल ग्लिसिन मिथाइल पोटेशियम डेन साल्ट (पीएचपीजी-डीएस) मै. दौराला आर्गेनिक्स लि., उ.प्र.	चीन एवं सिंगापुर	17.5.02	25.6.2002
13.	विटामिन सी मै. अम्बालाल साराभाई इंटरप्राइजेज, गुजरात	यू.एस.ए. एवं कनाडा	20.5.02	14.8.2002
14.	नान ब्रास मैटल फ्लैश लाइट्स मै. एवरेड्डी इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लि., कोलकाता	चीन	21.6.02	9.9.2002
15.	मलबरी रॉ सिल्क सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर	चीन	8.7.02	17.7.2002
16.	पैरा क्रिसाल मै. अतुल लि., गुजरात	चीन	11.7.02	27.8.2002
17.	विटामिन ई मै. मर्क इण्डिया लि., बड़ोदरा	चीन	15.7.02	27.8.2002
18.	बालबियरिंग्स बाल एण्ड रोलर बियरिंग्स मैन्यू. एसो. आफ इण्डिया, नई दिल्ली	चीन, पोलैंड, रूस एवं रोमानिया	15.7.02	21.9.2002
19.	मैजरिंग टेप मै. फ्रीमैन्स मैजर्स लि. एण्ड एफएमआई लि., लुधियाना	चीन	16.7.02	22.10.2002

1	2	3	4	5
20.	सोडियम हाइड्रो सल्फाइट मै. ट्रांसपैक सिलाक्स लि., बड़ोदरा एवं डेमांश्रा कैमिकल्स लि., मुम्बई	जर्मनी एवं कोरिया	22.7.02	14.11.2002
21.	हेक्सामिन मै. कनोरिया कैमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि., मुम्बई	ईरान	23.7.02	18.9.2002
22.	अमोनियम नाइट्रेट मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कम्पनी लि., मै. नाल्को, मै. दीपक फर्टिलाइजर एण्ड पेट्रोकैमिकल्स, पुणे	रूस एवं ईरान	29.7.02	20.9.2002
23.	कास्टिक सोडा अल्कली मैन्यू. एसो. आफ इण्डिया, दिल्ली	इंडोनेशिया, ताईवान एवं ई.यू. (फ्रांस को छोड़कर)	21.8.02	8.10.2002
24.	बोरेक्स डेका हाइड्रेट मै. बोरेक्स मोरारजी लि., मुम्बई	चीन, तुर्की	2.9.02	25.11.2002
25.	पोटैशियम कार्बोनेट मै. गुजरात अल्कली एण्ड केमिकल्स लि., बड़ोदरा	ई.यू., चीन, कोरिया एवं ताईवान	18.9.02	19.12.2002
26.	बटर आयल सेंटर फार इंटरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चर एण्ड एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज, दिल्ली	न्यूजीलैण्ड	20.9.02	26.11.2002**
27.	मेटकोक (18% से कम राख तत्व वाले) इण्डियन मेटालर्जिकल कोक मैन्यू. एसो., नई दिल्ली	जापान	23.9.02	20.3.2003
28.	कापर क्लैड लेमिनेट्स मै. गुजरात परस्टार्प इलेक्ट्रानिक्स लि., गुजरात	चीन, ताईवान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, फिलीपिंस, सिंगापुर* एवं थाईलैंड*	17.10.02	24.12.2002
29.	ग्रीन वॉनियर टेप मै. वाटरप्रूफ कार्पो. प्रा.लि., मुम्बई	ताईवान	13.11.02	9.1.2003
30.	टाइटेनियम डायआक्साइड टाइटेनियम डायआक्साइड मैन्यू. एसो., केरल	चीन	12.12.02	16.1.2003
31.	मिथिलीन क्लोराइड मै. गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लि., बड़ोदरा	कोरिया	26.12.02	19.2.2003
32.	सन/डस्ट कंट्रोल (पालिस्टर फिल्म) मै. गरवारे पालिस्टर लि., मुम्बई	ताईवान एवं यूएई	1.1.03	3.3.2003

1	2	3	4	5
33.	थर्मल सेंसेटिव पेपर (टीएसपी) मै. श्री कृष्णा पेपर मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली	इंडोनेशिया, मलेशिया एवं यूएई	1.1.03	29.7.2003
34.	क्लोरोक्वीन फास्फेट मै. इप्का लैबोरेटरीज लि., मुम्बई	चीन	7.2.03	16.7.2003
35.	फ्लैक्सिबल स्लैब स्टाक पालीआल मै. मनाली पेट्रोकैमिकल्स लि., चेन्नई	चीन, कोरिया ताईवान एवं ब्राजील	11.3.03	21.5.2003
36.	एक्रीलिक फाइबर कोरम आफ एक्रीलिक फाइबर मैन्यू., नई दिल्ली	बेलारूस	17.3.03	1.7.2003
37.	कोटेड पेपर मै. बीआईएलटी ग्राफिक्स पेपर्स लि., हरियाणा	इंडोनेशिया एवं ईयू	24.4.03	17.6.2003
38.	प्रोपीलिन ग्लाइकाल मै. मनाली पेट्रोकैमिकल्स लि., चेन्नई	यूएसए, सिंगापुर, कोरिया एवं ईयू	9.5.03	22.8.2003
39.	जिप्सम प्लास्टर बोर्ड मै. इण्डिया जिप्सम लि., नई दिल्ली	इंडोनेशिया एवं थाईलैंड	3.6.03	5.8.2003**
40.	पीवीसी पेस्ट रेजिन मै. कैम्प्लास्ट सनमार लि., चेन्नई	ईयू, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया	11.7.03	22.8.2003
41.	6-हैक्सानोलैक्टम (कैप्रोलैक्टम) मै. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि., गुजरात	ईयू, जापान, नाईजीरिया एवं थाईलैंड	17.7.03	22.9.2003
42.	मेलामाइन मै. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि., गुजरात	चीन	22.7.03	10.9.2003
43.	साइक्लो हैक्सानोन मै. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि., गुजरात	ताईवान, ईयू एवं यूएसए	25.7.03	8.10.2003
44.	टोलुईन डाई-आयसोसाईनेट मै. नर्मदा कैमेच्यूर पेट्रोकैमिकल्स लि., गुजरात	ताईवान, ईयू, जापान, कोरिया, जनवादी गणराज्य एवं यूएसए	22.8.03	20.10.2003
45.	नायलान टायर कार्ड फैब्रिक एसो. आफ सिंथेटिक फाइबर्स इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली	चीन	15.9.03	29.10.2003
46.	माइका पर्ल पिगमैंट मै. सुदर्शन कैमिकल्स, पुणे	चीन, जापान, यूएसए एवं ईयू	18.9.03	23.12.2003

1	2	3	4	5
47.	नैरो वोवन फैब्रिक मै. स्काई इंडस्ट्रीज लि., मुम्बई	चीन एवं ताईवान	1.10.03	9.6.2004
48.	जिप्सम प्लास्टर बोर्ड मै. इण्डिया जिप्सम लि., नई दिल्ली	इंडोनेशिया एवं थाईलैंड	4.11.03	28.6.2004
49.	कुछेक रबड़ रसायन मै. नेशनल आर्गेनिक्स कैमिकल इंडस्ट्रीज लि., मुम्बई	चीन जनवादी गणराज्य	31.3.04	7.7.2004

*पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की गई।
**जांच शुरू की गई किन्तु बाद में विभिन्न कारणों की वजह से समाप्त कर दी गई।

विवरण-II

दिनांक 1.1.2002 से 12.7.2004 तक छानबीन के बाद बंद किए गए पाटन रोधी आवेदन

क्र.सं.	उत्पाद/आवेदक (आवेदकों) का नाम	आवेदन प्राप्त होने/ मूल्यांकन करने की तारीख	देश	बंद करने के कारण
1	2	3	4	5
1.	थर्मोब्रांड कवर स्टाक	4.3.02	थाईलैंड एवं सिंगापुर	सम्पूर्ण सूचना के अभाव में
2.	एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, मै. वेबल्सन कैपेसिटर्स, प. बंगाल	11.3.02	चीनी ताईपेई, चीन जन.गण., हांगकांग, कोरिया जन.गण., एवं सिंगापुर	आवेदन में कमियां
3.	स्टील मेल्टिंग स्क्रैप	20.5.02	ईयू, जापान, यूएई एवं सिंगापुर	आवेदन में कमियां
4.	पालिस्टर स्टैपल फाइबर एसो. आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज, दिल्ली	7.10.02	इंडोनेशिया	घरेलू उद्योग से उत्तर के अभाव में
5.	अखबारी कागज इंडियन न्यूज प्रिंट मैन्यू. एसो., नई दिल्ली	23.4.03	ईयू, कनाडा, इंडोनेशिया, फिलीपिंस, रूस, कोरिया जन. गण. एवं यूएसए	क्षति और कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य नहीं
6.	आइसोब्यूटाईल बेंजीन मै. विनाती आर्गेनिक्स लि., मुम्बई	19.5.03	चीन जन. गण.	कोई क्षति और कारणात्मक संबंध नहीं
7.	सैक्करीन आल इंडिया सैक्करीन मैन्यू., एसो., मुम्बई	2.6.03	चीन जन. गण.	आवेदन वापस ले लिया गया था
8.	सोडा एश मै. अल्कली मैन्यू. एसो. आफ इंडिया	9.8.03	केन्या	कोई क्षति और कारणात्मक संबंध नहीं
9.	अमोनियम नाइट्रेट मै. दीपक फर्टिलाइजर्स लि. और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स लि., गुजरात	15.9.03	यूक्रेन	घरेलू उद्योग से उत्तर के अभाव में

1	2	3	4	5
10.	आक्सो अल्कोहल्स (आइसोनोनानाल एण्ड एनबीए) मै. आंध्रा पेट्रोकैमिकल्स लि.	16.9.03	ईयू, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका	घरेलू उद्योग से उत्तर के अभाव में
11.	चाइनीज सिल्क फैब्रिक्स कर्नाटका वीवर्स फैडरेशन, बंगलौर	15.10.03	चीन	आवेदन पूर्णत: प्रलेखित नहीं था
12.	सैक्करीन आल इंडिया सैक्करीन मैन्यू. एसो., मुम्बई	26.10.03	चीन	घरेलू उद्योग से उत्तर के अभाव में
13.	ग्रीन वीनियर टेप मै. वाटरप्रूफ कार्पो. प्रा.लि., मुम्बई	21.11.02	चीन जन. गण. एवं मलेशिया	घरेलू उद्योग से उत्तर के अभाव में
14.	लैड एसीड बैटरीज एक्साइड, कोलकाता, अम्मराराजा, चेन्नई और एमको, बंगलौर	8.12.03	थाईलैंड, वियतनाम एवं मलेशिया	घरेलू उद्योग से उत्तर के अभाव में
15.	सोडियम साइनाइड्स मै. साइनाइड एण्ड कैमिकल्स कंपनी, दिल्ली और मै. गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लि., बड़ोदरा	15.12.03	आस्ट्रेलिया एवं ताईवान	घरेलू उद्योग से उत्तर के अभाव में
16.	विटामिन-ए पाल्मीटेट मै. निकोलस पीरामल इंडिया लि., दिल्ली	26.12.03	चीन जन. गण. एवं स्विट्जरलैंड	घरेलू उद्योग से उत्तर के अभाव में
17.	हाइड्रोफ्लोरिक एसिड (70%) एएचएफ मैन्यू. एसो., आंध्र प्रदेश	31.12.03	चीन जन. गण.	उसी उत्पाद के लिए नया मामला शुरू करने के लिए कोई आधार नहीं
18.	ग्लास पैनल्स फार कलर पिक्चर ट्यूब मै. वीडियोकान इंटरनेशनल लि., गुजरात	7.1.2004	चीन, कोरिया और मलेशिया	क्षति और कारणात्मक संबंध की पुष्टि नहीं की जा सकी
19.	स्टैपर मोटर काउण्टर मै. कोणार्क इंडस्ट्री, बंगलौर	21.1.04	चीन जन. गण.	घरेलू उद्योग से उत्तर के अभाव में
20.	1-फिनायल-3-मिथाइल-5-पायराजोलोन मै. प्राइमा कैमिकल्स, अहमदाबाद	17.5.04	चीन जन. गण.	आवेदन में कमियां

विशेष आर्थिक जोन के लिए कानून

1424. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निवेश का स्थायी माहौल पैदा करने और व्यापक निवेश आकर्षित करने हेतु विशेष आर्थिक जोन के लिए कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित कानून से कतिपय अवधि के लिए लाभ राशि को पुन: निवेश करने पर आयकर लाभ मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार की मंशा विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना, उनके प्रचालन और आर्थिक प्रणाली के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए उनके लिए एक विधान अधिनियमित करने की है। विषय वस्तु के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र

1425. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे भारत में पिछड़े आरक्षित क्षेत्रों में कोई उद्योग नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बेरोजगारी बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के लिए कौन-सी योजना बनाई है;

(घ) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकार की पहल पर निर्भर करता है। संघ सरकार विभिन्न स्कीमों/प्रोत्साहनों के माध्यम से राज्य के प्रयासों में मदद करती है। इसके अतिरिक्त नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों के वाणिज्यिक ज्ञान पर आधारित होते हैं। औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों/ प्रोत्साहनों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

(1) आयकर रियायतें:-

(1) आयकर अधिनियम की धारा 80-आईसी में पूर्वोत्तर राज्यों सहित कतिपय विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार 24 दिसंबर, 1997 को या इसके बाद किन्तु 1.4.2007 से पहले स्थापित कोई नया औद्योगिक उपक्रम अथवा कोई मौजूदा उपक्रम जो इस अवधि के दौरान पर्याप्त विस्तार करता है जो कतिपय अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित है, 10 निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आय कर में 100 प्रतिशत छूट पाने का पात्र है। इस प्रकार की कटौती ऐसे सभी नये उपक्रमों अथवा मौजूदा उपक्रमों के लिए भी उपलब्ध है जो पर्याप्त विस्तार करते हैं और विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्र के कार्यकलाप कर रहे हैं।

(2) कर प्रोत्साहन देश के पिछड़े जिलों में 31.3.2004 को या इससे पूर्व स्थापित उद्योगों के लिए भी उपलब्ध है। एक ओर जहां श्रेणी 'क' के पिछड़े जिलों में स्थित उद्योग 5 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत और इसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत तक (कंपनियों के मामले में 30 प्रतिशत) कटौती के पात्र हैं, वहीं श्रेणी 'ख' के पिछड़े जिलों में स्थित उद्योग 3 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत और इसके बाद आगामी 5 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत तक (कंपनियों के मामले में 30 प्रतिशत) कटौती के पात्र हैं। श्रेणी 'क' और 'ख' पिछड़े जिलों से संबंधित वित्त मंत्रालय के आदेश की प्रति संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(2) विकास केन्द्र योजना:

देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने जून, 1988 में विकास केन्द्र योजना की घोषणा की थी। 1991 से लागू इस योजना के तहत, देश भर में 71 विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव था जिन्हें विद्युत, जल, दूरसंचार और बैंकिंग आदि जैसी मूल अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी ताकि ये उद्योगों को आकृष्ट कर सकें। ये विकास केन्द्र क्षेत्र, आबादी और औद्योगिक पिछड़ेपन की सीमा के मिले-जुले मानदंड के आधार पर राज्यों में आवंटित किये गये हैं। सभी 71 विकास केन्द्रों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

केन्द्र सरकार प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए इक्विटी के रूप में 10 करोड़ रुपये तक का अंशदान देकर राज्य सरकारों को सहायता करती है। शेष राशि राज्य सरकारों तथा उनकी एजेन्सियों द्वारा जुटानी होती है जो इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करती हैं। केन्द्रीय सहायता की इस राशि को पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर और सिक्किम के प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(3) परिवहन राजसहायता योजना

यह योजना पर्वतीय, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जुलाई, 1971 में शुरू की गई थी। यह योजना हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल का दार्जीलिंग जिला तथा उत्तरांचल के विशिष्ट जिलों के लिए लागू है। इस योजना के तहत, व्यावसायिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए, निर्दिष्ट रेल शीर्षों/पत्तनों से औद्योगिक इकाइयों के स्थापना स्थल तक कच्चा

माल ले जाने और वहां से तैयार माल को वापस लाने के लिए 50 प्रतिशत-90 प्रतिशत तक राजसहायता की अनुमति है। यह योजना 31.3.2007 तक बढ़ा दी गई है।

(4) पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित तीन योजनाएं भी शुरू की गई हैं:-

पूंजी निवेश राजसहायता योजना

इस योजना के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास केन्द्रों में स्थित उद्योगों और नई औद्योगिक इकाइयों के लिए और/अथवा अन्य अभिज्ञात क्षेत्रों में उनके पर्याप्त विस्तार के लिए संयंत्र और मशीनों में निवेश पर 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 30 लाख रुपये तक राजसहायता स्वीकार्य होगी।

(2) केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना

इस योजना के तहत, उत्पादन शुरू होने के बाद 10 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में पात्र औद्योगिक इकाइयों को कार्यशील पूंजी ऋण के ब्याज पर 3 प्रतिशत की दर से राजसहायता प्रदान की जाती है।

(3) व्यापक बीमा योजना

इस योजना में 24 दिसंबर, 1997 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किये गये सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को 100 प्रतिशत का बीमा लाभ देने की परिकल्पना है। बीमित पार्टी प्रारंभिक प्रीमियम का भुगतान करेगी जिसकी प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा रखी गई चक्रीय (रिवोल्विंग) निधि में से नोडल बीमा कंपनी द्वारा करनी होगी। इस चक्रीय (रिवोल्विंग) निधि के लिए धन राशि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा दी जायेगी। यह योजना 10 वर्ष की अवधि अर्थात् 13.7.2009 तक प्रभावी रहेगी।

पूर्वोक्त योजनाओं के तहत लाभ जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए भी उपलब्ध है। उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में राजसहायता लाभ केवल परिवहन राजसहायता योजना तथा व्यापक बीमा योजना के तहत ही उपलब्ध हैं।

(5) एकीकृत अवसंरचना विकास योजना:

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, लघु उद्योग मंत्रालय पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एकीकृत अवसंरचना विकास योजना (आईआईडी) को भी क्रियान्वित कर रहा है।

वर्ष 1994 में आरंभ की गयी इस योजना में लघु उद्योगों के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने की परिकल्पना की गयी है ताकि ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना आसान हो सके। केन्द्र सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक प्रत्येक एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र को 2:3 के अनुपात में 5 करोड़ रुपये का योगदान करते हैं और इससे ऊपर की लागत तथा भूमि की लागत संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारत सरकार और सिडबी/वित्तीय संस्थाओं के बीच निधि पोषण का प्रतिमान (निधियों की भागीदारी) 2:3 से बदलकर 4:1 कर दिया गया है।

(6) उपर्युक्त के अतिरिक्त, लघु उद्योग क्षेत्र के लाभार्थ, एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना (आईआईडीएस) के अलावा विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा भी देशभर में समान रूप से निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:-

1. टूल डिजाइनों, डाई मेकिंग आदि क्षेत्रों में टूल रूम प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करते हैं।
2. केन्द्रीय फुटवेयर प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा जूतों के डिजाइन तथा संबंधित मामलों पर सीएडी/सीएएम के जरिये प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
3. मेरठ, आगरा और कन्नौज में प्रक्रिया-सह-उत्पादन विकास केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा उत्पाद विकास के कार्य हाथ में लिए जाते हैं।
4. एकीकृत प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रबंध कार्यक्रम के तहत, प्रौद्योगिकी उन्नयन और अन्य समग्र विकास हेतु लघु उद्योगों के समूहों को शामिल किया जाता है।
5. आईएसओ-9000/14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना के तहत, इकाइयों द्वारा सक्षम प्राधिकरणों से आवश्यक प्रमाणन प्राप्त करने पर किए गए खर्च हेतु 75,000 रुपये अथवा खर्च के 75 प्रतिशत भाग की, जो भी अधिक हो, प्रतिपूर्ति की जाती है।
6. क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र और फील्ड परीक्षण केन्द्र, उत्पादों के बीआईएस मानकों हेतु परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।
7. उत्पादों की उपयुक्त पैकेजिंग तथा बार कोडिंग शुरू करने के उद्देश्य से विपणन विकास सहायता योजना की शुरूआत की गई है।
8. 25 लाख रुपए तक की प्रतिभूति मुक्त सुविधाओं हेतु गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड की स्थापना की गई है।

9. ऋण संबद्ध पूंजी राजसहायता योजना के तहत, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु पूंजी की 12 प्रतिशत राजसहायता (अधिकतम 4.8 लाख रुपये तक) उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

(दिनांक 7 अक्तूबर, 1997, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक, 07 अक्तूबर, 1997

अधिसूचना

आय-कर

का.आ. 714(अ)-आय कर (संशोधन) अधिनियम, 1997, (1997 का 15) की धारा 3 द्वारा यथा संशोधित आय कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 80-1क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की दिनांक 3 सितंबर, 1997 की अधिसूचना संख्या 636(अ) के अतिक्रमण में, ऐसे अतिक्रमण से पूर्व जो चीजें कर दी गई हैं अथवा करने से छोड़ दी गई हैं, को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार आय कर नियम, 1962 के नियम 11ईए के साथ पठित धारा 80-1क की उप धारा (2) की खंड (iv) के उप खंड (ग) के अधीन निम्नलिखित जिलों को श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में निर्दिष्ट करती है, नामत:-

क. औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले श्रेणी 'क'

1.	गोड्डा	बिहार
2.	गमला	बिहार
3.	अररिया	बिहार
4.	गढ़चिरोली	महाराष्ट्र
5.	मधेपुरा	बिहार
6.	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश
7.	डुमका	बिहार
8.	मांडला	मध्य प्रदेश
9.	खगडिया	बिहार
10.	किशनगंज	बिहार
11.	मालदा	प. बंगाल
12.	पलामू	बिहार
13.	फूलबानी	उड़ीसा
14.	मधुबनी	बिहार
15.	कालाहांडी	उड़ीसा
16.	जेहानाबाद	बिहार
17.	सहरसा	बिहार
18.	प. दिनाजपुर	प. बंगाल
19.	नवादा	बिहार
20.	बहराइच	उत्तर प्रदेश
21.	सीतामढ़ी	बिहार
22.	साहिबगंज	बिहार
23.	मुर्शीदाबाद	प. बंगाल
24.	कूच-बिहार	प. बंगाल
25.	बांकुरा	प. बंगाल
26.	पन्ना	मध्य प्रदेश
27.	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश
28.	महाराजगंज	उत्तर प्रदेश
29.	जालौर	राजस्थान
30.	औरंगाबाद	बिहार
31.	पूर्वी चम्पारन	बिहार
32.	बांदा	उत्तर प्रदेश
33.	बाड़मेर	राजस्थान
34.	पूर्णिया	बिहार
35.	बस्तर	मध्य प्रदेश

36.	सीवान	बिहार
37.	वैशाली	बिहार
38.	बस्ती	उत्तर प्रदेश
39.	सारगुजा	मध्य प्रदेश
40.	चमोली	उत्तर प्रदेश
41.	जैसलमेर	राजस्थान
42.	लोहारडग्गा	बिहार
43.	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश
44.	उत्तरकाशी	उत्तर प्रदेश
45.	चूरू	राजस्थान
46.	वायानाड	केरल
47.	इडुक्की	केरल
48.	जलपाईगुड़ी	प. बंगाल
49.	अल्मोड़ा	उत्तर प्रदेश
50.	पिथौरागढ़	उत्तर प्रदेश
51.	टिहरी गढ़वाल	उत्तर प्रदेश
52.	द डांग्स	गुजरात
53.	बांसवाड़ा	राजस्थान

ख. औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले श्रेणी 'ख'

1.	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश
2.	महबूब नगर	आंध्र प्रदेश
3.	कटिहार	बिहार
4.	भागलपुर	बिहार
5.	गोपालगंज	बिहार
6.	दरभंगा	बिहार
7.	प. चम्पारन	बिहार
8.	सारन	बिहार
9.	भोजपुर	बिहार
10.	समस्तीपुर	बिहार
11.	देवधर	बिहार
12.	नालंदा	बिहार
13.	गया	बिहार
14.	मुजफ्फरपुर	बिहार
15.	रोहतास	बिहार
16.	बनासकांठा	गुजरात
17.	साबरकांठा	गुजरात
18.	बीदर	कर्नाटक
19.	सीओनी	मध्य प्रदेश
20.	टीकमगढ़	मध्य प्रदेश
21.	शिवपुरी	मध्य प्रदेश
22.	बालाघाट	मध्य प्रदेश
23.	झाबुआ	मध्य प्रदेश
24.	सिधी	मध्य प्रदेश
25.	विदिशा	मध्य प्रदेश
26.	रायगढ़	मध्य प्रदेश
27.	मुरैना	मध्य प्रदेश
28.	बैतुल	मध्य प्रदेश
29.	राजगढ़	मध्य प्रदेश
30.	राजनंदगांव	मध्य प्रदेश
31.	सागर	मध्य प्रदेश
32.	बीड़	महाराष्ट्र
33.	बोलांगीर	उड़ीसा
34.	मयूरभंज	उड़ीसा
35.	बालासोर	उड़ीसा
36.	गंजम	उड़ीसा
37.	डुंगरपुर	राजस्थान
38.	धौलपुर	राजस्थान
39.	सवाईमाधोपुर	राजस्थान

40.	टांक	राजस्थान
41.	नागौर	राजस्थान
42.	झालावाड़	राजस्थान
43.	सीकर	राजस्थान
44.	हरदोई	उत्तर प्रदेश
45.	ललितपुर	उत्तर प्रदेश
46.	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश
47.	बदायूं	उत्तर प्रदेश
48.	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश
49.	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश
50.	एटा	उत्तर प्रदेश
51.	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश
52.	इटावा	उत्तर प्रदेश
53.	देवरिया	उत्तर प्रदेश
54.	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश
55.	बलिया	उत्तर प्रदेश
56.	जौनपुर	उत्तर प्रदेश
57.	सीतापुर	उत्तर प्रदेश
58.	जालौन	उत्तर प्रदेश
59.	उन्नाव	उत्तर प्रदेश
60.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश
61.	कानपुर देहात	उत्तर प्रदेश
62.	मैनपुरी	उत्तर प्रदेश
63.	गोंडा	उत्तर प्रदेश
64.	फर्रुखाबाद	उत्तर प्रदेश
65.	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश
66.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश
67.	मऊ	उत्तर प्रदेश
68.	पुरुलिया	प. बंगाल
69.	बीरभूम	प. बंगाल
70.	मिदनापुर	प. बंगाल

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, ये जिले दिनांक 4 अक्तूबर, 1994 को पिछड़े जिलों की पहचान संबंधी अध्ययन ग्रुप की रिपोर्ट में उल्लिखित जिलों के अनुरूप हैं और 1991 की जनगणना रिपोर्ट में इन जिलों की जो स्थिति थी उसी पर आधारित हैं। जहां 1991 की जनगणना रिपोर्ट के बाद कोई जिला धारा 80-1क के प्रयोजन के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले के रूप में मान्य निर्दिष्ट है, या तो विभाजन से अथवा अन्यथा, 1991 की जनगणना रिपोर्ट में जैसा उसका अस्तित्व था उस जिले में सम्मिलित समूच क्षेत्र इस नियम के प्रयोजन के लिए मान्य होगा।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1994 से लागू हुई मानी जायेगी।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्र सरकार ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1क के प्रयोजन के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1994 में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक और अध्ययन दल गठित किया गया था। दोनों अध्ययन दलों की रिपोर्ट के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया कि औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को दो श्रेणियों में अर्थात् श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में वर्गीकृत किया जाए धारा 80-1क को आय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 15) द्वारा संशोधित किया गया ताकि औद्योगिक रूप से पिछड़े श्रेणी 'क' और औद्योगिक रूप से पिछड़े श्रेणी 'ख' जिलों का वर्गीकरण किया जा सके। उक्त अध्यादेश 16 सितम्बर, 1997 को लागू हो गया है। आय कर नियम, 1962 के नियम 11ईए को भी 1.10.1994 से अतीत-प्रभावी रूप से संशोधित कर दिया गया है ताकि उक्त अध्यादेश द्वारा आय कर अधिनियम की धारा 80-1क में किये गये संशोधनों को प्रभावी बनाया जा सके। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस संशोधन की अतीत प्रभावी प्रक्रिया से किसी निर्धारिती के हितों पर कई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ह/-
(डा. धीरज भटनागर)
अवर सचिव, भारत सरकार

फा.सं. 142/20/94-टी पी एल (पार्ट-III)

अधिसूचना सं. 10441

[हिन्दी]

जबलपुर और दिल्ली के बीच विमान सेवा

1426. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर और दिल्ली सहित कुछ वायु क्षेत्रों के बीच विमान सेवा को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सेवाओं को पुन: कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) 5 सितम्बर, 2001 से पूर्व, जबलपुर इंडियन एयरलाइंस द्वारा डीओ-228 सेवाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ था। 5 सितम्बर, 2001 से जबलपुर को दिल्ली-रायपुर-जबलपुर-दिल्ली मार्ग पर प्रति सप्ताह तीन सेवाओं द्वारा बी-737 विमान से जोड़ दिया गया। दिल्ली-जबलपुर के बीच यात्री वहन लगभग 20 यात्री प्रति उड़ान था।

अपर्याप्त यात्री मांग को देखते हुए, 25 मार्च, 2003 से जबलपुर से बी-737 सेवाएं हटा ली गई और जबलपुर को दिल्ली-ग्वालियर-जबलपुर एवं वापसी मार्ग पर डीओ-228 विमान से दोबारा जोड़ दिया गया है।

जयपुर में जून, 2002 में हुई घटना की वजह से डीओ-228 विमानों के बेड़े में कमी के दृष्टिगत, इंडियन एयरलाइंस को सितम्बर, 2002 से अन्य स्थानों जैसे शिमला, कुल्लू, देहरादून, ग्वालियर तथा धर्मशाला के साथ-साथ जबलपुर से डीओ-228 सेवाएं हटा लेनी पड़ी।

(ग) अपर्याप्त यात्री मांग तथा अपने बड़े में उपयुक्त विमानों की अनुपलब्धता की वजह से, इंडियन एयरलाइंस फिलहाल जबलपुर को/से हवाई सेवाएं पुन: शुरू करने पर विचार नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में ऋण वसूली अधिकरण

1427. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में मदुरै में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) इस समय मदुरै में एक ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय 3 ऋण वसूली अधिकरण (चेन्नई-I, चेन्नई-II और कोयम्बतूर) हैं, जिनका क्षेत्राधिकार तमिलनाडु और पांडिचेरी से संबंधित मामलों पर है। उपर्युक्त ऋण वसूली अधिकरणों के वर्तमान कार्यभार को देखते हुए तमिलनाडु और पांडिचेरी के मामलों को शामिल करने के लिए तत्काल एक अन्य ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम, 2002 में संशोधन

1428. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिरासत में हो रही मौतों और संदिग्ध लोगों के उत्पीड़न की बढ़ती चिंता के परिणामस्वरूप, उच्चतम न्यायालय ने सरकार से इन अपराधों को रोकने तथा दोषी अधिकारियों को सजा देने के लिए साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम, 2002 के संबंध में विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी, हां।

(ख) केंद्रीय सरकार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के पुनर्विलोकन पर भारत के विधि आयोग की 185वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट विभिन्न सिफारिशों का भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, भारतीय विधिज्ञ परिषद, राज्य विधिज्ञ परिषदों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से अध्ययन कर रही है। चूंकि रिपोर्ट काफी बड़ी है और इसका गहन अध्ययन तथा इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना है, अत: इस विषय पर अंतिम विनिश्चय किए जाने में कुछ समय लगेगा।

आर्थिक सुधार

1429. श्री तथागत सत्पथी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक सुधारों संबंधी कोई एजेण्डा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में, क्षेत्रवार आर्थिक सुधारों के आरम्भ होने के पश्चात् किस हद तक प्रगति की गई है;

(घ) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में आर्थिक सुधारों को गति प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) आर्थिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है तथा उन्हें क्रियान्वित करने वाले नीति लेखपत्रों की समय-समय पर प्रचलित स्थिति की रोशनी में समीक्षा की जाती है। सरकार ने अब राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) को अपनाया है जिसमें सात स्पष्ट आर्थिक उद्देश्यों के बारे में बताया गया है:

1. दीर्घावधि के लिए 7-8 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर कायम रखना;
2. गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना;
3. कृषि, विनिर्माण तथा सेवाओं में लाभकारी रोजगार सृजित करना और निवेश को बढ़ावा देना;
4. न्यूनतम मजदूरी पर प्रत्येक परिवार में 100 दिवसीय रोजगार सुनिश्चित कराना;
5. कृषि एवं ढांचागत क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना;
6. राजकोषीय समेकन तथा सुधार में तेजी लाना; तथा
7. उच्च एवं अधिक दक्ष राजकोषीय अन्तरण का सुनिश्चय करना।

एनसीएमपी के इन व्यापक उद्देश्यों से, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए विशिष्ट नीतियां तैयार करने तथा उचित कार्यक्रम की अभिकल्पना के लिए ढांचा उपलब्ध होगा। योजना आयोग ने मंत्रालयों तथा विभागों को अपनी प्राथमिकताएं पुन: स्पष्ट करने तथा एनसीएमपी के अनुसार अपने कार्यक्रमों का पुनर्निर्माण करने की सलाह दी है।

सीमेंट विनिर्माता

1430. श्री महबूब जाहेदी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट विनिर्माताओं के लिए ऐसे समय में जब मानसून आने से सीमेंट के मूल्यों पर असर पड़ रहा है स्वदेशी कोयले का मूल्य बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र के कुछ बाजारों में सीमेंट का मूल्य बढ़ना आरंभ हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ए.सी.सी. सीमेंट, जो पूरी तरह से गैर-कुकिंग कोयले पर निर्भर है, के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि विश्लेषणों से इसकी कीमत में 4 रुपये की वृद्धि की आशंका की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो क्या मानसून के आने से हुई मूल्य वृद्धि से देश में निर्माण गतिविधियों की गति धीमी हो जाएगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सीमेंट के मूल्य बाजार में मांग और आपूर्ति के अनुसार तय होते हैं और ये सीमेंट उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले किसी विशेष कारक पर निर्भर नहीं करते। मानसून आने पर निर्माण के कार्यकलाप कम हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप सीमेंट की मांग भी कम हो जाती है और इसके मूल्य भी गिर जाते हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के आरम्भ से पश्चिमी क्षेत्र के चुनिंदा उपभोग केन्द्रों (मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे, राजकोट, बड़ौदा और सूरत) में सीमेंट के मूल्यों में किसी असामान्य गिरावट का पता नहीं चलता

(ङ) देश में कोयले की कीमतों में वृद्धि से सीमेंट के उत्पादन लागत में मामूली वृद्धि हो सकती है।

(च) जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है, सामान्यत: मानसून के महीनों में निर्माण कार्यकलाप कम हो जाते हैं और मूल्य भी कम रहते हैं।

उड़ीसा में विश्व बैंक से सहायताप्राप्त परियोजनाएं

1431. श्री परसुराम माझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में क्रियान्वित की जा रही विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राज्य क्षेत्र परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य के के.बी.के. जिलों में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त जिलों में कब से परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) उड़ीसा में के.बी.के. जिलों सहित विश्व बैंक की सहायता से दो राज्य क्षेत्रक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर होने/ समापन की तारीख	ऋण की राशि (विशेष आहरण अधिकार-मिलियन में)	31.5.04 तक किए गए संवितरण (विशेष आहरण अधिकार-मिलियन में)
1.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	5.1.96/30.9.04	279.0	170.919
2.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	13.8.98/31.3.05	76.4	18.813

खाड़ी में सीमेंट की मांग

1432. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी में सीमेंट की मांग से पूर्व तटीय इकाइयों के लिए निर्यात बाजार खुल गया है;

(ख) क्या निर्यात मूल्यों में अब तक 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय निर्यातक अधिक मूल्यों पर पश्चिम एशियाई आयातकों की सदा बढ़ाने वाली मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं;

(घ) मांग के मुकाबले कितनी मात्रा में सीमेंट का निर्यात किया गया और निर्यातकों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) निर्यात से कितना लाभ कमाया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) खाड़ी में सीमेंट की मांग से तटीय क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए निर्यात बाजार खुल गया है। निर्यात मूल्यों में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। भारतीय निर्यातकों को जो आर्डर प्राप्त हो रहे हैं, उनकी संपूर्ण मांग को पूरा करने में भारतीय निर्यातक समर्थ हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय सीमेंट उद्योग द्वारा वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान पश्चिमी एशिया के देशों सहित सभी देशों को निर्यात किए गए सीमेंट/क्लिंकर की मात्रा क्रमश: 6.2 मिलियन टन तथा 9.00 मिलियन टन थी। इससे पता चलता है कि भारतीय निर्यातक आयात करने वाले देशों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में समर्थ हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा है और सीमेंट के मौजूदा मूल्य केवल सीमेंट उत्पादन की लागत को वसूल करने के लिए ही पर्याप्त हैं।

राज्यों के मंत्रिमण्डल को छोटा करना

1433. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संविधान (97वां संशोधन) विधेयक, 2003 के अनुसार उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके लिए अपने मंत्रियों की संख्या कम करना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे सभी राज्यों ने मंत्रियों की संख्या में कमी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चीन की कंपनियों के विरुद्ध पाटनरोधी मामला

1434. श्री अधीर चौधरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चीन की कंपनियों के विरुद्ध कोई पाटन रोधी मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 1.1.2003 से आज की तारीख तक पाटन रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी) ने आठ उत्पादों के आरोपित पाटन की पाटनरोधी जांच शुरू की है जिनमें चीन के निर्यातक शामिल हैं। इन पाटनरोधी जांचों में शामिल उत्पाद हैं- टाइटेनियम डाई आक्साईड, फ्लैक्सीबल स्लैब स्टाक पालीओर, क्लोरोक्वीन फास्फेट, मैलामाइन, नाइलोन टायर कोर्ड फैब्रिक, माइका पर्ल पिगमेंट, नैरो वोवन फैब्रिक तथा कुछ प्रकार के रबड़ रसायन।

(ग) इन 8 मामलों में से पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए टाइटेनियम डाई आक्साइड के मामले में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित कर दिए गए हैं, फ्लैक्सीबल स्लैब स्टाक पालीओल, क्लोरोक्वीन फास्फेट, मैलामाइन और नाइलोन टायर कोर्ड फैब्रिक के मामलों में प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए गए हैं तथा शेष 3 मामले जांचाधीन हैं।

ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में चीनी उद्योग

1435. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वाणिज्य बैंकों द्वारा चीनी उद्योग को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने के लिए पात्र बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ऋण-जमा अनुपात

1436. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण-जमा (सीडी) अनुपात का राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक न्यूनतन सीडी अनुपात के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सीडी अनुपात स्थिर रहा है और इसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के सीडी अनुपात में वृद्धि हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनानुसार पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण-जमा अनुपात का राज्य-वार एवं बैंक-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से अखिल भारतीय आधार पर 60% का ऋण-जमा अनुपात प्राप्त करने के लिए कहता रहा है, फिर भी अब तक सिर्फ बैंक आफ इंडिया, कारपोरेशन बैंक, स्टेट बैंक आफ इंदौर, स्टेट बैंक आफ मैसूर तथा स्टेट बैंक आफ पटियाला ही वर्ष 2003-04 के दौरान उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में थोड़ा-थोड़ा अंतर रहा है जो 31 मार्च, 2001, 2002 तथा 2003 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 56.96%, 58.51% तथा 56.38% था।

(ङ) और (च) बैंकों और राज्यों का ऋण-जमा अनुपात राज्यों को ऋण के प्रवाह पर निर्भर करता है जो पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, कोर क्षेत्र की परियोजनाओं के विकास, बड़े और मझौले उद्योगों, उद्यमी पहल, राज्य की ऋण क्षमता,

निदेशानुकूल वातावरण तथा बैंकों की देयराशियों की संतोषजनक वसूली स्थिति जैसे तथ्यों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में राज्य में ऋण के प्रवाह में वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की पहल करना भी राज्य सरकार के हाथ में है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में राज्य के ऋण-जमा अनुपात तथा वहां पर बैंकों के कार्यकरण की नियमित निगरानी के लिए समय-समय पर अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्य-वार ऋण-जमा अनुपात—2002-2004

प्रतिशत

31 मार्च की स्थिति के अनुसार

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002	2003	2004
1	2	3	4
अंडमान एवं निकोबार	18.61	20.95	23.98
आंध्र प्रदेश	64.14	65.01	67.39
अरुणाचल प्रदेश	11.74	13.82	14.83
असम	32.07	28.44	30.28
बिहार	21.38	23.40	25.22
चंडीगढ़	134.31	131.36	117.66
छत्तीसगढ़	49.07	41.29	42.80
दादर एवं नगर हवेली	17.25	17.46	17.02
दमन एवं दीव	9.81	9.01	10.14
दिल्ली	94.08	69.32	62.62
गोवा	24.85	22.88	21.77
गुजरात	43.19	42.73	41.81
हरियाणा	45.89	48.12	53.62
हिमाचल प्रदेश	23.00	24.93	30.27
जम्मू-कश्मीर	20.88	21.10	21.85
झारखंड	24.16	25.99	26.17
कर्नाटक	63.74	67.30	68.88
केरल	42.17	43.73	48.87
लक्षद्वीप	8.36	5.11	6.32

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	47.70	48.35	48.45
महाराष्ट्र	92.68	88.82	74.65
मणिपुर	24.47	26.92	27.95
मेघालय	17.82	29.73	38.50
मिजोरम	24.36	25.11	37.48
नागालैंड	12.90	13.25	17.48
उड़ीसा	41.73	45.90	54.79
पांडिचेरी	30.11	31.41	34.27
पंजाब	43.31	42.81	44.16
राजस्थान	51.20	54.12	61.49
सिक्किम	16.02	17.32	22.25
तमिलनाडु	77.72	80.45	83.14
त्रिपुरा	19.58	23.07	22.61
उत्तर प्रदेश	29.90	30.83	33.70
उत्तरांचल	22.86	18.45	19.90
पश्चिम बंगाल	46.83	48.20	49.72

विवरण-II

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बैंक-वार ऋण-जमा अनुपात—2002-04

प्रतिशत

बैंक का नाम	31 मार्च के अनुसार		
	2002	2003	2004
1	2	3	4
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	54.76	55.55	59.30
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	52.64	50.31	52.22
भारतीय स्टेट बैंक	71.45	60.61	57.85
स्टेट बैंक आफ इंदौर	58.02	58.19	66.07

1	2	3	4
स्टेट बैंक आफ मैसूर	63.01	63.20	61.23
स्टेट बैंक आफ पटियाला	69.26	62.48	60.02
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	60.31	54.53	52.67
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	57.28	60.87	58.42
इलाहाबाद बैंक	53.84	54.52	52.62
आंध्रा बैंक	54.54	55.66	59.78
बैंक आफ बड़ौदा	57.85	55.38	49.76
बैंक आफ इंडिया	63.62	63.94	63.08
बैंक आफ महाराष्ट्र	47.07	46.89	48.87
केनरा बैंक	53.47	57.49	57.59
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	51.76	51.17	46.18
कारपोरेशन बैंक	59.56	55.35	61.96
देना बैंक	56.50	57.15	56.65
इंडियन बैंक	51.62	51.16	53.71
इंडियन ओवरसीज बैंक	47.66	48.32	50.14
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	53.23	57.29	58.63
पंजाब नेशनल बैंक	47.61	49.93	48.96
पंजाब एंड सिंध बैंक	57.54	56.63	57.00
सिंडिकेट बैंक	52.67	50.80	46.77
यूको बैंक	51.11	55.92	56.13
यूनियन बैंक आफ इंडिया	56.95	60.93	62.28
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	41.33	39.60	38.82
विजया बैंक	44.28	48.55	53.93

विमान मालभाड़ा प्रभार

1437. श्री सुरेश कुरूप: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विमान मालभाड़ा प्रभारों में अंतर के कारण भारत के कुछ कृषि उत्पादों की कीमतें महाद्वीप के पड़ोसी देशों द्वारा निर्यात किए जा रहे उन्हीं उत्पादों की तुलना में अधिक रखनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) सरकार ने हवाई मालभाड़ा प्रभारों को नियमित नहीं किया है। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में हवाई प्रचालक मांग और पूर्ति परिस्थितियों के अनुसार कीमत चार्ज करती है।

[हिन्दी]

वस्त्र व्यापार में कमी

1438. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में वस्त्र व्यापार में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000-01, 2001-02 और 2002-03 में वस्त्रों का व्यापार निम्नलिखितानुसार रहा है:-

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

	अप्रैल-मार्च 2000-2001	अप्रैल-मार्च 2001-2002	अप्रैल-मार्च 2002-2003	अप्रैल-फरवरी 2002-2003	अप्रैल-फरवरी 2003-2004
निर्यात	12037.6	10764.7	11842	11142.2	11698.5
%वृद्धि	—	-10.6%	10.0%	—	5.0%
आयात	1168.2	1539.4	1578.9	1497.7	1824.9
%वृद्धि	—	31.8%	2.6%	—	21.8%
कुल व्यापार	13205.8	12304.1	13420.9	12639.9	13523.4
%वृद्धि	—	-6.8%	9.1%	—	7.0%

(ख) बढ़ती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए घरेलू वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के वास्ते केन्द्रीय बजट 2004-05 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी हैं:-

* टेक्स्चराइज्ड यार्न, सिंथेटिक और कृत्रिम फाइबरों तथा सिंथेटिक और कृत्रिम फिलामेंट यार्न सहित पालिएस्टर फिलामेंट यार्न पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समस्त मूल्य श्रृंखला को उत्पाद शुल्क के विकल्प से छूट दी गई है।

* वस्त्र और वस्त्र मदों (एटीएंडटी) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है।

* विभिन्न वस्त्र मशीनरी और कुल-पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने और बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। उठाए गए कुछ

महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गयी है।

(2) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिगत उपायों से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा।

(3) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए अपैरल पार्क निर्यात योजना नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की गई है।

(4) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

आयात और निर्यात

1439. श्री सुरेश चन्देल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान भारत द्वारा कितना आयात तथा निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मुख्य रूप से किन उत्पादों का निर्यात किया गया तथा प्रत्येक उत्पाद का कितनी मात्रा का निर्यात हुआ;

(ग) क्या भारत से निर्यात लगातार घट रहा है तथा हाल के दिनों में भारत में आयात बढ़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) निर्यात को प्रोत्साहित करने और आयात को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) डी जी सी आई एण्ड एस, कोलकाता द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003-04 में भारत के निर्यात और आयात क्रमश: 61.8 बिलियन अमरीकी डालर और 75.2 बिलियन अमरीकी डालर के हुए थे। अप्रैल-फरवरी, 2003-04 के दौरान निर्यातित प्रमुख वस्तुएं विवरण में दी गई हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। पिछले 2 वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में जहां आयातों में वृद्धि हुई हैं वहीं निर्यातों में भी उर्ध्वगामी प्रवृत्ति बनी रही है। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान निर्यातों में डालर के रूप में क्रमश: 20.34% तथा 17.26% की वृद्धि हुई थी और अप्रैल-मई, 2004-05 में इनमें पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.86% की वृद्धि हुई थी। वस्तुत: पिछले 2 वर्षों में निर्यातों में लक्षित वृद्धि से अधिक बढ़ोत्तरी हुई। स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा निर्यातों का संवर्धन करके और संवेदनशील मदों के आयातों की मानीटरिंग करके, दोनों प्रकार से सतत प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से जनवरी, 2002 में एक मध्यावधि निर्यात कार्यनीति घोषित की गई थी जो दसवीं योजना अवधि (2002-07) की सह-अवसानी है। इस कार्यनीति के अनुरूप अनेक कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की गई हैं जिनमें निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.आई.), कृषि निर्यात जोनों की स्थापना, बाजार पहुंच पहल, "फोकस-एल ए सी" कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण, "फोकस-अफ्रीका" कार्यक्रम शुरू करने आदि जैसी स्कीमें शामिल हैं। एक्जिम नीति, 2003-04 और जनवरी, 2004 में घोषित एकजीम सुविधाकारी उपायों में सेवा निर्यातों और विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) के सुदृढ़ीकरण से संबंधित नीतियों पर विशेष ध्यान देने के अलावा "फोकस-सी आई एस" नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस प्रकार भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिए समय-समय पर उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

प्रमुख वस्तुओं का निर्यात : अप्रैल-फरवरी, 2003-04

(मिलि. अम. डालर)

वस्तुएं		अप्रैल-फरवरी 2002-2003	अप्रैल-फरवरी 2003-2004	प्रतिशत	
				वृद्धि	भार
1	2	3	4	5	6
I.	बागान	501.00	519.00	3.59	0.93
II.	कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	4264.00	4633.00	8.65	8.32

1	2	3	4	5	6
III.	समुद्री उत्पाद	1304.00	1219.00	-6.52	2.19
IV.	अयस्क एवं खनिज	1809.00	1950.00	7.79	3.50
V.	चमड़ा एवं उसके विनिर्माण	1703.00	1826.00	7.22	3.28
VI.	रत्न एवं आभूषण	8083.00	9277.00	14.77	16.65
VII.	खेल सामान	68.00	84.00	23.53	0.15
VIII.	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	7125.00	8654.00	21.46	15.53
IX.	इंजीनियरी सामान	6828.00	9215.00	34.96	16.54
X.	इलेक्ट्रानिक सामान	1167.00	1545.00	32.39	2.77
XI.	परियोजना सामान	48.00	75.00	56.25	0.13
XII.	वस्त्र	9942.00	10643.00	7.05	19.10
XIII.	हस्तशिल्प	692.00	396.00	-42.77	0.71
XIV.	कालीन	498.00	523.00	5.02	0.94
XV.	अपशिष्ट सहित अपरिष्कृत कपास	7.00	135.00	1828.57	0.24
XVI.	पेट्रोलियम उत्पाद	2228.00	3221.00	44.57	5.78
XVII.	अवर्गीकृत निर्यात	871.00	1801.00	106.77	3.23
	कुल योग	47136.11	55717.00	18.20	100.00

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों के आधार पर आर्थिक प्रभाग, वाणिज्य विभाग द्वारा परिकलित।

[अनुवाद]

मुंबई स्टाक एक्सचेंज की सूची से निकाली गई कंपनियां

1440. **श्री विजय कृष्णा:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई स्टाक एक्सचेंज ने कई कंपनियों को अपनी सूची से अलग कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं तथा उनको हटाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी कंपनियों के प्रवर्त्तकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ताकि ऐसी कंपनियों के शेयरधारकों/निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके; और

(घ) पिछले तीन वर्ष से आज की तारीख तक सरकार द्वारा किन-किन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चाय का निर्यात

1441. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी चाय का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) किन-किन देशों को चाय का निर्यात किया जाता है; और

(घ) भविष्य में कितनी चाय का निर्यात किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) पिछले दो वित्त वर्षों (2002-03 एवं 2003-04) और चालू वित्त वर्ष 2004-05 के पहले दो महीनों (अप्रैल-मई) के दौरान निर्यातित चाय की मात्रा तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मात्रा (मिलि. कि.ग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु.)	मूल्य (मिलि. अम. डालर)
2002-03	184.40	1665.04	344.05
2003-04	180.43	1552.61	345.02
2004-05 (अप्रैल-मई)	23.05	181.28	40.81

(ग) भारत से चाय का निर्यात विश्व के 80 से अधिक देशों को किया जाता है। भारत से चाय के प्रमुख आयातकर्त्ता देशों में रूसी परिसंघ, कजाकिस्तान, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड, यू एस ए, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, अफगानिस्तान, श्रीलंका, केन्या, जापान, पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया शामिल हैं।

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान भारत से चाय के निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य 200 मिलियन किलोग्राम का है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों के लिए कोष

1442. श्री नीतीश कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-2005 के दौरान लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष गठित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस कोष में जमा की गई राशि में वर्तमान में कितनी राशि शेष है तथा कितनी राशि वितरित की गई; और

(घ) यदि इस कोष का गठन अभी तक नहीं हुआ है तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) जी, हां। लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने के उद्देश्य से तथा बदलते हुए माहौल में लघु तथा मझौले उद्यमों को जीवनक्षम व प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जनवरी, 2004 में 10,000 करोड़ रुपये के एक एसएमई फंड की घोषणा की गई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को उक्त फंड के लिए पद्धतियां एवं कार्यान्वयन की रूपरेखा बनाने का काम सौंपा गया है। इस फंड का उद्देश्य लघु तथा मझौले उद्यमों को समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराना और लघु तथा मझौले उद्यम क्षेत्र को प्रौद्योगिकी विकास, उद्यम वित्त-पोषण, समूह विकास, लघु ऋण, ब्याज दर में सुविधा और अन्य संवर्धनात्मक व विकासात्मक गतिविधियों के व्यापक क्षेत्र में विशेषकर छोटे स्तर पर लाभान्वित करना है।

उक्त 10,000 करोड़ रुपये की समूची राशि दो वर्षों की अवधि में स्वयं सिडबी के अंशदान तथा अन्य कर्जों से ही जुटाई जानी है। इसके अतिरिक्त, विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज देने में हुई त्रुटि के फलस्वरूप प्राप्त हुई जमा राशि को भी कार्पस फंड के लिए चिन्हित कर दिया गया है। अब तक 535 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्रीकर संबंधी बकायों का भुगतान

1443. श्री अनवर हुसैन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार के बार-बार के अनुरोध के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने असम को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से प्राप्त बिक्री कर के बकायों का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो असम को जारी की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है और इसे जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने कौन से सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं

1444. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार संचालित विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाली निर्यात फर्मों का सरकार द्वारा राज्य-वार ब्यौरा रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी निर्यात फर्मों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सुविधाओं का दुरूपयोग करने वाली निर्यात फर्मों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए सरकार के पास कौन सा तंत्र है तथा इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं;

(घ) निर्यात प्रोत्साहन योजना के दुरूपयोग के संबंध में सरकार को जिन कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, नहीं। विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों का लाभ उठाने वाली निर्यात फर्मों के राज्य-वार आंकड़ों का संकलन नहीं किया जा रहा है। तथापि, डी जी एफ टी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर वर्ष 2003-04 की अवधि के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत 2,21,108 अनुमोदन जारी किए गए हैं।

(ग) डी जी एफ टी के क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों का दुरूपयोग नहीं हो रहा है, समय-समय पर निर्यातक/निर्यातक फर्मों के निर्यात दायित्वों की निगरानी करते हैं। जब कभी दुरूपयोग या निर्यात दायित्वों को पूरा न करने की घटना की जानकारी मिलती है, तो विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और अन्य संगत अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) निर्यात संवर्धन स्कीम के दुरूपयोग के संबंध में सरकार को प्राप्त शिकायतों की संख्या के कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, जब भी शिकायतें मिलती हैं, निर्यातक/निर्यातक फर्म के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

कानपुर शुगर वर्क्स की यूनिटों को बंद किया जाना

1445. श्री मोहन सिंह:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर शुगर वर्क्स के अंतर्गत चलने वाली गौरी बाजार, कथकुंइयां और पडरौना मिलों और वस्त्र मंत्रालय की आनंदनाग, देवरिया और कुशीनगर चीनी मिलें पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान तथा किसानों को गन्ने के बकाया भुगतान के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या सरकार इन मिलों के पुनरुद्धार पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन मिलों को निजी क्षेत्र को बेचने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड (सी एस डब्ल्यू एल) में ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड (बी आई सी) के शेयरों का हस्तांतरण बी आई एफ आर के निर्देशों पर जनवरी, 1999 में गंगोत्री इंटरप्राइजेज लि. (जी.ई.एल.) के पक्ष में किया गया था।

गणेश शुगर मिल, स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि. (एस एम एम सी) की एक इकाई है। एस एम एम सी, बी आई एफ आर की सिफारिशों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परिसमापन आदेशों के अधीन है। इसलिए, गन्ना/कामगारों की बकाया राशि का परिसमापन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी परिसमापक द्वारा किया जाएगा।

[अनुवाद]

सेबी का कार्यकरण

1446. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी के कार्यकरण में अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या सेबी में अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की आगे की जांच को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य विकासशील देशों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद अनुपात

1447. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में कर सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अनुपात में वृद्धि के लिए उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) विश्व बैंक के दस्तावेज "वर्ल्ड डेवलेपमेंट इन्डिकेटर्स" में किए गए उल्लेखानुसार, भारत सहित चुनिंदा विकासशील देशों का कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात निम्नानुसार है:-

सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व

देश	1999	2000	2001
अर्जेन्टीना	12.6	12.9	12.5
बंगलादेश	—	7.0	7.0
चीन	6.1	6.8	6.8
कोलंबिया	10.6	10.8	10.8
भारत	9.1	9.6	10.0
इंडोनेशिया	15.7	16.5	13.2
मेक्सिको	11.7	12.3	13.2
पाकिस्तान	13.1	12.1	12.4
श्रीलंका	14.9	14.5	14.6
थाईलैण्ड	13.7	14.1	14.5

स्रोत: विश्व बैंक वर्ल्ड डेवलेपमेंट इन्डिकेटर्स 2001, 2002, 2003

(ग) और (घ) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार को मुख्य कर सुधारों, जिससे कर-दाताओं का आधार बढ़ता है, और कर की अनुवृत्ति में वृद्धि लाने और कर प्रशासन को अधिक कार्यकुशल बनाकर कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायित्व सौंपता है। 2004-05 के केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित उपायों को 8 जुलाई, 2004 को संसद में पेश किया गया, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ अनिवासी (विदेशी) लेखा से प्राप्त ब्याज पर से छूट वापस लेना, 25000 रु. की आरंभिक सीमा से अधिक के गैर-रिश्तेदार व्यक्ति से प्राप्त उपहार पर लगाना, सामग्रियों और सेवाओं पर कर को एकीकृत करने की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से विभिन्न सामग्रियों और सेवाओं पर सेवा कर और उत्पाद शुल्क लगाना, अधिक सेवाओं पर सेवा कर का विस्तार करना और सेवा कर की दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना, शामिल है। वर्ष 2004-05 के बजट अनुमानों से कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में 2003-04 (सं.अ.) में 9.2 प्रतिशत से 10.2 प्रतिशत के सुधार को दर्शाता है।

अप्रवासी भारतीय के जमा धन पर ब्याज

1448. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनिवासी भारतीयों के जमा धन पर अधिकतम कितने प्रतिशत ब्याज देने का निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या वर्तमान में ब्याज प्रतिशत आकर्षक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनिवासी भारतीयों के जमा धन पर ब्याज के निर्धारण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कौन से मानदंडों का क्रियान्वयन किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (घ) एक से तीन वर्ष की एनआरई मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर तदनुरूपी परिपक्वता की अमरीकी डालर के लिए एलआईबीओआर/स्वैप पर निर्धारित की गई थी जो 17 अप्रैल, 2004 से प्रभावी है, जबकि एन आर ई बचत जमाराशियों की ब्याज दर की उच्चतम सीमा छमाही अमरीकी डालर एलआईबीओआर/स्वैप दर पर निर्धारित की गई थी। एक से तीन वर्ष की एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें तद्नुरूपी परिपक्वताओं के लिए तदनुरूपी मुद्रा की एलआईबीओआर/स्वैप की उच्चतम सीमा से 25 आधार अंक कम के अध्यधीन हैं।

(ख) और (ग) इन जमाराशियों पर ब्याज दरें एलआईबीओआर/स्वैप दर से जुड़ी हुई हैं। ये दरें अमरीकी डालर, पौंड, स्ट्रलिंग, यूरो आदि में विदेशी मुद्रा जमाराशियों की विश्व ब्याज दरों के सामान्यतया अनुरूप होती है तथा काफी प्रतियोगी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल

1449. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से तिरूवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा देश के अन्य हवाई अड्डों पर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई टर्मिनलों के निर्माण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्ताव के लिए सरकार ने आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) केरल राज्य सरकार की ओर से मौजूदा त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे की पूर्वी तरफ एक नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल बनाने का एक प्रस्ताव है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नये टर्मिनल भवन का डिजाइन बनाने के लिए एक विश्वव्यापी फर्म/संघ की नियुक्ति के लिये कार्रवाई की है। रुचि-अभिव्यक्तियों की छानबीन करके उन्हें अल्पसूचीगत कर लिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण परियोजना की संस्वीकृति के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय टर्मिलन के लिए पैनल में डाले गए वास्तुकारों द्वारा प्रस्तुत डिजाइन का न्यायनिर्णयन करने वाली ज्यूरी के निर्णय के आधार पर, एएआई के समक्ष प्राधिकारी आवश्यक अनुमोदन, लिया जाएगा और उसके बाद अगली आवश्यक संस्वीकृति के लिए विस्तृत अनुमान तैयार किए जाएंगे।

सेबी द्वारा कंपनियों की जांच

1450. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ ब्रोकरों और सब-ब्रोकरों से लेखापुस्तकों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं तथा ऐसी लेखापुस्तकों को मांगने के मानदंड क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेबी द्वारा की गई जांच में दोषी पाई गई कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(घ) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तंबाकू का निर्यात

1451. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तंबाकू के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कुछ देशों में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगने से तंबाकू के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। वर्ष 2003-04 के दौरान तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के निर्यात में मात्रा के रूप में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार वर्ष 2003-04 के दौरान अनिर्मित तंबाकू के निर्यातों में मात्रा के रूप में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ख) भारत से तंबाकू के प्रमुख आयातक देश रूस, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फ्रांस, यमन और डी पी आर कोरिया हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

1452. **श्री उदय सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार एक उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान निवेश में गिरावट और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से देश में निवेश वृद्धि को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने में किस हद तक सफलता मिलेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार ने एक उदार व पारदर्शी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति अपनाई है तथा एक छोटी सी नकारात्मक सूची को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रकों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रखा गया है। कुछेक क्षेत्रों के सिवाय, जहां उच्चतम सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया है, अधिकतर क्रियाकलापों/क्षेत्रकों को स्वचालित मार्ग में 100 प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है।

वर्ष 2004-2005 के बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए क्षेत्रक सीमा बढ़ाकर दूरसंचार में 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत, नागर विमानन में 40 प्रतिशत से 49 प्रतिशत और बीमा में 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू निवेश 1995-96 में 26.9 प्रतिशत से गिरकर 1998-99 में 22.6 प्रतिशत हो गया। यद्यपि 1999-2000 में यह बढ़कर 25.2 प्रतिशत हो गया, वर्ष 2000-2001 में यह फिर गिरकर 24 प्रतिशत हो गया तथा 2001-2002 में और गिरकर 23.7 प्रतिशत पर आ गया। यह गिरावट सकल घरेलू उत्पाद के प्रति सार्वजनिक और निजी निवेश, दोनों के अनुपातों में गिरावट के कारण हुई थी। वास्तविक बेरोजगारों की संख्या 1993-1994 में 20 मिलियन से बढ़कर 1999-2000 में 27 मिलियन हो गई। बेरोजगारी का विस्तार भी (श्रमिक बल के प्रतिशत के रूप में बेरोजगारों के अर्थ में व्यक्त) 1993-94 में 5.99 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 7.32 प्रतिशत हो गया। तथापि, सेवाओं के अंतर्गत सभी उप-क्षेत्रकों में रोजगार अभिवृद्धि 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक रही है।

(घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश घरेलू निवेश को अनुपूरित करता है और इस प्रकार समग्र उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने में सहायता करता है।

[हिन्दी]

राज्यों का ऋणभार

1453. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों के ऋणभार में भारी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2004 की तारीख के अनुसार बाह्य और आंतरिक ऋणभार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सकल घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में राष्ट्रीय औसत की तुलना में ऋण सेवा का ब्यौरा क्रमश: क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्यों के ऋणभार को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। राज्य सरकारों का बकाया ऋण 1981 में 23,959 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2004 (बजट अनुमान) में 778144 करोड़ रुपए हो गया।

(ख) आंतरिक ऋण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के कालम 3 में दर्शाया गया है। राज्यों के पास कोई विदेशी ऋण नहीं है।

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद में ऋण सेवा का ब्यौरा संलग्न विवरण के कालम 4 में दिया गया है।

(घ) भारत सरकार ने एक ऋण विनिमय स्कीम निरूपित की है, जो राज्यों को कम कूपन वाली लघु बचतों और खुले बाजार से अतिरिक्त उधार लेकर 13 प्रतिशत और उससे अधिक ब्याज दर वाले राज्य सरकार के उच्च लागत वाले भारत सरकार के ऋण, जो 31.3.2002 की यथास्थिति अनुसार 1,14,000 करोड़ रुपए

बैठते हैं, को समय से पूर्व अदा करने के योग्य बनाते हैं। अभी तक 75,273 करोड़ रुपए की राशि का विनिमय हो चुका है। इस स्कीम से राज्यों को अपना ब्याज-भार कम करने में मदद मिली है।

भारत सरकार ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर एक ऋण राहत स्कीम भी संचालित कर रही है।

भारत सरकार ने खुले बाजार से अतिरिक्त ऋण की मदद से आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत अपने उच्च लागत वाले ऋण को पुन: वित्तपोषित करने के लिए राज्यों को समर्थ बनाने का भी निर्णय लिया है।

विनिमय किए गए उच्च लागत वाले ऋण और प्रदान की गई ऋण राहत का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के कालम 5 और 6 में दर्शाया गया है।

राज्यों को मध्यम अवधि की तुलना में राजकोषीय समेकन हेतु अपने मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। भारत सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक राज्य की 2004-05 तक की अपनी वार्षिक योजनाओं के लिए उधार लेने की वार्षिक सीमा निर्धारित की है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	कुल आंतरिक ऋण	जी.एस.डी.पी. के % के रूप में ऋण सेवा	विनिमय किया गया सकल ऋण (01.07.2004 तक)	ई.एफ.सी. के अधिनिर्णय के अंतर्गत ऋण राहत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	57574	5.4	4969.23	77.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	1118	8.8	142.45	1.72
3.	असम	15043	7.3	1301.12	—
4.	बिहार*	49882	7.9	3126.53	—
5.	छत्तीसगढ़	—	3.5	920.26	—
6.	गोवा	3449	5.5	362.49	—
7.	गुजरात	55318	4.4	7570.75	—
8.	हरियाणा	19712	4.2	2332.23	—
9.	हिमाचल प्रदेश	13035	13.7	1233.72	—
10.	जम्मू-कश्मीर	11916	9.3	919.59	—
11.	झारखंड	—	3.1	1330.98	—
12.	कर्नाटक	38091	3.7	3704.48	—
13.	केरल	33708	4.4	2194.54	—
14.	मध्य प्रदेश*	40888	2.9	2683.40	—

1	2	3	4	5	6
15.	महाराष्ट्र	71759	2.7	8990.00	—
16.	मणिपुर	2463	18.5	137.54	2.47
17.	मेघालय	1737	6.5	115.77	—
18.	मिजोरम	1793	9.2	90.21	—
19.	नागालैंड	2904	12.1	109.01	—
20.	उड़ीसा	33756	8.7	1668.96	—
21.	पंजाब	42057	6.4	4338.98	42.11
22.	राजस्थान	48714	6.7	3981.46	—
23.	सिक्किम	908	12.4	54.61	—
24.	तमिलनाडु	44834	3.3	4542.55	7.89
25.	त्रिपुरा	3831	7.0	250.04	—
26.	उत्तर प्रदेश*	104079	5.3	8496.56	—
27.	उत्तरांचल	—	6.6	1752.21	—
28.	पश्चिम बंगाल	79575	6.1	7953.06	—
	कुल	778144	(जीडीपी) 4.00	75272.73	131.71

*बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल नामक नए बने राज्यों की देयताएं शामिल हैं।

स्रोत: कालम 3 भारतीय रिजर्व बैंक-राज्य वित्त 2003-04

[अनुवाद]

रत्न और जवाहरात का निर्यात

1454. श्री काशीराम राणा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रत्न और जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद को पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात से कितनी धनराशि अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) मुख्य बाजारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों के निर्यात की स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) वर्ष 2003-04 के दौरान रत्न एवं आभूषण निर्यात क्षेत्रों में रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी जे ई पी सी) के लिए 10 प्रतिशत निर्यात वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। रत्न एवं आभूषण के निर्यात से 992 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में उपर्युक्त अवधि के दौरान 10545 मिलियन अमरीकी डालर की उपलब्धि रही है।

(ग) रत्न एवं आभूषण के निर्यात हेतु जी जे ई पी सी के थ्रस्ट बाजार यू एस ए, हांगकांग, बेल्जियम, इजराइल और यू ए ई बने रहे। तथापि, जी जे ई पी सी हमेशा नए बाजारों का पता लगाने के प्रयास करता है।

(घ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान तराशे और पालिश किए गए हीरों के निर्यात संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

निर्यात संबंधी अनसुलझे मुद्दे

1455. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय के समक्ष कई निर्यात संबंधी अनसुलझे मुद्दे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाणिज्य मंत्रालय ने इन मुद्दों पर वित्त मंत्रालय से बात की है;

(घ) यदि हां, तो क्या निर्यात संबंधी लंबित मुद्दों को सुलझाने में विलम्ब होने के कारण निर्यात के लक्ष्यों तथा निर्यात वृद्धि होने पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो निर्यात को और बढ़ावा देने हेतु सरकार किन ठोस योजनाओं को तैयार करने का विचार रखती है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) निर्यात से संबंधित मुद्दों पर वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श की प्रक्रिया सततगामी प्रक्रिया है जब कभी वित्त मंत्रालय के बारे में निर्यात से संबंधित मुद्दे उठते हैं, तब इन्हें डी जी एफ टी/वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

काजू उद्योग पर संकट

1456. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश का परम्परागत काजू उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन विभिन्न सहायता योजनाओं को पुन: शुरू करने का है जो राज्य में उन उद्योगों को सहायता देने हेतु चल रही थीं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों से काजू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वियतनाम द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक रूप से कम कीमत के कारण भी समस्याओं का सामना कर रहा है।

(ग) सरकार द्वारा काजू निर्यात संवर्धन परिषद के जरिए मूल्यवर्धित रूप/उपभोक्ता पैकों में काजू गिरी हेतु सुविधाओं की स्थापना/उनमें सुधार, प्रक्रियागत सुधार द्वारा गुणवत्ता उन्नयन, अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत प्रमाणन योजना के कार्यान्वयन और फ्लेक्सी पाउच वैक्यूम पैकिंग प्रणाली शुरू करने के लिए काजू निर्यातकों को सतत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

इलेक्ट्रानिक नीलामी प्रणाली

1457. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रानिक नीलामी प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रणाली के प्रयोग से भ्रष्टाचार को किस हद तक रोका जा सकेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) चाय की नीलामियों के लिए इलेक्ट्रानिक नीलामी प्रणाली शुरू की गई है।

(ख) चाय बोर्ड के नए इंटरनेट आधारित इंडिया टी पोर्टर के तहत कोयम्बटूर और गुवाहाटी में चाय की इलेक्ट्रानिक नीलामी शुरू की गई है। यह एक ऐसी स्कीम का भाग है जिसमें सिलीगुड़ी, कोलकाता, कोच्ची और कुन्नूर स्थित अन्य निलामी केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा चाय बोर्ड ने कुन्नूर में मै. टी सर्व जो कि उत्पादकों की एक सहकारी सोसायटी है, संचालित एक नीलामी केंद्र को लाइसेंस प्रदान किया है। चाय बोर्ड ने जलापईगुड़ी स्थित एक इलेक्ट्रानिक केंद्र के लिए भी लाईसेंस जारी किया है।

(ग) चाय में उक्त नई इलेक्ट्रानिक नीलामी प्रणाली से सौदों में अधिक पारदर्शिता आने की संभावना है क्योंकि नीलामियों में बिक्री हेतु प्रस्तुत समस्त चाय की बोली से संबद्ध समग्र पूर्ववृत्त रखने का प्रावधान है। इस प्रणाली से स्वयं बिक्री संविदाएं और डिलीवरी आर्डर मिलेंगे जिनसे बिक्री कर की किसी संभावित चोरी को समाप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बेचे गए प्रत्येक लाट के बारे में सूचना विनियामक निकाय सहित प्रणाली के सभी प्रयोक्ताओं को उपलब्ध होगी ताकि प्रत्येक हितबद्ध पक्ष द्वारा सूचित किए गए निर्णय लिए जा सकें।

खनिज अन्वेषण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

1458. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी की अनुमति देने का है;

(ख) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों में सर्वेक्षण अभियान हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कोई वैध परमिट जारी किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का चावरा (कोल्लम) में खनिज पृथक्करण संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) से (ङ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अंतर्गत केवल भारतीय नागरिक अथवा भारत में पंजीकृत कम्पनी को ही खनिजों के गवेषण अथवा खनन के लिए टोही परमिट अथवा पूर्वेक्षण लाइसेन्स या खनन पट्टा मंजूर किया जा सकता है। इस प्रकार, खनन कानून की मौजूदा स्कीम के अंतर्गत किसी विदेशी कम्पनी को, जब तक वे अपने को भारत में रजिस्टर्ड नहीं करवा लेती और स्थानीय कारपोरेट की पहचान नहीं प्राप्त कर लेती, टोही/पूर्वेक्षण/खनन प्रचालन की अनुमति नहीं है। राज्य सरकारों की सिफारिशों पर खान तथा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय कम्पनियों के पक्ष में 165 टोही परमिट मंजूर करने के लिए अनुमोदन दिया गया है जिनमें से कई कम्पनियां विदेशी कम्पनियों द्वारा गठित सहायक कम्पनियां हैं। ब्यौरे विवरण के रूप में दिए गये हैं।

(च) और (छ) इस मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार चावरा में बीच सैण्ड प्रोसेसिंग के लिए नया संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मौजूदा दो कम्पनियां यथा मैसर्स केरला मिनरल्स एण्ड मेटल्स लि., राज्य सरकार का एक उपक्रम तथा इंडियन रेअर अर्थ्स लि., केन्द्र सरकार का एक उपक्रम, चावरा, कोल्लम जिला, केरल में बीच सैण्ड से खनिज अलग करने के अपने संयंत्र चला रही हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग ने सूचित किया है कि उसके सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम इंडियन रेअर अर्थ्स लि. की 50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चावरा में खनन और खनिज विलगन की क्षमता का विस्तार करने की योजना है।

विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित आर.पी. की संख्या	राज्य जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा आर.पी. अनुमोदित किये गए हैं	राज्य में आर.पी. की संख्या	आर.पी. के अन्तर्गत मंजूर क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)	आर.पी. के अन्तर्गत मंजूर किया गया कुल क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स डो बायर्स एण्ड सबसिडियरी कम्पनीज	24	कर्नाटक	5	7784.22	37891.22
			आंध्र प्रदेश	8	9929	
			छत्तीसगढ़	5	8975	
			उड़ीसा	5	9613	
			मध्य प्रदेश	1	1590	

1	2	3	4	5	6	7
2.	मैसर्स ए सी सी रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन लि.	24	कर्नाटक	8	9989.56	41084.25
			आंध्र प्रदेश	4	9330	
			मध्य प्रदेश	4	9621.69	
			छत्तीसगढ़	6	7960	
			उड़ीसा	4	4183	
3.	मैसर्स जियो मैसूर सर्विस (इंडिया) प्राइवेट लि.	24	कर्नाटक	10	3278	15128
			आंध्र प्रदेश	7	3425	
			छत्तीसगढ़	3	3270	
			मध्य प्रदेश	4	5155	
4.	मैसर्स एमिल माईनिंग इण्डिया प्राइवेट लि.	7	आंध्र प्रदेश	6	6514.11	6642.17
			उड़ीसा	1	128.06	
5.	मैसर्स मेटामन फाइनेन्स एण्ड होल्डिंग प्रा.लि.	7	कर्नाटक	2	1202.5	4568.372
			राजस्थान	4	2035.872	
			मध्य प्रदेश	1	1330	
6.	मैसर्स हट्टी गोल्ड माइन्स लि.	4	कर्नाटक	4	7629.02	7629.02
7.	मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि.	4	राजस्थान	4	1845.3775	1845.3775
8.	मैसर्स एक्सप्लोरेशन इंटरप्राइज इंडिया प्रा.लि. (पै. फेल्प्स डाज एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. का नया नाम)	17	उत्तर प्रदेश	2	1166.171	21093.853
			राजस्थान	9	7703.195	
			आंध्र प्रदेश	4	6945	
			झारखण्ड	1	1869.687	
			उड़ीसा	1	3409.80	
9.	मैसर्स पासमिनको एक्सप्लोरेशन प्रा.लि.	5	राजस्थान	5	9955.544	9955.544
10.	मैसर्स रामगढ़ मिनरल्स एण्ड माइनिंग प्रा.लि.	1	कर्नाटक	1	1233.05	1233.05
11.	मैसर्स नेशनल मिनरल डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि. (एन.एम.डी.सी.)	4	आंध्र प्रदेश	1	2300	6305.82
			कर्नाटक	2	1995.82	
			मध्य प्रदेश	1	2010	

1	2	3	4	5	6	7
12.	मैसर्स लेक रिसोर्सेज होल्डिंग इंडिया प्रा.लि.	3	राजस्थान	3	4500.195	4500.195
13.	मैसर्स बी.एच.पी. मिनरल्स इंडिया प्रा.लि.	18	हरियाणा	1	401	32766.371
			मध्य प्रदेश	2	3156.64	
			कर्नाटक	2	3836.5	
			उड़ीसा	4	8567.231	
			आंध्र प्रदेश	4	7112	
			छत्तीसगढ़	5	9693	
14.	मैसर्स एंगलो अमेरिकन एक्सप्लोरेशन (इंडिया)	12	राजस्थान	8	7204.95	15627.95
			आंध्र प्रदेश	3	8046	
			पश्चिम बंगाल	1	377	
15.	श्री बी.के. दूवा राव, निदेशक (इन्डोफिल रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन सर्विसेज (इंडिया) प्रा.लि.	3	कर्नाटक	3	5496.68	5496.68
16.	मैसर्स मिनप्रो कारपोरेशन	2	कर्नाटक	2	316.25	316.25
17.	मैसर्स बी. विजय कुमार टैकनिकल सर्विसेज	1	छत्तीसगढ़	1	2400	2400
18.	मैसर्स मीरा एक्सप्लोरेशन प्रा.लि.	1	छत्तीसगढ़	1	481.25	481.25
19.	मैसर्स इम्पेरर ग्रेनाइट प्रा.लि.	2	छत्तीसगढ़	2	3000	3000
20.	मैसर्स क्रिस्टल स्टोन इन्कारपोरेशन	1	राजस्थान	1	271.93	271.93
21.	मैसर्स डब्ल्यू.एम.आई.एल. मिनरल सैण्ड इंडिया प्रा.लि.	1	आंध्र प्रदेश	1	1428	1428
	कुल	165				2,19,665.303

चाय का मूल्य

1459. श्री पी. करूणाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000 से थोक बाजार में चाय के मूल्य में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान चाय का खुदरा मूल्य क्या रहा; और

(घ) बाजार की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले निर्माता संघों और मूल्य निर्धारकों पर अंकुश लगाने हेतु कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारतीय नीलामियों में बेची गई चाय की कीमतों में वर्ष 2000 से गिरावट दर्ज हुई है।

(ख) और (ग) वर्ष 2000 से भारतीय नीलामियों में बेची गई चाय की औसत नीलामी कीमतों तथा खुदरा बाजारों में चाय की औसत कीमतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	भारतीय नीलामियों में चाय की औसत कीमतें (रुपए प्रति कि.ग्रा.)	पांच प्रमुख केन्द्रों को शामिल करते हुए खुदरा बाजार में चाय की अनुमानित औसत कीमत (रुपए प्रति कि.ग्रा.)
2000	61.71	110
2001	61.66	120
2002	55.99	120
2003	55.97	120

(घ) चाय की नीलामियां, जिनमें चाय के थोक व्यापार का एक बड़ा भाग शामिल होता है, चाय विपणन नियंत्रण आदेश, 2003 के प्रावधानों के तहत संचालित होती हैं। उक्त नियंत्रण आदेश के तहत चाय बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य उचित कीमत प्राप्ति हेतु बिक्री सौदे करने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

बी पी ओ बाजार में प्रतिबंध

1460. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि-मंडल को यह बता दिया है कि बी पी ओ बाजार जो सदैव खुला रहा है, में लगाए जा रहे प्रतिबंध डब्ल्यू टी ओ वार्ता को पुन: शुरू करने के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं;

(ख) क्या यह 146 डब्ल्यू टी ओ सदस्य देशों को 12 जनवरी को लिखे गए पत्र की अनुवर्ती कार्यवाही है जिसमें एक नए समझौते पर पहुंचने हेतु वर्ष 2004 के अंत तक तत्काल वार्ता शुरू करने का अनुरोध किया गया था;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अमरीकी सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावित संशोधन के हितों की रक्षा हेतु अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भारत को अमरीकी सरकार से किस सीमा तक यह आश्वासन मिला है कि इससे भारत किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा बिजनिस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मार्केट पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों के बारे में अपनी चिंता से अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि (यू एस टी आर) को सूचित कर दिया है। इसे डब्ल्यू टी ओ में बातचीत पुन: शुरू करने हेतु विचार-विमर्श के संदर्भ में सूचित किया गया था जो कानकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में गतिरोध के कारण प्रभावित हुई थी। यू एस टी आर द्वारा डब्ल्यू टी ओ के सभी सदस्य देशों को संबोधित 11 जनवरी, 2004 के अपने पत्र में भावी पद्धति के बारे में सुझाव दिए थे।

(ग) और (घ) सरकारी एजेंसियों द्वारा आउटसोर्सिंग की रोकथाम हेतु विधान लागू करने के लिए यू एस ए में उप संघीय स्तर पर घटनाक्रमों की सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक मानीटरिंग की जा रही है। इस मुद्दे को सरकारी एवं व्यापारी दोनों माध्यमों के जरिए उठाया जा रहा है। विगत में अमरीकी सरकार ने यह स्वीकार किया था कि प्रस्तावित विधान दोषपूर्ण नीति का द्योतक है।

[हिन्दी]

रुग्ण चाय उद्योग

1461. **श्री सुशील कुमार मोदी:**
श्रीमती सी.एस. सुजाता:
श्री किरिप चालिहा:
श्री सुनील खां:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान भारत में कई चाय बागान बंद/परित्यक्त कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके पुनरुद्धार हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) इससे कुल कितने कामगार बेरोजगार हो गए और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रभावित कामगारों को राहत देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने रुग्ण चाय क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान

प. बंगाल, केरल, असम और त्रिपुरा राज्यों में कुछेक चाय बागानों को कम कीमत प्राप्त होने से चाय बागानों की व्यवहार्यता पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के कारण बन्द/परित्यक्त कर दिया गया है। सरकार ने प. बंगाल, केरल, असम एवं त्रिपुरा राज्यों में बन्द हुए चाय बागानों का गहन अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समितियां गठित की थीं। इन विशेषज्ञ समितियों ने ऐसे 36 बागानों (प. बंगाल में 19, केरल में 11 और असम तथा त्रिपुरा में तीन-तीन) का अध्ययन किया जो वर्ष 2002 में बन्द पड़े थे। उनकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार और चाय बोर्ड ने चाय बागानों, जिन्हें कार्यक्षम बागान के रूप में अभिज्ञात किया गया है, का पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने हेतु प्रबंधन और उनके बैंकरों के बीच विचार-विमर्श को सुकर बनाया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार चाय बागान बन्द होने के कारण वर्तमान में बेरोजगार हुए कामगारों की कुल संख्या लगभग 28,195 है। राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य का नाम	वर्तमान में बेरोजगार हुए कामगारों की कुल संख्या
प. बंगाल	19,336
केरल	6,648
असम	1,661
त्रिपुरा	550
कुल	28,195

(घ) बागान श्रम अधिनियम, 1951 में बागान श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था है और इसके द्वारा चाय सहित बागानों के कार्य की स्थिति को विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम को राज्य सरकारें लागू करती हैं। इसमें श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाएं विनिर्दिष्ट हैं। भारत सरकार ने हस्तक्षेप करने और आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ चाय बागानों के श्रमिकों के सामने आ रही समस्याओं से संबंधित मामला उठाया था। प. बंगाल और केरल जहां बन्द चाय बागानों की संख्या अधिक है, की कुछ राज्य सरकारों ने प्रभावित बागान श्रमिकों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इनमें विभिन्न स्कीमों के जरिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, स्वास्थ्य की देखभाल करना, बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम कार्यान्वित करना, खाद्यान्नों का वितरण, पेयजल सुविधाओं को बढ़ाना और अत्यधिक जरूरतमंदों को नकदी का वितरण शामिल है।

(ङ) और (च) जी, हां। भारतीय चाय उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। हाल ही में विशेष चाय आवधिक ऋण (एसटीटीएल) के एक पैकेज की घोषणा की गयी है जिसमें चाय क्षेत्र में बकाया आवधिक/कार्यशील पूंजी ऋणों की पुनर्संरचना/चरणबद्ध करने की परिकल्पना की गयी है जिनके लिए वापसी भुगतान की अवधि 5 से 7 वर्ष और एक वर्ष की स्थगन अवधि है। एसटीटीएल में लघु उपजकर्त्ताओं के लिए 2 लाख रुपए तक की कार्यशील पूंजी की व्यवस्था है जिसकी ब्याज दर 9% से अधिक नहीं होगी। सरकार ने फरवरी से मई, 2004 तक 4 महीनों की अवधि के लिए लघु चाय उपजकर्त्ताओं के लिए एक कीमत सब्सिडी स्कीम कार्यान्वित करने के बारे में आदेश जारी किए हैं। टी बोर्ड 01.04.2004 से विनिर्मित चाय के विनिर्माताओं और लघु चाय उपजकर्त्ताओं के बीच कीमत हिस्सेदारी का एक फार्मूला भी कार्यान्वित कर रहा है। चाय पर 1 रु. प्रति कि.ग्रा. के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के जरिए की गयी वसूलियों में से एक विशेष निधि भी स्थापित की गयी है जो बागान क्षेत्र के विकास, आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार के लिए है। चाय बोर्ड, चाय उद्योग के लिए मानव संचालित नीलामियों को इलैक्ट्रानिक नीलामियों में परिवर्तित करने समेत सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सूचना के प्रचार-प्रसार की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है ताकि चाय खरीद प्रणाली की कार्यक्षमता में सुधार किया जा सके और सौदों में लगने वाले समय एवं लागतों में कमी किया जा सके।

भारत सरकार ने चाय, काफी, रबड़ और तम्बाकू उपजकर्त्ताओं के लाभार्थ एक कीमत स्थिरीकरण निधि की भी स्थापना की है जिसकी मूल धनराशि 500 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

कम्प्यूटरीकरण हेतु कार्यक्रम

1462. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी कार्य मंत्रालय ने कम्प्यूटरीकरण हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी राशि का निवेश करना नियत किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कम्प्यूटरीकरण हेतु निजी कम्पनियों की सेवाएं लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता): (क) जी, हां। कंपनी कार्य मंत्रालय ने एक संयुक्त ई-गवर्नेंस तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम 'डीसीए 21' तैयार किया है। कार्यक्रम के अंतर्गत कम्पनियों के दस्तावेजों को एक आपसी संपर्क तथा देश में कम्पनी रजिस्ट्रारों तथा क्षेत्रीय निदेशकों के सभी कार्यालयों की कम्प्यूटरीकरण सुविधा द्वारा तथा बिना कागजी कार्रवाई के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया की परिकल्पना करता है।

(ख) परियोजना के लिए अनंतिम रूप से लगभग 350 करोड़ रु. की राशि रखे जाने पर सहमति हो गई है जो 6 वर्षों की अवधि तक के लिए रहेगी।

(ग) और (घ) देश में ही उपलब्ध विस्तृत तकनीकी क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष रूप से तकनीकी-गहन ई-गवर्नेंस सेवा कार्यक्रम के लिए पैसे के बेहतर मूल्य तथा शेयरधारक सेवा की उन्नत श्रेणी के लिए यह योजना बनाई गई है कि परियोजना को सरकार द्वारा मानीटर किए जाने वाले संविदा के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट साझेदारी तरीके से कार्यान्वित किया जाए।

एअर इंडिया की सहायक कंपनी

1463. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री ए.के. मूर्ति:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया का विचार इस तथ्य के बावजूद कि वह पहले से घाटे में चल रही है एक सहायक विमान कंपनी स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान बेड़े को उन्नत बनाने की बजाय इस संगठन पर अतिरिक्त खर्च का बोझ लादने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) एअर इंडिया अपने अधिकतर कम दूरी वाले क्षेत्रों पर लो फेयर नो फ्रिल अवधारणा पर आधारित एअर इंडिया की सहायक एअर इंडिया एक्सप्रेस कहलाई जाने वाली एक कम लागत की एयरलाइन को चलाने की योजना बना रही है। एयरलाइन को पिछले तीन वर्षों के दौरान मुनाफा हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण

1464. श्री रामदास बंडू आठवले: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूकम्प के दौरान विशेषकर गुजरात के विध्वंसकारी भूकम्प के बाद देश के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जान और माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है;

(घ) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने इस क्षेत्र में सम्पूर्ण विश्व के विशेषज्ञों से सहायता की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा शहरों और नगर समूहों (अग्गलोमरेशंस) के भूकम्पीय माइक्रोजोनेशन किए गए हैं। भूकम्पीय माइक्रोजोनेशन के तहत किसी क्षेत्र को ऐसे अंचलों (जोन) में बांटा जाता है जिन पर विभिन्न भूकम्प-संबंधी प्रभावों का अपेक्षाकृत समान प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रभावों अथवा स्थल-प्रतिक्रिया (साइट-रिस्पोन्स) का हिसाब रखना भूकम्प जोखिम प्रशमन कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया है। भूकम्पीय माइक्रोजोनेशन मानचित्रों से प्राप्त जानकारी (इन्पुट्स) का सुरक्षित डिजाइन अथवा ढांचों की आयोजना में प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। गुजरात के विध्वंसकारी भूकम्प के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने माइक्रोजोनेशन के कार्य को और तेज कर दिया है। भूकम्पों को रोका नहीं जा सकता है परन्तु सुनियोजित रूप से प्रशमन के उपाय करके भूकम्प के परिणामस्वरूप होने वाले जान और माल के खतरे को कम किया जा सकता है।

जबलपुर, दिल्ली, देहरादून, गुवाहाटी, अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, शिलांग और मुम्बई के भूकम्पीय माइक्रोजोनेशन का कार्य समापन के विभिन्न चरणों में है।

(ग) भूकम्प के अध्ययन तथा विशेषकर गुजरात के भूकम्प के बाद जान एवं माल की सुरक्षा के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को कुल 9.00 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है।

(घ) और (ङ) खान विभाग की अनुदान-मांगों के लिए 'उद्योग पर विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 71वीं रिपोर्ट' की सिफारिशों के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूकम्प-संबंधी अध्ययनों पर सुविज्ञता के आदान-प्रदान और सहयोगी-कार्य के प्रयोजनार्थ यूनाइटिड स्टेट्स जियोलाजीकल सर्वे (यू.एस.जी.एस.),

रेस्टान, संयुक्त राज्य अमेरिका, आई.टी.सी., नीदरलैण्ड, जियोलाजीकल सर्वे आफ जापान (जी.एस.जे.), जापान तथा जी.एफ.जैड. सालिड अर्थ फिजिक्स एण्ड डिसास्टर रिसर्च, पोट्सडैम, जर्मनी जैसे अनेक प्रतिष्ठित विदेशी संगठनों/संस्थानों से पहले ही संपर्क किया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंक

1465. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री अनन्त नायक:
श्री अजीत जोगी:
श्री परसुराम माझी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चल रहे सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पिछले दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन बैंकों की घटती संख्या का विश्लेषण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) वर्ष 2004-2005 के दौरान कितनी नई बैंक शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(छ) देश में बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों और उनकी शाखाओं की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनकी विद्यमान नीति के अनुसार अतिरिक्त शाखाएं खोलने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने का कार्य सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के निर्णय पर छोड़ दिया गया है, और इसीलिए बैंक के पास वर्ष 2004-2005 के दौरान खोली जाने वाली नयी बैंक शाखाओं से संबंधित सूचना नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31.3.2004 की स्थिति के अनुसार देशभर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत शहरी क्षेत्र के बैंकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
		परिचालन कर रहे सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या	परिचालन कर रहे सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	18	1444	27	826
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	39	—	—
3.	असम	13	465	19	144
4.	बिहार	12	1236	22	374
5.	छत्तीसगढ़	12	294	22	166
6.	गोवा	14	146	—	—

1	2	3	4	5	6
7.	गुजरात	17	1187	24	424
8.	हरियाणा	17	442	26	418
9.	हिमाचल प्रदेश	12	533	—	—
10.	जम्मू-कश्मीर	7	119	20	103
11.	झारखंड	15	627	21	209
12.	कर्नाटक	18	1153	24	617
13.	केरल	14	155	25	443
14.	मध्य प्रदेश	17	1045	24	385
15.	महाराष्ट्र	17	1644	27	737
16.	मणिपुर	6	20	10	19
17.	मेघालय	7	84	14	30
18.	मिजोरम	1	16	3	5
19.	नागालैंड	3	33	—	—
20.	उड़ीसा	15	838	24	282
21.	पंजाब	14	944	23	514
22.	राजस्थान	15	903	25	404
23.	सिक्किम	4	36	—	—
24.	तमिलनाडु	20	1287	26	705
25.	त्रिपुरा	4	49	13	26
26.	उत्तर प्रदेश	18	2374	27	1298
27.	उत्तरांचल	12	353	22	122
28.	पश्चिम बंगाल	17	1520	24	572
	कुल	343	18986	492	8823

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंकों का विलय

1466. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नाबार्ड के सभी ग्रामीण बैंकों का विलय करके भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न विकल्पों का सुझाव दिया गया है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों से अलग करना, क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन, प्रायोजक बैंक के साथ विलय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजक बैंकों का अनुषंगी बनाना, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक में उनका समेकन आदि शामिल हैं। इस मामले में हुए विचार-विमर्श का अब तक कोई फल नहीं निकला है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक प्रायोजक बैंकों को उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेवार ठहराया जाएगा। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नए अभिशासन मानक अपनाते हैं और विवेकपूर्ण विनियमों का अनुपालन करते हैं, वे पुनर्गठन के लिए सरकार से निधियां प्राप्त करने के पात्र होंगे।

[अनुवाद]

किसानों को ऋण

1467. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार/बैंकों/सहकारी एजेंसियों द्वारा किसानों को कृषि के लिए राज्यवार ऋण की कुल कितनी राशि दी गई;

(ख) क्या कुछ राज्यों के किसान चूककर्त्ता पाए गए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चूक करने के क्या कारण रहे; और

(ङ) सरकार ने इन कृषिविदों/किसानों के हितों की रक्षा करने तथा चूक रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए बुनियादी स्तर के ऋण प्रवाह का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सभी राज्यों में कृषि ऋण में चूक की रिपोर्टें हैं। तथापि, वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से चूककर्त्ताओं की संख्या तथा राज्य-वार चूक की राशि से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(घ) ऐसे चूक के कई कारण होते हैं जिनमें प्राकृतिक आपदाएं, अलाभदायक निवेश, प्रतिकूल मूल्य स्थितियां, निवेश की खराब गुणवत्ता, नाशी कीट का हमला, मानसून की असफलता, खराब विपणन ढांचा, बीमारी की वजह से अप्रत्याशित खर्च, आदि शामिल हैं।

(ङ) मुसीबत में पड़े किसानों, बकाया राशि रखने वाले किसानों, छोटे और सीमांत किसानों और वैसे किसानों जिन्होंने साहूकारों आदि जैसे गैर-संस्थागत स्रोतों से भारी कर्ज ले रखा है, के लिए विभिन्न राहत उपाय प्रदान करने के लिए सरकार ने हाल ही में एक ऋण राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में मुसीबत में पड़े किसानों तथा बकाया राशि रखने वाले किसानों के संबंध में ऋणों का पुनर्निर्धारण करके भी राहत प्रदान की जाती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान की भी व्यवस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

विवरण

वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि के लिए बुनियादी स्तर के ऋण प्रवाह का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	347	578	382
2.	आंध्र प्रदेश	612529	748287	754059

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	408	539	994
4.	असम	5281	7318	10127
5.	बिहार	60491	70746	72260
6.	चंडीगढ़	8256	38769	17848
7.	छत्तीसगढ़	25257	28237	46133
8.	दादरा एवं नागर हवेली	90	110	59
9.	दमन व दीव	45	33	24
10.	गोवा	3566	2444	2124
11.	गुजरात	321916	371251	408741
12.	हरियाणा	370357	400908	463705
13.	हिमाचल प्रदेश	18152	25658	31358
14.	जम्मू-कश्मीर	3636	4960	5746
15.	झारखंड	7089	16101	20315
16.	कर्नाटक	366305	433752	466361
17.	केरल	240688	260619	302961
18.	लक्षद्वीप	29	33	26
19.	मध्य प्रदेश	189632	230071	290285
20.	महाराष्ट्र	498216	592991	503275
21.	मणिपुर	134	142	405
22.	मेघालय	538	642	552
23.	मिजोरम	340	357	684
24.	नागालैंड	539	540	540
25.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	109692	141581	182540
26.	उड़ीसा	91173	96925	109688
27.	पांडिचेरी	4091	4073	5341
28.	पंजाब	515071	611309	762380
29.	राजस्थान	210936	258347	281911

1	2	3	4	5
30.	सिक्किम	380	368	325
31.	तमिलनाडु	503497	528076	626574
32.	त्रिपुरा	1703	1739	1759
33.	उत्तर प्रदेश	429947	560667	618123
34.	उत्तरांचल	16580	27169	48416
35.	पश्चिम बंगाल	113568	144881	184244
36.	अन्य	19678	5729	472
37.	गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक	315231	425412	585255
38.	आरआईडीएफ	197364	163182	149985
	कुल	6282742	6204544	6955977

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश

1468. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पांचवें वेतन आयोग ने 33 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों के ममले में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान को यथानुपात बढ़ाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सिफारिश को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सिफारिश को स्वीकार करने और इसे लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डब्ल्यू टी ओ की सूची में रबड़, कृषि उत्पाद के रूप में

1469. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्व व्यापार संगठन की सूची में रबड़ को कृषि उत्पाद के रूप में शामिल करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रबड़ को कृषि सूची में शामिल करने का क्या लाभ हैं;

(ग) क्या सरकार ने रबड़ को कृषि उत्पाद सूची में शामिल करने के लिए पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के कृषि संबंधी करार (ए ओ ए) के दायरे में रबड़ को लाने के लिए केरल की राज्य सरकार, विभिन्न संसद सदस्यों एवं रोपण संघों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त करती रही है। कृषि संबंधी करार के दायरे में कोई उत्पाद आता है अथवा नहीं, आयातों पर टैरिफ वचनबद्धता हेतु पुनर्वार्ता पर टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट), 1994 के अनुच्छेद

XXVIII के प्रावधान लागू होते हैं अथवा नहीं, कृषि उत्पादों पर भारतीय घरेलू सब्सिडियां मात्रात्मक सीमाएं, जहां लागू हों, के भीतर हैं और कम आय वाले एवं संसाधनहीन कृषकों के लिए हकदारियों समेत अन्य हकदारियां कृषि संबंधी करार में निर्धारित हैं। गैर-कृषि उत्पादों के संबंध में भी भारत सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार (एस सी एम) के अंतर्गत विकासशील देशों के अनुबंध-VII की सूची में शामिल है और इसलिए उसे निर्यात निष्पादन अथवा आयातित माल की अपेक्षा घरेलू माल के उपयोग के लिए प्रासंगिक सब्सिडी देने से रोका नहीं जाता है। तथापि, डब्ल्यू टी ओ के किसी सदस्य के व्यापारिक हितों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के मामले में प्रभावित सदस्य कृषि संबंधी करार के साथ पठित एस सी एम के प्रावधानों के अंतर्गत विशिष्ट किस्म की सब्सिडियों के विरुद्ध उपयुक्त प्रतिसंतुलनकारी उपाय लागू कर सकता है।

(ग) से (ङ) सरकार कृषि संबंधी करार में उत्पाद कवरेज को युक्तिसंगत बनाने में रबड़ को शामिल करने हेतु डब्ल्यू टी ओ के पास अपने वार्ताकारी प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुकी है। ये वार्ताएं 1 जनवरी, 2004 तक सम्पन्न होंगी।

निजी बैंकिंग कंपनियों की लेखा परीक्षा

1470. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लगभग एक हजार निजी बैंकिंग कम्पनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की लेखा परीक्षा से सांविधिक उपबंधों की अनदेखी करने की गंभीर अनियमितताओं का पता चला है, जिसके परिणामस्वरूप 1,04,177.18 लाख रुपए का कम कर लगा; और

(ख) यदि हां, तो उनसे कर राशि वसूलने के लिए क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) 15 मार्च, 2002 को संसद में प्रस्तुत की गयी वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट सं. 12क में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सांविधिक उपबन्धों को लागू करने में असफल रहने के कारण कतिपय अनियमितताओं का उल्लेख किया है जिसके कारण 1587 मामलों में कथित रूप से 1,04,177.18 लाख रुपए का कम शुल्क लगाया गया था।

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने दिनांक 7.8.1995 के अनुदेश संख्या 1928 के तहत देश में सभी आयकर आयुक्तालयों में कार्य कर रहे कर निर्धारण अधिकारियों को निदेश दिया है कि वे राजस्व लेखा परीक्षा आपत्तियों संबंधी सभी मामलों में परिशोधनकारी उपायों सहित निरपवाद रूप से उपचारात्मक कार्रवाई भी अवश्य आरम्भ करें भले ही विभाग द्वारा राजस्व लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उठाई गई लेखा परीक्षा आपत्तियों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए सीसीआईटी/सीआईटी को पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं और उन्हें आपत्तियों को शीघ्र निपटाने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्रालय और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा मामले की और आगे जांच करने एवं मौखिक साक्ष्य हेतु निजी बैंकिंग कम्पनियों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की इस पुनरीक्षा का संसद की लोक लेखा समिति द्वारा चयन किया गया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा राजस्व विभाग द्वारा लोक सभा सचिवालय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पहले ही से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है।

[हिन्दी]

निजी एयरलाइनों के लिए सेवाओं का विस्तार

1471. श्री तूफानी सरोज: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी एयरलाइंस नेपाल और श्रीलंका के लिए और सीटों के निर्धारण की मांग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सार्क क्षेत्र के भीतर और बाहर अन्य क्षेत्रों के लिए भी ऐसी मांगें की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में हाट खोलना

1472. श्री संतोष गंगवार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन शहरों में ''हाट'' खोले जाने का प्रस्ताव है अथवा संबंधित प्रक्रिया लंबित है तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बरेली, उत्तर प्रदेश में 'बरेली हाट' खोलने की प्रक्रिया चल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई;

(घ) क्या बरेली को 'जरी जरदोजी नगर' के रूप में विकसित करने के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ, आगरा, कानपुर और वाराणसी में चार शहरी हाटों की स्थापना अनुमोदित की जा चुकी है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है।

(ख) और (ग) बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली से 327.75 लाख रुपये की लागत से बरेली में शहरी हाट की स्थापना का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से दिनांक 14.6.2004 को प्रस्ताव की सिफारिशें प्राप्त हुई जिस पर सभी शहरी हाटों के मामलों के अनुमोदन के प्रयोजनार्थ योजना विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्थापित उच्चाधिकार समिति द्वारा विचार करने हेतु प्रक्रिया चल रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र

1473. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों की वित्तीय स्थिति के संबंध में श्वेत-पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य में वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्यों का राजकोषीय अनुशासन मुख्यत: राज्य सरकारों का दायित्व है, जिसके लिए वे अपने-अपने विधानमंडलों के प्रति जवाबदेह होते हैं। भारत सरकार ने राज्यों के परामर्श से उधार की सीमा निर्धारित कर दी है ताकि अत्यधिक ऋणभार को नियंत्रित करने में राज्यों की मदद की जा सके। इसके अतिरिक्त, राज्यों की राजकोषीय सुधार सुविधा (2000-01 से 2004-05) नाम से एक स्कीम भी तैयार की गई है, ताकि मध्यम अवधि में राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) तैयार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस स्कीम में राज्यों के राजस्व घाटे में प्रभावी रूप से कमी लाने के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन मुहैया कराने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार, त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम राज्यों को उनकी विद्युत उपयोगिताओं द्वारा हानि में वास्तविक कमी के 50 प्रतिशत के बराबर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस में भोजन की गुणवत्ता

1474. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा परोसे गए भोजन की घटिया गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार और एयरलाइन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	एअर इंडिया	वर्ष	इंडियन एयरलाइंस
2001	67	2002	36
2002	36	2003	26
2003	53	2004	17 (जून, 2004 तक)

(ग) भोजन की प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एयरलाइन स्तर पर सर्वांगीण नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र विद्यमान है। खान-पान प्रबंधकों को सभी मामलों में निवारक कार्रवाई करने की सलाह दी गयी है तथा कुछ मामलों में कुछ दंड भी दिया गया है जिसमें खान-पान प्रबंधक को प्रेषण के आंशिक/पूर्ण भुगतान को रोक देना सम्मिलित है।

बाजार स्थिरीकरण कोष की स्थापना

1475. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शेयर बाजार के दलाल, हाई वोलेटिलिटी और लो लिक्वीडिटी की समस्या का सामना करने के उद्देश्य से एक बाजार स्थिरीकरण कोष (एमएसटी) गठित करने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) एक बैठक में इस प्रकार के कोष के लिए सुझाव दिया गया है।

(ख) बाजार स्थिरीकरण कोष की स्थापना करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

क्लबों द्वारा करों का भुगतान

1476. **श्री मनोज कुमार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में चल रहे पार्क लैंड क्लब, दिल्ली स्टेट भारत स्काउट एण्ड गाइड कैम्पिंग ग्राउन्ड, निजामुद्दीन जैसे क्लबों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये क्लब सरकार को नियमित रूप से अपने खातों की सूचना देते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त क्लब सरकार को कर तथा मनोरंजन कर का नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी हां, दि पार्कलैंड क्लब, एस्पायर इन्को पार्कलैंड क्लब, 10, ऊपरी मंजिल, जंगपुरा रोड, भोगल, नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है।

(ख) दि दिल्ली स्टेट भारत स्काउट एण्ड गाइड कैम्पिंग ग्राउन्ड, निजामुद्दीन और पार्क लैंड क्लब ने आज तक आयकर कर विवरणियां दायर नहीं की हैं।

(ग) चूंकि क्लब विवरणियां दायर नहीं कर रहा है, अत: संदत्त करों के ब्यौरे मालूम नहीं हैं। मनोरंजन कर राज्य सरकार का विषय होने के कारण यह आयकर विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है।

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(1) के अंतर्गत, दिल्ली स्टेट भारत स्काउट एण्ड गाइड कैम्पिंग ग्राउन्ड, निजामुद्दीन और पार्क लैंड क्लब को उनकी आय आदि के विवरणों का पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस के घाटे वाले वायुमार्ग

1477. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइंस के इस समय घाटे में चल रहे वायु मार्गों के घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे वायु-मार्गों पर निजी विमान कंपनियों को प्रचालन की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार नए अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों पर निजी विमान कंपनियों को अपनी उड़ानें भरने की अनुमति देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अनुमति से राष्ट्रीय विमान कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) वर्ष 2003-04 के दौरान, इंडियन एयरलाइंस ने घरेलू नेटवर्क पर 76 अनुसूचित सेवाएं प्रचालित कीं, जिनसे कुल मिलाकर, नगद अंशदान अर्थात् लगभग 540 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष प्रचालन लागत से अधिक राजस्व-सरप्लस की प्राप्ति हुई।

(ख) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने, उत्तर-पूर्व क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई यातायात सेवाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हवाई यातायात सेवाओं के बेहतर नियमन के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश बनाए हैं। फिर भी, यह एयरलाइनों पर निर्भर है कि वे यातायात की मांग के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए सेवाएं प्रदान करें।

(ङ) और (च) निजी अनुसूचित भारतीय वाहकों को, सार्क देशों में प्रचालन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, बशर्ते यातायात अधिकारों की उपलब्धता और मल्टीपल डेजिग्नेशन (बहुविध विनिर्देश) के लिए हवाई सेवा करारों के प्रावधान हों। इससे इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है चूंकि निजी एयरलाइनों के प्रचालन अप्रयुक्त मार्गों पर होंगे।

अवैध विदेश व्यापार

1478. श्री गुरुदास कामत: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध विदेश व्यापार के माध्यम से भारत में बहुत बड़ी मात्रा में गैरकानूनी विदेशी निधि का प्रवाह जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निधि का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गैरकानूनी निधि के प्रवाह को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) अवैध विदेश व्यापार के माध्यम से भारत में भारी मात्रा में गैर-कानूनी विदेशी निधि के प्रवाह के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) जब कभी हवाला के जरिए गैर-कानूनी विदेशी निधियों का पता चलता है तो फेमा, 1999 के उपबंध के तहत इनकी जांच उक्त अधिनियम में यथाउपबंधित उचित कार्रवाई के लिए की जाती है।

डब्ल्यू टी ओ वार्ता

1479. श्री किरिप चालिहा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जी-20 के विस्तार की इच्छुक है और विश्व के अन्य विकासशील देशों के साथ संबंध स्थापित करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी डब्ल्यू.टी.ओ. वार्ता में विशेषत: कृषि पर भारत केन्द्रित विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में चल रही वार्ताओं में अन्य सदस्यों तक अपने विचार पहुंचाने और कृषि संबंधी अन्य गठबंधनों के साथ मतैक्य स्थापित करने सहित जी-20 की कार्यनीति तैयार करने की दृष्टि से सरकारी एवं मंत्री स्तर पर कृषि संबंधी जी-20 गठबंधन की समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन कार्यकलापों के परिणामस्वरूप, सितम्बर, 2003 में आयोजित कानकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बाद इंडोनेशिया, तंजानिया और जिम्बाम्बे जैसे डब्ल्यू टी ओ के कुछेक सदस्य औपचारिक रूप से जी-20 में शामिल हो गए हैं। अनेक पहलुओं पर अफ्रीका समूह और विकासशील देशों के जी-33 (जिसका भारत भी सदस्य है) जैसे गठबंधनों, जो विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास संबंधी जरूरतों विशेष उपायों को लागू करने का पुरजोर समर्थन करते हैं, ने कृषि वार्ताओं में जी-20 के समान नीति एवं दृष्टिकोण का संकेत दिया है। जी-20 के कार्यकलापों का समन्वय ब्राजील द्वारा किया जाता है।

भारत यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करता आ रहा है कि विकसित देशों द्वारा बड़े पैमाने पर दी जा रही व्यापार विकृतिकारी घरेलू सब्सिडियों को पर्याप्त रूप से कम किया जाए और उनकी निर्यात सब्सिडियों को समाप्त किया जाए, और यह कि भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा की गई बाजार पहुंच संबंधी वचनबद्धताओं से उनकी खाद्य एवं आजीविका की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निवारण हो और ग्रामीण विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो।

दक्षेस-मुक्त व्यापार समझौता

1480. श्री दिनशा पटेल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षेस देशों ने हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे व्यापार प्रतिबंधों को समाप्त करके और प्रशुल्क में कमी करके सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार पर अनुमति प्रदान की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मुक्त व्यापार को संचालित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) संवेदनशील मदों पर भारत किस सीमा तक अपने हितों की रक्षा करेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। सार्क सदस्य देशों ने दिनांक 6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) और (ग) करार में विनिर्दिष्ट व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम के अनुसार, सार्क सदस्य देशों के बीच वस्तुओं के मुक्त व्यापार का प्रावधान है। करार के प्रावधानों के अनुसार, सभी संविदाकारी राज्यों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने तथा सार्क सचिवालय द्वारा इसकी अधिसूचना जारी किए जाने सहित सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद यह करार 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी होगा।

(घ) करार के अनुसार प्रत्येक देश द्वारा अपनी संवेदनशील सूची रखी जाएगी जिसमें ऐसी मदें शामिल होंगी जिन पर घरेलू हितबद्ध पक्षों के हित की रक्षा करने के लिए कोई टैरिफ रियायत प्रदान नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

सतना विमानपत्तन से होकर उड़ान

1481. श्री गणेश सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बारास्ता सतना विमानपत्तन होकर उड़ान आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सतना विमानपत्तन की मरम्मत कार्य करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपियन यूनियन को समुद्री उत्पादों का निर्यात

1482. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपियन यूनियन में भारतीय समुद्री उत्पादों के लिए उन्नत और बढ़ता हुआ बाजार उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान यूरोपियन यूनियन को भारतीय समुद्री उत्पादों के व्यापक निर्यात की इच्छुक हैं;

(घ) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करने का है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्यात संबंधी आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय संघ को समुद्री उत्पादों के निर्यात निम्नानुसार थे:

वर्ष	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
2001-02	241.01
2002-03	287.84
2003-04	300.25 (अनंतिम)

(ग) जी, हां।

(घ) समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु देश-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, वर्ष 2004-05 के दौरान भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए 1300 मिलियन अम. डा. का समग्र लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ङ) समुद्री उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि करने की दृष्टि से, सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करना; स्वच्छता और गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन हेतु कदम उठाना; जलकृषि का विस्तार; रोगों के प्रकोप को रोकने के लिए जल कृषकों को ठोस प्रबंधन पद्धतियां अपनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, निर्यात के लिए मूल्य वर्द्धित उत्पादन में सहायता प्रदान करना; विपणन सहायता प्रदान करना आदि शामिल हैं।

उड़ीसा संबंधी लम्बित प्रस्ताव

1483. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, आज की स्थिति के अनुसार उड़ीसा से नाबार्ड को प्राप्त परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार नाबार्ड के समक्ष लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विलम्बन के कारण क्या हैं; और

(ङ) नाबार्ड द्वारा उक्त प्रस्तावों पर कब तक मंजूरी प्रदान करने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि इसने पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार से लघु-सिंचाई, मझौले सिंचाई, ग्रामीण पुलों और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए कुल 593 प्रस्ताव प्राप्त किए थे। उनके वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या
2001-02	148
2002-03	395
2003-04	50
कुल	593

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को स्वीकृत राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)
2001-02	153.25
2002-03	246.83
2003-04	122.85
कुल	522.93

(ग) से (ङ) 104.39 करोड़ रु. मूल्य की ग्रामीण सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए मार्च, 2004 में प्राप्त उड़ीसा राज्य सरकार को 69 प्रस्ताव मंजूरी के लिए नाबार्ड के पास लंबित पड़े हैं। इन पर ग्रामीण औद्योगिक विकास निधि (आरआईडीएफ) की परियोजना संस्वीकृति समिति की अगली बैठक में मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा।

केन्द्र राज्य सरकारों का बजटीय घाटा

1484. श्री मिलिन्द देवरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों का बजटीय घाटा वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुफ्त तोहफे प्रदान करना जैसे कृषकों को मुफ्त जल और विद्युत अथवा चुनावों से पहले फिजूलखर्ची और चुनावपूर्व रियायत आवधिक रूप से चुने हुए लोकतंत्र में आम बात हो गई है जो देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन वित्तीय विसंगतियों की जांच करने और घाटे एवं फिजूलखर्ची को रोकने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) केन्द्र, राज्यों तथा केन्द्र और राज्यों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में राजकोषीय घाटे निम्नानुसार हैं। वर्ष 2003-04 के संशोधित तथा बजट अनुमान इस बात के संकेत हैं कि घाटों में वृद्धि प्रवृत्ति पर अंकुश लगा दिया गया है।

सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में राजकोषीय घाटा

वर्ष	केन्द्र	राज्य	संयुक्त
2000-01	5.7 वास्तविक आंकड़े	4.3 वास्तविक आंकड़े	9.6 वास्तविक आंकड़े
2001-02	6.2 वास्तविक आंकड़े	4.2 वास्तविक आंकड़े	9.9 वास्तविक आंकड़े
2002-03	5.9 वास्तविक आंकड़े	4.7 (संशोधित अनुमान)	10.1 (संशोधित अनुमान)
2003-04	4.8 (सं.अ.)	4.2 (ब.अ.)	9.4 (ब.अ.)
2004-05	4.4 (ब.अ.)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

(ख) और (ग) भारी राजकोषीय घाटा मुख्यत: वेतन पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय, अनिधिपोषित पेंशनों, बढ़ते ब्याज भुगतानों, अनुचित लक्षित सब्सिडियों तथा केन्द्रीय सरकार के कर-स.घ.उ. अनुपात में गिरावट होने के कारण रहा है। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 सरकार को राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा कम करने के लिए उचित उपाय करने का अधिदेश देती है ताकि राजस्व घाटे को 31 मार्च, 2008 तक समाप्त किया जा सके। वर्ष 2004-05 के केन्द्रीय बजट में, वर्ष 2003-04 (सं.अ.) में 4.8 प्रतिशत की तुलना में, स.घ.उ. के 4.4 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की कटौती करने का विचार किया गया है। राजस्व घाटे का वर्ष 2003-04 (सं.अ.) 3.6 प्रतिशत स.घ.उ. से गिरकर वर्ष 2004-05 में 2.5 प्रतिशत स.घ.उ. हो जाने का अनुमान लगाया गया है।

राज्यों को बाजार से उधार लेने की अनुमति

1485. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों, विशेषत: सूखा पीड़ित राज्यों ने डैब्ट-स्वैप स्कीम के तहत केन्द्र सरकार को पुनर्भुगतान करने में सहायता प्राप्त करने के लिए बाजार ऋणों का आश्रय लेने की अनुमति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने स्वयं ही 24000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बाजार ऋण का नियतन किया है, जिसकी उगाही संलग्न विवरण के ब्यौरे के अनुसार चालू वर्ष के दौरान ऋण विनिमय स्कीम के अंतर्गत की जानी है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2004-2005 के दौरान ऋण विनिमय स्कीम के अंतर्गत नियत ए.ओ.एम.बी.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1476.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
3.	असम	412.51
4.	बिहार	1067.32
5.	छत्तीसगढ़	266.65
6.	गोवा	0.00

1	2	3
7.	गुजरात	2048.50
8.	हरियाणा	677.49
9.	हिमाचल प्रदेश	435.03
10.	जम्मू और कश्मीर	320.33
11.	झारखंड	361.30
12.	कर्नाटक	1087.70
13.	केरल	615.13
14.	मध्य प्रदेश	735.03
15.	महाराष्ट्र	3305.96
16.	मणिपुर	0.00
17.	मेघालय	0.00
18.	मिजोरम	0.00
19.	नागालैंड	0.00
20.	उड़ीसा	691.35
21.	पंजाब	1280.14
22.	राजस्थान	1238.23
23.	सिक्किम	0.00
24.	तमिलनाडु	1231.37
25.	त्रिपुरा	0.00
26.	उत्तरांचल	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	3448.13
28.	पश्चिम बंगाल	3301.38
	कुल	24000.00

[हिन्दी]

रन-वे का विस्तार

1486. श्री सुरेश चन्देल: क्या नागर विमानन मंत्री 10 मार्च, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2766 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ए.टी.आर. 72 प्रकार के यान के संचालन के लिए रन-वे की लम्बाई को विस्तार देने के संबंध में अब तक हुई प्रगति क्या है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार से नदी के मार्ग में बदलाव और नदी प्रशिक्षण कार्य को किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिए अनुरोध किया गया था और क्या राज्य सरकार से रन-वे के विस्तार हेतु भूमि की मांग की गई; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अधुनातन स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू हवाईअड्डे पर एटीआर-72 प्रचालनों के लिए रनवे के विस्तार के लिए एक साध्यता अध्ययन करने का काम अप्रैल, 2004 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रुड़की को सौंपा गया है और सितम्बर, 2004 के अंत तक उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

आरंभिक सार्वजनिक इश्यू का मूल्यांकन

1487. श्री विजय कृष्ण:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आरंभिक सार्वजनिक इश्यू (आईपीओ) के मूल्यांकन को चेक करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बाजार मध्यवर्तियों की कार्यशीलता में वृद्धि करने और आधारभूत अवसंरचना में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। मौजूदा नीति के अनुसार, सरकार/सेबी निर्गमों की कीमत निर्धारण में अथवा निर्गमों में शेयरों पर प्रीमियम निर्धारित करने में अंतर्ग्रस्त नहीं है। इनका निर्णय बाजार द्वारा किया जाता है। तथापि, सेबी ने प्रकटन तथा निवेशक संरक्षण के लिए ब्यौरे-वार दिशानिर्देश सेबी (प्रकटन तथा निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 अनुबंधित किए हैं।

(ग) मध्यवर्तियों की अवसंरचना का पुनरीक्षण करने और बाजार के सभी खंडों को शामिल करते हुए प्रतिभूति बाजार अवसंरचना पर एक पूर्ण ''सुस्वस्थता जांच'' करने के लिए, सेबी ने प्रतिभूति बाजार अवसंरचना संवर्धन विशेषज्ञ कृत्तिकबल (स्माईल) नामक एक उच्च स्तरीय कृत्तिक बल का गठन किया है। सेबी मध्यवर्तियों के लिए विनियमों का भी समय-समय पर पुनर्विलोकन करता है ताकि उनके समग्र कार्यकरण में सुधार किया जा सके।

[हिन्दी]

एस.ई.जेड और एस.ई.क्यू.

1488. श्री नीतीश कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष आर्थिक जोन और निर्यात केन्द्रित जोन के अंतर्गत विभिन्न एकक आयात और निर्यात में संलग्न हैं;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 2004 में पृथक रूप से उक्त जोनों में ऐसे एककों की संख्या कितनी है;

(ग) इन एककों में निवेश की गयी कुल पूंजी और उधार ली गयी पूंजी कितनी है; और

(घ) 2003-2004 के दौरान इन एककों द्वारा उत्पादित और निर्यातित वस्तुओं का कुल मूल्य कितना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 2004 की स्थिति के अनुसार देश में 1814 निर्यातोन्मुख इकाइयां (ई ओ यू) और विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) में 805 इकाइयां कार्य कर रही थी।

(ग) और (घ) दिनांक 31.3.2004 तक इन इकाइयों में निवेश की गयी कुल पूंजी लगभग 19,770 करोड़ रुपए थी और वर्ष 2003-04 की अवधि के दौरान इन इकाइयों द्वारा लगभग 40,320 करोड़ रुपए के कुल निर्यात किए गए थे।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में निम्न वृद्धि कर अनुपात

1489. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में निम्न वृद्धि कर अनुपात पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है और सरकार का विचार इस प्रवृत्ति को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कर पद्धति पारदर्शक और स्वीकार्य होनी चाहिए जिससे नागरिक स्वैच्छिक रूप से कर अदा करें;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कर पद्धति का सरलीकरण करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित किये जा रहे हैं जिससे कि सभी नागरिक सरकार को आसानी से कर अदा कर सकें;

(ङ) क्या सरकार ने कर बकाया को अदा न करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 से सकल घरेलू उत्पाद (चालू बाजार मूल्यों पर) की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय कर राजस्व निम्नानुसार है:-

1999-2000	8.9%
2000-2001	9.0%
2001-2002	8.2%
2002-2003	8.8%
2003-2004	9.2%*

(* अनंतिम)

सरकार ने कराधार को विस्तृत करने, कर अनुपालन में वृद्धि करने तथा कर प्रशासन को और अधिक दक्ष बनाने जैसे मुख्य कर सुधार करके कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं।

(ग) और (घ) कर कानूनों का यौक्तिकीकरण तथा सरलीकरण एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य कर कानूनों में ऐसे परिवर्तन करना है, जो कि करदाताओं के अनुकूल हों, जिनमें व्यापक कम्प्यूटरीकरण, विवरणियों को इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत करने की सुविधा, सरलीकृत विवरणियों को अपनाने, कर संरचना का यौक्तिकीकरण तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के माध्यम से कर प्रशासन का आधुनिकीकरण शामिल है।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष [illegible] के लिए एक विशेष बहुमुखी अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

कोयले का उत्पादन

1490. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में कोयले का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या देश में कोयले का उत्पादन अन्य खनिजों के उत्पादन से कहीं ज्यादा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2002-03 के दौरान रुपयों के हिसाब से उत्पादित कोयले का मूल्य कितना था;

(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में कोयले की उत्पादकता कोयला उत्पादक अन्य देशों की उत्पादकता की तुलना में काफी कम है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) कोल क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में उत्पादित कोयले की मात्रा नीचे दी गई है:-

(मिलियन टन में)

कंपनी	2001-02	2002-03	2003-04 (अनंतिम)
सी.आई.एल.	279.646	290.688	306.386
एस.सी.सी.एल.	30.811	33.236	33.852
अन्य	17.330	17.348	20.930
अखिल भारतीय	327.787	341.272	361.168

(ख) और (ग) जी, हां। ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

(मिलियन टन में)

खनिज	1999-2000	2000-01	2001-02
कोयला	304.1	313.7	327.8
लिग्नाइट	22.5	24.2	24.8
चूना	128.8	127.2	129.8
लौह अयस्क	78.0	81.0	83.0
पेट्रोलियम (कच्चा)	31.9	32.4	32.0
बाक्साइड	7.1	8.0	8.6
डोलोमाइट	2.8	3.1	3.1

(घ) वर्ष 2002-03 के दौरान उत्पादित कोयले का मूल्य 241873.883 मिलियन रु. है।

(ङ) और (च) जी, हां। ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

(1000 टन/व्यक्ति-वर्ष)

देश	2001-02
भारत	0.708
आस्ट्रेलिया	12.9
यू.एस.ए.	12.8
साउथ अफ्रीका	4.74
पोलैंड	0.729

भारतीय कोयला खानों की उत्पादकता अन्य देशों की कोयला खानों की उत्पादकता की तुलना में अच्छी नहीं है। ऐसा इन तथ्य के कारण है कि प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियों और बड़ी संख्या में पुरानी खानों में विकसित पिलरों के कारण भूमिगत खानों में विशाल स्तर पर यंत्रीकरण व्यवहार्य नहीं है।

पुन:, सामान्य रूप से भारतीय कोयला खानों में अनुपालन की जा रही उत्पादकता की परिगणना की पद्धति अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुपालन की जा रही पद्धति से काफी भिन्न है। भारत में, अस्पताल, जलापूर्ति, सफाई, कार्यशालाओं, रखवाली, आदि, सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को भी नियोजित श्रमपाली की गणना में शामिल कर लिया जाता है। विदेशों में केवल सीधे रूप से कोयले

के उत्पादन में नियोजित लोगों के संबंध में ही विचार किया जा रहा है। अनेक सेवा कार्य ठेकेदारों के माध्यम से किए जाते हैं और इसलिए उन्हें गणना से बाहर रखा जाता है।

(छ) कोयला क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-

(1) ओपनकास्ट तथा भूमिगत, दोनों प्रकार की खानों को खोला जना।

(2) उपयुक्त भूमिगत खानों में अधिक पावर्ड सपोर्ट लांगवाल मुहानों को आरंभ करना।

(3) कंटिन्यूअस माइनर, शार्ट लांगवाल आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियां आरंभ करना।

(4) अधिक भूमिगत खानों में साईड डिस्चार्ज लोडर (एस.डी.एल.) लोड हाल डम्पर (एल.एच.डी.) लगाना।

(5) ओपन कास्ट खानों में उच्च क्षमता वाली अर्थ मूविंग मशीन (एच.ई.एम.एम.) सर्फेस माइनर को आरंभ करना।

(6) एच.ई.एम.एम./अन्य उपकरणों का ईष्टतम उपयोग करना और प्रणाली क्षमता को बढ़ाना।

(7) तेजी से कार्यान्वयन के लिए भू-अधिग्रहण और परियोजना मंजूरी में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए कदम उठाना।

उपरोक्त के अलावा, कोयला खनिकों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(क) बेहतर प्रकाश, वातायन और संचार की मार्फत खानों में कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार लाना।

(ख) श्रम शक्ति के पुन: नियोजन और उसे तर्कसंगत बनाने के साथ-साथ जनशक्ति की आयोजना में सुधार लाना।

(ग) जहां व्यवहार्य हो, वहां "सभी व्यक्तियों को सभी कार्य" अवधारणा को आरंभ करना।

(घ) सभी स्तरों पर प्रबंधन की भागीदारी की मार्फत औद्योगिक संबंधों में सुधार।

पब्लिक प्रोविडेन्ट फंड की बचत में गिरावट

1491. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान अन्य बचत की तुलना में पब्लिक प्रोविडेन्ट फंड की बचत में गिरावट देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी गिरावट के कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) लोक भविष्य निधि के तहत संग्रहण वर्ष 2002-03 के दौरान 14795 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2003-04 (अनन्तिम) के दौरान 15490 करोड़ रुपए हो गया। लोक भविष्य निधि सहित सभी लघु बचत योजनाओं के तहत संग्रहण वर्ष 2002-03 के दौरान 118586 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2003-04 (अनन्तिम) के दौरान 149551 करोड़ रुपए हो गया।

सरकार ने, समाज के विभिन्न वर्गों/लघु बचतकर्त्ताओं जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी रुचि की योजना (योजनाओं) में अभिदान करने के लिए स्वतंत्र है, की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक समूह के रूप में लघु बचत योजनाएं पेश की हैं।

आम आदमी में मितव्ययिता और बचत की आदत विकसित करने तथा सभी लघु बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर

1492. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-2003 से पहले गत तीन वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के विकास दर की तुलना में वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान इसकी औसतन विकास दर में गिरावट आई है;

(ख) क्या सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में गिरावट का मुख्य कारण औद्योगिक विकास में गिरावट है; और

(ग) औद्योगिक विकास में गिरावट के लिए कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। स्थिर कीमतों पर कारक लागत पर कुल सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान 5.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2002-03 से 2003-04 के दौरान 6.1 प्रतिशत हो गई।

(ख) जी नहीं। स्थिर कीमतों पर कारक लागत पर औसत वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान 4.9 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 2002-03 से 2003-04 के दौरान 6.6 प्रतिशत हो गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का अम्बार

1493. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत-श्रीलंका व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप राज्यों में कृषि उत्पादों के अम्बार के कारण किसानों के सामने आ रही कठिनाइयों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप राज्यों में अम्बार लगे पड़े उत्पादों का ब्यौरा क्या है और ऐसे अम्बार को रोकने तथा किसानों को बदहाली से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) श्रीलंका से कृषि वस्तुओं के पाटन और घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति का आरोप लगाते हुए पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय डी जी ए डी के समक्ष किसी स्रोत द्वारा पाटनरोधी नियमों के तहत अपेक्षित कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है।

तथापि, श्रीलंका से निर्जलित नारियल के भारी आयात जिनसे घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, के बारे में कर्नाटक डेसीकेटेड कोकोनट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। एसोसिएशन ने अन्य बातों के साथ-साथ, पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया था। पाटनरोधी जांच हेतु प्रलेखित याचिका दायर करने के लिए आवश्क दिशानिर्देशों के साथ निर्धारित आवेदन-प्रपत्र की एक प्रति एसोसिएशन को भेजी गयी है। यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ सदर्न इंडिया (उपासी) ने भी काली मिर्च पर श्रीलंका को प्रदत्त शुल्क रियायत में कमी करने के लिए भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार की समीक्षा हेतु सरकार से अनुरोध किया है। उपासी ने भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के तहत श्रीलंका से काली मिर्च के आयात में वृद्धि का आरोप लगाया है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

कोर बैंकिंग सेवा शाखाओं का लक्ष्य

1494. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक वर्ष 2003-04 के दौरान कोर बैंकिंग सेवा शाखाओं के लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय स्टेट बैंक/सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। भारतीय स्टेट बैंक कोर बैंकिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल नहीं रहा है। यह लक्ष्य अगस्त, 2003 में प्रथम प्रायोगिक शाखा को परिचालित करना तथा तत्पश्चात् उसका सीमित कार्यान्वयन करना था। कोर बैंकिंग समाधान के रूप में प्रथम प्रायोगिक शाखा दिनांक 29 अगस्त, 2003 में आयी। प्रथम चरण में सीमित कार्यान्वयन के तहत 40 शाखाओं की तुलना में बैंक ने 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार, 42 शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान को कार्यान्वित किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

लेखा प्रणाली

1495. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लेखे को और अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय विधि शुरू करने के लिए लेखे की वर्तमान नकदी

आधारित प्रणाली वाली विधि के स्थान पर लेखे की दोहरी इंट्री करने वाली प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) सरकार का यह उद्देश्य होता है कि लेखाकारिता प्रणाली में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार के मासिक तथा वार्षिक लेखे जनता के क्षेत्राधिकार में रखे जाते हैं। वित्तीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 व उसके अंतर्गत बनाए गए नियम वित्तीय कार्यों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए मानदण्डों का भी प्रावधान करते हैं। अधिनियम व नियम 5 जुलाई, 2004 से प्रभावी हुए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्क देशों के साथ समझौता

1496. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रीजनल कोआपरेशन के लिए साउथ एशियन एसोसिएशन देशों के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2002-2003 के दौरान डालर में 19 प्रतिशत बढ़ा है और रुपए में यह 21 प्रतिशत बढ़ा है;

(ख) क्या पी एच डी सी सी आई ने भारत के लिए इसे सार्क देशों के साथ व्यापार को मजबूती प्रदान करने का एक निर्णायक कदम बताया है और इसने इससे विकास को अत्यधिक प्रभावी बनाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इन देशों के साथ व्यापार में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान इसके किस सीमा तक बढ़ने की उम्मीद है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सार्क देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में से कुछ कदम हैं - भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार, 2000, सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साफ्टा) के पांचवें दौर के अंतर्गत अन्य सार्क सदस्यों के साथ टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान और 6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी करार पर हस्ताक्षर करना। इसके अलावा, द्विपक्षीय विचार-विमर्शों तथा व्यापार संवर्धन से संबंधित अन्य उपायों के जरिए सार्क देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए कदम भी उठाए जाते हैं।

फार्मों को ऋण देने का लक्ष्य

1497. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए फार्मों को ऋण देने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या किसानों और कृषि क्षेत्र को तदनुसार ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक ऋण किसानों को बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हों, सरकार द्वारा यह क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सरकार द्वारा दिनांक 18 जून, 2004 को की गई कृषि ऋण संबंधी घोषणा में वर्ष 2004-05 के लिए कृषि संबंधी बुनियादी स्तर के ऋण प्रवाह के लिए 1,04,500 करोड़ रु. का लक्ष्य रखा गया है, जो निम्नांकित है:

वाणिज्यिक बैंक	-	57,000 करोड़ रु.
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	8,500 करोड़ रु.
सहकारी बैंक	-	39,000 करोड़ रु.

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय बैंक संघ ने, घोषणा के अनुसार, किसानों को राहत उपाय देने तथा कृषि के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु वाणिज्य बैंकों के लिए क्रमश: 24 जून, 2004 एवं 7 जुलाई, 2004 को विस्तृत परिचालन संबंधी मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

कस्टम अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें

1498. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली में घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पदस्थापित कस्टम अधिकारियों के खिलाफ गत तीन वर्षों के दौरान आज तक मिली शिकायतों, विशेषकर विदेशी राजनयिकों से मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ये अधिकारी विशेष रूप से विदेशी नागरिकों/राजनयिकों को परेशान करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) दिल्ली में घरेलू हवाई अड्डे पर किसी भी सीमा शुल्क अधिकारी को तौनात नहीं किया गया है। तथापि, 2001-2002 से 2003-2004 की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क के अधिकारियों के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई थी।

पहली शिकायत भारत में लग्जमबर्ग के राजदूत श्री पाल स्टेनमेत्ज द्वारा अप्रैल, 2003 में हवाई अड्डे पर लम्बी कतार तथा प्रस्थान के समय एक महिला पर्यवेक्षक के अभद्र व्यवहार के संबंध में की गई थी। विस्तृत जांच के उपरांत यह पाया गया कि सीमा शुल्क काउंटरों के सामने लंबी कतारें नहीं दिखाई पड़ती हैं क्योंकि प्रस्थान हाल में यात्रियों की सीमा शुल्क संबंधी जांच समाप्त कर दी गई थी। यह भी पाया गया कि उक्त तिथि को सीमा शुल्क विभाग की किसी भी महिला अधिकारी को प्रस्थान हाल में तैनात नहीं किया गया था। बाद में राजदूत को यह स्पष्ट किया गया कि उक्त शिकायत सीमा शुल्क से संबंधित नहीं है।

दूसरी शिकायत यूरोपीय समुदाय के प्रथम काउंसिलर की पत्नी द्वारा जून, 2003 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई गई थी जो उनके सामान की जांच और व्यक्तिगत तलाशी के संबंध में थी। यह पाया गया कि उनका सामान सीमा शुल्क द्वारा और आगे जांच के लिए एयरलाइन्स द्वारा एक तरफ रख दिया गया था। यात्री ने सीमा शुल्क को बोर्डिंग पास दिखाए बिना सीमा शुल्क काउंटर पार कर लिया था, और इसलिए उसकी उपस्थिति में उसके सामान की जांच के लिए उसे वापस बुलाया गया था, जैसी कि प्रक्रिया है। तथापि, जब यह स्पष्ट हुआ कि वह एक राजनयिक की पत्नी हैं तो उन्हें बिना किसी जांच के जाने दिया गया। उन्होंने सीमा शुल्क द्वारा परेशान किए जाने अथवा जांच किए जाने के संबंध में और कोई विशिष्ट शिकायत दर्ज नहीं करवाई।

(ख) सीमा शुल्क द्वारा की गई जांच से यह पता चला कि उक्त दो शिकायतें विशिष्ट रूप से सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध नहीं की गई थी और इसलिए विदेशी नागरिकों/राजनयिकों को परेशान किए जाने को सीमा शुल्क से नहीं जोड़ा जा सकता। राजनयिकों अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों अथवा राजनयिक हैसियत रखने वाले किसी व्यक्ति की सीमा शुल्क द्वारा जांच नहीं की जाती है।

(ग) उक्त (क) तथा (ख) के मद्देनजर लागू नहीं होता है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय बैंक

1499. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने बहुराष्ट्रीय बैंक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या ये बैंक भारत में अपने लाभ का निवेश करते हैं अथवा भारत के बाहर अन्यत्र इसका निवेश करते हैं;

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इन बैंकों द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया और भारत में लाभ का कितना प्रतिशत निवेश किया गया;

(घ) क्या देश में इन बैंकों के आ जाने से राष्ट्रीयकृत बैंकों के व्यवसाय में गिरावट आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राष्ट्रीयकृत बैंकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण

1500. श्री रघुनाथ झा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बजट प्राक्कलन के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वास्तविक संग्रहण में वर्ष दर वर्ष कमी आती गई है और सरकार वार्षिक बजट को पेश करने के समय इसकी आशावादी संभावनाएं लगाती रही;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के वार्षिक बजट में लगायी गई संभावनाओं की तुलना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कम संग्रहण के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 2001-02 में वास्तविक संग्रहण बजट प्राक्कलन से 9414 करोड़ रुपए का 11.5 फीसदी कम था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत तीन वर्षों की वास्तविक वसूली, बजट अनुमान और बजट अनुमान की उपलब्धि की प्रतिशतता नीचे दी गई है:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	बजट अनुमान	संगृहीत उत्पाद शुल्क	बजट अनुमान की प्रतिशतता
2001-02	81720	72555	88.78
2002-03	91433	82310	90.02
2003-04 (अनंतिम)	96791	90907	93.92

इस प्रकार बजट अनुमान की उपलब्धि का प्रतिशत वर्ष 2001-2002 में 88.78 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 93.92 प्रतिशत हो गया है। बजट अनुमान औद्योगिक विकास, मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आदि के संबंध में कतिपय धारणाएं जो अनुमान लगाते समय वास्तविक मानी जाती हैं को बनाने के बाद लगाये जाते हैं।

(ख) किसी वित्त वर्ष के बजट अनुमान गत वित्त वर्ष के दौरान नवम्बर माह तक वास्तविक राजस्व संग्रहण में वृद्धि, लक्षित विनिर्माण वृद्धि और अगले वित्त वर्ष की मुद्रास्फीति तथा अगले वित्त वर्ष के बजट में प्रस्तावित अतिरिक्त संसाधन, यदि कोई हो, को जुटाने के आधार पर तैयार किए जाते हैं। बजट अनुमान एवं वास्तविक संग्रहण में अन्तर तब होता है यदि बजट अनुमान की तैयारी के स्तर पर बनाई गई कोई एक अथवा अधिक धारणाएं वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं होती हैं। वित्त विधेयक को पेश करने के उपरांत वर्ष के दौरान उत्पाद शुल्क ढांचे में किए गए परिवर्तन भी राजस्व संग्रहण को प्रभावित करते हैं।

(ग) वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमान से वास्तविक संग्रहण में 9165 करोड़ रुपये अथवा 11.2 प्रतिशत की कमी हुई थी।

(घ) बजट अनुमानों की तुलना में उत्पाद शुल्क राजस्व का वास्तविक संग्रहण विनिर्माण विकास, मूल्य की मुद्रा-स्फीति आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। उक्त अनुमान कतिपय धारणाओं पर आधारित होते हैं जिसे यदि प्राप्त नहीं की जाती तो उसका परिणाम अनुमानों को प्राप्त नहीं किया जाना होगा। वास्तविक राजस्व का बजट अनुमान से सुमेल न होने के प्रमुख कारकों में से एक यह था कि विनिर्माण विकास और औसत मूल्य मुद्रा-स्फीति वर्ष 2001-02 में क्रमश: 2.9 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत की कमी हुई थी। इसके अलावा वर्ष 2000-01 में लघु उद्योग क्षेत्र की इकाईयों के लिए पूर्ण उत्पाद शुल्क छूट की कारोबार सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर करोड़ रुपये तक करने से भी कर आधार में काफी कमी आई थी।

सिक्योरिटी पेपरों की चोरी

1501. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तेलगी गिरोह को जो अवैध रूप से सिक्योरिटी पेपरों की बड़ी मात्रा में आपूर्ति की गई है उसकी श्रृंखला में कहीं ऐसी गड़बड़ हुई है, जो स्पष्टतया नजर आती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घोटाले से सरकारी खरीद तंत्र के संबंध में होने वाले कदाचार प्रकाश में आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा खरीद तंत्र को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। तेलगी गिरोह के संचालन की आपूर्ति श्रृंखला में सिक्योरिटी पेपरों के दिए जाने की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। केन्द्रीय स्टाम्प डिपो, नासिक से चोरी की कुछ एक घटनाओं की जानकारी मिली है।

(ग) और (घ) सरकारी खरीद प्रक्रिया के संबंध में कोई कदाचार नहीं हुआ है। तथापि, घोटाले के प्रकाश में, सरकार की वित्तीय नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के कड़े पालन के अलावा, सुरक्षा अभिकरणों द्वारा निर्दिष्ट सभी सुरक्षा-उपायों का अनुपालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों के लिए एसबीआई की योजनाएं

1502. श्री तूफानी सरोज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अनिवासी भारतीयों के लिए शुरू की गई योजनाओं को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें बंद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) आज की तारीख में इन योजनाओं के अंतर्गत कुल कितने धन की उगाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 सितम्बर, 2003 को ''प्रवासी समृद्धि योजना'' शुरू की थी। अप्रवासी ग्राहकों को अपनी मोचन आय का निवेश करने के लिए व्यापक विकल्प देने के उद्देश्य से यह योजना दिनांक 05.12.2003 तक संचालन में थी और यही वह समय था, जब रिसर्जेंट इंडिया बान्डस (आरआईबी) का मोचन किया जा रहा था। यह योजना दिनांक 05.12.2003 को बन्द कर दी गई थी, क्योंकि उस समय तक मोचन कार्य समाप्त हो गया था और इस तारीख के बाद आगमन की ज्यादा आशा नहीं थी।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक ने इस योजना के तहत 64 मिलियन अमरीकी डालर जुटाए थे।

[अनुवाद]

पांचवां वेतन आयोग

1503. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने पेंशन के परिवर्तित (कम्युटेड) भाग को इसके परिवर्तन की वास्तविक तिथि के बारह वर्ष के बाद बहाल किए जाने की सिफारिश की थी जबकि इसकी वर्तमान अवधि पन्द्रह वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करके कार्यान्वित कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस सिफारिश पर मंत्रियों के समूह और स्थायी समिति, राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों के बीच आपसी बातचीत के आधार पर विचार किया गया था और यह सहमति बनी थी कि इसकी बहाली 15 वर्षों के बाद ही की जाएगी।

भारत-जापान आर्थिक सहयोग

1504. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत-जापान आर्थिक सहयोग का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के पास लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) अक्तूबर, 2001 में जापान द्वारा आर्थिक प्रतिबंध हटाने के परिणामस्वरूप, जापान तथा भारत के बीच आर्थिक सहयोग का विस्तार हुआ है। जापान सरकार तथा भारत सरकार ने पारस्परिक बातचीत के माध्यम से आर्थिक अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, जल एवं स्वच्छता जैसी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की जापान से संभावित विकास सहायता के क्षेत्रों के रूप में पहचान की है। वित्तीय वर्ष 2003-2004 में जापान द्वारा भारत को 125 बिलियन येन (लगभग 5250 करोड़ रुपए) के सरकारी विकास सहायता ऋण की वचनबद्धता की गई थी।

भारत सरकार ने वर्ष 2004-2005 के लिए सरकारी विकास सहायता ऋण पैकेज के अंतर्गत जापान सरकार के समक्ष 23 परियोजना प्रस्ताव रखे हैं। सम्यक् तत्परता के पश्चात्, जापान सरकार अपने द्वारा निधियन हेतु चुनी गई परियोजनाओं के लिए विकास सहायता देगी।

कोयला कंपनियों का निजीकरण

1505. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कोयला कंपनियों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महानदी कोलफील्ड्स के लाभ-हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) महानदी कोलफील्ड्स को और लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का सिंगरेनी कोलफील्ड्स को कई स्वतंत्र परियोजनाओं यथा रामगुंडम, मानवगुरु इत्यादि में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) एमसीएल के 2003-04 के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जा रही है। एमसीएल के पिछले तीन वर्ष के लाभ तथा हानि (कर तथा लाभांश पूर्व) नीचे दी गई है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	2002-03	2001-02	2000-01
कर तथा लाभांश पूर्व	882.31	719.60	641.35

(घ) उत्पादन तथा उत्पादकता को और उन्नत करने तथा अन्य स्टोरों, पेट्रोलियम-तेल-लुब्रीकैन्टस, विद्युत इत्यादि जैसी नियंत्रण योग्य लागत को कम करने के कदम उठाए गए हैं। कोयले का अधिक उत्पादन करने के लिए सतही खनिक के माध्यम से कोयले के खनन हेतु नई प्रौद्योगिकी आरम्भ की गयी है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न के भाग (ङ) के दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तरी कोयला परियोजना जोन के अंतर्गत बांध

1506. श्री मनोज कुमार: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पलामू जिले में उत्तरी कोयला परियोजना जोन के अंतर्गत बांध के पूर्ण होने में विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बांध को तेजी से पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड जो पलामू जिले में कोयला परियोजनाओं से संबंधित है, इस जिले में नार्थ कोल प्रोजेक्ट जोन के अंतर्गत किसी बांध का निर्माण नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन

1507. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू एस व्यापार रिप्रेजेंटेशन ने विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता फिर से आरंभ करने का हाल ही में अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि श्री रोबर्ट बी. जोएलिक ने डब्ल्यू टी ओ सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों को संबोधित अपने 11 जनवरी, 2004 के पत्र में दोहा कार्यक्रम जो कानुकन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में गतिरोध उत्पन्न होने के कारण प्रभावित हुआ था, के अंतर्गत चल रही डब्ल्यू टी ओ वार्ताओं की स्थिति का अपना आकलन दिया और इन वार्ताओं को आगे बढ़ाने हेतु कुछ सुझाव दिए थे। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों को गहत्वपूर्ण बाजार पहुंच मुद्दों अर्थात् कृषि, गैर-कृषि उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में आगे की कार्यवाही पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इन बाजार पहुंच मुद्दों का समाधान करते समय विकासशील देशों हेतु विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार के प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए। कृषि के बारे में उन्होंने उल्लेख किया था कि दोहा कार्यक्रम तभी सफल हो

सकता है जब किसी निश्चित तारीख तक निर्यात सब्सिडियों को समाप्त करने के बारे में कोई करार कर लिया जाए। अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि ने यह प्रस्ताव किया कि डब्ल्यू टी ओ के सदस्य वर्ष के मध्य के लिए योजनाबद्ध मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के साथ-साथ वर्ष 2004 के मध्य तक वार्ताओं के संबंध में एक कार्यढांचे के लिए सहमत हो सकते हैं।

भारत जुलाई, 2004 तक एक कार्यढांचे करार का विचार कर सकता है जैसाकि प्रस्ताव किया जा रहा है, ताकि यह चल रही वार्ताओं में कार्यकलाप चलाने के लिए लाभदायक हो सके तथापि, बशर्ते इससे भारत के राष्ट्रीय हितों को कोई जोखिम न हो। कार्यढांचे करार से तीन मूल मापदण्ड पूरे होने चाहिए अर्थात् दोहा मंत्रिस्तरीय अधिदेश के साथ अनुरूपता हो, ये स्पष्ट और असंदिग्ध होने चाहिए; और इनसे भावी वार्ताओं में संभावित व्यापार संतुलन अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। इस कार्यढांचे में केवल बाजार पहुंच मुद्दे ही नहीं शामिल होने चाहिए बल्कि इससे वर्तमान डब्ल्यू टी ओ करारों से संबंधित बकाया कार्यान्वयन मुद्दों और विशेष एवं विभेदकारी मुद्दों के समाधान के लिए एक कार्य प्रणाली भी सुलभ होनी चाहिए जिनके संबंध में दोहा कार्यक्रम को अंगीकार करने के बाद बहुत ही कम प्रगति हुई है।

उड़ीसा में कपड़ा मिलें

1508. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार उड़ीसा में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे प्रत्येक मिल में कितने श्रमिक नामांकित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस राज्य में कुछ और मिलें स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब कीमतें समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाती हैं तो कृषि वस्तुओं की खरीद के लिए भारतीय कपास निगम बाजार में नहीं आ रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) उड़ीसा राज्य में कार्यरत आठ सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें (गैर-एसएसआई) हैं। छः मिलें सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत हैं और एक मिल सार्वजनिक क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र के प्रबंधन के अंतर्गत है।

(ख) इन आठ मिलों में से प्रत्येक मिल में नामावली में दर्ज कामगारों की संख्या निम्नलिखितानुसार है:

क्र.सं.	गैर-एसएसआई-सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों के नाम	नामावली में दर्ज कामगार
1.	उड़ीसा काटन मिल्स	396
2.	श्री गोपीनाथ वीवर्स को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स	483
3.	कलिंगा वीवर्स को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स	1194
4.	जगन्नाथ वीवर्स को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स	849
5.	अशोका सिंथेटिक्स लि. (गंगापुर वीवर्स को-आपरेटिव स्पिनिंग)	417
6.	श्री पार्वती वीवर्स को-आपरेटिव	15
7.	माबन्ती वीवर्स को-आपरेटिव	15
8.	मणिकेश्वरी पावरलूम वीवर्स सोसाइटी	15

(ग) से (ङ) सरकार का फिलहाल उड़ीसा में और अधिक मिलों की स्थापना करने का कोई विचार नहीं है।

(च) जब कभी कपास का बाजार मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) से नीचे गिर जाता है तो भारतीय कपास निगम लि. (सी सी आई) को कपास (बीज कपास) में समर्थन मूल्य अभियान चलाने का आदेश प्राप्त है)। चालू कपास वर्ष 2003-04 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान, कपास का बाजार मूल्य एम एस पी से काफी अधिक है और समर्थन मूल्य अभियान की आवश्यकता नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली

1509. श्री सुरेश चन्देल:
श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंक-वार गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की कुल राशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निश्चित समय-सीमा के भीतर गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वर्ष-वार कुल कितनी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली की गयी है;

(घ) क्या ऋण वसूली अधिकरण ने बैंकों को गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली करने के दिशानिर्देश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कब तक सभी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली किए जाने की संभावना है;

(च) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने फसल ऋण के लिए गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के मामले में संशोधित मानदंड घोषित किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ग) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) का बैंक-वार ब्यौरा तथा गत तीन वर्षों के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि सहित इन बैंकों द्वारा की गई बैंक-वार वसूलियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) ने एनपीए की वसूली के लिए न तो कोई मार्गनिर्देश जारी किया है और न ही वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है। डीआरटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए डीआरटी उनमें दर्ज वसूली मामलों में न्यायनिर्णयन करते हैं।

(च) और (छ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितम्बर, 2004 को प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के लिए संशोधित एनपीए मानदंडों की घोषणा की है जो निम्नांकित है:

(1) यदि मूलधन अथवा उसके ब्याज की किस्तें नियत तिथि से परे दो फसल मौसम तक अदत्त रहें तो अल्पावधि फसल के लिए संस्वीकृत ऋण को एनपीए माना जाएगा।

(2) यदि मूलधन अथवा उसके ब्याज की किस्तें नियत तिथि से परे एक फसल मौसम के लिए अदत्त रहे तो दीर्घावधि फसल के लिए संस्वीकृत ऋण को एनपीए माना जाएगा।

विवरण

एनपीए के बैंक-वार ब्यौरे तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा की गई वसूली (बट्टे खाते डाली गई राशि सहित)

(करोड़ रु. में)

बैंक का नाम	एनपीए		वसूलियां	
	(31.3.2004)	(31.3.2002)	(31.3.2003)	(31.3.2004)
1	2	3	4	5
भारतीय स्टेट बैंक	11837	3415	4559	6668
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	484	228	218	172

1	2	3	4	5
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	691	273	415	425
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	266	123	166	142
स्टेट बैंक आफ मैसूर	515	143	170	242
स्टेट बैंक आफ पटियाला	504	157	239	260
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	200	98	233	176
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	662	309	235	225
कुल	15159	4746	6236	8312
इलाहाबाद बैंक	1418	280	350	571
आन्ध्रा बैंक	615	168	155	180
बैंक आफ बड़ौदा	3799	836	731	1039
बैंक आफ इंडिया	3451	941	1067	1144
बैंक आफ महाराष्ट्र	954	186	212	216
केनरा बैंक	3115	596	782	865
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	3092	543	635	831
कारपोरेशन बैंक	722	85	143	107
देना बैंक	1484	259	549	673
इंडियन बैंक	1166	1035	561	1039
इंडियन ओवरसीज बैंक	1547	356	360	526
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1214	388	235	436
पंजाब नैशनल बैंक	4670	531	500	706
पंजाब एंड सिंध बैंक	1204	91	181	160
सिंडिकेट बैंक	1586	179	171	266
यूनियन बैंक आफ इंडिया	2347	357	339	716
यूको बैंक	1450	564	373	357
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	764	263	294	340
विजया बैंक	390	177	182	246
कुल	34990	7835	7823	10418
कुल योग	50149	12581	14059	18730

[अनुवाद]

खानों से उत्पादन में कमी

1510. श्री विजय कृष्ण: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भूमिगत या खुले मुहाने वाले खदानों से कोयला और अन्य खनिजों के उत्पादन में गिरावट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कोयला तथा अन्य खनिजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) जहां उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं, वहीं समग्र उत्पादन मिश्रण में ओपनकास्ट खानों के कोयले का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है परन्तु भूमिगत खानों से कोयले के उत्पादन में गिरावट आई है। अन्य खनिजों के उत्पादन में पिछले 3 वर्षों के दौरान समग्र रूप में वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(ख) कोयला खानों में भूमिगत उत्पादन में गिरावट के कारण नीचे दिए गए हैं-

(1) समय के साथ, विद्यमान भूमिगत खानें अधिक विस्तृत और अधिक जटिल बनती जा रही है।

(2) उथली गहराई में आसानी से खनन की जाने वाली कोयला सीमें खाली हो चुकी हैं।

(3) कई खानों में प्रचालनशील सीमें पानी से भरी खनित सीमों के नीचे दबी हुई हैं जिससे उत्पादन बाधित होता है।

(4) अनेक खानों में पुरानी खनन प्रौद्योगिकी को जारी रखना पड़ रहा है चूंकि विद्यमान खदानों का स्वरूप यंत्रीकरण के लिए अनुकूल नहीं है।

भूमिगत कोयला खानों से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(1) सी.आई.एल. की भूमिगत खानों में यंत्रीकरण के संभव कार्यक्षेत्र हेतु अध्ययन किया गया है।

(2) सतत खान और लांगवाल पावर्ड सपोर्ट सहित विशाल मात्रा में उत्पादन प्रौद्योगिकी सहित यंत्रीकरण हेतु उपयुक्त स्थलों को निर्दिष्ट किया जा रहा है।

(3) यंत्रीकरण तथा आधारभूत ढांचे के साथ योजना बनाई जा रही है।

(4) जहां तक व्यवहार्य है, मैनुअल लोडरों को यंत्रीकृत लोडरों जैसे साइड डिस्चार्ज लोडर/लोड हाल डम्पर से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

हथकरघा में प्रयुक्त धागे

1511. श्री नीतीश कुमार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा उद्योग में एक विशेष प्रकार के धागे का इस्तेमाल होता है जो देश में ही बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किए गए आकलन के अनुसार हथकरघा उद्योग के लिए ऐसे धागे की औसत वार्षिक आवश्यकता कितनी है; और

(ग) ऐसे धागे के उत्पादन को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हथकरघा उद्योग को ये धागे आसानी से उपलब्ध हों, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) हैंक के रूप में पैक यार्न हथकरघा उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रमुख कच्चा माल है जिसमें लगभग 90% सूती यार्न तथा शेष मिश्रित एवं गैर सूती यार्न होने का अनुमान है। वर्ष 2003-04 में 425 मिलियन किलोग्राम हैंक रूप में पैक यार्न घरेलू बाजार में वितरित किया गया।

(ग) हथकरघा बुनकरों को हैंक रूप में यार्न पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एवं एक आश्वासित आधार पर भारत सरकार ने 1974 से हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना जारी की है। हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना, 2003 में यह निर्धारित किया गया है कि यार्न के प्रत्येक उत्पादक जो सिविल उपभोग हेतु यार्न पैक करते हैं वे अप्रैल-जून, 2000 से तथा प्रत्येक उत्तर कालीन तिमाही अवधि में पैक करेंगे जो सिविल उपभोग हेतु पैक किए गए कुल यार्न का 40% से कम अनुपात न हो बशर्ते कि वजन में 90% अथवा उससे अधिक कपास अपशिष्ट सहित कपास धारण करने वाले यार्न के संबंध में, हैंक रूप में पैक किए जाने के लिए अपेक्षित यार्न का कम से कम 80 प्रतिशत 40 काऊंट अथवा उससे कम का होगा। सरकार कताई मिल सहित वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि के माध्यम से भी सहायता प्रदान कर रही है।

[अनुवाद]

कोयला कंपनियों द्वारा खनन पट्टों का नवीकरण

1512. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि खनन पट्टा नवीकरण प्रक्रिया के मामले में राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों यथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) का खनन विभाग के साथ विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विवाद को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) से (ग) कोयला खानों को दो राष्ट्रीयकरण अधिनियमों अर्थात् कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत अधिग्रहीत किया गया और बाद में उन्हें उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कोयला कंपनियों को सौंपा गया था। इस प्रकार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) राष्ट्रीयकृत कोयला खानों हेतु 30 वर्ष के लिए समपट्टाधारी बन गये। बी.सी.सी.एल. खानों के मामले में 30 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है। ई.सी.एल. और सी.सी.एल. खानों के मामले में यह अवधि 2005 में समाप्त होगी। खनन पट्टों का नवीकरण करवाया जाना है।

ये कोयला कंपनियां पट्टे के संगत दस्तावेजों की अनुपलब्धता, सतह के अधिकार, भू-स्वामियों की सहमति, खानों की पुनर्संरचना के कारण अद्यतन कृत-रिकार्डों की कमी, विवादित देय राशि आदि के चलते खनन पट्टों के नवीकरण हेतु, खनिज रियायत नियमावली, 1960 में निर्धारित कार्यविधिक औपचारिकताओं का पूर्णत: अनुपालन करने की स्थिति में नहीं है। कोयला विभाग ने शीघ्र समाधान के लिए मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया है।

मूल्य सूचकांक

1513. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान आवश्यक वस्तुओं की थोक मूल्य सूचकांक दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विद्यमान मुद्रास्फीति की अंकुश: साप्ताहिक दर कितनी थी;

(ग) मूल्य सूचकांक में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने तथा मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सभी वस्तुओं और अनिवार्य वस्तुओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान प्रत्येक सप्ताह के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार: 1993-94) के संदर्भ में बिन्दु-दर-बिन्दु वार्षिक मुद्रास्फीति की दरें नीचे दी गई हैं:

वार्षिक मुद्रास्फीति दर (%)

सप्ताहांत (2004)	सभी वस्तुएं	अनिवार्य* वस्तुएं
3-अप्रैल	4.51	5.30
10-अप्रैल	4.57	4.42
17-अप्रैल	4.68	4.39
24-अप्रैल	4.32	4.07
1-मई	4.60	4.68
8-मई	4.20	4.45
15-मई	4.67	4.79
22-मई	5.20	5.20
29-मई	5.30	5.01
5-जून	5.55	5.05
12-जून	5.89	4.95
19-जून	5.87	4.58
26-जून	6.09	4.72

*अनिवार्य वस्तुओं में, चावल, गेहूं, चना, अरहर, आलू, प्याज, चाय, चीनी, तोरिया/सरसों तेल, मूंगफली तेल, नमक, वनस्पति, ज्वार, बाजरा, मूंग, मसूर, उड़द, दूध, अंतर्देशीय-मछली, मांस, मिर्च (सूखी), आटा, गुड़, नारियल तेल, कोक कोयला, मिट्टी का तेल, लंकिलाट, धोतियां, साड़ियां और महीन कपड़े, लौंड्री साबुन, दियासलाई, जिनका थोक मूल्य सूचकांक में 17.63 प्रतिशत का भारांश शामिल है।

मई, 2004 तक औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार-1982) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई डब्ल्यू) पर आधारित मुद्रास्फीति दर नीचे दी गई है:-

माह	सूचकांक	वार्षिक मुद्रास्फीति दर (%)
(2004)		
अप्रैल	504	2.2
मई	508	2.8

(ग) चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान मूल्य सूचकांक में वृद्धि, मुख्यत: फलों और सब्जियों (जो अनिवार्य रूप से मौसमी प्रकृति के हैं), मूल धातु के उत्पाद के मूल्यों में वृद्धि होने तथा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी (द्रवित पेट्रोलियम गैस) एवं कोयला के मूल्यों में 15 जून, 2004 से बढ़ोत्तरी किए जाने के कारण हुई।

(घ) सरकार की मुद्रास्फीति की विरोधी नीतियों में सख्त राजकोषीय एवं मुद्रा प्रबन्धन, अनिवार्य वस्तुओं के आयातों में उदारीकरण से मांग-पूर्ति का प्रभावी प्रबंधन और खाद्यान्नों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना शामिल है।

चालक दल की भर्ती

1514. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया चालक दल की भर्ती की प्रक्रिया एक पेशेवर एजेंसी को सौंपने की योजना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रीन फील्ड रूट के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1515. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रीन फील्ड रूट के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या कुछ क्षेत्रों पर बाद में विचार किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बाद में विचार किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सरकार ने एक उदार व पारदर्शी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति अपनाई है तथा एक छोटी सी नकारात्मक सूची को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रकों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रखा गया है। कुछेक क्षेत्रों के सिवाय, जहां उच्चतम सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया है, अधिकतर क्रियाकलापों/क्षेत्रकों को स्वचालित मार्ग में 100 प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है।

बजट भाषण 2004-2005 में, वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह घोषित किया गया है कि मुख्यत: अवसंरचना, उच्च प्रौद्योगिकी और निर्यात के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाना तथा सक्रिय रूप से प्राप्त किया जाना जारी रहेगा। बजट में यह प्रस्तावित है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए क्षेत्रक सीमा को बढ़ाकर दूरसंचार में 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत; नागर विमानन में 40 प्रतिशत से 49 प्रतिशत; तथा बीमा में 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत किया जाए।

भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार

1516. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2003 में उससे पिछले वर्ष की तुलना में 53.6 प्रतिशत बढ़कर अब तक का सर्वाधिक 7.598 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है;

(ख) क्या वर्ष 2003 में भारत से चीन को होने वाले निर्यात में 86.9 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जबकि चीन से होने वाले आयात में 25.1 प्रतिशत की मामूली बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार चीन के साथ व्यापार को और बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का है; और

(घ) ये प्रयास दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में किस हद तक मददगार साबित होंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) अप्रैल-फरवरी, 2003-04 के लिए भारत-चीन व्यापार से संबंधित आंकड़े वर्ष 2002-2003 की इसी अवधि की तुलना में निम्नानुसार हैं:-

(मिलियन अमरीकी डालर)

	2002-03 (अप्रैल-फरवरी)	2003-04 (अप्रैल-फरवरी)	%वृद्धि
निर्यात	1693.46	2496.81	47.44%
आयात	2527.17	3611.16	42.89%
कुल	4220.63	6107.97	44.71%

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस)

(ग) और (घ) भारत-चीन व्यापार को बढ़ाने के लिए सतत् आधार पर उठाए जा रहे कदमों में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, सरकारी और व्यापारी, दोनों स्तरों पर प्रतिनिधिमंडलों को भेजना-बुलाना आदि शामिल हैं। इन कदमों से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने में मदद मिली है और इनसे भविष्य में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की आशा है।

गैर-परमाणविक खनिजों का आयात और निर्यात

1517. श्री दुष्यंत सिंह: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से गैर-ईंधन और गैर-परमाणविक खनिजों का वर्ष-वार कितना वार्षिक आयात और निर्यात किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन खनिजों के निर्यात को बढ़ाने का है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) खान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों को छोड़कर खनिज निर्यात और आयात का मूल्य निम्नानुसार है:-

वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान अयस्कों एवं खनिजों के निर्यात और आयात का मूल्य

(मूल्य करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्यात	आयात
2000-01	34240	25390
2001-02	34842	25851
2002-03	46273	33496

(ख) और (ग) वाणिज्य विभाग ने सूचित किया है कि खनिजों के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास के रूप में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) 'ग्रेनाइट' की पहचान की गई है और इसे 'प्रमुख क्षेत्र' (थ्रस्ट एरिया) के रूप में घोषित किया गया है और खान विभाग, वित्त मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के विचार-विमर्श से ग्रेनाइट के बाधा-रहित निर्यात हेतु आवश्यक कदम उठाए गए।

(2) मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.एम.टी.सी.) जो उच्च ग्रेड लौह अयस्क के निर्यात हेतु नामजद राज्य व्यापार उद्यम है, ने अब जापान और दक्षिण कोरिया की इस्पात मिलों के साथ दीर्घ-कालिक समझौतों का नवीकरण कर लिया है और चीन की इस्पात मिलों के साथ इसी प्रकार के दीर्घ-कालिक समझौते किए हैं।

(3) ऐसे गैर-सरकारी निर्यातक, जो खानों के स्वामी हैं, को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में लाने की दृष्टि से घरेलू मांग को पूरा करने के बाद अधिशेष उच्च ग्रेड लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति दी गई है।

(4) वाणिज्य विभाग विदेशी व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा विदेशों में प्रचार-प्रसार हेतु सभी उत्पादों के लिए मार्केट डवलपमेंट असिस्टेन्स (एम डी ए) प्रदान करता है।

[हिन्दी]

राज्यों से अभ्यावेदन

1518. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार के बकायों की कटौती और अस्थायी निलम्बन के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों में उल्लिखित मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी, हां। राजकोषीय दबाव झेल रही राज्य सरकारें, इस मंत्रालय से समय-समय पर अपने केन्द्रीय ऋणों की देयताओं की अदायगी के आस्थगन/पुनर्निधारण/बट्टे खाते डालने/ऋण-स्थगन के लिए अनुरोध करती रही हैं।

एक नीति के रूप में केन्द्र सरकार सामान्तः ऐसे किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है। विशिष्ट राज्यों के संबंध में ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें भारत सरकार द्वारा स्वीकार एवं कार्यान्वित कर ली गई हैं।

[अनुवाद]

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा फोटोकापियों और स्टेन्सिल पेपर की खरीद

1519. श्री प्रभुनाथ सिंहः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फोटो कापियों और स्टेन्सिल पेपर की खरीद संबंधी आरक्षण लघु उद्योग इकाइयों के लिए है जबकि पूर्ति और निपटान महानिदेशालय बिना कोई दर संविदा जारी किए इन्हें बड़ी कंपनियों से खरीदता रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन अन्य मदों का ब्यौरा क्या है जिनकी खरीद लघु उद्योग इकाईयों से करना पूर्णतया आरक्षित है परन्तु जिन्हें बड़ी औद्योगिक इकाइयों से खरीदा जा रहा है;

(ग) क्या केबल विनिर्माताओं के एक उत्पाद संघ द्वारा लगाए गए मूल्यों के आधार पर दर संविदाएं दिए जाने के आरोप लगे हैं तथा क्या कुछ आपूर्तिकर्त्ता, जिन्हें पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने दर संविदाएं दी थीं, विशिष्ट व्यक्तियों की रिहायशवाले क्षेत्रों में केबल बिछाने हेतु नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को ठीक ऐसे ही केबलों की आपूर्ति उसी मूल्य पर कर रहे हैं जो पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को दी गयी दरों से 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन आरोपों की जांच की गयी हैं और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) वे अन्य मदें क्या हैं जिन्हें दर संविदा धारकों द्वारा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की दर से कम मूल्य पर बेचा जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा अधिसूचित सूची में ''पेपर कन्वर्जन उत्पादों, पेपर बैगों, लिफाफों, आइसक्रीम कपों तथा तश्तरी एवं पेपर प्लेटों'' के लघु उद्योग से खरीद हेतु आरक्षण का प्रावधान है। इस सूची में विशिष्ट रूप से फोटो कापीयर पेपर और स्टेंसिल पेपर शामिल नहीं हैं।

तथापि, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय ने 24.1.2003 के अपने पत्र द्वारा लघु उद्योग की इकाइयों से अनन्य रूप से खरीद करने के लिए फोटो कापीयर पेपर को शामिल करने के बारे में निर्णय लिया है। उसके बाद डी सी एस एंड डी ने केवल लघु उद्योग की इकाइयों के साथ फोटो कापीयर पेपर के लिए दर संविदाएं की हैं।

जहां तक स्टेंसिल पेपर का संबंध है, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ने 28.2.2002 के अपने पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि लघु उद्योग की इकाइयों से अनन्य रूप से खरीद करने के लिए आरक्षित मदों की सूची में स्टेंसिल पेपर शामिल नहीं है। तदनुसार, डी जी एस एंड डी स्टेंसिल पेपर के लिए दर संविदाएं कर रहा है।

डी जी एस एंड डी द्वारा लघु उद्योग की इकाइयों से खरीद हेतु अनन्य रूप से आरक्षित मदों के संबंध में लघु उद्योग की इकाइयों से भिन्न इकाइयों के साथ दर संविदाएं नहीं की जा रही हैं।

(ग) से (ङ) डी जी एस एंड डी में दर संविदाएं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है। जब कभी कार्टेल सूचना का पता चलता है तो दर संविदाओं को अंतिम रूप प्रदान करते समय उचित सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

डी जी एस एंड डी के सभी दर संविदाओं में गिरावट संबंधी खंड (फाल क्लाज) होता है जिसके अंतर्गत डी जी एस एंड डी के दर संविदा धारकों द्वारा डी जी एस एंड डी की दर संविदा में उल्लिखित कीमतों से कम कीमत पर बिक्री किए जाने अथवा बिक्री करने की पेशकश करने जैसे मामले में डी जी एस एंड डी कम दर लागू करने के लिए हकदार है। गिरावट संबंधी खण्ड के प्रावधान को डी जी एस एंड डी की दर संविदा धारक ऐसी फर्मों

के संबंध में लागू किया गया था जिन्होंने एन डी एम सी को कम दरें सूचित की थी।

डी जी एस एंड डी की दर संविदा में गिरावट संबंधी खण्ड एक अंतर निहित कीमत सुरक्षा तंत्र होता है और ऐसी आकस्मिकताओं की पूर्ति हेतु उसका सहारा लिया जाता है। इसके अलावा, जो फर्में कम दरों पर बिक्री की सूचना नहीं देती हैं, डी जी एस एंड डी की दर संविदा पर उन फर्मों के संबंध में संविदात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।

सिविल मामलों का बैकलाग

1520. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न न्यायालयों में सिविल मामलों के बैकलाग में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) तत्संबंधी उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न न्यायालयों में बकाया सिविल मामलों की संख्या में अनेक कारणों से वृद्धि हुई है। इन कारणों के अंतर्गत अपर्याप्त न्यायाधीश-पदसंख्या, न्यायाधीशों के रिक्त पदों का न भरा जाना, वकीलों की हड़ताल और मामलों का बार-बार स्थगित किया जाना है।

(ग) लंबित मामलों के उच्च न्यायालय-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शित किए गए हैं।

(घ) सरकार विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति को लगातार मानीटर करती रही है। लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए किए गए उपायों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को समय से भरा जाना, न्यायधीश-पदसंख्या में वृद्धि करना, विधि के समान प्रश्नों वाले मामलों को समूहबद्ध करना, विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन करना, नियमित अंतरालों पर लोक अदालतें आयोजित करना, बातचीत, मध्यक्ता और माध्यस्थम जैसे विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंगों को बढ़ावा देना और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों, राज्य प्रशासनिक अधिकरणों, आयकर अपील अधिकरणों जैसे विशेष अधिकरणों, कुटुंब न्यायालयों, श्रम न्यायालयों आदि की स्थापना करना सम्मिलित है।

विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	लंबित सिविल मामले	निम्नलिखित तारीख को
1.	इलाहाबाद	801193	31.3.094
2.	आंध्र प्रदेश	161340	31.3.04
3.	बम्बई	278281	30.9.03
4.	कलकत्ता	205750	31.3.04
5.	दिल्ली	57945	31.3.04
6.	गुवाहाटी	49125	31.5.04
7.	गुजरात	117854	31.12.03
8.	हिमाचल प्रदेश	17165	31.3.04
9.	जम्मू-कश्मीर	42609	31.3.04
10.	कर्नाटक	110832	31.3.04
11.	केरल	108718	31.3.04
12.	मध्य प्रदेश	137379	31.3.04
13.	मद्रास	233772	31.3.04
14.	उड़ीसा	86329	1.7.04
15.	पटना	61151	31.12.03
16.	पंजाब और हरियाणा	217818	31.3.04
17.	राजस्थान	131426	31.3.04
18.	सिक्किम	43	31.3.04
19.	उत्तरांचल	30075	1.6.04
20.	झारखंड	11463	31.3.04
21.	छत्तीसगढ़	34695	31.3.04
	योग	2894963	

[हिन्दी]

भण्डारिया में कोयला खनन कार्य हेतु प्रस्ताव

1521. श्री मनोज कुमार: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड राज्य के पलामू प्रमंडल के अंतर्गत भण्डारिया (विन्दा विहार) और पाहन प्रखण्ड के लोहादा में कोयला खनन हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सारिणी क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) और (ख) पलामू प्रमंडल के अंतर्गत भंडारिया में कोयला खनन का कोई प्रस्ताव नहीं है। झारखंड राज्य में पाहन ब्लाक में लोहादा का पता नहीं लगाया जा सकता। तथापि, दतोन्नंज कोलफील्ड में लोहारी भू-गर्भीय ब्लाक में लोहादा नामक एक ब्लाक है, जो पाटन के निकट है। लोहारी ब्लाक एक गैर-कोल इंडिया लिमिटेड ब्लाक है, जिसकी एक कैप्टिव ब्लाक के रूप में पहचान की गई है।

(ग) पलामू प्रमंडल के अंतर्गत भंडारिया सुदूर पृथक वन क्षेत्रों में स्थित है। क्षेत्रीय अन्वेषण से यह पता चला है कि इस स्थान की सीमें पतली तथा घटिया गुणवत्ता वाली हैं, जहां सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक खनन संभव नहीं है।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों का निर्यात

1522. **श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:**
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले 5 वर्षों के दौरान निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इससे, विशेषरूप से केरल द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ख) क्या अनेक देशों में भारतीय समुद्री उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि वहां इन्हें अस्वास्थ्यकर पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता मानक पर कोई नियंत्रण लगा रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्यात संबंधी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों के दौरान केरल समेत भारत से समुद्री उत्पादों का निर्यात और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार थी:-

वर्ष	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
1999-2000	1189.09
2000-01	1416.32
2001-02	1253.35
2002-03	1424.90
2003-04	1211.86 (अनंतिम)

समुद्री उत्पादों के राज्य-वार निर्यात के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) केवल सऊदी अरब ने भारत में मौजूदा हैजा के आधार पर भारत से ताजे समुद्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार अनेक उपाय कर रही है जिनमें शामिल हैं- उत्पादन, भण्डारण एवं परिवहन के सभी चरणों में समुद्री खाद्य की स्वच्छतापूर्ण हैंडलिंग करने हेतु आवश्यक अपेक्षाएं निर्धारित करना ताकि गुणवत्ता मानकों का कारगर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके; रसायनों एवं भारी धातुओं का अधिकतम अनुमत्य स्तर निर्धारित करना; समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा प्रसंस्करण यूनिटों पर निगरानी रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपेक्षित मानकों का अनुपालन हो रहा है; स्वच्छता एवं गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं को उन्नत बनाने हेतु समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीमें, रोगों के प्रकोप की रोकथाम हेतु ठोस प्रबंधन पद्धतियां अपनाने के लिए जल कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

[हिन्दी]

फिल्मी हस्तियों के विरुद्ध बकाया आयकर

1523. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक देश के विभिन्न जाने-माने फिल्म अभिनेताओं/अभिनेत्रियों पर व्यक्तिगत रूप से कितना आयकर बकाया है;

(ख) सरकार द्वारा उनके आयकर की वसूली हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आयकर का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आयकर विभाग ''जाने-माने फिल्म अभिनेताओं/अभिनेत्रियों'' जैसी श्रेणियों के संबंध में बकाया करों के केन्द्रीय रूप से अलग ब्यौरे नहीं रखता है।

(ख) आय कर की वसूली तंत्र के माध्यम से की जा रही है जैसा कि आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्या-XVII और दूसरी अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। उपायों में, धारा 220(2) के अंतर्गत सांविधिक सूचना जारी करना, बकायों की अदायगी न करने के लिए ब्याज प्रभारित करना और अर्थदण्ड लगाना, चूककर्त्ता के बैंक खातों को और ऐसे चूककर्त्ता को देनदार द्वारा देय राशि को कुर्क करना, चूककर्त्ता की चल/अचल सम्पत्तियों को कुर्क करना एवं उनकी बिक्री करना, चूककर्त्ता को गिरफ्तार करना, चूककर्त्ता की चल/अचल सम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए एक रिसीवर को नियुक्त करना आदि शामिल हैं।

(ग) करों की समय पर अदायगी के लिए आय कर अधिनियम के अंतर्गत किन्हीं विशेष प्रोत्साहनों का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, धारा 234ख एवं ग के अंतर्गत अपेक्षित अग्रिम कर की अदायगी में चूकों/विलम्ब के लिए प्रभारित ब्याज और आय कर अधिनियम की धारा 220(2) के अंतर्गत प्रभारित ब्याज लगाया नहीं जाता, यदि करों की समय पर अदायगी कर दी जाती है। जब करों की चूक की जाती है तब धारा 221(1) के अंतर्गत लगाए जाने वाले अर्थ दण्ड से समय पर करों की अदायगी करके बचा जा सकता है।

[अनुवाद]

भारत व्यापार संवर्धन संगठन

1524. श्री विजय कृष्ण: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने प्रदर्शनी स्थल के विस्तार हेतु किसी योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और सरकार इस परियोजना हेतु कहां से उक्त धनराशि की व्यवस्था करने जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

करेंसी नोट मुद्रणालय

1525. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्यरत करेंसी नोट मुद्रणालयों की मुद्रण क्षमता क्या है और इस समय विभिन्न मूल्य के कौन-कौन से करेंसी नोट मुद्रित किए जा रहे हैं; और

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष कितनी संख्या में और कितने मूल्य के फटे पुराने करेंसी नोटों को बदला जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) देश में कार्यरत करेंसी नोट मुद्रणालयों की मुद्रण क्षमता, एकल पारी के आधार पर लगभग 11,600 मिलियन अदद प्रतिवर्ष है। इस समय इन मुद्रणालयों द्वारा 5 रु., 10 रु., 50 रु., 100 रु., 500 रु. और 1000 रु. मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों का मुद्रण किया जा रहा है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पिछले दो वर्षों में बदले गए फटे-पुराने नोटों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	अदद की संख्या (मिलियन में)	नोटों का मूल्य (करोड़ रुपये)
2002-03	31.8	75.88
2003-04	28.7	71.22

लघु बचतें

1526. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान देश में लघु बचतों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में लघु बचतों को और बढ़ाने हेतु प्रोत्साहनों को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) वर्ष 2003-04 (अनन्तिम) के दौरान लघु बचत संग्रहण वर्ष 2002-03 के दौरान किए गए संग्रहण से 27 प्रतिशत अधिक था।

(ग) और (घ) लघु बचत योजनाओं को नगण्य जोखिम, आकर्षक प्रतिलाभ, आयकर रियायत, आसान पहुंच, नकदी आदि जैसे कई प्रोत्साहन पहले से ही प्राप्त हैं जिन्होंने लघु बचत संग्रहणों में तेजी लाने में योगदान प्रदान किया है। इसके अलावा, वर्ष 2004-05 के बजट भाषण में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई बचत योजना की घोषणा की गई है जिसमें प्रति वर्ष नौ प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रदान करना प्रस्तावित है।

[हिन्दी]

कोयले की मांग और पूर्ति

1527. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक कोल इंडिया लिमिटेड तथा नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन सहित अन्य कम्पनियों द्वारा किए गए कोयले के उत्पादन और आपूर्ति का अनुषंगी कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कोयले के उत्पादन और बिक्री का वर्षवार और राज्यवार झारखंड सहित ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि हेतु इसका मूल्य क्या है;

(ग) घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में कोयले की राज्यवार औसत वार्षिक मांग कितनी है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के निर्यात और आयात में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) सी.आई.एल. और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन सहित अन्य कंपनियों द्वारा किए गए कोयले के उत्पादन और आपूर्ति का अनुषंगी कम्पनी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) कोयले के उत्पादन और बिक्री तथा इसके मूल्य का वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) कोयले की मांग का आकलन राज्य-वार पर न करके सैक्टर-वार किया जाता है। वर्ष 2004-05 के लिए अखिल भारतीय आधार पर कोयले की मांग 404.19 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के निर्यात में कमी आई है जबकि कोयले का आयात लगभग स्थिर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के निर्यात और आयात का विवरण निम्न प्रकार है:-

(मात्रा मिलियन टन में)

वर्ष	निर्यात	आयात
2001-02	1.903	20.548
2002-03	1.517	23.260
2003-04 (अनंतिम)	1.460	21.500

कोयले का आयात सरकार की आयात नीति के ओपन जनरल लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत आता है और उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(च) नेपाल को सी.आई.एल. द्वारा निर्यात किए गए कोयले का मूल्य भारतीय मुद्रा में प्राप्त हुआ है। ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान निर्यात किए गए कोयले से कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गई है।

विवरण-I

कम्पनी	उत्पादन (मिलियन टन में)				आपूर्ति/बिक्री (मिलियन टन में)			
	2001-02	2002-03	2003-04 (अनंतिम)	अप्रैल 04 से मई 04 (अनंतिम)	2001-02	2002-03	2003-04 (अनंतिम)	अप्रैल 04 से मई 04 (अनंतिम)
ईसीएल	28.552	27.178	28.001	4.012	27.804	26.754	26.913	4.672
बीसीसीएल	25.552	24.153	22.701	3.599	24.696	21.776	23.354	4.151
सीसीएल	33.806	36.975	37.336	4.479	33.064	36.537	36.320	5.219
एनसीएल	42.462	45.101	47.032	7.159	42.684	44.428	46.482	7.776
डब्ल्यूसीएल	37.009	37.815	39.526	6.505	38.027	38.111	39.192	6.617
एसईसीएल	64.12	66.604	71.008	12.154	64.860	68.267	70.876	12.602
एमसीएल	47.805	52.229	60.049	10.351	49.030	51.360	59.347	10.842
एनईसी	0.64	0.633	0.733	0.102	0.620	0.640	0.870	0.146
सीआईएल	279.646	290.688	306.386	48.361	280.785	287.873	303.354	52.025
एससीसीएल	30.811	33.236	33.852	5.514	31.043	33.367	33.830	5.557
जेकेएमएल	0.035	0.025	0.02	0.004	0.026	0.024	0.031	
जेएसएमडीसीएल	0.558	0.493	0.444	0.106	0.560	0.498	0.444	
डीवीसी	0.335	0.171	0.381	0.066	0.325	0.145	0.401	
इस्को	1.14	0.82	0.77	0.191	1.133	0.864	0.765	3.133*
पीयूबी	312.525	325.433	341.853	54.242	313.872	322.771	338.825	
बीईसीएमएल	2.911	3.085	3.769	0.668	2.913	3.093	3.761	
आईसीएमएल	—	0.317	1.495	0.409	—	0.309	1.432	
जेएसपीएल	1.549	2.116	2.466	0.472	1.549	2.111	2.423	
एमईजी	5.149	4.406	5.439	—	5.149	4.406	5.439	
टिस्को	5.653	5.913	6.146	1.022	5.658	5.918	6.139	
निजी	15.262	15.839	19.315	2.571	15.269	15.837	19.149	
कुल कोयला	327.787	341.272	361.168	56.813	329.141	338.608	358.019	60.715
एनएलसीएल	18.369	18.624	20.556	3.509	18.071	18.609	21.116	3.639

टिप्पणी: *सीआईएल तथा एससीसीएल के अतिरिक्त

विवरण-II

कम्पनी	उत्पादन (मिलियन टन में)			आपूर्ति/बिक्री (मिलियन टन में)			मूल्य (मिलियन रु. में)	
	2001-02	2002-03	2003-04 (अनंतिम)	2001-02	2002-03	2003-04 (अनंतिम)	2001-02	2002-03
आंध्र प्रदेश	30.811	33.236	33.852	31.043	33.367	33.830	29425.3	31375.399
असम	0.640	0.633	0.733	0.620	0.640	0.870	837.8	873.899
छत्तीसगढ़	53.621	56.758	61.504	54.826	58.835	60.993	28688.0	35523.901
जम्मू तथा कश्मीर	0.035	0.025	0.020	0.026	0.024	0.031	16.0	15.400
झारखंड	76.813	78.628	79.549	75.402	75.840	78.963	41807.4	54447.084
मध्य प्रदेश	44.156	45.736	49.825	41.746	44.990	49.872	31704.8	31418.602
महाराष्ट्र	30.830	31.359	32.912	31.789	31.779	32.581	22854.4	24847.561
मेघालय	5.149	4.406	5.439	5.149	4.406	5.439	3218.1	6082.779
उड़ीसा	47.805	52.229	60.049	49.030	51.360	59.347	19091.6	20307.862
उत्तर प्रदेश	16.533	17.783	15.791	18.759	17.313	15.527	14261.3	13387.000
पश्चिम बंगाल	21.394	20.479	21.494	20.751	20.054	20.566	24574.9	23594.396
कुल कोयला	327.787	341.272	361.168	329.141	338.608	358.019	216479.6	241873.883

टिप्पणी: चूंकि वर्ष 2003-04 हेतु कोल इंडिया लि. के खाते लेखा-परीक्षा के अधीन हैं इसलिए उक्त अवधि हेतु कोयला विक्रय मूल्य उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

बैंक ऋण बढ़ाना

1528. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एकल कर्जदारों हेतु बैंक ऋण में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकों द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए उधारकर्त्ताओं की उदारीकृत पहुंच एवं पूंजी/ऋण बाजार के माध्यम से संसाधनों को जुटाने की उनकी क्षमता के आलोक में, आरबीआई ने हाल ही में बैंकों की ऋण एक्सपोजर सीमाओं से संबंधित मार्गनिर्देशों की समीक्षा की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बैंकों से कहा है कि वे विशेष परिस्थितियों में अपने बोर्डों के अनुमोदन से अपनी वार्षिक रिपोर्टों में उपयुक्त प्रकटन करने की सहमति के अध्यधीन उधारकर्त्ता को 15 प्रतिशत की पूर्व सीमा के अतिरिक्त पूंजी निधि में 5 प्रतिशत (अर्थात् एकल उधारकर्त्ता के लिए 20 प्रतिशत की पूंजी निधि) तक अतिरिक्त उधार में बढ़ोत्तरी पर विचार कर सकते हैं। आधारभूत संरचना के लिए एक्सपोजर के संबंध में बैंक 20 प्रतिशत की सीमा के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक संस्वीकृति पर विचार कर सकते हैं।

मदुरै-कोलम्बो-सिंगापुर के लिए उड़ान

1529. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री ए.के. मूर्ति:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदुरै-कोलम्बो, मदुरै-सिंगापुर और हैदराबाद-लंदन के बीच उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ब्रिटिश एयरवेज ने हैदराबाद से लंदन के लिए सीधी उड़ान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) श्रीलंका और सिंगापुर को नामित विमानकम्पनी को इस समय मदुरै अवतरण स्थल के रूप में उपलब्ध नहीं है। इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया की इस समय मदुरै-कोलम्बो तथा मदुरै-सिंगापुर सैक्टरों पर प्रचालनों की कोई योजनाएं नहीं हैं। यूनाइटेड किंगडम की नामित विमानकम्पनी को हैदराबाद भी एक अवतरण स्थल के रूप में उपलब्ध नहीं है। यद्यपि एअर इंडिया की हैदराबाद से लन्दन के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है, परन्तु हैदराबाद से उनकी हब एण्ड स्पोक उड़ानों के साथ मुम्बई से होकर बेरोक-टोक उड़ानें उपलब्ध हैं।

(घ) से (च) जनवरी, 2004 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय नागर विमानन विचार-विमर्शों के आखिरी दौर के दौरान, ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल ने उनकी नामित विमानकंपनी के लिए हैदराबाद को एक अतिरिक्त स्थल बनाये जाने का अनुरोध किया था। तथापि, किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सका था।

राज्यों को प्रति व्यक्ति योजना सहायता

1530. **श्री अनवर हुसैन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-2004 के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति योजना सहायता कितनी है;

(ख) क्या असम राज्य को सरकार से अन्य राज्यों विशेषत: राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम आदि की तुलना में बहुत कम प्रति व्यक्ति योजना सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) राज्य योजना के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। असम की प्रतिव्यक्ति सहायता गैर-विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों से अधिक लेकिन सभी अन्य विशेष श्रेणी के राज्यों से कम थी। इसके लिए कोई सुधारात्मक उपाय जरूरी नहीं हैं, क्योंकि असम ने गैर-विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त अन्य सभी राज्यों की तुलना में अधिकतम केन्द्रीय सहायता प्राप्त की है। सामान्य केन्द्रीय सहायता का निर्धारण गाडगिल फार्मूले के अनुसार होता है और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित केन्द्रीय सहायता और विशेष राज्य योजना स्कीमें राज्यों के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करती हैं।

विवरण

ए.पी. 2003-2004 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता (1991 की जनसंख्या पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता (रुपयों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	612.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	8159.49
3.	असम	977.70
4.	बिहार	329.39
5.	छत्तीसगढ़	376.48
6.	गोवा	786.67
7.	गुजरात	721.02
8.	हरियाणा	369.88

1	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	2804.99
10.	जम्मू और कश्मीर	3966.81
11.	झारखंड	323.96
12.	कर्नाटक	467.88
13.	केरल	343.27
14.	मध्य प्रदेश	473.58
15.	महाराष्ट्र	204.14
16.	मणिपुर	3219.05
17.	मेघालय	2726.70
18.	मिजोरम	9277.54
19.	नागालैंड	4356.61
20.	उड़ीसा	584.78
21.	पंजाब	297.92
22.	राजस्थान	557.23
23.	सिक्किम	9266.34
24.	तमिलनाडु	290.63
25.	त्रिपुरा	2548.86
26.	उत्तर प्रदेश	332.32
27.	उत्तरांचल	2125.90
28.	पश्चिम बंगाल	314.86

नयी पेंशन योजना

1531. श्रीमती कृष्णा तीरथ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुविधाओं की बहाली के मुद्दे की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली दिनांक 1 जनवरी, 2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नए भर्ती किए गए सभी व्यक्तियों (पहले चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अधिदेशी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पायलटों का पलायन

1532. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की तुलना में अन्य निजी विमान कंपनियों में वेतनमान अधिक होने तथा कार्य संस्कृति भिन्न होने के कारण इंडियन एयरलाइंस की सहायक कंपनी एलाइंस एयरवेज से पायलट निजी विमान कंपनियों को पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान एलाइंस एयरवेज को छोड़कर निजी विमान कंपनियों में जाने वाले पायलटों की संख्या कितनी रही है; और

(ग) पायलटों के पलायन को रोकने तथा वहां के वेतन ढांचे को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) 1 जुलाई, 2002 से आज तक, एलाइंस एयर से 33 पायलट त्याग-पत्र दे चुके हैं। इनमें से 11 इंडियन एयरलाइंस में तथा दो एअर इंडिया में शामिल हो चुके हैं। शेष 20 पायलटों की स्थिति और उनके एलाइंस एयर को छोड़ने के कारण ज्ञात नहीं हैं।

(ग) एलाइंस एयर के पायलटों समेत सभी कर्मचारियों के वेतन के ढांचे तथा अन्य सेवा स्थितियों की संवीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

लाभ में कमी

1533. श्री मनोज कुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-2004 के दौरान एअर इंडिया के लाभ में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाभ को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) अनंतिम परिणामों के अनुसार, एअर इंडिया, वर्ष 2002-03 में अर्जित 133.86 करोड़ रुपए की तुलना में, वर्ष 2003-04 के अंत तक 105.50 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित करेगी। वर्ष 2003-04 के दौरान लाभ में आई गिरावट के कारण हैं:- (1) सार्स की वजह से उड़ानों का रद्द होना/हटा लिया जाना, जिसके परिणामत: यातायात में कमी आई, (2) अप्रैल-मई, 2003 के दौरान पायलटों द्वारा प्रचालन न करना, (3) ईराक युद्ध, (4) एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ए टी एफ) के मूल्यों में वृद्धि, तथा (5) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आया समग्र मन्दी का दौर।

(ग) एअर इंडिया द्वारा अधिक राजस्व उगाहने के साथ-साथ लगातें घटाने के लिए किए गए उपाय हैं:- (1) मौजूदा स्थानों पर आवृत्तियां बढ़ाने तथा नए स्थानों के लिए सेवाएं प्रचालित करने के लिए विमानों को ड्राई लीज पर लेना, (2) सामान्यत: हानिप्रद मार्गों से क्षमता हटाकर तथा अधिक लाभप्रद मार्गों पर दक्षता को पुन: लगाकर मार्ग-युक्तिकरण, (3) स्वचालित राजस्व प्रबंधन प्रणाली (ए आर एम एस) का कार्यान्वयन, (4) विदेशी स्टेशनों, बन्द/क्षमता में कमी किए गए विदेशी कार्यालयों तथा सरेण्डर स्पेस पर स्टाफ की संख्या में कटौती, (5) प्रचालनगत क्षेत्रों को छोड़कर भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबंध और गैर-प्रचालनगत क्षेत्रों से स्टाफ को हटा कर प्रचालनगत क्षेत्रों में तैनात करना, (6) सेवानिवृत्ति की आयु घटाना, (7) एजेंसी कमीशन को 9% से घटाकर 7% करना, (8) गैर-निष्पादन सम्पत्तियों का निपटान आदि।

[अनुवाद]

बकाया कर राशि

1534. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 2003 (प्रत्यक्ष कर) के अपने प्रतिवेदन संख्या 13 के पैरा 1.7 में पृष्ठ 6 और 7 में बताया है कि लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए 3993 मामलों में कर मांग की राशि के रूप में 39,631.50 करोड़ रुपये बकाया थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार आयुक्तालयवार कुल बकाया मांग कितनी है और यह कब से बकाया है; और

(घ) बकाया कर मांग की वसूली के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) कर मांगों के बकाया रहने के कारणों में न्यायालयों, आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) और आयकर प्राधिकारियों द्वारा दिए गए स्थगन आदेश, बीआईएफआर और समझौता आयोग के समक्ष लम्बित मामले तथा उन मामलों से संबंधित मांगें, जिनमें वसूली संबंधी प्रक्रियाएं विशेष न्यायालयों द्वारा संचालित की जाती हैं, शामिल हैं।

(ग) दिनांक 1.4.2004 को बकाया मांग की कुल राशि 87,885.21 करोड़ रुपये है। मंत्रालय स्तर पर आयुक्तालय-वार विवरण केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। मांग की बकाया राशियों की स्थिति मांग की परिसमाप्ति तथा नए संयोजन के साथ लगातार बदलती रहती है।

(घ) करों की बकाया राशियों के परिसमापन के लिए उठाए गए कदमों में, अपीलों के शीघ्र निपटान के प्रति उठाए गए कदम, स्थगन को हटाना, अधिक बकाया राशि वाले मामलों की मानीटरिंग, मुकदमे-बाजी में कमी और वसूली को प्रभावी बनाने के लिए विशेष एककों की स्थापना करना, शामिल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने एक अनुरोध किया है और मैं उन्हें वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दे रहा हूं।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) असम में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य;

(2) बिहार में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य; और

(3) मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के भोमटोला गांव में 8.7.2004 को तीन दलित महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के बारे में एक वक्तव्य ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

(एक) असम में बाढ़ की स्थिति*

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, बताया गया है कि 27 में से 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी सहायक नदियां कामरूप, गुवालपाड़ा, धुबरी, दारांग एवं नौगांव जिलों में अभी तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नलबाड़ी जिले में सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नलबाड़ी का सड़क सम्पर्क सभी दिशाओं से कटा हुआ है। कामरूप जिले में हाजो के नए क्षेत्र जल मग्न हो गए हैं। करीमगंज जिले में भी लंगाई तथा कुचियारा नदियों में पानी बढ़ रहा है तथा निचले क्षेत्र जल मग्न हो गए हैं। बाराक सहित सोनितपुर, शिबसागर तथा कछार जिलों में नदी में जल स्तर में गिरने का रुख है। बोंगई गांव जिले में एयरमानस तथा ब्रह्मपुत्र नदियों में जल स्तर स्थिर है। जोरहाट तथा चिरांग जिलों में नदियों में जल स्तर कम हो रहा है।

यद्यपि अधिकांश नदियों में जल स्तर कम हो रहा है परन्तु दिनांक 14.7.2004 को राज्य के कुछ भागों में अच्छी वर्षा हुई है और इसके कारण सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति यथावत है।

सूचित की गई क्षति निम्न प्रकार है:-

प्रभावित गांवों की संख्या	6425
प्रभावित फसल क्षेत्र	4,68,000 हैक्टेयर्स
प्रभावित कुल जनसंख्या	50 लाख
मानव जीवन की क्षति	17
क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	लगभग 4 लाख

बताया गया है कि महत्वपूर्ण संस्थापनाओं, टेलीफोन लाइनों, शैक्षणिक संस्थाओं, विद्युत सब स्टेशन तथा अन्य सरकारी संस्थापनाओं को भारी क्षति पहुंची है। मलाहू में ब्रह्मपुत्र का 1.5 किमी. तटबन्ध टूट गया है। बाढ़ के पानी से काजीरंगा नेशनल पार्क प्रभावित हुआ है और 3 हाग डियर तथा 2 अजगर मारे गए हैं। असम में जो नए क्षेत्र जलमग्न हुए हैं उनमें कामरूप (हाजो क्षेत्र), गोलाघाट (बोकाखाट क्षेत्र), धुबरी, दरांग, लखीमपुर, हमरेन और मोरीगांव शामिल हैं। करीमगंज जिले में कांचुवा नदी के तटबंध में दरार आ गई है जिससे 100 परिवार प्रभावित हो गए हैं। अधिकांश ग्रामीण सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई बताई गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 31, राष्ट्रीय राजमार्ग-44 और राष्ट्रीय राजमार्ग-53 अनेक स्थानों पर पानी में डूबे होने तथा भूस्खलनों के कारण इन सड़कों पर यातायात अभी तक बाधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर नलबारी तथा बारपेटा के बीच एक 20 मीटर की दरार भर दी गई है। राज्य लोक निर्माण विभाग सड़क में दरार आ जाने के कारण बारपेटा से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 तक सड़क संचार भी कटा हुआ है।

ब्रह्मपुत्र के उत्तर में गुवाहाटी तक बड़ी लाइन सम्पर्क पुन: स्थापित कर दिया गया है परन्तु बाढ़ के पानी के कारण बाधित होने का खतरा बना हुआ है। रांगिया और धेमजी (ब्रह्मपुत्र के उत्तर में) रेल सम्पर्क अभी भी बाधित है और इसके 30 जुलाई से पहले पुन: चालू होने की आशा नहीं है। ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में रेल संपर्क अभी भी चालू है। लमडिंग से बदरपुर तथा रांगिया से तेजपुर के बीच रेल सम्पर्क बाधित है। लमडिंग से बदरपुर के बीच रेल संपर्क को आज शाम तक ठीक कर दिए जाने की आशा है।

राज्य सरकार बचाव और राहत अभियान चला रही है। 1296 सहायता शिविर खोले गए हैं। 2,75,864 व्यक्तियों को अनुग्रह पूर्वक राहत प्रदान की गई है। अनुग्रह पूर्वक राहत के तौर पर 51717 क्विंटल चावल, 5779 क्विंटल दाल, 665 क्विंटल चिरा तथा 1681 क्विंटल नमक तथा 120 क्विंटल गुड़ वितरित किया गया है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न विभागों को सड़कें, पुल, तटबंध आदि की तत्काल मरम्मत का कार्य हाथ में लेने के लिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवाईयां और चारा वितरित करने के लिए पेय जल सुविधाओं के लिए हाथ से चलाए जाने वाले ट्यूब वैल की स्थापना तथा हाल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त विद्युत संस्थापनाओं को पुन: चालू करने के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता तथा की गई कार्रवाई

राज्य सरकार ने 7 हैलीकाप्टरों हेतु अनुरोध किया है। राज्य सरकार को हैलीकाप्टर उपलब्ध करा दिए गए हैं। हैलीकाप्टर राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़, जोरहाट तथा सिल्चर में तैनात किए गए हैं।

सेना द्वारा राहत और बचाव कार्यों के लिए निम्नानुसार सहायता प्रदान की जा रही है:-

* 3 कम्पोजिट बाढ़ सहायता दस्ते नलबाड़ी में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 264/04

[श्री शिवराज वि. पाटील]

* 3 कम्पोजिट बाढ़ सहायता दस्ते कामरूप जिला में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

* 4 बी ए यू टी के साथ 1 कम्पोजिट बाढ़ सहायता दस्ता दारांग जिले में कार्य कर रहा है।

* 1 कम्पोजिट बाढ़ सहायता दस्ता नागांव जिले में कार्य कर रहा है।

* 2 बी ए यू टी के साथ कोकराझार जिले में एक कम्पोजिट बाढ़ सहायता दस्ता कार्य कर रहा है।

* 5 बी ए यू टी के साथ ग्वालपाड़ा जिले में 3 कम्पोजिट बाढ़ सहायता दस्ते कार्य कर रहे हैं।

* 4 बी ए यू टी के साथ मोरीगांव जिले में 1 कम्पोजिट बाढ़ सहायता दस्ता कार्य कर रहा है।

राज्य सरकार ने 25 और अधिक बी ए यू टी के लिए अनुरोध किया था। पुणे और बंगलौर से गुवाहाटी में 23 बी ए यू टी पहुंच गए हैं। इसके साथ ही असम में बचाव राहत के लिए कुल 46 बी ए यू टी उपलब्ध हो जाएंगे।

माल के लगभग 120 रेक, ब्रह्मपुत्र के उत्तर में बड़ी लाइन सम्पर्क पर यातायात की धीमी गति तथा मेल व एक्सप्रैस गाड़ियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के कारण, असम में प्रवेश करने हेतु रुके पड़े हैं। अब नागरिक आपूर्ति के लिए रैकों का आवागमन चालू हो गया है। असम सरकार ने आवश्यक सामग्रियों का रेल द्वारा संचलन प्राथमिकता के आधार पर करने का संकेत दिया है। तदनुसार रेल मंत्रालय ने असम सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर रैकों की आवाजाही प्रारम्भ कर दी है।

बारपेटा, गुवाहाटी तथा गोसाईगांव साइडिंग में खाद्यान्न ले जाने वाले रैकों से माल उतारने का कार्य साइडिंग के आशिंक तौर पर डूबे होने, साइडिंग को जाने वाले पहुंच मार्गों के क्षतिग्रस्त होने तथा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में स्थान की कमी के कारण प्रभावित हुआ है। भारतीय खाद्य निगम रोड ब्रीजिंग के जरिए और गोदाम स्थान बनाकर रैक से माल उतारने के काम में तेजी ला रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सात अन्य टर्मिनलों पर रेकों को खाली करने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। खाद्य विभाग को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की सड़क मार्ग से खाद्य भंडार को ले जाने के कार्य में तेजी लाने की सलाह दी गई है।

खाद्य विभाग तथा रेल मंत्रालय दोनों ने ही पुष्टि की है कि मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा तथा नागालैंड में एक महीने का खाद्यान्न उपलब्ध है। पूर्वोत्तर में खाद्यान्न का पूरा स्टाक 2 लाख मीट्रिक टन बताया गया है। असम के लिए 1.44 लाख मी. टन खाद्यान्न असम में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध है। इसी प्रकार, भारतीय खाद्य निगम के पास अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में पर्याप्त खाद्यान्न है।

गुवाहाटी साइडिंग और मेघालय/जयंतिया पहाड़ियों के बीच सड़क सम्पर्क चालू है। खाद्यान्न ले जाने वाले लगभग 120 ट्रक सड़क पर हैं तथा सोनपुर तथा जयंतिया पहाड़ियों की ओर जाने वाली सड़क के आज शाम तक ठीक हो जाने की आशा है जैसा कि डी जी (बी आर) ने रिपोर्ट दी है। यहां उल्लेखनीय है कि लगभग 600 ट्रक सड़क पर रुके हुए हैं तथा डीजी (बीआर) ने सड़क को भारी वाहनों के लिए पूरी तरह यातायात योग्य बनाने का परामर्श दिया है।

असम सरकार ने सड़क संचार को बहाल करने के लिए 6 बैली ब्रिज की स्थापना करने का अनुरोध किया है। बाढ़ में बह गए राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 1059 किलोमीटर पर रांगिया के नजदीक पुलिया/पुल की बहाली करने का कार्य भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और यदि किसी सहायता की आवश्यकता होगी तो इंजीनियर-इन-चीफ, सेना मुख्यालय आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। अन्य 5 स्थानों के लिए जहां बैली ब्रिज तत्काल स्थापित किए जाने हैं। इंजीनियर-इन-चीफ, सेना मुख्यालय के पास आवश्यक क्षमता है तथा वे राज्य सरकार से आवश्यक मांग प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रारम्भ कर देंगे। असम सरकार को तद्नुसार परामर्श दिया गया है।

न्यू गुवाहाटी से सिल्चर, त्रिपुरा और मिजोरम को खाद्यान्न ले जाने वाले 40 से 50 ट्रकों की नियमित आवाजाही जारी है।

राज्य सरकार ने 50 लाख हैलोजन गोलियां, 50 लाख ओ आर एस के पैकेट, 500 मी. टन डी डी टी और 200 मी. टन ब्लीचिंग पाउडर के लिए अनुरोध किया था। 25 लाख हैलोजन गोलियां हवाई जहाज से लाई गई हैं तथा 15 जुलाई को असम सरकार को सौंप दी गई हैं। 25 लाख हैलोजन गोलियों की अगली खेप 17 जुलाई, 2004 को गुवाहाटी पहुंच जाएगी। जहां तक 50 लाख ओ आर एस पैकेटों की आवश्यकता का प्रश्न है अगले चार दिनों में 10 लाख ओ आर एस पैकेट असम सरकार को प्रदान किए जाएंगे जिनमें से 1.5 लाख पैकटों की पहली खेप 17 जुलाई की शाम को गुवाहाटी पहुंच जाएगी बताई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता का मूल्यांकन करेगा तथा असम सरकार को अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति करेगा और जिसके पास फिलहाल 1049 मी. टन डी डी टी उपलब्ध है तथा जो आंतरिक अवशिष्ट छिड़काव के लिए है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे परामर्श दिया है कि बाढ़ की स्थिति के दौरान आंतरिक अवशिष्ट छिड़काव करना परिचालन तथा तकनीकी आधार पर वांछनीय नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकार से डी.डी.टी. के छिड़काव के लिए माइक्रो-एक्शन योजना का ब्यौरा मांगेगा, तदोपरान्त डी डी टी की अतिरिक्त आपूर्ति पर निर्णय लिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राज्य को महामारी फैलने से रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई पर परामर्श देने हेतु एक केन्द्रीय टीम भेजी है। दल इस समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा है।

इसरो/अंतरिक्ष विभाग के चार विशेषज्ञों का एक दल राज्य सरकार को आपात कालीन संचार संपर्क स्थापित करने में सहायता देने के लिए चार इन्मारसेट (आई एन एम ए आर एस ए टी) उपग्रह फोनों तथा आठ वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) फोनों सहित 16 जुलाई, 2004 को गुवाहाटी में पहुंच रहा है।

पेयजल आपूर्ति विभाग से असम में पेयजल स्थिति का जायजा लेने के लिए एक टीम भेजने का अनुरोध किया गया। पेयजल आपूर्ति विभाग को राज्य सरकार से सूचना मिली है कि पेयजल की स्थिति पूरी तरह सामान्य है।

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने असम राज्य को अतिरिक्त आवंटन के तौर पर 4000 मीट्रिक टन मिट्टी का तेल जारी किया है। असम सरकार ने पुन: (रेजीडेंट कमीश्नर, असम की मार्फत) 6000 मीट्रिक टन अतिरिक्त मिट्टी के तेल के लिये अनुरोध किया है। चूंकि 4000 मीट्रिक टन की पहली आवंटन में से केवल 1000 मीट्रिक टन मिट्टी का तेल उठाया जा सका है, आगे आवंटन माल उठाने के आधार पर जारी किया जाएगा।

सी आर एफ/एन सी सी एफ से निधि

सी आर एफ से केन्द्रीय भाग की पहली किस्त के तौर पर 46.26 करोड़ रुपए की राशि 12 जुलाई को जारी की गई। राज्य के 15.42 करोड़ रुपए के भाग को गिनती में लेते हुए इस मद में उपलब्ध कुल निधियां 61.68 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अतिरिक्त 13 जुलाई को 55 करोड़ रुपए की राशि पर एन सी सी एफ से तदर्थ आधार पर जारी की गई। उपरोक्त रिलीज से राज्य को राहत अभियान चलाने के लिए 116.68 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध हो जाएगी।

हवाई सर्वेक्षण तथा केन्द्रीय टीम का दौरा

माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के लिए 15 जुलाई को असम का दौरा किया। असम में बाढ़ की स्थिति का ब्यौरे-वार आकलन करने के लिए एक अन्तर्मंत्रालयीय टीम का गठन भी किया जा रहा है तथा टीम के एक सीमा तक जल स्तर गिरने के तत्काल बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की सम्भावना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह सूचना देते हुए मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों की सहायता से हम असम की राज्य सरकार को सभी आवश्यकता सहायता उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं। मैं सभी सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार प्रभावित राज्य को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

अपराह्न 12.1$^{1}/_{4}$ बजे

(दो) बिहार में बाढ़ की स्थिति*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: बिहार में बाढ़ की स्थिति भयंकर बनी हुई है। कल तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, बागमती नदी में अत्यधिक बाढ़ आई हुई थी और वह 49.62 मीटर के स्तर पर बह रही थी और इसमें पहले के उच्चतम स्तर 49.72 मीटर में 10 सेंटीमीटर कमी आई थी और यह खतरे के निशान 48.64 मीटर से 0.94 मीटर ऊपर बह रही थी। बूढ़ीगंडक नदी में भी भयंकर बाढ़ आई हुई थी और यह अपने पहले उच्चतम स्तर से 20 सेंटीमीटर नीचे और खतरे के निशान से 1.56 मीटर ऊपर बह रही थी, इसमें अगले 12 घंटों में कमी आने की संभावना है। कोसी नदी अपने पहले के अधिकतम स्तर से 54 सेंटीमीटर नीचे और खतरे के निशान से 2.01 मीटर ऊपर बह रही थी और इसके अगले 12 घंटों में स्थिर बने रहने की संभावना है।

राज्य में आठ राष्ट्रीय राजमार्गों में पानी सड़क से ऊपर आ गया है और इससे विभिन्न स्थानों पर सड़क संचार बाधित हुआ है। एन एच-31 पर 800 मीटर सड़क खिसक गई है। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनमें असम, उत्तरी बिहार के विभिन्न जिले और नेपाल से लगने वाले क्षेत्रों के साथ सड़क संचार संपर्क प्रभावित हुआ है वे हैं: एन एच-28क, 31, 77 और 104।

सूचित क्षति इस प्रकार है:-

प्रभावित जिलों की संख्या	16
प्रभावित ब्लाकों की संख्या	113
प्रभावित गांवों की संख्या	3652
प्रभावित जनसंख्या	94.36 लाख
प्रभावित फसल क्षेत्र	8.418 लाख हेक्टेयर
क्षतिग्रस्त घरों की संख्या	2.38 लाख
जनहानि	32
पशुधन हानि की संख्या	17

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 264ए/2004

[श्री शिवराज वि. पाटील]

राज्य सरकार राहत अभियान चला रही है। ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

तैनात की गई नावें	1432
वितरित किया गया तैयार भोजन	1209.49 क्विंटल
वितरित की गई पोलीथीन शीट्स की संख्या	20868
हवाई जहाज से गिराए गए भोजन पैकेटों की संख्या	23863

केन्द्र सरकार से मांगी गई सहायता और उस पर की गई कार्रवाई

14 जुलाई, 2004 की स्थिति के अनुसार बिहार में सेना की आठ टुकड़ियां मौजूद थीं। दो टुकड़ियां सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में तैनात की गई हैं, 16 बी ए यू टी (बाउट) के साथ चार टुकड़ियां मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में तैनात की गई हैं। चार बाउट के साथ एक कार्यबल हवाई जहाज से मधुबनी पहुंचाया गया है।

14 जुलाई, 2004 को आठ बाउट के साथ दो अतिरिक्त टुकड़ियां हवाई जहाज द्वारा भोपाल से पटना पहुंचाई गई और वे समस्तीपुर जिले के रास्ते में हैं। इस समय बिहार को उपलब्ध सेना बाढ़ राहत टुकड़ियों की कुल संख्या आठ है।

बिहार सरकार ने प्रत्येक में चार बाउट के साथ दो और टुकड़ियां मांगी हैं और वे 16 जुलाई, 2004 को पटना में उतर रही हैं।

राज्य को कुल 10 हेलिकाप्टर उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें 3 एम आई-8, 4 एम आई-17 और 3 चेतक हेलिकाप्टर शामिल हैं।

बिहार सरकार ने प्रभावित लोगों को जी आर प्रदान करने के लिए, चावल और गेहूं प्रत्येक, 50,000 मिट्रिक टन मांगी थी। एफ सी आई को तदनुसार अनुदेश दिए गए हैं। एफ सी आई अपने भंडारों से अनाज उपलब्ध करा रही है।

राज्य में एफ सी आई के पास पर्याप्त भंडार हैं। 14 जुलाई, 2004 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य में एफ सी आई के पास 2.5 लाख मिट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध थे। विभिन्न बाढ़ प्रभावित जिलों में एफ सी आई गोदामों में खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार है।

बिहार सरकार ने 5000 टेंट मांगे थे। 308 टेंट उड़ीसा से पहले ही चल पड़े हैं और 15 जुलाई, 2004 को पटना पहुंच गए हैं। 200 टेंटों की व्यवस्था गुजरात सरकार ने की है और वे 15 जुलाई, 2004 को हवाई जहाज से पटना भेज दिए हैं। सी आई एस एफ से 60 टेंट हवाई जहाज द्वारा 15 जुलाई, 2004 को पटना भेज दिए गए हैं। सी आर पी एफ से मोकामा और मुजफ्फरपुर में उपलब्ध 60 टेंट बिहार सरकार को उपलब्ध कराए गए हैं।

बिहार सरकार ने अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करने के लिए 10 लाख पोलिथीन की शीटें (5×5 मीटर के माप वाली) मांगी थीं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य सरकारों से पोलिथीन शीटों के प्रापण में बिहार की मदद करने को कहा गया है। 5 मीट्रिक टन पोलिथिन शीटें गुजरात से भेज दी गई हैं और उनका वितरण शुरू हो गया है।

राज्य सरकार ने 10 लाख लीटर मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आबंटन का अनुरोध किया था। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संपूर्ण मात्रा आबंटित कर दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर और आवश्यकता होगी तो और तेल उपलब्ध किया जा सकता है।

बिहार सरकार ने 50 लाख हेलोजन टेबलेट्स मांगी थीं। 25 लाख हेलोजन टेबलेट्स 15 जुलाई, 2004 को हैदराबाद से हवाई जहाज द्वारा राज्य को भेजी गई हैं। 25 लाख और हेलोजन टेबलेट 17 जुलाई, 2004 को राज्य को उपलब्ध करा दी जाएंगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने से रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई पर राज्य सरकार को सलाह देने और स्थिति का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से विशेषज्ञों की एक टीम पटना पहुंच गई है।

गृह मंत्रालय द्वारा बिहार सरकार को चार सेटेलाइट फोन और आनसाईट इमरजेन्सी कार्डिनेशन किट्स उपलब्ध कराई गई हैं। एक और सेटेलाइट फोन 15 जुलाई, 2004 को उपलब्ध कराया गया है। आपातकालीन संचार संपर्क बनाने में राज्य सरकार की सहायता करने हेतु आई एस आर ओ/अंतरिक्ष विभाग के पांच विशेषज्ञों की एक टीम चार आई एन एम ए आर एस ए टी सेटेलाइट फोन और आठ वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) फोन के साथ 16 जुलाई, 2004 को पटना पहुंच रही है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को राष्ट्रीय राजमार्गों का तत्कालन आकलन करने की और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें बहाल करने हेतु आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम इस समय स्थिति का व्यापक आकलन कर रही है ताकि आवश्यक बहाली उपाय करने की योजना बनाई जा सके। चूंकि अधिकांश राजमार्ग विभिन्न स्थानों में जलमग्न हो गए हैं इसलिए आकलन और उनकी बहाली में विलंब होने की संभावना है।

पशुपालन और डेरी उद्योग विभाग (डी ए एच डी) को चारे के प्रापण में बिहार सरकार की सहायता करने की सलाह दी गई है। रेलवे चारे को लाने-ले जाने के लिए मालडिब्बे उपलब्ध कराएगा। डी ए एच डी ने पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से चारे की व्यवस्था की है और बिहार सरकार ने चारे के प्रापण और ढुलाई के लिए पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आवश्यक प्रबंध किए हैं।

पशुपालन और डेरी उद्योग विभाग (डी ए एच डी) से पशुओं के लिए एच एस/बी क्यू/एफ एम डी वैक्सीन, प्रत्येक की पांच लाख यूनिटें प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। डी ए एच डी ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से एच एस के एक लाख डोज और झारखंड से बी क्यू और 0.63 लाख एच एस वैक्सीन के 1.7 लाख डोजों का पहले ही प्रबंध कर लिया है और बिहार राज्य ने सप्लाई के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। राज्य में मौजूदा कोल्ड चेन को ध्यान में रखते हुए एफ एम डी वैक्सीन की सप्लाई के बारे में चर्चा करने के लिए इंडियन इम्यूनालोजिकल लिमिटेड का एक प्रतिनिधि पटना में है।

सी आर एफ से निधियां रिलीज करना

बिहार राज्य को 2004-2005 के लिए आपदा राहत निधि (सी आर एफ) में 81.80 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है इसमें 61.45 करोड़ रु. केन्द्र का अंशदान और 20.35 करोड़ रु. राज्य का अंशदान है। वित्त मंत्रालय द्वारा सी आर एफ के केन्द्रीय हिस्से की पहली किश्त जारी नहीं की गई थी क्योंकि राज्य सरकार ने वर्ष 2003-04 की उपयोगिता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य करने के लिए निधियों की आवश्यकता होगी, वित्त मंत्रालय को सलाह दी गई है कि वह वर्ष 2004-05 के लिए सी आर एफ की केन्द्रीय हिस्से की 30.525 करोड़ रु. की लंबित पहली किश्त जारी करे। यह राशि 12 जुलाई, 2004 को जारी कर दी गई है। राज्य के हिस्से की 10.175 करोड़ रु. की राशि को ध्यान में रखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य करने के लिए राज्य सरकार के पास 40.70 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध होगी।

हवाई सर्वेक्षण और केन्द्रीय टीम का दौरा

माननीय केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के लिए बिहार का दौरा किया। बिहार में बाढ़ की स्थिति का व्यापक आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय केन्द्रीय टीम का भी गठन किया जा रहा है और कुछ हद तक बाढ़ का पानी कम हो जाने के तुरंत बाद इस टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की संभावना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों की सहायता के साथ हम बिहार राज्य सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान करने में समर्थ हुए हैं। मैं सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

अपराह्न 12.01½ बजे

(तीन) मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के भोमटोला गांव में दलित महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: 12 जुलाई, 2004 को श्री रामजी लाल सुमन ने लोक सभा में, मध्य प्रदेश में तीन महिलाओं के सामूहिक बलात्कार की हाल की घटना के संबंध में चिंता व्यक्त की थी। माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगाई है।

मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, दलित समुदाय से संबंध रखने वाली तीन महिलाओं का भोमटोला गांव, सिवनी जिला, मध्य प्रदेश में 8.7.2004 की रात को 11.00 से 12.30 बजे के बीच कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया। दूसरे समुदाय से संबंध रखने वाले कुछ लोग श्री धन सिंह के घर में घुस गए और तीन महिलाओं को तथाकथित रूप से जबरदस्ती घर से बाहर घसीट लाए और फिर उन्हें गांव से बाहर ले गए तथा उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। यह प्रत्यक्ष रूप से इस आरोप के जवाब में था कि श्री धन सिंह का पुत्र उनके समुदाय की एक लड़की के साथ भाग गया है, जिसके बारे में गुमशुदा की रिपोर्ट 6 जुलाई, 2004 को कन्हीपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

घटना के पश्चात्, अभियुक्त व्यक्ति पीड़ित महिलाओं को एक जलूस में गांव में लाए। जब यह घृणित कृत्य किया जा रहा था, सभी सहअपराधी यह कुकृत्य देख रहे थे और अभियुक्त व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने न तो इस घटना के खिलाफ विरोध प्रकट किया और न ही पुलिस में कोई शिकायत दर्ज की। एक भूतपूर्व-सरपंच, जो गांव से गुजर रहा था, ने टेलीफोन पर इस घटना के बारे में कन्हीपाड़ा पुलिस स्टेशन को सूचित किया। उसके पश्चात् पुलिस तत्काल उस जगह पर पहुंची और पीड़ितों को अपने संरक्षण में ले लिया। स्थानीय पुलिस द्वारा नौ ज्ञात अभियुक्तों और 20 से 25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भा.द.सं.

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 265/2004

[श्री शिवराज वि. पाटील]

की धारा 456, 376(2) (छ), 366 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के अंतर्गत एक अपराध मामला संख्या 173/04, दर्ज कर लिया गया है।

नौ नामोद्दिष्ट अभियुक्तों में से अभी तक आठ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, तीन अभियुक्त (अज्ञात), जिनका प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम नहीं दिया गया है को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की उप पुलिस अधीक्षक के रैंक के एक अधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। शेष अभियुक्तों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी पीड़ितों, प्रत्येक को 50,000/- रु. की वित्तीय राहत प्रदान की गई है। पुलिस अधीक्षक को गुमशुदा लड़की और लड़के का पता लगाने के लिए एक अलग दल गठित करने का भी निदेश दिया गया है।

मध्य प्रदेश पुलिस उन व्यक्तियों पर सामूहिक जुर्माना लगाने के लिए कार्रवाई कर रही है जिन्होंने इस अपराध को रोकने की बजाय प्रोत्साहित किया। एक उप-निरीक्षक और एक हैड कांस्टेबल को भी गुमशुदा व्यक्तियों संबंधी मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाईयां शुरू कर दी गई हैं।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, माननीय मंत्री जी ने बाढ़ की स्थिति के संबंध में वक्तव्य तो दिए हैं लेकिन उन्होंने देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के संबंध में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। उड़ीसा के विभिन्न भागों में भयानक सूखे की स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय: आज की कार्य सूची में यह मद नहीं है

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2004-2005 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) वर्ष 2004-2005 के लिए रक्षा सेवाएं प्राक्कलन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 224/04]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): महोदय, मैं वर्ष 2004-2005 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 225/04]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): महोदय, मैं वर्ष 2004-2005 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 226/04]

अध्यक्ष महोदय: श्री शिबु सोरेन।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कोयला और खान मंत्री (श्री शिबु सोरेन): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 227/04]

(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियमन, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 100(अ) जो 5 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से अन्वेषण और दोहन कार्य के लिए उड़ीसा राज्य में क्षेत्र आरक्षित करना है।

(दो) खनिज संरक्षण और विकास (चौथा संशोधन) नियम, 2003 जो 24 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 963(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ. 713(अ) जो 22 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने से पहले दिए गए सभी खनन पट्टों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1994 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप लाए जाने के लिए 31 दिसम्बर, 2004 तक के लिए और आगे समय सीमा निर्धारित की गयी है।

(4) उपर्युक्त मद (3) (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 228/04]

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, अपने सहयोगी श्री प्रफुल्ल पटेल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (संशोधन) नियम, 2004 जो 26 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 390(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 229/04]

(2) वर्ष 2004-2005 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 230/04]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रेमचन्द गुप्ता।

...(व्यवधान)

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2004 जो 12 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 189(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 231/04]

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) वर्ष 2004-2005 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 232/04]

(दो) वर्ष 2004-2005 के लिए खान विभाग, कोयला और खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 233/04]

(2) (एक) वर्ष 2001-2002 के कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान पेंशन तथा कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, धनबाद के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वर्ष 2001-2002 के कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान पेंशन तथा कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, धनबाद के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 234/04]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) संशोधन विनियम, 2003 जो 7 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 10(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा लेखा) (चौथा संशोधन) विनियम, 2003 जो 7 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पहला संशोधन) विनियम, 2004 जो 7 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र के अधिसूचना संख्या 12(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा लेखे) (पहला संशोधन) विनियम, 2004 जो 7 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुज्ञेय पूंजीगत लेखा संव्यवहार) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 23 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 207(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 23 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 208(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा लेखे) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 23 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 209(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 23 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 278(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं का निर्यात और सेवाएं) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 23 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 279(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपए में उधार लेना और उधार देना) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 8 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 351(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं का निर्यात और सेवाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2004 जो 8 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 352(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 235/04]

(2) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 119(अ) जो 17 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 29 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 4(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) सा.का.नि. 120(अ) जो 17 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 5 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(तीन) सा.का.नि. 121(अ) जो 17 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 15 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 34(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(चार) सा.का.नि. 186(अ) जो 17 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 1 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 399(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(पांच) सा.का.नि. 262(अ) जो 16 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 9 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 531(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(छः) सा.का.नि. 263(अ) जो 16 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 9 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 532(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(सात) सा.का.नि. 264(अ) जो 16 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 9 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 533(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 236/04]

(3) संविधान के अनुच्छेद 280 के परन्तुक के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 770(अ) जो 2 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 12वें वित्त आयोग की अवधि बढ़ाए जाने के लिए राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है।

(दो) का.आ. 771(अ) जो 2 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें डा. शंकर एन. आचार्य को 12वें वित्त आयोग के सदस्य (अंश कालिक) के रूप में नियुक्त किए जाने के बारे में राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 237/04]

(4) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 की उपधारा (3) के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 238/04]

(5) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 55 की उपधारा 5 के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 10 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1041(अ) में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 239/04]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दि इंडस्ट्रियल इन्वस्टमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 240/04]

(8) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 79(अ) जो 28 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में वर्णित तारीख से ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुंबई के स्थान में परिवर्तन के बारे में है।

(दो) सा.का.नि. 284(अ) जो 26 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में वर्णित तारीख से ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण कोलकाता के स्थान में परिवर्तन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 241/04]

(9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 414(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 415(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के.उ.शु. और 9/2003 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 416(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 10/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 417(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 214/86-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 418(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें वर्णित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 419(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 8/2004-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 420(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेनवंट क्रेडिट की उपलब्धता के साथ अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामान को 4 प्रतिशत (प्योर काटन के लिए) तथा 8 प्रतिशत से अधिक पर (अन्य सामानों के लिए) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 421(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेनवेट क्रेडिट की अनुपलब्धता के अधीन विनिर्दिष्ट टेक्सटाइल सामान पर उदग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 422(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी माल पर उदग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 423(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी माल पर उदग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 424(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इनमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं को. निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 425(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 426(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 427(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट पालिएस्टर फिलामेंट सूत को उदग्रहणीय संपूर्ण विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2004 जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 428(अ) में प्रकिशत हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) 'सेनवेट' क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2004 जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 429(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 430(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा

मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 13/2002-के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 242/04]

(10) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 187(अ) जो 11 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में है तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 29 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 227(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 243/04]

(11) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेवा कर (संशोधन) नियम, 2004 जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 431(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवा कर क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2004 जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 432(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 433(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 434(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कपितय संशोधन करने हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 435(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी कैब को किराए पर देने की स्कीम के प्रचालक को उतने सेवा कर से छूट देना है जो ली गई सकल रकम के 40 प्रतिशत पर परिकलित सेवा कर से अधिक है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 436(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी अभिसमय सेवा, जब खानपान सेवा भी उपलब्ध कराई गई है को उतने सेवा कर से छूट देना है जो ली गई सकल रकम के 60 प्रतिशत पर परिकलित सेवा कर से अधिक है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 244/04]

(12) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 408(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 409(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित छः अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 410(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 5/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 411(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उन पर उद्ग्रहणीय शिक्षा उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 412(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 25/1999-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 413(अ) जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 25/2000-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 245/04]

(13) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 8) (रेल)।

(दो) मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (2004 का संख्यांक-9) (रेल)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 246/04]

(14) वर्ष 2002-2003 के लिए विनियोग लेखे-भारतीय रेल (भाग 1-समीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 247/04]

(15) वर्ष 2002-2003 के लिए विनियोग लेखे-भारतीय रेल (भाग 2-विस्तृत विनियोग लेखे) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 248/04]

(16) वर्ष 2002-2003 के लिए विनियोग लेखे-भारतीय रेल भाग 2-विस्तृत विनियोग लेखे (अनुलग्नक-छ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 249/04]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 250/04]

(3) (एक) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष, 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष, 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष, 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 251/04]

(5) (एक) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया, कोच्चि के वर्ष, 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया, कोच्चि के वर्ष, 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 252/04]

(7) (एक) शैलेक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष, 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शैलेक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष, 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शैलेक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष, 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 253/04]

(9) (एक) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष, 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष, 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 254/04]

(11) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष, 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष, 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 255/04]

(13) (एक) केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 256/04]

(15) (एक) इंडियन काउंसिल आफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 257/04]

(17) काउंसिल आफ लेदर एक्सपोर्ट्स चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 258/04]

(18) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 259/04]

(दो) पी.ई.सी. लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 260/04]

(19) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बासमती चावल का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2004 जो 15 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1139 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शहद का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी) संशोधन नियम, 2004 जो 29 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1245 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 261/04]

(20) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 165(अ) जो 5 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 189(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 262/04]

(21) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 263/04]

अपराह्न 12.04 बजे

[हिन्दी]

नियम 357 के अधीन वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14 जुलाई, 2004 को श्री लालू प्रसाद ने रेल बजट पर बहस का उत्तर देते हुए गोधरा कांड के बारे में जो बातें कही हैं, वे न केवल तथ्य से परे हैं बल्कि भ्रामक हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें रोके नहीं। वे वक्तव्य देने का प्रयास कर रहे हैं और मैंने अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार के निवेदन के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभा में अनुशासन होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: हम फिर से शुरू कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को आर्डर में लाएं, तो मैं बोलूं।

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए। मैं सभी से विनती करता हूं कि डिस्टर्ब मत करिए। हाउस का थोड़ा सम्मान कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें समझा दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: वे न केवल तथ्य से परे है, बल्कि भ्रामक है एवम् रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 एवम् धारा 115 की व्याख्या राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर की गई है।

उन्होंने कहा है कि "रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 के अंतर्गत रेलवे संरक्षा आयोग द्वारा न ही वैधानिक जांच की गई और न ही धारा 115 के अंतर्गत विभागीय जांच हुई।"

महोदय, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 में उल्लिखित है कि:

[अनुवाद]

114. आयुक्त द्वारा जांच–(1) यात्रियों का वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी के ऐसे दुर्घटनाग्रस्त होने की जिसमें मानव जीवन की हानि या घोर उपहति हुई है जिससे किसी यात्री को स्थायी प्रकृति की पूर्ण या आंशिक नि:शक्तता हुई है, या रेल सम्पत्ति को गंभीर नुकसान हुआ है, सूचना की धारा 113 के अधीन प्राप्ति पर आयुक्त, यथासंभव शीघ्र उस रेल प्रशासन को जिसकी अधिकारिता के भीतर दुर्घटना हुई है, उन कारणों की, जिनसे दुर्घटना हुई है, जांच करने के अपने आशय को अधिसूचित करेगा और साथ ही जांच की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और संसूचित करेगा:

परन्तु आयुक्त किसी ऐसी अन्य दुर्घटना के बारे में भी जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसकी ऐसी जांच करना उसकी राय में अपेक्षित है।

(2) यदि किसी कारणवश आयुक्त दुर्घटना होने के बाद यथाशक्य शीघ्र जांच करने के लिए समर्थ नहीं है तो वह तदनुसार रेल प्रशासन को अधिसूचित करेगा।

[हिन्दी]

उपरोक्त से स्पष्ट है कि रेल संरक्षा आयुक्त दुर्घटना के उपरांत जांच के लिए प्राधिकृत हैं, किन्हीं के आदेश की जरूरत नहीं है, खुद के द्वारा इस कानून के तहत जांच की गई है। *...(व्यवधान)* ये मंत्री हैं ये दागी मंत्री हैं, अब दागी मंत्री भी जवाब बताएंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों मैंने वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): जब श्री लालू प्रसाद बोल रहे थे, वे बाहर थे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसे भूल जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्योंकि मैंने उन्हें अनुमति दी है और आप मेरे विनिर्णय पर प्रश्न चिह्न लगा रहे हैं। आप मेरे निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप मेरे निर्णय पर प्रश्न उठाने के हकदार नहीं हैं। कृपया बैठ जाएं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नीतीश कुमार: आपको ऐसे व्यक्तियों की बात नहीं सुननी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जिम्मेवार तरीके से व्यवहार करें। सभा में अनुशासन बनाये रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मुझे कोई कार्रवाई करने के लिए बाध्य न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। श्री नीतीश कुमार जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। यह पार्लियामेंट आफ इंडिया है, कोई क्लब नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): मंत्री जी टोका-टाकी कर रहे हैं, उन्हें समझाएं।

अध्यक्ष महोदय: आप भी ऐसा कर रहे हैं, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार, कृपया अपने वक्तव्य तक ही सीमित रहें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उपरोक्त से स्पष्ट है कि रेल संरक्षा आयुक्त दुर्घटना के उपरांत जांच करने के लिए प्राधिकृत हैं। पैरा 2 में यह भी उल्लिखित है कि यदि रेल संरक्षा आयुक्त जांच कराने में किन्हीं कारणों से सक्षम नहीं है, तो इसकी सूचना रेल प्रशासन को देंगे। इस संदर्भ में यह कहना है कि जहां तक मुझे स्मरण है, स्मरण के आधार पर मैं यह पूरा वक्तव्य दे रहा हूं, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है फाइल्स का।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार, कृपया अपने वक्तव्य तक ही सीमित रहें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: यह बताना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय: आपने लिखा है।

श्री नीतीश कुमार: इस संदर्भ में यह कहना है कि जहां तक मुझे स्मरण है कि इस घटना की सूचना 27 फरवरी को ही नियमानुसार रेलवे प्रशासन ने संरक्षा आयुक्त, पश्चिम परिमंडल को दी थी। संरक्षा आयुक्त, पश्चिम परिमंडल ने बाद में मुख्य संरक्षा अधिकारी, चर्चगेट, मुम्बई को यह अवगत कराया था कि चूंकि गुजरात सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत जांच आयोग गठित किया है। इस कारण रेलवे अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत इस जांच को रेलवे संरक्षा आयोग नहीं कर सका है।

रेलवे अधिनियम के धारा 119 में उल्लिखित है:

[अनुवाद]

यदि जांच आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो कोई भी जांच, अन्वेषण आदि नहीं किया जाएगा—इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जहां दुर्घटना की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन जांच आयोग नियुक्त किया जाता है वहां उस दुर्घटना के संबंध में लंबित कोई जांच, अन्वेषण या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी, और ऐसी जांच से संबंधित सभी अभिलेख या अन्य दस्तावेज ऐसे प्राधिकारी को जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, भेज दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जब जांच आयोग अधिनियम के तहत कोई जांच आयोग बैठाया जाएगा, तो कोई और जांच उसी घटना के संबंध में नहीं की जा सकती है।

लालू प्रसादजी ने कहा है रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 115 के अंतर्गत विभागीय जांच नहीं की गई। मैं रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 115 को उल्लिखित करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

रेल प्रशासन द्वारा जांच—जहां आयुक्त द्वारा धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच नहीं की जाती है या जहां आयुक्त ने उस धारा की उपधारा (2) के अधीन रेल प्रशासन को यह सूचित कर दिया है कि वह जांच करने के लिए समर्थ नहीं है वहां रेल प्रशासन, जिसकी अधिकारिता के भीतर दुर्घटना हुई है। विहित प्रक्रिया के अनुसार जांच कराएगा।

[हिन्दी]

उपरोक्त में लिखा है कि जहां रेल संरक्षा आयुक्त किसी घटना की जांच करने में सक्षम नहीं, तब जिस इलाके में घटना घटित हुई है, उसका रेलवे प्रशासन इसकी जांच कराएगा। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि रेलवे अधिनियम की धारा 114 और धारा 115 रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 119 के साथ पढ़ी जानी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो श्री नीतीश जी कह रहे हैं केवल वही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपको खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। आप क्यों खड़े हो रहे हैं? मैं उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्षपीठ का विरोध कर रहे हैं। मेरे धैर्य की भी सीमा है। कृपया बैठ जाएं। मैंने उन्हें पाठ सहित बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्ष से बड़े नहीं हैं। आप मुझे नजर-अंदाज नहीं कर सकते हैं। आप मेरे निर्णय का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे कार्रवाई करने के लिए बाध्य न करें। कृपया बैठ जाएं। अन्यथा मुझे दुखद कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह एक आदत बनती जा रही है। आप प्रत्यक्षत: अध्यक्षपीठ का विरोध कर रहे हैं। क्या इसे आपका सम्मान बढ़ रहा है?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: महोदय, मैं धारा 119 का जिक्र ऊपर कर चुका हूं। धारा 119 के रहते धारा 115 के अंतर्गत कार्यवाही का आदेश कैसे दिया जा सकता है, यह मेरी समझ से परे है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? यह बहुत अजीब है। आप केवल टीका-टिप्पणी कर रहे हैं।

मैं उन माननीय सदस्यों की ओर ध्यान दे रहा हूं जो ऐसा कर रहे हैं। जी, हां। आपको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार, मैंने आपको अनुमति दे दी है और मैं इन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया जारी रखें। अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए, उन्हें नजरअंदाज कर दें।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: महोदय, मैं आपकी अनुमति का अनुपालन कर रहा हूं। आपकी आज्ञानुसार, मैं अपना वक्तव्य पढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप जारी रखें। आप बहुत वाक्पटु और अनुभवी हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, लालू प्रसाद जी ने मुझ पर एवं तत्कालीन रेल राज्य मंत्री पर यह आरोप लगाया है कि हम लोग घटना स्थल पर नहीं गए। जब इस घटना की सूचना मिली, मैं उस समय रेल भवन कार्यालय में बैठा था। मैंने तत्काल संबंधित रेलवे के अधिकारियों से सम्पर्क किया। उस समय प्राथमिकता थी:

(क) कोच में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की

(ख) उस ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को सकुशल आगे गन्तव्य तक पहुंचाने की एवं

(ग) इस घटना के मद्देनजर गुजरात तथा देश के अन्य भागों में सुरक्षित रेल परिचालन की जिससे रेल सम्पत्ति तथा रेल यात्रियों को नुकसान न हो। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या हुआ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार कृपया अपना वक्तव्य समाप्त करें। कृपया सहयोग करें। आप उन्हें नजर अंदाज कर दीजिए। आपके वक्तव्य को पूर्णत: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है। मेरा प्रयास यही होगा कि आपके वक्तव्य का प्रत्येक शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित हो जाये। कृपया जारी रखें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उस परिस्थिति में मेरे आकलन के अनुसार रेल भवन में बैठकर मैं ज्यादा बेहतर ढंग से इस पूरे मामले की मानिटरिंग कर सका। इसके अतिरिक्त यह भी बताना आवश्यक है कि यह घटना कानून व्यवस्था से संबंधित थी एवं इस तरह की कानून व्यवस्था संबंधित घटनाओं पर रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री द्वारा मौके का मुआयना करने की आम परम्परा रेल मंत्रालय में नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। केवल वक्तव्य से संबंधित भाषण ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वक्तव्य के अलावा किसी और बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप उसे छोड़िए। आप बोलते रहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। श्री रामदास बंडु आठवले, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। दूसरों को गुमराह न कीजिए। अन्य लोगों के लिए खराब उदाहरण मत प्रस्तुत कीजिए।

[हिन्दी]

नीतीश जी मेरी आपसे विनती है कि आप अपना स्टेटमेंट पढ़िए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उस पर ध्यान मत कीजिए और अपना वक्तव्य पढ़ते रहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग अपने लीडर को बोलने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप एक नेता हैं लेकिन आप उनके वक्तव्य में व्यवधान डाल रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके कार्य के अलावा मेरे पास और बहुत कार्य है। हम उन्हें डांटते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं। आप सेना में रह चुके हैं। आपको दूसरों के बोलने में व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग दो मिनट चुपचाप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष जी, लालू प्रसाद जी ने यह भी कहा कि रेलवे अधिकारी भी मौके पर नहीं गए। यह बात भी तथ्य से परे है। मुझे स्मरण है कि इस संबंध में तत्कालीन रेल मंडल प्रबंधक, बड़ौदा तथा मंडल सुरक्षा आयुक्त, आर पी एफ बड़ौदा ने रिपोर्ट भेजी थी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार, आप बोलते रहिए। मैं चाहता हूं आपका वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: नीतीश जी, सूचना मिलते ही बड़ौदा मंडल इससे आगे पढ़िए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मि. पाल, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सलीम, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा, अभी नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। वे अपना वक्तव्य एक मिनट में समाप्त कर लेंगे।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: अगर व्यवधान न डाला जाए तो वे अपना वक्तव्य डेढ़ मिनट में समाप्त कर लेंगे। कृपया दो मिनट तक धीरज रखिए। नीतीश जी, दो मिनट में खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: सूचना मिलते ही बड़ौदा मंडल के ए.डी.आर.एम. तथा उस मंडल के ब्रांच अधिकारी मौके पर पहुंचे थे तथा रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई से काफी यात्रियों की जान बची थी। मेरी मांग है कि उपरोक्त दोनों रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखा जाए ताकि पूरा देश जान सके कि दाल में काला कहां है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में टोका-टाकी मत कीजिए। वे अपने वक्तव्य का अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। उन्हें उनका वक्तव्य समाप्त कर लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग अपने लीडर को क्यों डिस्टर्ब करते हो? प्रभुनाथ सिंह जी, आप चुप बैठ जायें।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: लालू प्रसाद जी ने फारेंसिक साइंस लेबोरेटिरी, अहमदाबाद की रिपोर्ट दिनांक 17.5.2002 का उल्लेख अपने भाषण में किया है जो कि सी.आर. नं. 9/2002 गोधरा रेलवे पुलिस स्टेशन से संबंधित है। फारेंसिक साइंस लेबोरेटिरी, अहमदाबाद की इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई इस घटना की जांच कर रहे विवेचना अधिकारी (Investigating Officer) को करनी है। इस संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 3783 लोक सभा में किया गया था जिसका जवाब तत्कालीन रेल राज्य मंत्री द्वारा दिया गया था जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: महोदय, यह वक्तव्य का ही भाग है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, आज प्रातः काल सरकार के दो प्रमुख मंत्री मुझसे और दूसरे सदन के विपक्ष के नेता से मिलने आये और कहा कि हम चाहेंगे कि सदन की कार्रवाई ठीक प्रचार से चले। बजट पर चर्चा होनी है, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। मैंने कहा कि मैं भी यही चाहता हूं, मैं आपकी भावना से सहमत हूं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि कल जो विवाद खड़ा हुआ, वह विवाद ठीक प्रकार से निपटाया जाए और हमने सहमति प्रकट की कि ठीक है, आज प्रश्नोत्तर काल चलेगा और प्रश्नोत्तर काल चलने के बाद कल नीतीश जी अपना वक्तव्य देना चाहते थे, जो उन्होंने अब शायद लिखकर भी दिया होगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): किसी को उन्हें टोकने की अनुमति नहीं है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अप्रूव्ड है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: और वह ठीक प्रकार से हो जाए तो कार्रवाई चलेगी। लेकिन लगता है कि सदन के कुछ लोग नहीं चाहते कि कार्रवाई चले और इसीलिए *...(व्यवधान)* नहीं तो मैं यह बात शुरू में कह सकता था। लेकिन मुझे बाद में पता लगा, मुझे मल्होत्रा जी ने बताया कि जिस समय नीतीश जी और मल्होत्रा जी अध्यक्ष जी के पास गये थे तो उस समय संसदीय कार्य मंत्री भी थे, जिन्हें जानकारी है कि किस आधार पर आज सारी चर्चा होनी थी और हम अपेक्षा करते थे, लेकिन *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। मैं श्री नीतीश कुमार को अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, जब आपने बीच में टोकने वाले लोगों को रोका तो मुझे लगा कि आप उस पर आग्रह कर रहे हैं, लेकिन फिर देखा कि अचानक नीतीश जी अपना वक्तव्य पूरा भी नहीं कर पाए और आपने कहा बात खत्म हो गई। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री एल.के. आडवाणी, मैं क्षमा चाहता हूं आप ठीक है मुझे लगा कि वह केवल उत्तर दे रहे हैं। परन्तु 'उत्तर' के बाद वे अपना वक्तव्य दे रहे थे। कृपया केवल वही पढ़ें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं क्षमा चाहता हूं, यह मेरी गलती है। मैंने ध्यान नहीं दिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको प्रश्नोत्तर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: इसकी आवश्यकता है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री एल.के. आडवाणी, आपने देखा कि मैं कैसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभी पूरा प्रयास कर रहे हैं, परन्तु कोई भी अध्यक्ष पीठ की नहीं सुन रहा है। यही समस्या है। मैंने विशेष रूप से किसी को दोषी नहीं ठहराया है। आप जानते हैं कि मैं कैसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं वक्तव्य के प्रति वचनबद्ध हूं। मैंने श्री नीतीश कुमार से वादा किया था कि मैं उन्हें अनुमति दूंगा, अगर वक्तव्य कल दिया गया होता। चूंकि, आज उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया है। सबसे पहले मैंने उनसे यह बात कही कि मैं उन्हें पढ़ने की अनुमति देता हूं। कृपया जारी रखें।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: महोदय, मैं आगे पढ़ रहा हूं।

गोधरा में साबरमती एक्सप्रैस के बारे में फोरैंसिक रिपोर्ट

3783. **श्री जी.एम. बनातवाला:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 27 फरवरी, 2002 के गोधरा रेल कांड की जांच कर रहा अहमदाबाद स्थित अपराध विज्ञान प्रयोगशाला का एक दल रेल डिब्बा सं. एस-6 में आग लगने की घटना का अनुकरणात्मक परीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आग जिसमें कि महिलाओं और बच्चों सहित 59 यात्री मारे गए थे, केवल उसी स्थिति में लग सकती थी जब पेट्रोल जैसा ज्वलनशील पदार्थ कंपार्टमेंट के अंदर से डाला जाए न कि बाहर से फेंका जाए;

(ख) यदि हां, तो उक्त निष्कर्षों के आधार पर की जा रही जांच का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) ''पुलिसिंग'' राज्य का विषय है, चलती रेलगाड़ियों सहित रेलगाड़ियों में अपराध का पता लगाना और उसे रोकना, राज्य सरकारों का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। रेलगाड़ियों में अपराध के मामले ...*(व्यवधान)* इसमें छूट गया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं उत्तर को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कराऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: रेलगाड़ियों में अपराध के मामलों की रिपोर्ट राजकीय रेलवे पुलिस (जी आर पी) में दर्ज कराई जाती है और वही इनकी जांच करती है। चूंकि, वड़ोदरा के पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी दर्शाती है कि अहमदाबाद स्थित अपराध विज्ञान प्रयोगशाला ने राय व्यक्त की थी कि सवारी डिब्बे में पेट्रोल शायद अंदर से डाला गया होगा। रिपोर्ट पर कोई भी कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

[हिन्दी]

स्पष्ट है कि फारैन्सिक साइंस लैबोरेटरी की उपरोक्त रिपोर्ट के संबंध में रेल मंत्रालय ने इस सदन को अवगत करा दिया था। चर्चा के दौरान श्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि

[अनुवाद]

''महोदय यह रिपोर्ट दिनांक 17 मई, 2002 की है, इसका अर्थ है कि त्रासदी के लगभग तीन महीने बाद यह रिपोर्ट, सरकार के पास, रेल मंत्री के पास थी, फिर भी इसे 2004 तक छिपाकर रखा गया....''

[हिन्दी]

मुझे यह पढ़कर श्री सिब्बल के कानून के ज्ञान पर बहुत अफसोस एवं आश्चर्य हुआ है। अफसोस इस बात का कि श्री सिब्बल सरीखे वकील को यह जानकारी नहीं है कि फारैन्सिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट किसे दी गई थी तथा आश्चर्य इस बात पर कि फारैन्सिक सासि लैबोरेटरी की रिपोर्ट रेल मंत्री के पास थी। ऐसा लगता है कि उनके अनुसार रेल मंत्री ही इस घटना के इनवैस्टिगेटिंग आफिसर थे जिसके पास फारैन्सिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट आई थी। इसके अतिरिक्त यह गलत है कि 2004 के पूर्व इसके संबंध में जानकारी इस सदन को नहीं दी गई थी। हमने उल्लेख कर दिया कि जानकारी सदन को दी थी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में इस संबंध में सदन को अगस्त 2002 में ही अवगत कराया जा चुका था। श्री सिब्बल को इस तरह का भ्रामक वक्तव्य नहीं देना चाहिए।

महोदय, यह भी उल्लेखनीय है कि मार्च 2003 में ही साबरमती एक्सप्रैस में गोधरा के संबंध में इसी सदन में सवाल उठा था। इसके उत्तर में हमने सदन के पटल पर जवाब रखा था। जो भी उपलब्ध सूचना थी, उस पर इस सदन में सवाल उठा था। उसके उत्तर में मैंने इसी सदन के पटल पर सारी जानकारी जो मांगी गई थी, वह रख दी थी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री लालू प्रसाद ने मुझ पर जो आक्षेप किया है, वह राजनीति से प्रेरित है और इस प्रकार का आचरण संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं के प्रतिकूल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस संबंध में चर्चा की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): श्री लालू प्रसाद और श्री कपिल सिब्बल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ले आइए। देखा जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: ये कपिल सिब्बल जी से पूछते रहते हैं। पहले भारद्वाज जी से पूछा करें जो कानून मंत्री हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.32 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि सोमवार 19 जुलाई, 2004 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:

1. आज की कार्य सूची में से शेष सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. वर्ष 2001-02 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) के संबंध में चर्चा और मतदान।
3. निम्नलिखित से संबंधित विनियोग विधेयकों को पुर: स्थापित, विचार और पारित करना:

(क) वर्ष 2004-05 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)।

(ख) वर्ष 2001-02 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)।

4. डाकघर कर्मचारिवृन्द को नकदी संभालने संबंधी भत्ता दिए जाने के संबंध में माध्यस्थम बोर्ड द्वारा 1993 के सी.ए. संदर्भ संख्या 5 में दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने संबंधी सरकार के प्रस्ताव से संबंधित संकल्प पर विचार और उसे स्वीकार करना।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज, आप लोग क्या कर रहे हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। मिनिस्टर बोल रहे है बिजनैस के बारे में। उसको सुनने का धीरज भी आपको नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे— डा. करण सिंह यादव आपने जो सूचना दी है कृपया उसी पर बात कीजिए।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, आज जुलाई की 16 तारीख हो गई। श्रावण मास आधा निकल गया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये आप क्या बोल रहे हैं? जो विषय दिया है, उस पर बोलिये।

डा. करण सिंह यादव: जीरो आवर पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: जिस बारे में नोटिस दिया है, उस बारे में बोलिये।

डा. करण सिंह यादव: राजस्थान में सूखे के बारे में नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने कुछ नोटिस दिया है अगले सप्ताह के बिजनैस के लिए?

डा. करण सिंह यादव: जी हां, दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आप भूल गए?

[अनुवाद]

क्या आप इसे उठाना नहीं चाहते?

डा. करण सिंह यादव: महोदय, मैं इसे उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा कर सकते हैं। कृपया इस पर ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है।

डा. करण सिंह यादव: महोदय, नया सदस्य होने के नाते क्षमा कीजिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने प्रश्न-काल के दौरान बोलने के लिए भी सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

डा. करण सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

(एक) खाद्य तेल/वनस्पति पर से उत्पाद शुल्क को समाप्त किया जाए और कच्चे तेल/रिफाइन तेल पर सीमा शुल्क को बढ़ाया जाए।

(दो) राजस्थान में आसन्न गंभीर सूखे पर ध्यान दिया जाए और इससे निबटने के लिए राजस्थान को विशेष पैकेज दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

1. देश की आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए, वर्ष 2000 को आधार मानकर, नए सिरे से आरक्षण की व्यवस्था किए जाने से संबंधित विषय।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी लोगों के लिए आगामी पांच वर्षों के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए कोई कारगर योजना बनाए जाने से संबंधित विषय।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. उत्तर प्रदेश का नव-सृजित जनपद ''कौशाम्बी'' ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहां पर चीन, जापान तथा अन्य देशों के पर्यटक, जो कि बौद्ध एवं जैन धर्म को मानते हैं, इस क्षेत्र में आते रहते हैं क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से यह जनपद राजा उदयन की राजधानी थी, लेकिन् आज इस क्षेत्र को पर्यटक स्थल बनाने के लिए केन्द्र ने कोई योजना नहीं बनाई है। इस क्षेत्र को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित करने से इस क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षेत्र दर्शन-योग्य है।

2. नव-सृजित जनपद कौशाम्बी में मिले खुदाई के ऐतिहासिक अवशेष, जिन्हें इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है। पुरातत्व विभाग इन अवशेषों को कौशाम्बी में ही रखने के लिए संग्रहालय बनाने की कार्य-योजना बनाए जिससे कौशाम्बी क्षेत्र का विकास हो सके।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं:-

1. पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तरांचल के दुर्गम, पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में शीघ्र टेलीफोन व्यवस्था स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

2. देश में पर्वतीय राज्यों, विशेषकर उत्तरांचल के जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर के प्रत्येक विकास खंड में शीघ्र मोबाइल फोन व्यवस्था स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को लाने का कष्ट करें:-

1. भारत के सुपर ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल तथा 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं दिए जाएं क्योंकि देश में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

2. छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की स्वीकृति दी जाए।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

(एक) असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे अभी तक 115 लोगों की मृत्यु हो गई है और सैकड़ों पशुओं की भी मौत ही गई है, इसके अतिरिक्त घरों और संपदा की भी बर्बादी हुई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और उत्तरी पश्चिम बंगाल के जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है सरकार को बाढ़ पीड़ितों की सहायता और बचाव और पुनर्वास के लिए सभी प्रकार की सहायता और धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(दो) कई दशकों से कृषि श्रमिकों के लिए वृहत केन्द्रीय कानून बनाने की मांग की जा रही है। करोड़ों कृषि श्रमिक कार्य, उचित मजदूरी और जीवन की अन्य सुविधाओं से वंचित है। सरकार को इस संबंध में विधेयक लाना चाहिए और उस पर वाद-विवाद होना चाहिए और उसे चालू सत्र में ही पारित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:-

1. झारखंड राज्य के अंतर्गत बोकारो जिला में स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा दामोदर कोलियरी के 137 मजदूरों के स्थायीकरण के संबंध में विचार।

2. झारखंड राज्य के अंतर्गत बोकारो जिला में दामोदर नदी के ऊपर रेलवे डायवर्सन के संबंध में विचार।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

(एक) सैकड़ों लोग लंबे समय से रोजगार की प्रतीक्षा में हैं इसके अतिरिक्त ये लोग लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इनकी समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दस्तावेजों को सत्यापित करने संबंधी नियमों को सरल बनाए जाने की आवश्यकता है।

(दो) रूसी विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त भारतीय चिकित्सा स्नातकों की सहायता किए जाने की आवश्यकता है। इन्हें किसी भी स्क्रिनिंग टेस्ट से पहले इंटर्नशिप की अनुमति दी जानी चाहिए और ऐसे टेस्टों को कुछ विशेष विषयों तक सीमित रखना चाहिए।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

(1) नए कानून के माध्यम से पंचायतों की विसंगतियों को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है ताकि पंचायतों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

(2) भारत की एकता के लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं के संवितरण, बेरोजगारी की समस्या के समाधान और सांस्कृतिक विकास के प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां देने हेतु उचित नीति का निर्माण किया जाना।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में चर्चा हेतु निम्न विषय अधिगृहीत करें:-

1. एक लम्बे समय तक उत्तर प्रदेश का सामाजिक आर्थिक आधार विघटित हुआ है, जिसके पुनर्निमाण की आवश्यकता है। अत: भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को 18230 करोड़ का वांछित पैकेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

2. भारतवर्ष में खेती सबसे महत्वपूर्ण मानव अध्यवसाय है, जिस पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 70 प्रतिशत जनता की निर्भरता है, परन्तु जीडीपी में कृषि का हिस्सा मात्र 22.2 प्रतिशत है। सरकारी प्रयासों से कृषि को सीमित प्रोत्साहन मिला है। उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के इस दौर में आघात से खेती को बचाने के लिए खेती को मुख्य राष्ट्रीय एजेंडा बना कर विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

अपराह्न 12.41 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद! अब हम आज की पुनरीक्षित कार्य सूची की मद संख्या 13 लेंगे। श्री एच.आर. भारद्वाज।

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के नाम से जानी जाने वाली दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए जिसमें 15 सदस्य होंगे जिनमें से 10 इस सभा से और 5 राज्य सभा से होंगे जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार प्रत्येक सभा के सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे:-

कि संयुक्त समिति के कृत्य निम्न प्रकार होंगे:-

(एक) सभी विद्यमान "समितियों" (उन समितियों को छोड़ कर जिनकी परीक्षा संयुक्त समिति द्वारा की गयी थी जिसे संसद (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 1957 सौंपा गया था) और ऐसी सभी "समितियां", जिनका इसके बाद गठन किया जा सकता है और जिनकी सदस्यता किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन

संसद की किसी सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्ह कर सकती है, की संरचना और स्वरूप की परीक्षा करना;

(दो) संयुक्त समिति द्वारा परीक्षा की गयी "समितियों" के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों को निरर्ह किया जाना चाहिए और किन पदों को नहीं;

(तीन) संसद (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर समीक्षा करना और उस अनुसूची में किन्हीं संशोधनों, चाहे वे परिवर्धन द्वारा, लोप द्वारा अन्यथा किए गए हों, की सिफारिश करना।

कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी या किन्हीं बातों के बारे में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर रिपोर्ट देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद-धारण करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति समिति की कुल सदस्य संख्या की एक-तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा की प्रक्रिया के नियम ऐसे रूपभेद और उपांतरों के साथ, जैसे अध्यक्ष करें, लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के नाम से जानी जाने वाली दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए जिसमें 15 सदस्य होंगे जिनमें से 10 इस सभा से और 5 राज्य सभा से होंगे जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार प्रत्येक सभा के सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे:-

कि संयुक्त समिति के कृत्य निम्न प्रकार होंगे:-

(एक) सभी विद्यमान "समितियों" (उन समितियों को छोड़कर जिनकी परीक्षा संयुक्त समिति द्वारा की गयी थी जिसे संसद (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 1957 सौंपा गया था) और ऐसी सभी "समितियां", जिनका इसके बाद गठन किया जा सकता है और जिनकी सदस्यता किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्ह कर सकती है, की संरचना और स्वरूप की परीक्षा करना;

(दो) संयुक्त समिति द्वारा परीक्षा की गयी "समितियों" के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों को निरर्ह किया जाना चाहिए और किन पदों को नहीं;

(तीन) संसद (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर समीक्षा करना और उस अनुसूची में किन्हीं संशोधनों, चाहे वे परिवर्धन द्वारा, लोप द्वारा या अन्यथा किए गए हों, की सिफारिश करना।

कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी या किन्हीं बातों के बारे में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर रिपोर्ट देगी;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की अवधि तक पद-धारण करेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति समिति की कुल सदस्य संख्या की एक-तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा की प्रक्रिया के नियम ऐसे रूपभेद और उपांतरों के साथ, जैसे अध्यक्ष करे, लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करेंगे। श्री हरिसिंह चावड़ा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं किसी चीज को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किए जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में बारिश न होने के कारण सारे राज्य में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। पीने का पानी नहीं है और पशुओं को घास नहीं मिलती है। अगर अभी से सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगी तो गुजरात की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। सारे गुजरात में लोग बहुत परेशान हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि अभी से उसके लिए कोई सर्वे कार्य किया जाए, और गुजरात को बचाया जाए, यह मेरी विनती है।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको इससे संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने भी गुजरात के संबंध में सूचना दी है, लेकिन दूसरे मुद्दे पर।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी वसासत से कहना चाहता हूं कि मेरे अपने क्षेत्र जम्मू-पूंछ पार्लियामेंट्री हल्के के बार्डर से उजड़े हुए रिफ्यूजी, जो बगैर वर्दी इस मुल्क के मुहाफिज हैं, पिछले छः साल से रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि सबका सरकार की बेरूखी से उन लोगों की हालत बिगड़ी और अब वे कैम्पों में हैं। अब जबकि दोनों देशों के संबंधों में पीस प्रोसेस चल रहा है। बस और ट्रेन भी बहाल हो गई है, सफीर भी दोनों मुल्कों के एक दूसरे के मुल्क में बैठ गये, लेकिन जो हमारे देश के बहादुर लोग सरहदों पर बसते हैं, वे आज तक सरहदी कैम्पों के अन्दर हैं। उनके पास न खाने के लिए राशन है, उनके टेण्ट भी फट गये हैं, न उनके पास तेल है, न कैश रिलीफ है। मैं सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि उन लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए फौरी एकदामात उठाये जायें ताकि वे अपने घरों में वापस जा सकें।

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील (लातूर): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-2005 के रेल बजट में महाराष्ट्र की और विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र लातूर की घोर उपेक्षा की गई है। लातूर कुर्डूवाड़ी आमान परिवर्तन कार्यक्रम को पर्याप्त निधि प्राप्त कराई जाये। गत कई वर्ष से लम्बित लातूर-मिरज आमान परिवर्तन कार्यक्रम अभी तक पर्याप्त गति नहीं पा रहा है। हालांकि इस कार्यक्रम को चार चरणों में विभाजित किया गया है और उनमें लातूर-लातूर रोड के 33 किलोमीटर नये मार्ग का निर्माण और कुर्डूवाड़ी-पंढरपुर 52 किलोमीटर मार्ग का आमान परिवर्तन कार्यक्रम पूरा कर उस पर परिचालन भी शुरू हुआ है। इसके लिए रेल मंत्रालय धन्यवाद का पात्र है। मात्र लातूर कुर्डूवाड़ी आमान परिवर्तन का चरण सबसे महत्वपूर्ण है। कृपया इस कार्यक्रम को वरीयता देकर पर्याप्त निधि उपलब्ध करायें और समयबद्ध तरीके से यह आमान परिवर्तन पूर्ण करायें।

मेरा दूसरा प्रस्ताव नांदेड़ निलंगा उमरगा वाड़ी नूतन मार्ग का सर्वे करायें। बिहार, मध्य प्रदेश को कर्नाटक, गोवा से जोड़ने वाला विद्यमान मार्ग ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप भाषण नहीं दे सकती हैं। कृपया परियोजनाओं का उल्लेख करें।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: महाराष्ट्र से क्रमशः नागपुर मनमाड दौंड सोलापुर और कोल्हापुर होकर जाता है, जो बहुत ही प्रदीर्घ और खर्चीला है। इस मार्ग को पर्यायी मार्ग उपरोक्त बन सकता है। जैसे कि यवतमाल के पूर्व सांसद श्री सुधाकरराव नाईक जी ने वर्धा पुसद नांदेड़ नया मार्ग प्रस्तावित किया था और नागपुर को नांदेड़ से जोड़ने की मांग की थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप भाषण नहीं दे सकती। मैंने आपको सिर्फ प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: इसी मार्ग को आगे नांदेड़ लोहा लातूर रोड जंक्शन निलंगा उमरगा आलंद वाडी बीजापुर से जोड़ दिया जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रूपाताई डी. पाटील, आप लंबा वक्तव्य नहीं दे सकती हैं। लंबा वक्तव्य नहीं दीजिए। आप सिर्फ परियोजनाओं का उल्लेख करें। आपको जो मौका दिया गया है, उसका दुरुपयोग न करें।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: ऐसी यहां की जनता की मांग है।

अध्यक्ष महोदय: यह कैसे हो सकता है, आप केवल प्रोजैक्ट्स मेंशन कर दीजिए, यह सही नहीं है। आपको मैंने अपोर्चुनिटी दी है,

[अनुवाद]

मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: मेरा तीसरा सुझाव यह है कि बीदर अमृतसर के बीच नई गाड़ी चलाइये। इस गाड़ी के डिब्बों की संख्या बढ़ायी जाये। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप तो रेल बजट की स्पीच अब दे रही हैं, आप खाली प्रोजैक्ट मेंशन कर दीजिए।

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: आप बीदर अमृतसर के बीच गुरु नानक एक्सप्रैस शुरू करने का प्रयास करें। इस गाड़ी के डिब्बों की संख्या बढ़ाकर और परभनी बीदर मार्ग को मोड़कर बीदर पहुंचाया जाये। मैंने इस बारे में लालू प्रसाद जी यादव को 6 जून, 2004 को लैटर लिखा था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमने रेल बजट पर व्यापक चर्चा की है। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। जब आपने मुझसे अनुरोध किया तो मैंने आपको प्रमुख बातों का उल्लेख करने की अनुमति दे दी।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: उसके बारे में थोड़ा काम कराइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। 39 सदस्यों ने अपना नाम दिया है। एक ही बार में मैं सबको नहीं बुला सकता। आप बैठ जाइए। आप सिर्फ अपने लिए समस्या खड़ी कर रही हैं।

पहले मुझे सभा को नियंत्रित करने दें। 39 सदस्यों ने नोटिस दिया है और मैं सबको समय देने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप बाधा उत्पन्न करेंगे तो मैं आपका नाम नहीं पुकारूंगा। मैं उन माननीय सदस्यों का नाम नहीं पुकारूंगा जो समस्या खड़ी करते हैं। अब श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, गुजरात के बेस्ट बेकरी मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी टिप्पणी दी है कि गुजरात नरसंहार की घटना में-जिसमें 2000 लोग मरे गए थे और सैंकड़ों को जिंदा जला दिया गया था-उनको गुजरात राज्य में न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि बेस्ट बेकरी मामले जिसमें एक बच्चे सहित अल्पसंख्यक समुदाय के 14 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, की सुनवाई गुजरात राज्य से बाहर होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, ये लोग हमेशा गुजरात-गुजरात करते रहते हैं। *...(व्यवधान)* इसका क्या मतलब है? हर रोज ये गुजरात का इश्यू उठा देते हैं। *...(व्यवधान)* आप गुजरात के इश्यू को भूल जाइए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जो कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: योगी जी, यह सही बात नहीं है। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने गुजरात के मुख्यमंत्री की तुलना नीरो से की है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर रहे हैं। क्या आप उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करने की अनुमति नहीं देंगे?

श्री आचार्य, कृपया जल्दी कीजिए। कृपया समाप्त कीजिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: जब गुजरात जल रहा था, जब घर जलाए जा रहे थे, जब सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे और उनके घरों को जब लूटा जा रहा था, आधुनिक नीरो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बसुदेव जी, आप जल्दी समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, मैं भी इसी मुद्दे पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप एक ही समय में कैसे बोल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि सी.बी.आई. को छः विशेष मामलों की जांच करनी चाहिए। न्यायालय को संदेह था कि पीड़ित व्यक्तियों को गुजरात में न्याय नहीं मिलेगा। मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार उन छः मामलों की जांच के लिए सी.बी.आई. को निदेश दे और त्वरित सुनवाई करे। मुख्य मंत्री को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, मुझे भी इसी मुद्दे पर बोलना है।

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को स्थगित कर दूंगा और सभी अपना मौका गंवा देंगे।

श्री आचार्य, आपने अपनी बात कह दी है। श्री सुमन, आप अपने आपको केवल सम्बद्ध कर सकते हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। श्री रामजीलाल सुमन अपने आपको इससे सम्बद्ध कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: गुजरात राज्य में हुए इन अपराधों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री गिरधारी लाल भार्गव को बोलने के लिए कहा है। श्री आचार्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: हम चाहते है कि देश के किसी अन्य भाग में गुजरात जैसी घटना छुपाई नहीं जानी चाहिए। अतः मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, अभी बसुदेव आचार्य जी ने उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी का हवाला दिया। इस बारे में अखबारों में बहुत प्रमुखता के साथ छपा है कि गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार–"कहा कि दंगाइयों को सजा नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़ दो।" इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री बी.एल. खरे ने कहा कि गुजरात में आरोपितों और अभियुक्तों में मिलीभगत थी। इसका मतलब स्टेट का जो बेसिक कान्सेप्ट है कि राज्य सरकार लोगों की जान और माल की रक्षा करेगी, गुजरात सरकार दंगाइयों के साथ शामिल थी इसलिए गुजरात सरकार को बर्खास्त करने का इससे अच्छा आधार और कोई दूसरा नहीं हो सकता।

मैं आपकी मार्फत केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वे गुजरात सरकार को बर्खास्त करे। ...*(व्यवधान)* गोधरा के बाद गुजरात में जो कुछ हुआ, वह सरकार द्वारा प्रायोजित था। ...*(व्यवधान)*

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि गुजरात में श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार को बर्खास्त किया जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव एक अत्यंक महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से हमारी मांग है कि श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। श्री नरेन्द्र मोदी को हटाया जाना चाहिए। अगर उनको नहीं हटाया जाएगा तो इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, पूरे जयपुर शहर में पानी सप्लाई करने का एकमात्र स्रोत रामगढ़ का

बन्धा है। इस समय उसमें कुल दो फुट पानी रह गया है। मुझे लगता है कि चार दिन बाद जयपुर शहर के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि बन्धे की मिट्टी खुदवाई जाए। राज्य सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है लेकिन बनास योजना उपयुक्त योजना है। इस योजना का क्रियान्वयन न होने से मेरे संसदीय क्षेत्र में काफी गांव प्रभावित हैं। केन्द्र सरकार को हर प्रकार से राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए जिससे हैंडपम्प खुद सके, पानी की टंकी बन सके, तभी जयपुर शहर जिन्दा रह सकेगा। वर्ना उसकी हालत खराब हो जाएगी और वह प्यासा मर जाएगा।

पश्चिमी राजस्थान में रावी और व्यास नदियों का पानी बन्द हो जाने से अकाल पड़ गया है। वहां वर्षा नहीं हुई है। वर्षा न होने के कारण राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ने की संभावना है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि राजस्थान को बचाएं और जयपुर शहर को पीने का पानी, जो बहुत बड़ी आवश्यकता है, मिले। भारत सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। राज्य सरकार प्रयत्नशील है और जितना काम करना चाहिए, वह उससे ज्यादा कर रही है लेकिन केन्द्र सरकार की पैसे की मदद के बिना राजस्थान को काम करने में कठिनाई हो रही है। केन्द्र सरकार राजस्थान की मदद करे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं हर तरफ के लोगों को बोलने का चांस देता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, यदि आप बाधा पहुंचाएंगे तो मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री टेक लाल महतो जो कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, समस्त झारखंड क्षेत्र में सूखे की समस्या जटिल हो गई है। वहां गरीब किसानों की स्थिति दयनीय है। समस्त जल साधन सूख चुके हैं। झारखंड क्षेत्र की सभी फसलें सूखे से प्रभावित हैं। अभी तक वर्षा नहीं हुई है। सब स्रोत सूख गए हैं। फसल होने की कोई उम्मीद नहीं है। हमने जितने बीज बोए, सब सूख गए हैं। जल संकट इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो गया है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड को सूखे से बचाए। वहां खेती कैसे होगी, इसका हल निकाला जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री कुप्पुसामी, आपको पहले खड़ा नहीं होना चाहिए था।

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें अभी-अभी तमिलनाडु के कुम्बकोणम में लार्ड कृष्ण एण्ड सरस्वती नर्सरी स्कूल में भयावह अग्निकाण्ड के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। इस अग्निकाण्ड के कारण 100 से अधिक विद्यार्थी हताहत हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस अग्निकाण्ड के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसे अग्निकाण्ड की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करेगी। सरकार ने कौन से राहत उपाय करने का प्रस्ताव किया है? सभा के समक्ष इस संबंध में एक वक्तव्य दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि सरकार इस विषय को राज्य सरकार के साथ उठाएगी। यह राज्य का विषय है। चूंकि यह विद्यार्थियों से जुड़ा है अत: मैंने आपको इस मामले को उठाने की अनुमति दी है।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अपने कागजात को सत्यापित करने के लिए लम्बी कतारों में खड़े होने वाले विद्यार्थियों और नौकरी ढूंढने वालों के दुखों का कोई अंत नहीं है। अधिक काउन्टर खोलने के लिए कुछ कार्रवाई की गयी थी। किन्तु अब भी 500 से अधिक लोग कतार में खड़े रहते हैं। जब वह काउन्टर तक पहुंचते हैं, कोई एजेन्ट भीतर चला जाता है और 50 कागजात सत्यापित कराता है और जिन विद्यार्थियों की सत्यापन कराने की बारी होती है उनका अवसर जाता रहता है। बहुत हाय तौबा मचाया गया था। लड़ाई तक हुई थी। भ्रष्टाचार भी हो रहा है।

अपराह्न 1.00 बजे

कुछ लोग कतार के बिना भी काम करा लेते हैं। अत: इसे रोकने के लिए तत्काल कुछ किया जाना चाहिए। यह मुख्यत: उन नौकरी ढूंढने वालों के लिए है जो संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों में जाना चाहते हैं। अत: मेरे विचार से सरकार को इस

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी.सी. थामस]

पर ध्यान देना चाहिए और इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को उठाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल और झारखण्ड राज्य को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रेल सेवा थी। यह बरास्ता पांडवेश्वर अंडाल पलासटोली रेल सेवा थी जो पश्चिम बंगाल और झारखण्ड के सर्वाधिक पिछड़े इलाकों को जोड़ती थी।

किन्तु यह अत्यन्त खेद का विषय है कि इस रेल सेवा को दो वर्षों से अधिक समय से कतिपय तकनीकी और सुरक्षा कारण बता कर समाप्त कर दिया गया है जिससे इस क्षेत्र के हजारों दैनिक यात्री एक सुविधा से वंचित हो गए हैं।

मैं नई संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से अनुरोध करता हूं कि पूर्वी रेलवे के अंडाल पलासटोली रेलमार्ग पर निलम्बित रेल सेवा को पुन: बहाल करने के लिए तत्काल और उचित कदम उठाए।

महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहता हूं। आज सुबह यह समाचार मिला है कि उत्तरी पश्चिम बंगाल के सिलीगुडी क्षेत्र में इण्डियन आयल पाइपलाइन में विनाशकारी आग लग गयी है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर उचित उपाय किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ऐसा करेंगे।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैंने इस पर गौर किया है। हम उचित कदम उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भारत वर्ष की सभी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण करके कोल कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया था। कोल माइन्स नेशनेलाइजेशन एक्ट के नियम एवं प्रावधानों के तहत ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री दूबे को अपनी बात कहने दीजिए। वह भी उतने ही माननीय सदस्य हैं जितने आप हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे: कोयला उत्पादन एवं बिक्री का काम कैप्टिव साइन्स एंड कोल इंडिया लिमिटेड के अनुशंगी इकाइयों को करना है लेकिन इन प्रावधानों के विपरीत कोल इंडिया की अनुशंगी इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में प्राहिबिटेड वर्क (कॉट्रैक्ट लेबर एबोलिशन रेगुलेराइजेशन एक्ट के तहत कोयला उत्पादन का कार्य) आउटसोर्सिंग एवं ठेकेदारी प्रथा से कराने के लिए बस्ताकोला क्षेत्र के अंतर्गत कुइंया कोलियरी के माझी तालाब के समीप प्रोजेक्ट शुरू कर कोयला निकालने का ठेका माला कुमार एंड कंपनी को दिया गया है जिसके लिए कंपनी और ठेकेदार के द्वारा 2 जुलाई, 2004 को भूमि पूजन का कार्य सम्पन्न किया गया है। इस तरह के गैर-कानूनी कार्य से कोल कर्मियों, ग्रामीणों एवं आम जनता में भारी आक्रोश है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बीसीसीएल आउटसोर्सिंग को ठेकेदारी प्रथा से बचाया जा सके और वहां के मजदूरों के हकों की रक्षा हो सके।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद। आपके समक्ष वामदल बैठता है। आपके बायीं ओर अतिवामपंथी दल है। किन्तु एक ऐसा भी हिस्सा है जो बीच में है और जिसकी हमेशा उपेक्षा होती है। मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आपने दयालुतापूर्वक मुझे मौका दिया हालांकि मैं इस उपेक्षित हिस्से में बैठता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सीधे अपनी बात कहिए।

श्री तथागत सत्पथी: जी हां, महोदय।

मैं इस सम्माननीय सभा और केन्द्र सरकार का ध्यान इस मानसून के दौरान उड़ीसा में हुए अल्पवृष्टि की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। 25 जून तक उड़ीसा के 30 जिलों में औसत से बहुत कम वृष्टि हुई है। देवगढ़, सुन्दरगढ़, पुरी, जगतसिंहपुर, खुर्दा गंजम और बारगढ़ जैसे कतिपय जिलों में वृद्धि औसत से 64.5 प्रतिशत कम रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें तीन जिले-अंगुल, ढेंकानाल और सोनपुर शामिल है-में वृष्टि औसत से 73 प्रतिशत कम रही है।

महोदय, इससे न केवल सिंचाई सुविधाएं प्रभावित होंगी बल्कि पेयजल की उपलब्धता भी बुरी तरह प्रभावित होगी। यदि उचित वर्षा नहीं होती है तो अगले वर्ष दबाव महसूस किया जाएगा।

उड़ीसा में हमारे पास 16,175 उद्वह सिंचाई स्थल हैं। इनमें से मात्र 9,400 अभी कार्य कर रहे हैं। हमारे राज्य में पानी पंचायत है; और इन 9,400 स्थलों में से 6,867 पानी पंचायत में शामिल हैं।

मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि यदि सभी उद्वह सिंचाई स्थलों जिनकी संख्या 16,175 है-को सक्रिय बनाया जाता है और उन्हें सक्रिय बनाने के लिए विशेष धनराशि उपलब्ध करायी जाती है तो इससे पेयजल समस्या भी कुछ हद तक हल हो जाएगी। इसके साथ, केन्द्र सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे जल संचयन संरचनाओं के रूप में अतिरिक्त जल का संचयन किया जाए ताकि भूमिगत जल पुनः संचयित हो सके।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गयी तो नवम्बर-दिसम्बर के महीनों में राज्य में पेयजल समस्या पैदा होगी।

अध्यक्ष महोदयः डा. धीरेन्द्र अग्रवाल-यहां उपस्थित नहीं हैं। अब, श्री उमर अब्दुल्लाह।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया एक मिनट प्रतीक्षा करें। कृपया मुझे सभा संचालित करने दीजिए। मैं सदन के सभी पक्षों को अनुमति देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं यह पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन हैं-पेयजल, सूखा, बाढ़—और उन्हें प्राथमिकता दे रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप अनावश्यक बातें कर रहे हैं। अब अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें। जब मैं आपको बोलने के लिए कहूं, तभी आप बोल सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

हम ऐसी प्रणाली अपनाएं। जिस माननीय सदस्य को मैंने बोलने को कहा है उनके वक्तव्य के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह एक स्थायी अनुदेश है।

श्री उमर अब्दुल्लाह (श्रीनगर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान जम्मू और कश्मीर राज्य की एक गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में कई बार हम 'जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिलो-दिमाग को जीतने, उनके जख्मों पर मलहम लगाने और उन्हें महसूस कराने कि वे इस देश के अंग हैं' ऐसे वक्तव्य सुनते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि हम लोगों के दिलो दिमाग को जीतने और उनके जख्मों पर मलहम लगाने में बुरी तरह असफल हो रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान समाचार-पत्र के एक लेख, जिसकी एक प्रति मैंने सूचना के साथ परिचालित कर दी है, की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि हम किस प्रकार 'लोगों के दिल और दिमाग को जीतने' की लड़ाई हार रहे हैं। गत सात वर्षों के दौरान मानव अधिकारों की स्थिति सबसे बदतर रही है। मैं इस सरकार के लिए कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहूंगा। ये आंकड़े मैं नहीं दे रहा हूं अपितु ये वे आंकड़े हैं जो राज्यों के मानव अधिकार आयोगों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें हिरासत में हुई मौत के 29 मामले, गायब हो जाने के 82 मामले, उत्पीड़न के 65 मामले तथा अन्य विभिन्न मामलों का उल्लेख किया गया है। अप्रैल, 2003 और जून 2004 के बीच राज्य मानव अधिकार आयोग के समक्ष मानव अधिकारों के उल्लंघन के कुल 672 मामले सामने आए हैं। यह पूर्णतः वर्ष 1998-99 के केवल 51 मामलों के विपरीत है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से जम्मू और कश्मीर में मानव अधिकारों की स्थिति पर कड़ी निगरानी, मानव अधिकारों के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने और इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब प्रो. रासा सिंह रावत बोलें। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल से राजस्थान भयंकर दुर्भिक्ष से जूझ रहा है। उसके सारे संसाधन सूखे जैसी जघन्य स्थिति से जूझने में लगे हुए हैं। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और यह सीमावर्ती राज्य भी है। इसकी विशेष भौगोलिक स्थिति है, एक तरफ विशाल रेगिस्तान है, जिसमें 16 मरूस्थलीय जिले आते हैं। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, 16 मरूस्थलीय जिलों और सीमावर्ती राज्य को देखते हुए इस सूखा पीड़ित राज्य को विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता है। जिससे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ यह राज्य भी विकसित राज्यों के समकक्ष आ सके और वहां स्थाई विकास हो सके। इसलिए भारत सरकार से अनुरोध है कि जैसे उत्तरांचल को, बिहार को, हिमाचल प्रदेश को और उत्तर-पूर्वी

[प्रो. रासा सिंह रावत]

राज्यों को आपने विशेष पैकेज प्रदान किया है, उसी तरह से राजस्थान को भी विशेष राज्य मानकर दिया जाए, ताकि राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. करण सिंह यादव, कृपया स्वयं को इस मुद्दे से सम्बद्ध करें।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, मैं स्वयं को जो प्रो. रासा सिंह रावत ने कहा है, से सम्बद्ध करता हूं। सूखे की बड़ी घोर स्थिति है और राजस्थान को पैकेज की बड़ी आवश्यकता है। कृपया शीघ्रातिशीघ्र केन्द्रीय सहायता भेजने की व्यवस्था करें जिससे कि राजस्थान के लोगों को बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम स्वरूप कोली (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण (जालौर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करती हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सहयोग करेंगे तो आपके नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिये जायेंगे।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री और इस सभा का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और सरकार से मणिपुर राज्य से स्पेशल आर्म्ड फोर्सज एक्ट, 1958 के प्रख्यापन को निरस्त करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही के लिए अनुरोध करता हूं।

हाल ही में, वहां लगभग 30 वर्षीय निर्दोष महिला की मौत की भयानक घटना हुई। उसे इस महीने की 11 तारीख को सुबह गिरफ्तार किया गया और उसी महीने की 12 तारीख को उसे मृत पाया गया। राज्य में इस प्रकार की हिरासत में हुई मौतों, झूठी मुठभेड़ों में हुई मौतों की कई घटनाएं हुई हैं। कल ही, 15 जुलाई को, महिलाओं का एक दल सड़कों पर उतर आया। शहर के बीच में उन्होंने अर्धसैनिक बलों का विरोध करने के लिए नग्न होकर जुलूस निकाला।

मैं इस सभा का ध्यान आज के समाचार-पत्र 'द टाइम्स आफ इंडिया' के शीर्षक "मणिपुर इज बर्निंग" की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उग्रवाद प्रवण मणिपुर राज्य के लिए विशेष रूप से कुछ करें। हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): महोदय, मैंने भी इसी विषय पर सूचना दी है। मैं स्वयं को इससे सम्बद्ध करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे कोई सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके ही दल के नेता बोल रहे हैं। आप उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। आप इतने बुजुर्ग सदस्य हैं। बीपीएल के लोगों को राशन कार्ड देने की बात है।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': राशन कार्ड नहीं बल्कि उन लोगों को दो रुपए में गेहूं और तीन रुपए में चावल देने की बात है। इस योजना में राशन की आपूर्ति पिछले महीने से लगभग ठप्प हैं। कुछ ही क्षेत्रों में मात्र दस किलो ही राशन दिया जा रहा है। मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्काल हस्तक्षेप करे और जो परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको खाद्यान्न की आपूर्ति पर्याप्त रूप से करने के लिए शीघ्र कदम उठाए।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं उर्वरकों पर राजसहायता संबंधी मुद्दा उठाना चाहता हूं। सरकार की उर्वरकों पर राजसहायता स्तर निर्धारित करने की एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। इसे इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि इसका लाभ प्रत्यक्षत: कृषकों को मिले। सरकार को कच्चे मालों की वास्तविक लागत और राजसहायता की दर सार्वजनिक रूप से घोषित करनी चाहिए। डी.ए.पी., एम.ओ.पी. और मिश्रित उवरकों जैसे नियंत्रणयुक्त उर्वरकों की बिक्री के लिए राजसहायता के मुद्दे पर आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। इस वर्ष फोस्फोरिक एसिड, एम.ओ.पी. और अमोनिया जैसे विभिन्न कच्चे मामलों के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय आबंटन किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से

अनुरोध करता हूं तथा उर्वरकों के संबंध में राजसहायता नीति के निर्धारण पर विचार करने के लिए आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता था कि आप श्री हन्नान मोल्लाह हैं।

[हिन्दी]

श्री अनिवाश राय खन्ना (होशियारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक गम्भीर बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। पंजाब में बिजली और पानी की स्थिति बहुत ही खराब है। इस समय जिस किसान को अपने खेत में होना चाहिए, वह आज सड़क पर बैठा हुआ है। उसके खेत के लिए सरकार की तरफ बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। पंजाब के किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन आज वह बेकार हो गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पानी और बिजली की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.19 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक नर्सरी स्कूल में लगी आग से हुई दुर्घटना के बारे में

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष जी, चेन्नई में जो दुर्घटना हुई, अगर सरकार के पास उसकी जानकारी हो, या सरकार उसकी जानकारी लेकर आज सदन को बता सके तो बहुत अच्छा होगा। वहां भीषण दुर्घटना होने के कारण बहुत भीषण स्थिति पैदा हो गई है। उसमें लगभग सौ स्कूली बच्चे जल कर मर गए हैं। सरकार के पास जो भी सूचना है, या पता कर सकें, उससे सदन को अवगत कराए तो अच्छा होगा।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष जी, कुम्भकोणम के एक स्कूल में यह घटना घटी है जहां आग लग गई और 100 से अधिक बच्चे मारे गये हैं और कुछ अध्यापक भी मारे गये हैं, ऐसा बताया गया है। सूचना के अनुसार वहां पर 900 बच्चे थे, रसोईघर में आग लग गई और छत गिर गई। मेरे ख्याल से अभी पूरी सूचना एकत्रित नहीं कर पाये हैं। यह घटना 11 बजे की है। 900 के लगभग स्कूली बच्चे थे जिनके निकलने का एक ही रास्ता था तो मेरे हिसाब से मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। यह एक संवेदनशील मामला है। सरकार को पूरी स्थिति से सदन को अवगत करना चाहिये।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों के दु:ख-दर्द में शामिल होकर इसे बांटना चाहता हूं। मैं, इस दुखद घटना पर अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। जब हमें यह सूचना प्राप्त हुई थी तभी से मैं माननीय गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी के सम्पर्क में हूं। अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार श्रीकृष्ण नर्सरी माडल स्कूल नामक विद्यालय छप्पर की इमारत में था। उसमें आग लग गई और 77 बच्चों की उसमें मृत्यु हो गई तथा उनमें से 30 घायल हो गए। यह संख्या और भी अधिक हो सकती है क्योंकि विस्तृत ब्यौरे की अभी पुष्टि की जानी है। मेरे विचार में मेरे साथ हर सदस्य शोकसन्तप्त परिवार, माता-पिता और सभी संबंधित लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति और व्यथा अभिव्यक्त करेगा।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, हम सभी इस घटना से आहत हुए हैं। सभा का सत्र चल रहा है। मेरा अनुरोध है कि क्या हम शोकसन्तप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए एक संकल्प पारित करें?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, अध्यक्षपीठ की ओर से यह अपराह्न 3 बजे होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय प्रधान मंत्री जी तब तक उपस्थित हो जायेंगे।

कुमारी ममता बैनर्जी: मैं भी कुछ अलग बात नहीं कह रही हूं। मैं भी यही बात कह रही हूं।

श्री गुलाम नबी आजाद: मैंने भी यही कहा है कि यह अपराह्न 3 बजे होगा। यह पहले से ही कार्यसूची में मौजूद है।

कुमारी ममता बैनर्जी: यह हमारी आपसे प्रार्थना है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सहमत हूं।

अपराह्न 2.23 बजे

सामान्य बजट, 2004-2005-सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2004-2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा वर्ष 2004-05 के सामान्य बजट पर आगे चर्चा करेगी। मद संख्या-14 और 15 को एक साथ लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की गम्भीर चुनौती इस देश की गरीबी है। आज यू.एन.डी.पी. के दस्तावेज पूरी दुनिया के सामने प्रकाशित हुये हैं। क्वालिटी आफ लाइफ के हिसाब से हिन्दुस्तान अपनी पोजीशन पिछले साल वाली मेनटेन किये हुये है और दुनिया के देशों की श्रेणी में हमारा 127वां स्थान है। सरकार तथा योजना आयोग की ओर से जो गरीबी के आंकड़े दिये जाते हैं, वे वास्तविक आंकड़े नहीं हैं। अगर उन आंकड़ों पर यकीन किया जाये तो आज देश में 27 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे हैं और उन 27 करोड़ में से भी 10 करोड़ दरिद्रतम से दरिद्रतम व्यक्ति हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमने अपनी आर्थिक समीक्षा में इस बात को स्वीकार किया है कि इस देश में ग्रामीण क्षेत्र के 1000 आदमी में से 17 ऐसे आदमी हैं जो सालों-साल भूखे रहते हैं, उन्हें पेटभर भोजन नहीं मिलता है। शहरी क्षेत्र के 1000 लोगों में से 2 आदमी वर्षभर में आधा पेट भोजन करने के बाद जिन्दगी गुजर-बसर कर रहे हैं। गरीबी बेरोजगारी से शुरू होती है। यदि देश के गरीबी दूर करने का प्रयास हम लोग नहीं चलायेंगे, जब बेरोजगारी बढ़ती है तो गरीबी का फैलाव रोका नहीं जा सकता।

उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में जो दस्तावेज सुरक्षित हैं, उसके अनुसार 4 करोड़ 27 लाख लोग बेरोजगार हैं जो रोजगार दफ्तरों में अपना नाम लिखाते हैं। यदि बेरोजगारी की रफ्तार देखी जाये तो सब से ज्यादा पश्चिम बंगाल और केरल में क्रमश: 18 प्रतिशत और 14 प्रतिशत है। बेरोजगारी की सब से कम वृद्धि बिहार और उत्तर प्रदेश में है लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। ऐसा केवल इसलिये है कि उन राज्यों में साक्षरता, जागरूकता है और नौजवान लोग अपनी बेकारी दूर करने के लिये सरकार का दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन जहां अशिक्षा है, वहां के नौजवान लोग रोगजार मांगने के लिये रोजगार के दफ्तरों में नहीं जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर रोजगार के मामले में पूरे देश की स्थिति भयावह है। भारत सरकार कृषि और उद्योग के क्षेत्र में जब तक भरपूर निवेश पर ध्यान नहीं देगी, ग्रामीण और शहरी स्तर की बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगी। इसके लिए हमें एक अभियान चलाना होगा। एक अभियान पुरानी सरकार ने चलाया है, जिसे हम सड़कों के नाम से जानते हैं। एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें अधिकतम लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, पिछली सरकार ने एक स्कीम के तहत पूरे हिन्दुस्तान को सड़कों से जोड़ने की एक स्कीम चलाई। उसमें 13147 किलोमीटर सड़कें देश में बननी थी और स्वर्ण चतुर्भुज योजना में लगभग पांच हजार किलोमीटर के आसपास सड़कें इस देश में बननी थी। लेकिन कुल एक-चौथाई काम इन सड़कों के ऊपर हुआ। जिन कंपनियों ने उनका ठेका लिया, उन्होंने उस ठेके में सबलैटिंग की और सबलैटिंग वाली कंपनियों ने उन ठेकों को पूरा नहीं किया। निजी क्षेत्र में कुल एक-चौथाई सड़कें उस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बननी थी। उन पर 54000 करोड़ रुपये इस देश के खजाने का हमें खर्च करना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में हर आदमी जो पेट्रोल और डीजल लेने जाता है या गरीब किसान अपना ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल लेने जब पेट्रोल पम्प पर जाता है तो उसे भी डेढ़ रुपया इन सड़कों के बनने के नाम पर भारत सरकार को अदा करना पड़ता है। लेकिन उसमें काम क्या हुआ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इन सड़कों के बारे में जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को इसमें रोजगार मिला, अभी तक कितनी सड़कें बनी और कितने वर्षों में कितनी सड़कें बनने वाली हैं, यह वित्त मंत्री जी बतायें। छ: लेन की सड़कें बनाने पर साढ़े आठ करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्च होना है। वर्ष 1999 से जो भाव थे, उसके हिसाब से प्रधान मंत्री सड़क योजना में चार लेन की एक किलोमीटर सड़क साढ़े चार करोड़ रुपए में बनती है। इसका विकल्प यह हो सकता है कि रेलवे के पास बहुत जमीन है। इससे आधे पैसों में स्वर्ण चतुर्भुज रेल लाइन पूरे हिन्दुस्तान के बड़े शहरों को जोड़ने के लिए दो-तीन वर्षों के भीतर हम बना सकते हैं। देश में जो सड़कों की समस्या है उसका समाधान रेल के विस्तार से उसके विकल्प के रूप में हम शुरू कर सकते हैं। इसलिए हम वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि सड़कों पर होने वाले निवेश को निकालकर वह पूंजी रेलों में निवेश की जाए। यह मेरा एक सुझाव है और इसे वित्त मंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, वे आम जनता से जुड़े हुए बैंक हैं। वे बैंक बहुत दिनों से अपनी दशा सुधारने के लिए भारत सरकार से अपील कर रहे हैं, दर्खास्त दे रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने पहले ही दिन प्रश्नोत्तर में कह दिया कि उनका खुद का विचार है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन बैंकों को जोड़ने के लिए वह किसी एक को एपेक्स पार्टी बनाने का प्रस्ताव मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें प्रायोजित करने वाले जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्हीं के जिम्मे, उन्हीं के ऊपर उनके भविष्य को छोड़ दिया जाए। उसके पीछे तर्क यह दिया गया कि 51-52 बैंकों में जरूरत से ज्यादा घाटा है। वे कौन से बैंक हैं, जो पूर्वोत्तर राज्यों में काम कर रहे हैं, जो उड़ीसा के गरीब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बुरी हालत में हैं जो जम्मू-कश्मीर में, आतंकवाद प्रभावित इलाकों में काम कर रहे हैं। वही बैंक घाटे से मर रहे हैं। लेकिन इन इलाकों में काम करने वाले व्यावसायिक बैंक क्या उस घाटे से जूझने का काम नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करने का और ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी निवेश करने का सबसे सशक्त माध्यम ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। लेकिन वे गरीब बेरोजगार नौजवानों को, काटेज इंडस्ट्रीज चलाने वालों और अपने हाथ से काम करने वाले छोटे किसानों को साढ़े बारह प्रतिशत की सूद दर के हिसाब से ऋण देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रायोजित करने वाले उनके अपने बैंक हैं, जो नौ प्रतिशत के हिसाब से उन्हें ऋण देते हैं। इसलिए जनता तक उसका कर्जा साढ़े बारह प्रतिशत के हिसाब से पहुंचता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसका सर्वे होना चाहिए। जितने किसान आज आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके ऊपर बैंकों का कर्जा है और सबसे अधिक उन बैंकों का कर्जा है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में काम कर रहे हैं। यदि आप उनकी पूरी फीगर पता लगायें तो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।

व्यावसायिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं नहीं खोलते हैं। ग्रामीण स्तर पर क्षेत्रीय गतिविधियां और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हैं, बैंकों का कारोबार बढ़ा है, लेकिन मेरा दावा है कि पिछले दस वर्षों में जितने व्यावसायिक बैंक हैं, उन्होंने गांवों की ओर जाने की कोशिश नहीं की है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की दशा सुधारने के बारे में भारत सरकार को विचार करना चाहिए।

तीसरी बात सुझाव के तौर पर मैं कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने विनिवेश के बारे में बहुत अच्छी घोषणा की, लेकिन जो अति घाटे के सरकारी उद्यम है और उपक्रम हैं, उनको बेचने के बारे में या नहीं चलाने के बारे में सरकार की नीति पर विचार करने के लिए एक संगठन बीआईएफआर बना हुआ है। वह एक तरह का कोल्ड स्टोरेज है। इनकी दशा सुधारने के बारे में बीआईएफआर जितनी अड़ंगेबाजी संभव है, करता रहता है और पांच-छः साल से उसके सामने अनेक छोटे-मोटे उपक्रमों के मामले पैन्डिंग हैं, उन पर निर्णय नहीं होता। मेरा आग्रह है कि बीआईएफआर नाम की बला को खत्म करने का प्रयास किया जाए और जो घाटे के उपक्रम हैं, उनके विनिवेश या संचालन के बारे में त्वरित नीति कायम की जाए। लेकिन विनिवेश उस तरह का न हो जिस तरह का विनिवेश हमारे मित्रों ने गत चार वर्षों में किया। सैन्ट्रूर होटल का जिस रूप में विनिवेश हुआ, जिस रूप में उसकी बिक्री हुई, आज वह व्यक्ति जो फर्स्ट पार्टी के रूप में है, उसे चलाने की स्थिति में नहीं है और डेढ़ सौ करोड़ रुपये मुनाफा लेकर किसी थर्ड पार्टी को बेचने की स्थिति में पहुंच गया है। उसकी जांच होनी चाहिए कि पिछले चार वर्षों में विनिवेश और सरकारी संपत्ति को बेचने का जो अभियान चला था, उसमें जनता की कितनी संपत्ति लूटी गई। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। खास तौर से सैन्ट्रूर होटल की बिक्री के मामले में जो लूट हुई है, उसका खुलासा देश के सामने किया जाना चाहिए, यह मैं वित्त मंत्री जी से खास तौर से आग्रह करना चाहता हूं। उसी के साथ-साथ मेरे कुछ खास सुझाव हैं जिनको बहुत संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

पहला सुझाव यह है कि वित्त मंत्री जी ने एक लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले लोगों को तो आयकर से मुक्त कर दिया, लेकिन सर्विस टैक्स बढ़ा दिया है। सर्विस टैक्स देने वाले कौन हैं? बैंकों में कारोबार करने के लिए जाइए, सर्विस टैक्स देना है। बीमा में कारोबार करने जाएं तो सर्विस टैक्स देना है। तमाम बेरोजगारों के लिए जो सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन छपते हैं, उनके फार्म भरने के लिए कभी 200 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है तो कभी दाखिले के लिए 1000 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है। अब उस पर भी सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। ये सब जीवन से जुड़ी हुई सेवाएं हैं। एक लाख रुपये तक की आमदनी वाला जो आदमी हमारे समाज में है, उसे टेलीफोन की आवश्यकता होती है। जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हमारी सेवा की उपलब्ध वस्तुएं हैं, मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उनको सर्विस टैक्स में एक सीमा बांधकर छूट दी जानी चाहिए, अन्यथा जो एक लाख की सीमा है, इसका कोई लाभ आम आदमी को नहीं मिलेगा। इस देश में जो टैक्स देने वाला व्यक्ति है, टैक्स का बोझा उसी की पीठ पर और उसी के सिर पर लादने का हर साल प्रयास होता है जो ठीक नहीं है। एक लाख रुपये से ऊपर और दो लाख रुपये के बीच की आमदनी के जो लोग हैं, वे भी कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं। उनके लिए किसी तरह की छूट इस बजट में नहीं दी गई है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम दो लाख की आमदनी तक के जो लोग हैं, उनको भी टैक्स में थोड़ी बहुत सहूलियत दी जानी चाहिए। मैं उसके समापन की बात तो नहीं

[श्री मोहन सिंह]

करता लेकिन उनको छूट देने और राहत देने की अपील वित्त मंत्री जी से करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि इस बजट पर मुझे अपने दल की ओर से कुछ बातें कहने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री के.सी. पलनिसामी (करूर): महोदय, आज मुझे मेरे सर्वाधिक सम्माननीय नेता डा. कलिंगर ने वर्ष 2004-05 के बजट प्रस्तावों पर मेरा पहला संसदीय भाषण देने का दुर्लभ अवसर प्रदान किया है।

वरिष्ठ सदस्यों, विद्वानों और अर्थशास्त्रियों से भरी इस सभा में मैं तमिलनाडु के लोगों और अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के विचारों को यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं।

महोदय, बजट प्रस्तावों में न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के विचार और सार परिलक्षित होते हैं। श्री पी. चिदम्बरम ने यू.पी.ए. की अध्यक्षा सोनिया जी की सोच के साथ सच्चे अर्थों में न्याय किया है।

माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी की कठोर वित्तीय प्रबंध करने की उत्सुकता इस बात से स्पष्ट होती है कि उन्होंने एफ आर बी एम अधिनियम, 2004 को पारित कराया है जिससे देश की आर्थिक हालत को सुनिश्चित किया जा सकेगा। निस्संदेह यह बजट माननीय प्रधानमंत्री के भरपूर अनुभव, गहरी जानकारी और स्पष्ट सोच का परिणाम है।

तमिल में एक कहावत है जिसमें कहा गया है: ''सातियिल उल्लादु थान अगाप्पापिल वरूम'', जिसका अर्थ है: बतर्न में जो कुछ भी है वह चम्मच में बाहर आ जाएगा।'' किंतु हमारे वित्त मंत्री ने देश में आर्थिक कार्यकलाप के लगभग सभी क्षेत्रों में काफी प्रोत्साहन, छूट, लाभ और तोहफे देकर इस कहावत को गलत सिद्ध कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, श्री चिदम्बरम ने इस सदाबहार बजट के माध्यम से लाखों किसानों का दिल छूकर ग्रामीण भारत को भी छुआ है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत की 60 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गांवों में रहती है और ग्रामीण भारत में रहने वाले परिवारों को समृद्ध किए बिना आर्थिक परिवर्तन लाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए हमारे वित्त मंत्री ने देश के औद्योगिक विकास से कोई समझौता किए बिना यह हरा बटन दबाकर बिल्कुल ठीक काम किया है।

निस्संदेह बजट दस्तावेज को अगले 5 वर्षों के लिए यू.पी.ए. सरकार का रोडमैप माना जा सकता है। हां यह एक ऐसा बजट है जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी गर्व होता।

द्रमुक पार्टी का संसद सदस्य होने के नाते मैं अपने नेता डा. कलिंगर द्वारा तमिलनाडु के मतदाताओं से किए गए वादों को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं।

तमिलनाडु में करूर संसदीय क्षेत्र का संसद सदस्य होने के नाते यदि मैं वित्त मंत्री की सी ई एम बी ए टी को खत्म करने और शुद्ध सूत, ऊन और सिल्क पर से उत्पाद शुल्क हटाने और इस प्रकार हमारे क्षेत्र के कपड़ा उद्योग को एक अत्यावश्यक नवजीवन देने का साहसिक कदम उठाने के लिए प्रशंसा नहीं करता हूं तो यह लगेगा कि मैंने अपना कर्त्तव्य सही तरीके से नहीं निभाया है।

पचास वर्ष पुराने कपड़ा उद्योग में अब पुन: प्राणों का संचार हो रहा है। दक्षिण भारत का यह मैनचेस्टर शीघ्र ही अपनी पुरानी रंगत को पा लेगा। हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र के लाखों कपड़ा मजदूर अब बेरोजगारी और गरीबी की बयान न की जा सकने वाली कठिनाइयों से बाहर आ जाएंगे।

राजग सरकार की एक और ऐतिहासिक भूल को केवल पेन के एक प्रहार से ठीक कर दिया गया है। वित्त मंत्री थिरूकुरल की उस कसौटी पर खरे उतरे जिसे उन्होंने अपने बजट भाषण में उद्धृत किया है और वास्तव में वे गौरव और साहस के पथ पर चले हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह यू.पी.ए. सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया पहला बजट है और इसलिए हरेक उस चुनाव परिणाम की बात कर रहा है जिससे यू पी ए सत्ता में आया। एक अन्य दिन मेरे मित्र श्री रूपचन्द पाल यह कह रहे थे कि यह पूर्ववर्ती सरकार की नव-उदारवादी नीतियों की पराजय है और जो सरकार ऐसी नीतियों का अनुसरण कर रही थी उसकी पराजय हुई। इसलिए 'उदार' विचार इतना प्रभावी है कि संभवतया यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए इस पहले बजट में ग्रामीण विकास और कृषि जैसे शब्दों का इतनी उदारता से प्रयोग किया गया है कि कोई भी प्रभावित हो जाए। किंतु दुर्भाग्यवश इन क्षेत्रों के लिए जो प्रावधान किए जाने थे वे नहीं किए गए। अत: जहां धन की जरूरत थी वहां कोई धन नहीं था और इसलिए दुर्भाग्यवश यह बजट उस प्रकार की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है जो इसे प्रस्तुत करने से पहले सामने रखी गई थी।

महोदय, यह सच है कि आज हम संसद में विपक्ष में बैठे हैं क्योंकि हमने सत्ता खो दी और यू.पी.ए सत्ता में आई। अब देश में इस प्रकार का चलन क्यों बनता जा रहा है? हर बार जब एक सत्तारूढ़ दल चुनाव में जाता है तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि वह चुनाव हार जाएगा किंतु, पश्चिम बंगाल इसका अपवाद है जहां सत्तारूढ़ दल ने कई वर्षों से सत्ता नहीं खोई है

और मेरी मित्र कुमारी ममता बैनर्जी यह बताएंगी कि ऐसा क्यों हुआ है।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता, दक्षिण): महोदय, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति के बिना कोई भी जो कुछ बोलेगा वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह बजट भारी अपेक्षाओं के बीच प्रस्तुत किया गया था और मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस सरकार ने अपने बजट में जो कि कार्यक्रम घोषित किए हैं वो और कुछ नहीं अपितु उन कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति ही है जिन पर पूर्ववर्ती सरकार काम कर रही थी।

मैं यह कहूंगा कि यह उन योजनाओं का अर्जन नहीं अपितु विलय है जो पूर्ववर्ती सरकार की अन्य योजनाओं का विलय करने हेतु शुरू किए गए थे और यह उन्हें नए नामों से लाकर करना, उसको नए आवरण के साथ विपणन करना है। हालांकि मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। वे बहुत ही समझदार और योग्य व्यक्ति हैं और उन्होंने यह काम इस प्रकार से किया है जिससे यह आभास होता है कि ग्रामीण विकास और कृषि हेतु रखे गए परिव्यय में भारी निवेश करके वृद्धि की गई है दुर्भाग्यवश, मैंने यह पता लगाया है कि किस प्रकार अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है।

महोदय, देश की कुल जनशक्ति का 93 प्रतिशत असंगठित श्रमिक हैं। एन सी एम पी भी इस बारे में बात करता है किंतु दुर्भाग्यवश इस बजट में असंगठित श्रमिकों हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अब मैं मछुआरों की बात करता हूं। हमारे पास 9 बड़े तटीय राज्य हैं। दुर्भाग्यवश न तो एन सी एम पी और न ही बजट में उस क्षेत्र के आस-पास रहने वाले मछुआरों के बारे में कुछ भी कहा गया है। मछुआरों जो अच्छे व्यवहार के हकदार थे, के साथ बुरा व्यवहार किया गया है।

महोदय, देश की मुख्य समस्याओं में से एक समस्या जनसंख्या की है। वस्तुत: प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आ रही है और हमारे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बावजूद इसमें ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि प्रति व्यक्ति आय में वास्तव में गिरावट आई है। अत: समय की मुख्य मांग यह है कि एक जनसंख्या नीति तैयार की जाए जो वास्तव में जनसंख्या को नियंत्रित करे। किंतु दुर्भाग्यवश एन सी एम पी अथवा बजट दोनों दस्तावेजों में से किसी में भी जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं समझता हूं जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस बजट में कुछ प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए थे।

संगठित श्रमिक, जिनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और एन.सी.एम.पी. ने भी इनके बारे में बात की है, को कुछ नहीं मिला। अधिकांश संगठित श्रमिक देश में प्राचीन या परंपरागत उद्योग-वस्त्र उद्योग में काम करते हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिए, जिसमें मुम्बई, अहमदाबाद और अन्य कई स्थानों में बड़ी संख्या में कामगार काम कर रहे हैं, दुर्भाग्य से कुछ नहीं दिया गया है। कई अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को "गोल्डन हैण्डशेक" मिला लेकिन राष्ट्रीय वस्त्र निगम और अन्य वस्त्र कामगारों को जितना मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। इसलिए संगठित श्रमिक, विशेषकर, राष्ट्रीय वस्त्र निगम और मुम्बई नगर में वस्त्र कामगारों को इसके चलते वास्तव में असुविधा हुई है।

कामगार समुदाय को यह आशा थी कि भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाया जाएगा। हमें भी यह आशा थी कि कुछ घोषणा की जाएगी। निश्चित रूप से, यह बजट से संबंधित नहीं है, यह कुछ अलग है, संभवत:, हम कुछ सुनेंगे और वह कामगारों के लिए शुभ समाचार होगा।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार द्वारा कुछ बहुत अच्छे कार्यक्रम चलाए गए थे, विशेष रूप से, मेरे अच्छे मित्र मेजर जनरल खुंडरी द्वारा-ग्रामीण सड़कों और ग्रामीण सम्पर्क (कनेक्टीविटी)-जैसे कार्यक्रम चलाकर, एक कार्यक्रम यह पता करने के लिए चलाया गया था कि क्या हम सूखा-बाढ़-सूखा सिन्ड्राम की समस्या का समाधान कर सकते हैं, जो देश के लिए काफी लंबे समय से मुसीबत बना हुआ है और हम समस्या के समाधान की संभावना का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। आज भी, बड़ी संख्या में लोग मुसीबत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि बिहार, असम और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में अत्यधिक पानी है और इसी समय देश के कुछ अन्य भागों में वर्षा न होने से लोग परेशानी उठा रहे हैं, हम उसकी संभावना

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

का पता लगाने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसका कोई उल्लेख नहीं है। संभवतया, सरकार उसके दोहन के बारे में नहीं सोच रही है।

मछुआरों के जीवन को सुधारने की प्रक्रिया में हमारी पूरी तटरेखा को विकसित करने के लिए 'सागरमाला' परियोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसकी घोषणा पिछले वर्ष 15 अगस्त के दिन पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। जब माननीय वित्त मंत्री पूर्ववर्ती संयुक्त मोर्चा सरकार में वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि 'अमरीका धनी है क्योंकि उनके पास सड़कें हैं और न कि सड़कों ने अमरीका को धनी बनाया है। हम समझते हैं कि दर्शन को आगे बढ़ाया जाएगा। सड़कों के लिए और प्रावधान होंगे और हम भारत के विभिन्न भागों को, गांवों को प्रमुख स्थानों से जोड़ने में समर्थ होंगे।

शहरी गरीबों की भी उपेक्षा की गई है। मुम्बई में 63 प्रतिशत लोगों का घर झुग्गी-झोपड़ियां हैं। मुम्बई देश में सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। दुर्भाग्य से, इस बजट में शहरी गरीबों के लिए कोई ज्यादा प्रावधान नहीं है, यद्यपि मुम्बई शहर से केन्द्र सरकार को 40 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है, इसलिए, वे इस बजट से कुछ प्राप्त करने में वंचित रहे हैं।

हथकरघा बुनकर, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रमुख द्वितीयक कार्य है, को वैसा कुछ नहीं मिला, जिसकी अपेक्षा थी।

जहां तक उद्योग का संबंध है, माननीय वित्त मंत्री ने आटोमोबाइल उद्योग के बारे में कहा, और उन्हें मैं इसके लिए सचमुच बधाई देता हूं क्योंकि यही उद्योग है जो आने वाले समय में देश का झंडा ऊंचा रखने वाला है। उदारीकरण के बाद इसमें वास्तव में वृद्धि हुई है और हम देख रहे हैं कि उदारीकरण से कैसे किसी विशेष क्षेत्र को लाभ हुआ है। अब यह उद्योग न केवल देश के भीतर प्रतिस्पर्धात्मक है बल्कि विश्व उद्योग का एक स्रोत केन्द्र स्थल बन गया है।

इसी तरह से, एक ऐसा सौदा हो सकता था जिसे फार्मास्यूटीकल उद्योग को दिया जाना चाहिए था, मुझे याद है, जब मैं रसायन और उर्वरक मंत्री था, तो हमने अनुसंधान और विकास के लिए 150 करोड़ रुपए प्रदान करने की योजना शुरू की थी। संभवतया, इस विशेष बजट में इस उद्योग के लिए इसका प्रावधान किया जाना चाहिए।

ऐसा इसलिए कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बाद यह ऐसा उद्योग है जो वास्तव में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग हो सकता है और बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है और 'मालिक्यूल' विकसित कर, नई औषधि वितरण प्रणाली विकसित कर स्वास्थ्य देखभाल समस्या का समाधान कर सकता है। दुर्भाग्यवश, इस तरह का कुछ नहीं किया गया है।

महोदय, सामाजिक क्षेत्र के लिए प्रावधान करने हेतु मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। इस बजट में यह ऐसी चीज है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए ऐसा इसलिए कि हम बराबर चीन के बारे में बात करते हैं, और चीन विकसित है क्योंकि वहां सामाजिक क्षेत्र का विकास हुआ है। महोदय, माओ-त्से-तुंग ने सचमुच आर्थिक सुधार की आधारशीला रखी गई थी क्योंकि वर्ष 1949 से 1978 तक चीन का सामाजिक सूचकांक इतना सुधर गया था कि आर्थिक सुधार शुरू किया जा सके। इसलिए, वर्ष 1978 में श्री डेंग ने जो किया उसका श्रेय लोगों ने उन्हें दिया, लेकिन उसकी आधारशीला वर्ष 1949 के दौरान ही रख दी गई थी। इसलिए, इस विशेष बजट में सामाजिक क्षेत्र के बारे में बात की गई है और इसके लिए मैं सचमुच वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

महोदय, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने कहा था कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जब एक रुपया भेजा जाता है तो उसमें से अंतिम लक्ष्य तक केवल 10-12 पैसे ही पहुंच पाता है। हम यह आशा कर रहे हैं कि समस्या की पहचान हो जाने के बाद वह अब सुधारात्मक कदम उठाने में भी समर्थ हैं हमें अब प्रशासनिक ढांचे को सुधारने की जरूरत है जिसमें अधिक पैसा लगता है, अधिक चोरी होती है, अधिक ऋण होता है और अंततोगत्वा अंतिम उपभोक्ता तक जो सेवा की गुणवत्ता पहुंचती है, वह दयनीय है। इसलिए प्रशासनिक सुधार में कुछ बदलाव अत्यावश्यक है, इसके अभाव में, हम राकेट बना रहे हैं, पर राकेट प्रक्षेपक नहीं है। राकेट निर्माण एक कार्यक्रम है जिसके बारे में हमने बात की है लेकिन राकेट प्रक्षेपक प्रशासनिक समर्थन है। यदि आप उसे नहीं बदलते हैं तो अच्छी नीयत वाली हमारी कई योजनाएं अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहंच पाएंगी जैसा कि हमने पिछले कुछ वर्षों के दौरान देखा है। इसलिए, दुर्भाग्यवश, उस पर कुछ विशेष नहीं किया गया है। वस्तुतः प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते समय कहा है कि यह एक प्रमुख समस्या है। हम यह आशा कर रहे हैं कि समस्या की पहचान कर लिए जाने पर उसमें (बजट में) कुछ प्रावधान करना होगा।

महोदय, इस बजट में पेट्रोलियम राजसहायता घटाकर 3014 करोड़ रुपए कर दी गयी है। मैं नहीं जानता कि क्या इसका मतलब यह तो नहीं होगा कि बजट में इसके लिए कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए, नियंत्रित मूल्य प्रणाली को खत्म कर मैं नहीं जानता कि क्या हम उस प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहे हैं जहां मूल्य का निर्धारण बाजार द्वारा होगा और उपभोक्ता को उसका भुगतान करना पड़ेगा। क्या यही नीति है?

हमने सचमुच, इस बात की पहचान नहीं की है कि मनुष्य-पशु मुठभेड़ की समस्या है। मेरे बाद श्री बालू पर्यावरण मंत्री थे। मैं पर्यावरण मंत्री था। मुम्बई शहर में कई स्थानों पर मनुष्य-पशु मुठभेड़ की समस्या बढ़ रही है। हमें वनों की रक्षा करने की जरूरत है। हमें जरूरत है वन्यजीव पर्यावास की। दुर्भाग्यवश, इस बढ़ते मनुष्य-पशु संघर्ष से ऐसा लगता है कि पशुओं को रहने की जगह नहीं है, और मनुष्य ही उस पर कब्जा कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए इस बजट में और अधिक प्रावधान करना होगा ताकि ऐसे मनुष्य-पशु संघर्ष से बचा जा सके। वैसे, इस संबंध में एक प्रावधान किया गया है।

महोदय, शिक्षा उपकर, जिस पर कई गुणा प्रभार है, सिर्फ एक बार ही नहीं लगने जा रहा है, बल्कि कई लोगों पर लगने वाला है। एक व्यक्ति को कई स्थानों पर कर का भुगतान करना पड़ेगा, जहां-जहां वह सेवा प्राप्त करता है। इसलिए, यह समाज के उस हिस्से को प्रभावित करने जा रहा है जो कि अत्यधिक कमजोर है और जो सेवा का उपभोग इस तरह से कर रहा है, जैसी कि उन्हें दैनिक जीवन में उपयोग की जरूरत हो, उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मुझे यकीन है, यह सरकार जो निर्धन लोगों और आम लोगों का विशेष ध्यान रखती है, वह अवश्य इस पर दूसरे नजरिए से विचार करेगी।

महोदय, कारोबार कर ऐसा है, जिस पर, मैं समझता हूं, वित्त मंत्री ने कहा है कि वह खुले दिमाग से इस पर विचार कर रहे हैं। इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन इस तरह की चीजों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। लाभ पर कर नहीं लगाया जाता। इस बात का कोई लेना-देना नहीं है कि आपको लाभ हुआ है या नहीं। कारोबार कर का अभी भी भुगतान किया जाना है। इसलिए, मैं सही कह रहा हूं कि यह ऐसा कर है जो लाभ से संबंधित नहीं है। ऐसा सचमुच आयकर अधिनियम में नहीं होना चाहिए। लेकिन, किसी भी मामले में, यह ऐसा है जिस पर सचमुच विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि अधिकांश लोग, विशेषकर दिन-प्रतिदिन के आधार पर अपनी आजीविका कमाने वाले केवल इस कारण से रोजगार से वंचित किए जा रहे हैं क्योंकि इस संव्यवहार कर का प्रभाव उन पर पड़ेगा। लेकिन मैं खुश हूं कि आप इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, और हमें इस मामले पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मुझे उस घड़ी का इंतजार है जब मैं वक्तव्य दूंगा। मैं आशा करता हूं कि मुझे संव्यवहार कर के इस प्रश्न को स्पष्ट करने का अवसर सोमवार को प्रदान किया जाएगा। मैंने उन सभी की बातें सुनी हैं और निश्चय ही हम ऐसा वक्तव्य लेकर लौटेंगे जिससे बाजार का प्रत्येक व्यवसायी संतुष्ट होगा।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपकी इस प्रकार की अनुकूल प्रतिक्रिया की वास्तव में प्रशंसा की जाएगी।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में सात मानदंडों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि बजट तैयार करने वाले आर्थिक मानदंड सात हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सभा का कोई सदस्य इस पर प्रश्न खड़ा करेगा। यही ऐसा कार्य है जो हमें वास्तव में करना है। यह सात आर्थिक मानदंडों का राष्ट्रीय कार्यक्रम हो सकता है लेकिन दुर्भाग्यवश, जब हम इन मानदंडों का अध्ययन करें तो हमें यह पता लगाना चाहिए कि क्या इनमें से प्रत्येक मानदंड का उल्लेख किया गया है और क्या जो बजटीय प्रावधान किए गए हैं, उनसे इस प्रावधान का लक्ष्य पूरा होता है।

पहला सिद्धान्त यह है कि वित्त मंत्री जी सतत रूप से सात से आठ प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखना चाहते हैं। इसका बहुत-बहुत स्वागत है। वास्तव में, चीन कई वर्षों से 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर बनाए हुए है। अब चीन की चुनौती इस वृद्धि दर को कम करने की और हमारी चुनौती वृद्धि दर को बढ़ाने की है। चीन किस प्रकार अपनी वृद्धि दर को बढ़ाने में सफल और हम ऐसा करने में विफल क्यों रहे हैं? हम अब भी संघर्ष कर रहे हैं। हमने मात्र पहली बार आठ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त की। अब हम कितनी वृद्धि दर प्राप्त करने जा रहे हैं? इसे हम कैसे प्राप्त करेंगे? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।

बातचीत के दौरान कल हमारे एक मित्र ने यह कहा था कि वृद्धि ऐसी चीज नहीं है जिस पर हमें मुग्ध होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम। 1990 का दशक सुधारों का दशक था जिसमें वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत थी। 1970 के दशक में वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत थी। तो, यह 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर 1990 के दशक में 5.8 प्रतिशत हो गयी। इसलिए, इस वृद्धि दर को हम कैसे प्राप्त करेंगे? इस बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष यह वृद्धि प्रस्तुत: घरेलू मांग में 52.4 प्रतिशत वृद्धि पर आरोप्य थी; निवेश 25.6 प्रतिशत था; विदेशी संसाधन 2.4 प्रतिशत था। तो, अब चुनौती क्या है? क्या आप अधिक घरेलू मांग उत्पन्न करने वाले हैं अथवा आप अधिक निवेश कराने वाले हैं? यदि आप चाहते हैं कि अधिक घरेलू मांग आए, तो मांग में वृद्धि करने वाला कोई प्रेरक तत्व नहीं है। इसे सुनिश्चित करने वाला कोई प्रेरक तत्व नहीं कि वस्तुओं आदि सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी और इससे मांग में वृद्धि होगी और इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस बारे में अवश्य जानना चाहूंगा। वास्तव में वह जानते हैं कि चीन के पास अब 500 बिलियन डालर का निर्यात है और उसके पास लगभग 1.5 ट्रिलीयन डालर की अर्थव्यवस्था है। यदि हम सात से आठ प्रतिशत तक की वृद्धि दर प्राप्त करना चाहते

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

हैं, जिसका हम सभी समर्थन करते हैं, तो हम यह कार्य कैसे करेंगे, यह एक चुनौती है और हम इस बारे में जानना चाहेंगे। लक्ष्य निर्धारित करने के अलावा, हम इसे किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते।

दूसरा लक्ष्य गुणवत्ता मूलक शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्या का है। इस प्रस्ताव का हम सभी समर्थन करते हैं। विगत में हमने कुछ नारे दिये थे और हम सभी ने लंबे समय तक सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में बात की थी। दुर्भाग्यवश हम इन लक्ष्यों को वास्तव में प्राप्त नहीं कर सके हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसका एक कारण यह है। हमें इसका मात्रात्मक विश्लेषण करना होगा कि स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं और शैक्षिक संस्थाएं कम क्यों हैं। हम धनराशि प्रदान कर सकते हैं। समस्या यह नहीं है। नि:सन्देह धन की आवश्यकता है। और मैं यह मानता हूं कि दोनों के लिए बजट में धनराशि में वृद्धि की गयी है। यदि हम सबसे निचली स्थिति पर ऐसा विश्लेषण नहीं करते तो हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी इसके लिए आवश्यक है वह हमें साथ-साथ देना होगा। हमें कक्षाएं खोलनी होगी, वहां शिक्षक उपलबध कराना होगा, ब्लैकबोर्ड देना होगा और शिक्षक को वेतन देना होगा। यदि हम एक-एक करके इन्हें उपलब्ध करायेंगे तो अंतत: सेवाएं खतरे में पड़ जाएंगी और हम वह प्राप्त नहीं कर पायेंगे जो हम वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए, हमें मात्रात्मक विश्लेषण अवश्य करना होगा। मैं वित्त मंत्री जी से और सरकार से पहले यही कार्य करने का आग्रह करूंगा। धनराशि प्रदान करना एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन इसके बगैर हमारे पास यही समस्या होगी। इसीलिए, मैं उनसे ऐसा करने का आग्रह करूंगा।

अपराह्न 2.57 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

वस्तुत:, गत पांच वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय दुगुना हुआ है। हमने समस्या की पहचान कर ली है। इसलिए, धन अब मुद्दा नहीं है। मुद्दा स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रणाली और शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली का है। इसलिए, हमें वास्तव में ऐसा करना होगा। वस्तुत:, मैं सरकार से इस संबंध में श्वेत-पत्र लाने का आग्रह करूंगा कि किस प्रकार कई विद्यालय और संस्थाएं अपेक्षित गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान नहीं कर रही हैं। केवल तभी, हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। संभवत:, मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य दोनों ही मंत्रालयों को यह कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।

दुर्भाग्यवश, जहां तक मानव विकास सूचकांकों का संबंध है, 174 प्रदेशों के बीच भारत का स्थान 127वां है। इसीलिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमें अधिक आबंटन की सेवाओं में अधिक सुधार की आवश्यकता है लेकिन आबंटन मात्र से और चुनौती की सामना किए बगैर हमें कोई परिणाम हाथ नहीं लगेगा।

तीसरा लक्ष्य कृषि, विनिर्माण और सेवाओं में रोजगार के लाभप्रद अवसर उत्पन्न करने का है। पुन: यह ऐसा विषय है जिसे कोई भी चुनौती देने वाला नहीं है। आज हमारे देश में 4,31,00,000 पंजीकृत बेरोजगार हैं। इनमें से 70 प्रतिशत शिक्षित हैं। वे सभी दसवीं से अधिक कक्षा तक पढ़े-लिखे हैं। इसीलिए, हमें इन सभी बेरोजगारों का ध्यान रखना होगा और हमें यह निर्णय लेना होगा कि हम उन्हें किस प्रकार का काम दे सकते हैं क्योंकि यदि हम उन्हें कोई भी काम दे दें जिनमें बेरोजगारों की रुचि न हो तो हम उनसे कार्य न ले सकेंगे। इसलिए, इन बेरोजगारों के रुचियों और हम उन्हें जिस प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करने जा रहे हैं, उनमें तालमेल होना चाहिए। अन्यथा, इससे वास्तव में हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा। हमें झूठमूठ के रोजगार जो 'घंटे भर के कार्य' के नाम से जाने जाते हैं। हमें ऐसे रोजगार देने चाहिए जो अधिक स्थायी हैं और जो कर्मचारियों को अधिक स्थायित्व प्रदान कर सकें। तो, हमें ऐसा करने की वास्तव में आवश्यकता है। इसके लिए, हमें उन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो आर्थिक सर्वेक्षण में उभरकर आयी हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या घटती जा रही है। इसलिए, हमारे समक्ष अधिक सकल घरेलू उत्पाद है लेकिन रोजगार के कम अवसर हैं, और इस घटना को हमने रोजगार रहित विकास का नाम दिया है। हम अधिक सकल घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त करेंगे और साथ में रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न कर सकते हैं यह एक चुनौती है और हम इस दिशा में एकजुट होना चाहेंगे। आप इस बारे में अवश्य नीति लाएं कि हम यह कैसे करने वाले हैं। बेरोजगारी में 9 प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है, इसलिए, केरल ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कुंभकोणम के लार्ड कृष्ण स्कूल में लगी आग में मारे गए निरीह बच्चों की स्मृति में व्यक्त किए गए शोक के बारे में

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं आपको बीच में एक मिनट के लिए रोक सकता हूं? मुझे एक अत्यंत दु:खद समाचार देना है।

माननीय सदस्यगण, तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कुंभकोणम में लॉर्ड कृष्ण स्कूल में हुई दु:खद आग दुर्घटना के बारे में

जानकर सभा को बहुत दु:ख हुआ है जिसमें लगभग 75 बच्चों तथा तीन शिक्षकों की जान चली गई हैं। सूचना मिली है कि इस दुर्घटना में लगभग 30 अन्य लोग भी घायल हुए हैं।

यह सभा इस दुर्घटना में छोटे निर्दोष बच्चों के मारे जाने पर यह शोक व्यक्त करती है तथा इस त्रासदी पर गहरा दु:ख व्यक्त करती है। हम शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत लोगों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

अपराह्न 3.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 3.02 बजे

सामान्य बजट, 2004-2005—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2004-2005-*जारी*

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): उनका कहना है कि बेरोजगारी 1.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ेगी। फिर अतिरिक्त वेतन वृद्धि में बढ़ोत्तरी और तेजी से होगी क्योंकि हमारे पास पिछली कुछ नियुक्तियों का बकाया भी है तथा बाजार में और हमारे अधिकाधिक बेरोजगार लोग बाजार में आ रहे हैं। इसलिए, यह एक चुनौती है जिसको वास्तव में समाधान किया जाना चाहिए।

श्री मोहन सिंह केरल का उल्लेख कर रहे थे। दुर्भाग्यवश, केरल में रोजगार के अवसर में सबसे कम वृद्धि हुई है। रोजगार वृद्धि 0.7 प्रतिशत है जो देश में न्यूनतम है। हमें इसका पता अवश्य करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि केरल का सामाजिक सूचकांक सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद यह राज्य अधिक रोजगार पैदा करने में सक्षम नहीं है जोकि अपेक्षित है। इसलिए, हम इसे कैसे कर रहे होंगे?

क्या संभवत: इसके लिए उनकी आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं या कुछ और कारण है? इसका पता करना पड़ेगा। इतना अच्छा सूचकांक होने के बावजूद हम रोजगार पैदा करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। इसलिए, वास्तव में हमें इसकी जांच करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे चीन के लोगों के अनुभव का अध्ययन करें जहां उन्होंने निर्माण के क्षेत्र में वृद्धि की है चाहे वह जूते बनाने की बात हो या फिर खिलौने बनाने की बात हो या फिर वस्त्र बनाने की बात हो, वहां बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है जो वास्तव में इस बेरोजगारी में हुई वृद्धि का सामना कर सकता है। हम अधिक नौकरियां पैदा करने में सक्षम होंगे। इसके लिए अधिक प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश, इसमें इसका उल्लेख नहीं है।

अन्य उद्योग निर्माण क्षेत्र है जिसमें निवेश और रोजगार सृजन का अनुपात 1 : 100 है। एक बार यदि इसका सृजन हो जाता है तो इसका व्यापक प्रभाव होगा और यही कारण है कि योजना आयोग की एन.सी. गुप्ता समिति ने भी इसकी एक ऐसे क्षेत्र के रूप में पहचान की है जिसमें रोजगार सृजन बहुत अधिक मात्रा में होगा। इसलिए हमें वास्तव में ऐसा करने की जरूरत है।

बिजीनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग अन्य क्षेत्र है खासकर तब जबकि हमारे शिक्षित बेरोजगार का 70 प्रतिशत दसवीं पास है। इसलिए वे ऐसे लोग हैं जो बी.पी.ओ. के उपयुक्त उम्मीदवार हैं। इसलिए उन्हें भी रोजगार मिल सकता है। दुर्भाग्यवश जैसा कि आप जानते हैं, कुछ बी.पी.ओ. कम्पनियों को कर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिसमें होने वाली आय पर कर लगाया जाता है और हमें ऐसी बाधाओं को खत्म करना पड़ेगा जिससे कि अधिक रोजगार सृजित किया जा सके क्योंकि अब भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां बी.पी.ओ. हो सकते हैं। इसलिए, हमें दूसरे क्षेत्र में भी देखने की जरूरत है।

मैं समझता हूं कि अन्य क्षेत्र सर्विस एक्सपोर्ट का होना चाहिए केवल घरेलू नहीं। चीन में सर्विस एक्सपोर्ट 50 मिलियन डालर की होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह दूसरा क्षेत्र है जिसमें हमें अपनी पैठ जमानी होगी।

अब मैं निवेश के प्रोत्साहन के उद्देश्यों की चर्चा करता हूं। अभी भी कुछ क्षेत्र हैं जिसमें हमें कोई गलती नजर नहीं आती। लेकिन वित्त मंत्रालय की नजरों में सकल घरेलू उत्पाद की संरचना क्या है? आप नौकरियों में, विनिर्माण में तथा कृषि में अगले पांच वर्षों में कितना निवेश करना चाहेंगे जिससे कि निवेश में वृद्धि हो। इसके लिए एक स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि एक स्पष्ट रणनीति परिभाषित कर दी जानी चाहिए और इसे बता दिया जाना चाहिए जिससे वास्तव में हमें मदद मिलेगी।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में आपने एक बात का उल्लेख किया है। मैं उसी के बारे में जानना चाहूंगा। निवेश के लिए आप इसे एक कारण मानते हैं या बाधा? इसमें कहा गया है कि, "श्रम कानूनों की कुछ कठोरताएं दक्षतापूर्वक बड़ी कम्पनियों के निर्माण में बाधा के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या आपकी यही समस्या है? क्या (आर्थिक सर्वेक्षण में) इसे एक बाधा के रूप में पहचाना गया है, मैं जानना चाहूंगा कि इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है। इसे करने के बाद इस वर्ष में पूंजी व्यय में 20,000 करोड़ रुपये की कमी आई है। जब हम निवेश के बड़े लक्ष्य के लिए इसे अपना एक कारण मान रहे हैं तो उसके लिए 20,000 करोड़ रुपये की राशि कुछ भी नहीं है। वास्तव में पूंजी व्यय तथा सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 4.05 प्रतिशत से घटकर 2.96 प्रतिशत हो गया है। इसलिए, हमें वास्तव में इसे करने की जरूरत है।

और फिर, यदि आप, निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें बचत करनी पड़ेगी। अन्यथा, निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमें केवल उधार ही लेना पड़ेगा। यदि आप अधिक बचत चाहते हैं, तो 24 प्रतिशत की बचत दर का इसमें घरेलू योगदान सबसे ज्यादा होना चाहिए। नि:संदेह, कारपोरेट क्षेत्र का स्थान दूसरा है। उदाहरण के लिए हम घरेलू बचत को लें। यदि आप चाहते हैं कि घरेलू बचत ज्यादा हो तो बचत को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। यदि आप बचत नहीं करेंगे तो निवेश कैसे करेंगे? हम थोड़ी देर में कारपोरेट क्षेत्र की चर्चा करेंगे। जब हम कारपोरेट क्षेत्र से ज्यादा कर वसूल करने की उम्मीद करते हैं तो आप यह कैसे आशा कर सकते हैं कि वे अधिक बचत करेंगे साथ ही अधिक भुगतान भी करेंगे। यही विरोधाभास है।

तीसरी बात, यह सरकार बचत नहीं करने वाली सरकार है। सरकार के खर्च के क्षेत्रों की पहचान आप कैसे करते हैं। बचत दर बढ़ाने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने में यह भी एक चुनौती है। हम देख रहे हैं कि अंतर बढ़ता जा रहा है-'आर्थिक सर्वेक्षण' में यह बताया गया है लेकिन मैं इसे पढ़ने में सभा का समय बचत और निवेश पर बर्बाद करना नहीं चाहूंगा। हमें यह नहीं दिख रहा है कि बचत से कोई और कार्य हो रहा है और सारी बचत निवेश पर भी खर्च नहीं हो रहा है। इसलिए, बचत और निवेश के बीच अंतर बढ़ रहा है। हमें वास्तव में इस बात का पता लगाना होगा कि इस बचत को हम कैसे उत्पादक निवेश में लगा सकते हैं तथा इसका भी पता करना होगा कि हमारे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमोदन और प्रत्यक्ष विदेशी वितरण में अंतर क्यों बढ़ रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमोदन दर तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वितरण दर के बीच अंतर बढ़ रहा है तथा हमें इस अंतर को पाटने की भी कोशिश करनी पड़ेगी।

पूर्व में जब माननीय वित्त मंत्री संयुक्त मोर्चा सरकार में वित्त मंत्री थे तो उन्होंने 10 बिलियन डालर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया था। इस बार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इस बात का उल्लेख नहीं है ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम): मैंने कहा था, 'तीन गुणा'।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: मुझे ज्ञात है परन्तु इसका स्पष्टत: उल्लेख नहीं है। संभवत: इसकी मात्रा बताना आवश्यक नहीं समझा गया परन्तु यह एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। हमें वास्तव में इस पर गौर करने की आवश्यकता है कि हम इसे कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं।

दूसरा रुचिपूर्ण पहलू, जिस पर मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिए। वह है बैंक जमा, जोकि बचत का एक स्रोत है। अब मांग जमाओं में वृद्धि हो रही है। गत वर्ष इसमें 30.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु समयावधि जमाओं में 15.3 प्रतिशत की कमी आई है। इसलिए, हम दीर्घावधि निवेश नहीं चाहते हैं। यह सुनिश्चित करने हेतु हमारे पास कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे कि हम और दीर्घावधि तक मान्य बचतों को जुटा सकने में समर्थ होंगे।

चौथा उद्देश्य प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है? एक अर्थशास्त्री द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार इसके लिए 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप यह कहते हैं कि इसे कम धनराशि से पूरा किया जाने वाला है; परन्तु यदि धनराशि उतनी होगी, जितनी मैंने बताई है, तो फिर आपने कितनी धनराशि उपलब्ध कराई? वस्तुत:, ग्रामीण विकास हेतु इस वर्ष 1,1456 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जबकि गत वर्ष ग्रामीण विकास हेतु 15,519 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष ग्रामीण विकास हेतु प्रावधान में 4,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। जब, हम ग्रामीण सड़कों की बात करते हैं, तो यह ज्ञात होता है कि 1.6 लाख बस्तियों को सड़क संपर्क की आवश्यकता है। इसके लिए 1,30,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है परन्तु यहां आवंटनों में वृद्धि करने का कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में, मैं जानता हूं कि ग्रामीण सड़कों के लिए धन का एक बड़ा हिस्सा डीजल उपकर से संग्रहित किया जाता है लेकिन इसके साथ-साथ ग्रामीण सड़क संपर्क उपलब्ध कराने से रोजगार सृजन क्षमता बढ़ती है और इसलिए इसे किया जाना चाहिए।

यदि माननीय वित्त मंत्री वास्तव में हमारे युवाओं हेतु वर्ष में सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो वह जल कार्यक्रमों का भी उपयोग कर सकते हैं। गाद हटाने जैसे जल कार्यक्रमों को सौ दिन की रोजगार योजना से जोड़ा जा

सकता है ताकि साथ ही हम रोजगार सृजित करने और कई क्षेत्रों में जल की कमी की समस्या का भी समाधान करने में समर्थ हों। जब तक हम ऐसे कार्यक्रमों को शुरू नहीं करते। हम इस उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे।

केवीआईसी हेतु किए गए आवंटन का हम स्वागत करते हैं परन्तु मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि शुरू किए गए उपायों से संभवत: महाराष्ट्र में स्थित माचिस कंपनी गैर इरादतन रूप से प्रभावित होगी। मेरे वह मित्र, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में यह प्रभावित होने वाली कंपनी स्थित है। यहां मौजूद नहीं है। कामगारों ने यह अभ्यावेदन दिया है कि वे बुरी तरह प्रभावित होंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): यह शिवकासी के लिए है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: यह अपेक्षित नहीं है और इसके परिणामस्वरूप इस कंपनी के बंद होने की संभावना है। कामगार रोजगारहीन हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, कि वाम दलों के मेरे मित्र इस बारे में अत्यधिक चिंतित होंगे।

अध्यक्ष महोदय: आप विमको का भी उल्लेख कर सकते हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के अंतर्गत, इस वर्ष, 100 करोड़ श्रम दिवसों के रोजगार का लक्ष्य था। पिछले वर्ष, इस कार्यक्रम हेतु 9,639 करोड़ रुपए आवंटित किये गये थे। इस वर्ष यह राशि 4,590 करोड़ रुपए है।

अगले दिन, माननीय वित्त मंत्री श्री रूपचन्द पाल को यह बात स्पष्ट कर रहे थे कि उन्हें बजट अनुमान की बजट अनुमान से तुलना करनी चाहिए, संशोधित अनुमान की बजट अनुमान से नहीं। अपने बजट भाषण में उन्होंने राजस्व घाटे के बारे में बताया, माननीय मंत्री ने संशोधित आंकड़ों की तुलना में घाटे के बारे में बात की थी। इस प्रकार, जब आप संशोधित आंकड़ों की बात कर रहे हैं और योजना-दर-योजना चल रहे हैं, तो संशोधित अनुमान की बजट अनुमान से तुलना करना भी अनुचित है।

मुझे यह कहना है कि पर्याप्त प्रावधानों के बगैर वह सौ दिवस हेतु रोजगार सृजित करने में समर्थ नहीं होंगे। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि 1994 से 2000 तक रोजगार वृद्धि 1.07 प्रतिशत थी। जबकि वर्ष 2000 से 2002 के दौरान रोजगार वृद्धि 2.07 प्रतिशत थी। ये आंकड़े 'द इकॉनोमिक सर्वे' में दिए गए हैं। निश्चित रूप से इसकी संपुष्टि की गई है और इसीलिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं।

पांचवां उद्देश्य कृषि में वृद्धि दर को प्राप्त करना है। हम सभी इसका दृढ़ता से समर्थन करते हैं। कृषि इस देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है। हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि आधारित है। तथापि कृषि का हमारे जीडीपी में योगदान केवल 24 प्रतिशत है, 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग इस पर निर्भर हैं। यह गरीबी का मूल कारण है क्योंकि साठ प्रतिशत लोग 24 प्रतिशत राजस्व में हिस्सा रखते हैं जबकि 40 प्रतिशत लोगों की शेष 76 प्रतिशत राजस्व में हिस्सेदारी हैं। इसलिए, कृषि हेतु आबंटन में वृद्धि करने का हम स्वागत करते हैं।

क्या रणनीति है? नई बात क्या है? पुरानी योजना को नया जामा पहनाना ही नई बात है। आपने जो कुछ किया है। उसका मैं स्वागत करता हूं। उत्पाद शुल्क से राहत का भी स्वागत है। हम इसका स्वागत करते हैं। परन्तु ग्रास फिक्स्ड कैपिटल फॉरमेशन अभी सकल घरेलू उत्पाद का अब 1.3 प्रतिशत है। इस प्रकार, इसके बावजूद। यहां ऐसा नहीं है।

जब हम ऋण को दोगुना करने के बारे में बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं चाहता कि आपके महत्वपूर्ण भाषण को सिर्फ यह पूछने के लिए बाधित करूं कि आप कितना समय लेंगे। मैं बस यही जानना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने अभी कृषि की बात की है। यह आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आपसे जुड़ा मुद्दा है। इसलिए, कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। ...*(व्यवधान)* ऋण को दोगुना करने की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहां ऐसी चार संस्थाएं हैं। जिनके माध्यम से ऋण को दोगुणा किया जाएगा। उसकी क्या स्थिति है? ऋण कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन, वास्तव में आप इस पर गौर करें कि पिछले पांच वर्षों में हमने कितना ऋण दिया है।

अपराह्न 3.11 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

अब, मैं किसान क्रेडिट कार्ड की बात करता हूं। देश में लगभग 4,14,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड धारक है और इन पर कुल कितना ऋण है। 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार यह 97,710 करोड़ रुपए है। इस प्रकार, ऋण कोई समस्या नहीं है। वस्तुत:, वर्ष 1997-98, 32,000 करोड़ रुपए ऋण था और वर्ष 2003-04 में यह 80,000 करोड़ रुपये तक चला गया। इस प्रकार,

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

क्या ऋण एक समस्या है अथवा ऋण वितरण तंत्र एक समस्या है? वास्तविक समस्या ऋण वितरण तंत्र की है। वस्तुत:, मैं आपको यह बताता हूं कि चार संस्थाओं के माध्यम से हम इस ऋण को देते हैं। पहला, हम यह ऋण सहकारी तंत्र के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। सहकारी बैंक अब भूमि विकास बैंक के अंतर्गत है। उनमें से अधिकतर परिसमापन के अंतर्गत है। इनमें से 143 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक धारा 11(1) के अंतर्गत हैं। अब, उनमें से सात राज्य सहकारी बैंक धारा 11(1) के अंतर्गत हैं। जब आप प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटीज की ओर गौर करते हैं, तो आप पाते हैं कि एक लाख में से 40,000 बेकार हैं और अतएव, जिस ऋण तंत्र को हम अपनाने जा रहे हैं, वह एक चुनौती है।

यदि हम आरआरबी की बात करें। जिसका आपने उल्लेख किया है, तो मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि आप प्रायोजक बैंक को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, जोकि सही दृष्टिकोण है। परन्तु 14,500 ग्रामीण शाखाओं ने 25 प्रतिशत के बजाय केवल आठ प्रतिशत ऋण प्रदान किया है। अतएव, तंत्र कहां है? व्यास समिति ने इसकी पहचान की थी। व्यास समिति का कोई उल्लेख नहीं है। वस्तुत:, इसे तत्काल लागू किया जा सकता था। इस प्रकार, ग्रामीण ऋण में समस्या उपलब्धता की नहीं है। किसानों के लिए इसकी उपलब्धता एक समस्या है। लेकिन यहां अनुपलब्धता अथवा बढ़ा हुआ परिव्यय एक समस्या है। वास्तव में, संवितरण एक समस्या है। अभी आपने सहकारी ढांचे पर गौर करने के लिए एक कृतक बल बाने के लिए कहा है। वस्तुत:, एक समिति थी, कपूर समिति को नियुक्त किया गया था और एक विखे पाटील समिति भी थी, जिसने इसकी जांच की थी। उन्होंने पहले 15,000 करोड़ रुपये की पहचान की है जिसकी आवश्यकता इस समस्या को दूर करने में है। अब, यह राशि 20,000 करोड़ रुपए हो गई होगी। इस प्रकार, जब हमें कोई समस्या है और जब यह समस्या बहुत गंभीर हो गई हो, तो हम चिकित्सकों के कृतक बल की नियुक्ति नहीं करते। तब हम शल्य-चिकित्सा करते हैं। इस प्रकार यहां तत्काल शल्य-चिकित्सा की आवश्यकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री और इस सरकार से यह शल्य-चिकित्सा करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और इस प्रकार हमें तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वे इसलिए आत्महत्या नहीं कर रहे हैं कि उन्हें ऋण नहीं मिल रहा है। वस्तुत: वे इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं कि जो ऋण वे ले चुके हैं, वे उसका पुनर्भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं। इस प्रकार उनकी क्रय शक्ति और आय में वृद्धि करना ही चुनौती है। अत: मुझे विश्वास है कि आप वो कर पाएंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले की जांच करें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: एक कार्य जो मुझे करना है वो यह कि मैं आपसे आपका भाषण समाप्त करने का अनुरोध करूं।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: हमें प्रत्येक गांव के लिए 'किसान क्लब' के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह किसानों द्वारा स्वयं गठित क्लब होगा। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक गांव में ऐसे किसान क्लबों की स्थापना की है। इसे न केवल कम लागत पर शुरू किया जा सकता है बल्कि न के बराबर लागत पर भी इसे संचालित किया जा सकता है, क्योंकि लोग इसे स्व:सहायता के आधार पर स्वयं चलाते हैं और हमें ऐसा करने की वास्तव में आवश्यकता है।

अगला बिंदु अवसंरचना विकास है। इस पर हम सभी सहमत हैं। परन्तु आज देश में बिजली, अवसंरचना के लिए एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। हम वास्तव में किस बात पर जोर दे रहे हैं? हमने बिजली अधिनियम की समीक्षा करने का निर्णय किया है। संभवत: समीक्षा कार्य पूरा हो चुका है क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने अब असंगठित इकाइयों को कुछ वित्तीय लाभ प्रदान किये हैं। तो मैं प्रसन्न हूं कि संभवत: यह कार्य पूरा हो गया है। वास्तव में, मैंने इस सम्माननीय सदन में बिजली विधेयक प्रस्तुत किया था, जिस पर बड़ी संख्या में लोगों ने बहस की थी, क्योंकि यह एक व्यापक विचार-विमर्श का परिणाम है। अत: मैं समझता हूं कि यह कार्य हो जाएगा।

आपके पास जो इंटर इंस्टीट्यूशनल ग्रुप है, वह काफी उपयोगी है और जिसका कि मुझे निजी अनुभव है। मुझे विश्वास है कि यह निश्चित रूप से उपयोगी होगा। परन्तु इसे वित्त मंत्रालय की कुछ सहायता की आवश्यकता है क्योंकि जब तक आपके पास इस प्रकार की इंस्टीट्यूशनल सहायता नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता।

एक सुझाव है। आप कृपया विद्यमान विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए कुछ सहायता दें। वे लगभग बिना किसी निवेश के, कम से कम संभावित समय में दस हजार की क्षमता विकसित कर सकते हैं और यह कार्य तेजी से हो सकता है। तो, संभवत: विद्यमान विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान कर हम आपकी बिजली की स्थिति को बहुत सुधार सकते हैं।

राजकोष में वृद्धि करने वाले सुधारों में तेजी लाना एक उद्देश्य है। इसमें कुछ गलत नहीं है। परन्तु एफआरबीएम, जिसे आपने 5 जुलाई को अधिसूचित किया था और तीन दिन बाद बजट प्रस्तुत करते हुए आपने कहा था कि आप अब इसमें संशोधन करेंगे।

इसलिए महोदय, यदि आप राजकोषीय सुदृढ़ता चाहते हैं, तो इसके संशोधन के तीन दिन बाद आप लक्ष्य प्राप्त करने की समय सीमा को एक वर्ष बढ़ाने जा रहे हैं। यह किस प्रकार होगा? मैं आपसे इसे स्पष्ट करने का अनुरोध करूंगा। इस संबंध में मेरे तीन प्रश्न हैं। इस वर्ष राजकोषीय घाटे के रूप में कितना राजस्व घाटा होगा? इसी को यहां अनुमान किया जा रहा है क्योंकि इसकी तीन महत्वपूर्ण बाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हो रही है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद के हवाले से ही निर्धारित होगा कि राजस्व घाटा कितना है तथा राजस्व घाटे का प्रतिशत क्या है और इसके लिए हमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को जानने की आवश्यकता है।

सकल घरेलू उत्पाद की दर में भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान 6.5 प्रतिशत का है। क्या आप इसी वृद्धि के लिए सोच रहे हैं? दूसरे, राजस्व पर, राजस्व कितना है? निगमित करों में वृद्धि होने वाली है और अनुमान है कि यह 40.4 प्रतिशत होगी, सेवाओं में यह 70.4 प्रतिशत, आयकर में यह 26.4 प्रतिशत होगी। यदि इसी का ही राजस्व के रूप में अनुमान लगाया जा रहा है, तो सकल घरेलू उत्पाद कितना है? वास्तविक घाटा, राजकोषीय और राजस्व घाटा तथा व्यय इस पर ही निर्भर करेगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि बहस का उत्तर देते समय आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे।

गारंटियों के बारे में भी मुझे एक बात कहनी है। मैं प्रसन्न हूं कि आपने पहले ही राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में स्पष्ट कर दिया है कि आप गारंटियों को सीमित करना चाहते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह प्रदान की गई गारंटियों, सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त विशेष उद्देश्य के लिए बनी योजनाओं के नुकसान तथा राज्य विद्युत बोर्डों के नुकसान, जिसे कि यदि राजकोषीय घाटे के साथ नहीं जोड़ा गया तो इससे देश की राजकोषीय स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, के पूरे विवरण के नए विचार के साथ आए। तो अब आप राजकोषीय सुदृढ़ता की बात करें तो इन मुद्दों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अत: आपको यह करने की बहुत आवश्यकता है। कई राज्यों को वर्ष के उनके संभावित राजस्व से दस गुना अधिक गारंटियां दी गई हैं। इसलिए, ऐसी स्थिति में हमें वह करने की बहुत आवश्यकता है।

वैट के संबंध में कुछ चिंताएं व्यक्त की गई हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन्हें ध्यान में रखेंगे। सेवाओं और उत्पादक के एकीकरण के लिए वैट एक स्वागत योग्य कदम है। इससे संभवत: और अंतत: हम राज्य और केन्द्रीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस पर विचार करेंगे।

इस बजट में आपने विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया है। सामान्यत: आप आईडीबीआई, आईसीआईसीआई आदि के लिए विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव के वास्ते प्रावधान करते हैं। इसके साथ ही क्या वित्त मंत्री यह कहना चाहते हैं कि रुपये का मूल्य घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा? क्या आप यही कहना चाह रहे हैं। हम यही जानना चाहते हैं कि रुपए का क्या रुझान रहेगा क्योंकि इस वर्ष के बजट में रुपये के मूल्य के उतार-चढ़ाव के बारे में कोई प्रावधान नहीं है।

सुधार करना ही लक्ष्य है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि वामपंथी दलों में मेरे मित्र भी सुधारों का समर्थन कर रहे हैं। वे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इसका जिक्र करते रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि सुधार क्या है, इसका क्या अर्थ है ताकि कोई भ्रम न रहे, इस बारे में अस्पष्टता न रहे। क्या होने वाला है? यदि आप वास्तव में यह करना चाहते हैं तो हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी। हमें उसकी प्रतीक्षा है।

सभी नागरिकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री एक स्वागत योग्य है। वस्तुत: मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें देश के खातों को भी समेकित किया जाए ताकि भारी मात्रा में काला धन और बहुत से ऐसे खाते, जिनका उचित रख-रखाव नहीं किया जाता, उन पर स्वत: ही ध्यान दिया जाने लगेगा। इसलिए इस राष्ट्रीय रजिस्ट्री को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। मुझे इसकी प्रतीक्षा है।

महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। उच्च और अधिक सक्षम राजकोषीय अन्तरण भी एक उद्देश्य है। यह उद्देश्य सराहनीय है। वास्तव में और अन्तरण की आवश्यकता है। परन्तु, दुर्भाग्य से स्थिति क्या है? इस बजट में वास्तव में राज्यों के लिए आवंटन में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं है। इसलिए राज्य केन्द्र सरकार से ऋण लेते हैं। मैं जानता हूं कि कुछ वृद्धि लागत भी होती है। परन्तु दिए गए ऋणों की लागत में तथा राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार को भुगतान किए गए ब्याज दरों का अंतर कई बार तीन प्रतिशत के समान उच्च होता है, जिससे राज्यों की वित्तीय स्थिति पर असहनीय भार पड़ता है, जबकि राज्यों की 87 प्रतिशत वित्तीय राशि का अब व्यय में प्रयोग होता है। इसलिए आपको इसे ठीक करने की बहुत आवश्यकता है।

पिछड़ा राज्य आयोग, जिसका आप गठन करने वाले हैं, के बारे में, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे 'पिछड़ा राज्य आयोग' नहीं कहना चाहिए। कुछ अग्रणी राज्य भी हैं, परन्तु कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं, जोकि इन संपन्न राज्यों के बीच अविकसित क्षेत्र हैं। तो संभवत: पिछड़ा राज्य आयोग का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, परन्तु जिलों के लिए इसे पिछड़ा जिला आयोग होना चाहिए। जो भी हो, आप अन्तरण के बारे में बात कर रहे हैं और आप

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

विकेन्द्रीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास एक मंत्रालय है जो इसी के लिए बनाया गया है और श्री मणिशंकर अय्यर स्थानीय स्व-सरकार के बारे में विचार करने वाले हैं तो आप क्यों नहीं सोचते कि हम यह किस प्रकार सुनिश्चित करें कि पिछड़े जिले, विशेषकर जिस जिले से मेरा संबंध है को विकसित किया जाए?

महोदय, मैं अब अंतरिम बात पानी के बारे में करना चाहता हूं। इसके पश्चात् मुझे पानी पीना है। तो मुझे पानी के बारे में बात करने दीजिए। यह बहुत ही स्वागत योग्य पहल है कि आपने जो कहा था कि आप जल निकायों को परंपरागत जानकारी के साथ उपयोग करना चाहते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो ऐसा संकेत दे कि वह देश की पानी की समस्या को सुलझाने जा रही है। वह इसका पूरा समाधान करेगी, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। यह होना चाहिए और पूरी तरह से होना चाहिए। परन्तु इस कार्यक्रम की सीमा क्या है और इसकी संभाव्यता क्या है? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सदन को अवगत कराएं ताकि हम सभी जान सकें कि कुछ निष्क्रिय निकायों को फिर से चालू करके पानी की कितनी समस्या को सुलझाया जा सकता है। यह स्वागत योग्य बात है। मैं इसकी सराहना करता हूं। साथ ही, यह किया जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा और इसके साथ अपना भाषण समाप्त करूंगा। यदि आप वास्तव में जलस्तर बढ़ाना चाहते हैं तो पहले दूरसंवेदी से इन सभी गांवों का यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराएं कि ऐसे क्षेत्र कहां हैं जहां ऐसे जल स्रोतों के जलस्तर को बढ़ाया जा सकता है।

दूसरे, इसे ग्राम सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए क्योंकि ग्राम सभा के लोगों को ज्ञात होता है न कि उन अधिकारियों को जो गांव के बाहर से गए हैं कि ऐसे जल स्रोत कौन से हैं जिनके जलस्तर को पुन: बहाल किया जा सकता है। निश्चित रूप से, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इसे देश के लोगों के साथ जोड़ा जाए। यदि वे इसे समेकित तरीके से करने जा रहे हैं तो इससे निश्चित ही भारत की कुछ जल समस्याओं को हल करने में सहायता मिलेगी, जो स्वागत योग्य कदम होगा।

महोदय, आपके धैर्य तथा मुझे बोलने का समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरुअनन्तपुरम): सभापति महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मेरी समझ से इस बजट का देश में लोगों के एक बड़े वर्ग द्वारा स्वागत किया गया है।

चुनाव के बाद राजनीतिक परिदृश्य में भारी बदलाव हुआ है और लोगों की बड़ी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। इस सरकार ने, जिसको वामपंथी दलों का भी समर्थन प्राप्त है, ऐसी अपेक्षाएं जगायी है। राजग सरकार के पिछली बजटों की तुलना में इस बजट में नई दिशा अपनाई गई है। इसीलिए हम इसका स्वागत करते हैं। अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, लघु और परम्परागत औद्योगिक क्षेत्र की पुनर्संरचना पर बल दिया जा रहा है ताकि अधिक रोजगार सृजित हो सकें और समाज के कमजोर तबके पर ध्यान दिया जा सके।

इस राजग सरकार ने सुधारों के नाम पर देश को दुखद परिस्थिति में डाल दिया है, जिसके ब्यौरे में मैं नहीं जाना चाहता, वर्तमान कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है कि कई राज्यों में हजारों किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में यह संख्या सर्वाधिक है किन्तु कई अन्य राज्यों में ऐसा हो रहा है। अत:, यह पूरे देश में होने वाली घटना है। इसी कारण से मैं कहता हूं, कि राजग सरकार के गत पांच छह वर्षों के दौरान वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की जिस आर्थिक नीति का, मैं कहूंगा कि, आम आदमी, कृषकों, गरीब आदमी का किसी प्रकार का ध्यान रखे बगैर अनैतिक अनुपालन किया गया था। उससे हमारी अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय और कठिन परिस्थिति में फंस गयी है। इसी प्रकार के संकट का नतीजा है किसानों द्वारा बड़ी संख्या में आत्महत्याएं करना। अब इस बजट में पूरी परिस्थिति को पुन: देखने के लिए भिन्न मार्ग अपनाने का प्रयास किया गया है और प्राथमिकताएं बदल गयी हैं। इसी कारणवश हम इसका स्वागत करते हैं।

अब जब कभी ऐसा बजट बनाया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है तो यह कहना कुछ लोगों की आदत बन गयी है कि बजट बनाने वाले लोक-लुभावने उपाय कर रहे हैं। आम लोगों के हित में जो कुछ हो, उसे लोक-लुभावना माना जाता है। इस बजट का यह आलोचना बिन्दू है। इसका क्या अर्थ है? वाम दलों की ओर से हमने वास्तव में हमेशा सुधारों का मुद्दा उठाया था और कहा था कि यह ठीक है मगर किसके लिए? हमने कहा था कि विकास का मुद्दा सही है किन्तु किसके लिए और किसके लाभ के लिए? इन सब से सर्वाधिक लाभ किसे मिलना चाहिए? सुधारों के नाम पर इस प्रश्न की हमेशा उपेक्षा की गयी थी। केवल उत्पादन, उत्पादकता और संपत्ति सृजन से ही लोगों को सहायता नहीं मिलेगी। हम लोकप्रिय दृष्टिकोण का स्वागत करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए मानवीय पक्ष के साथ आर्थिक सुधार ही लोकप्रियता की कसौटी है। किन्तु मैं यहां इस बात पर बल देना चाहूंगा कि आप लोगों, श्रमिकों, किसानों और आम आदमी के लिए जो कुछ करते हैं या उनके लिए खैरात नहीं है। वही संपत्ति सृजक हैं और वे इसके हकदार हैं। यह उनका अधिकार है।

भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के मेरे एक सहयोगी ने पिछली बार यह स्पष्ट किया था कि हम वामपंथी सुधारों के

खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम किस प्रकार के सुधारों की बात कर रहे हैं? इन सुधारों के अंतिम परिणाम क्या हैं? सुधारों से असली लाभ किसे मिलने जा रहा है? हमारी मुख्य चिंता यही है और यही मूल अंतर है। अत: जब हम अपने सुधार लाएंगे, तब उत्पादक शक्तियां बंधनमुक्त होंगी और श्रमिकों, किसानों को वह दिया जाएगा जो उनका देय है और ऐसा ही होगा। उनको रोटी के कुछ टुकड़े देने की व्यवस्था खैरात नहीं है। जब कभी आप लोगों के पक्ष में या लोक-लुभावन बातों का उल्लेख करते हैं, तब आपका तात्पर्य है कि आप उन्हें रोटी के कुछ टुकड़े देंगे। महोदय, जी नहीं, हमारी समझ इस प्रकार की नहीं है। हां, मुझे यह नहीं पता है कि क्या कांग्रसे, श्री पी. चिदंबरम या उनके जैसे मंत्री इस पहलू पर हमारे विचार से सहमत हैं या नहीं किन्तु हमारा यही मानना है।

चुनाव परिणामों का क्या तात्पर्य है? हम वस्तुत: पिछले चुनाव जैसे महत्वपूर्ण और अचंभित करने वाली घटना के बारे में इस सदन में उचित चर्चा और मूल्यांकन नहीं कर सके। ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी। उस समय के दौरान सदन में हमेशा अशांति थी और अब भी स्थिति लगभग वैसी ही जारी है। अत: ऐसे मूल्यांकन का कोई अवसर नहीं था, किन्तु यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था।

हमारा मानना है कि इस चुनाव के परिणाम दिखाते हैं कि राजग सरकार द्वारा चलाई जा रही आर्थिक नीतियों को जनता और देश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। वस्तुत: राजग सरकार की नीतियों के अन्य पहलू यथा साम्प्रदायिकता आदि भी हैं, किन्तु अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे विचार से हमें यह समझना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि मेरी दायीं ओर बैठे मित्रगण इसे समझ सकते हैं या नहीं और क्या वे ईमानदारी से आत्मालोचन करने का प्रयास कर रहे हैं और यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या उन्हें अपने को सुधारना चाहिए। यह अलग मामला है और ऐसा करना उनका काम है ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैं उड़ीसा जैसे गरीब राज्य का हूं। हमने राजग को विजय दिलायी है। क्या आप कहना चाहते हैं कि उड़ीसा जैसे गरीब राज्य ने राजग सरकार की आर्थिक नीति को अस्वीकार किया है?

श्री पी.के. वासुदेवन नायर: मेरे प्रिय मित्र, मेरी कठिनाई यह है कि मेरे पास बहुत कम समय है।

अत:, यह भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों की अस्वीकृति थी क्योंकि वह नीति श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी थी।

सभापति महोदय: श्री पी. के. वासुदेव नायर, चूंकि आप आज समाप्त नहीं कर पाएंगे अत: आप अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकते हैं। अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करने का समय है।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार में आरक्षण–*वापस लिया गया*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मद संख्या-16 पर विचार करते हैं। श्री ए. कृष्णास्वामी, जो पिछली बार बोल रहे थे, अपने अधूरे भाषण को जारी रख सकते हैं। वह यहां उपस्थित नहीं हैं। अब मैं श्री मधुसूदन मिस्त्री को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, निजी और सरकारी क्षेत्र में अ.जा./अ.ज.जा. तथा पिछड़े वर्गों हेतु रोजगार में आरक्षण देने के बारे में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर्वप्रथम, मैं यह कह रहा हूं कि एक व्यक्ति के रूप में मैं इसके पक्ष में हूं। मैं यह मानता हूं कि कई कारणों से लोगों को आर्थिक रूप से अपने को ऊपर उठाने के लिए यह अवसर दिया जाना चाहिए। मेरे पास इस देश के विशेषज्ञों और अन्य लेखकों द्वारा लिखे गये लेख हैं जो इस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार में आरक्षण देने संबंधी प्रतिपादित विचार का प्रबल विरोध कर रहे हैं जिसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल किया गया है। मैं इसका विरोध करने वाले सभी व्यक्तियों से कुछ कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

इस देश में जब से कास्ट सिस्टम आया है, तभी से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसमें से हम कुछ वैल्थ पैदा कर सकते हैं, वह समाज के कितने तबकों के हाथ में है?

[अनुवाद]

यह हरेक के पास नहीं है। समाज के ऐसे वर्ग हैं जिनके पास उत्पादन के साधनों का अभाव है। जमीनें उनके नाम पर नहीं हैं उनके पास पूंजी नहीं है और वे संपत्तिविहीन लोग हैं। यहां तक कि यदि आप कुशलता पर विचार करते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, गैर सरकारी कार्य का समय हो गया है, साढ़े तीन बज गए हैं। मिस्त्री जी सोमवार को अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं उसी पर बोल रहा हूं।

श्री रामजीलाल सुमन: शुरू हो गया है? माफ करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आप कुछ दूसरे ही ख्याल में हैं। मैं उसी पर बोल रहा हूं। बजट पर नहीं बोल रहा हूं। बजट पर सोमवार को बोलेंगे।

मैं थोड़ा उसके रूट कॉज पर जाना चाहता हूं। अब जरा इधर से सुन लीजिए। स्किल्ड को भी जिसको हम एसैट गिन सकते हैं, वह जो पूरा तबका है एससी और एसटी का जो पूरे समाज के दायरे के अंदर जिसके हाथ में प्रोडक्शन के साधन हैं, उनकी क्या स्थिति हुई है।

[अनुवाद]

वे सदैव समाज के उन वर्गों पर आश्रित रहे हैं जिनके हाथों में उत्पादन के साधन हैं। वे उनके घरों में घरेलू नौकरों की तरह काम करते हैं और इसके फलस्वरूप उनका ऊपर उठना बंद हो गया। कमोबेश वे समाज के निचले स्तर पर ही रहे। वास्तव में, सरकार में भी रोजगार में आरक्षण उन्हें व्यक्ति के रूप में मानने और समान अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त आर्थिक आजादी भी देता है। यह उन्हें जातिगत व्यवस्था के निचले स्तर से अपने को ऊंचा उठाने का अवसर देता है और हमने यह देखा है।

[हिन्दी]

हमने देखा है कि, जब एक बिल्कुल नीचे के तबके के आदमी के पास इनकम आनी शुरू हो जाती है तो उसकी जो फ्रीडम है।

[अनुवाद]

समाज के अन्य वर्गों की तुलना में,

[हिन्दी]

उसकी फ्रीडम थोड़ी बढ़ जाती है, वह इंडिपेन्डेन्ट होने लगता है। वह अपने गांव या शहर के भीतर समाज के उन वर्गों के ऊपर, जिन्होंने उसे काम दिया है, और अधिक निर्भर नहीं रहता क्योंकि उसके पास पहले से ही काम है और अब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

यह जो सारी परिस्थिति है, इसके अंदर जो जॉब रिजर्वेशन है, उसे हमें एसैट प्रोवाइड करने की दृष्टि से देखना चाहिए।

[अनुवाद]

हमें इसे न केवल परिसंपत्ति उपलब्ध कराने के साधन अथवा धन कमाने और उनका भरण-पोषण करने के संसाधन के रूप में ही नहीं अपितु उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के अवसर के रूप में भी देखना चाहिए।

मैंने देश के कई भागों में यह देखा है कि जब किसी व्यक्ति को स्थायी रोजगार मिल जाता है तो वह प्रति माह एक निश्चित रकम पाने के प्रति आश्वस्त हो जाता है। उसके लिए आय की निश्चितता होती है। क्योंकि उसके पास एक निश्चित आय है, इसलिए वह अपने परिवार की योजना बना सकता है और अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है। उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। उस अच्छी शिक्षा से वे अच्छा रोजगार पा सकते हैं और उनकी आय बढ़ जाएगी। इस बढ़ी हुई आय से वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इस प्रक्रिया में रोजगार में आरक्षण समाज के निचले वर्गों विशेषरूप से अ.जा. और अ.ज.जा. को उन्नति की ओर ले जाता है ताकि वे आर्थिक और बौद्धिक रूप से समाज के अन्य वर्गों का मुकाबला कर सकें।

अ.जा., अ.ज.जा. और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को यह सुविधा देने से इंकार करना। उन्हें ऊपर उठने से वंचित करना है तथा हमारे उस समाज के लिए जहां आज भी जाति प्रथा बहुत मजबूत है, काफी घातक होगा। यद्यपि हमारे पास कानून हैं जो जातिप्रथा का पालन करना निषिद्ध करता है, यह प्रथा ग्रामीण भारत में आज भी प्रचलित है। आपके पास अच्छी शिक्षा है, आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं आपके साथ जाति के आधार पर देश के अधिकांश भागों में भेदभाव किया जाता है। इसका हमारी सोच से संबंध है। मैं इसका मूल कारण नहीं जानता किंतु जब लोग रोजगार के लिए बाजार में जाते हैं तब उन्हें लोगों में एक छुपे हुए अलगाव, एक भेदभावपूर्ण व्यवहार होने का पता चलता है। वे सदैव इस प्रकार के अलगाव और भेदभाव को महसूस करते हैं। लोग इसे स्पष्ट नहीं करेंगे अथवा इसके बारे में नहीं कहेंगे किंतु निश्चित तौर पर आप उनके व्यवहार में यह देख सकते हैं।

मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि रोजगार में आरक्षण अ.जा. और अ.ज.जा. का उत्थान करता है ताकि वे समाज के अन्य वर्गों के बराबर अपने को स्थापित कर सकें। मैं इन रिपोर्टों पर भी काफी चिंतित हूं कि लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण न देने के पक्ष में खुलकर सामने आ रहे हैं।

समाज में अ.जा., अ.ज.जा. और अन्य गरीब लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। वे विभिन्न करों के रूप में प्रति वर्ष राज्य के राजकोष में काफी भुगतान करते हैं। मैं इस पर बाद में बात करूंगा। मैं इस सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिक्री कर और उत्पादक शुल्क विभिन्न राज्यों की आय में दो मुख्य घटक हैं। यदि आप यह पता लगाने का प्रयत्न करें कि कौन अधिक बिक्री कर और उत्पाद शुल्क अदा कर रहा है, तो आपको यह पता चलेगा कि सामान्य रूप से गरीब और विशेष रूप से अ.जा. और अ.ज.जा. अपनी अधिक जनसंख्या के कारण अधिक धन अदा कर रहे हैं। उनकी संख्या के कारण उनकी क्रय क्षमता समाज के किसी अन्य वर्ग से अधिक है। इसके फलस्वरूप वे राज्य के राजकोष में और अधिक धन दे रहे हैं।

यदि आप इसके वितरण को देखें, तो नौकरीपेशा वर्ग को सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। अन्य विकास परियोजनाओं और दूसरे मामलों में भी ऐसा ही है। मैं जानबूझकर इसे दोहराना चाहता हूं। सारी आयोजना परिसंपत्तियों के अनुसार होती है। यह उनके लिए होती है जिनके पास परिसंपत्ति होती है। भूमि एक परिसंपत्ति है। सारी आयोजना, राजसहायता परिसंपत्तियों पर केन्द्रित होती है। चूंकि अ.जा. और अ.ज.जा. के पास थोड़ी परिसंपत्ति होती है, उन्हें वितरण से अपना हिस्सा नहीं मिलता है। उनके पास कौशल नहीं है जिसके फलस्वरूप लक्षित विकास, स्व-रोजगार के माध्यम से उनका उत्थान और अन्य बातें थोड़ी रहती हैं या उनको लक्षित कर बनाई गई योजनाएं कम लागू की जाती है। उन्हें उसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा मिलता है और इसके फलस्वरूप उन्हें या तो कृषि मजदूर अथवा घरेलू नौकर के रूप में अकुशल काम मिलता है। इससे एक प्रकार से उत्थान नहीं हो पाता है। एक घरेलू नौकर, मैला ढोने वाला या सफाईकर्मी उसी काम में रहता है और सफाईकर्मी का बच्चा भी नहीं बनता है। भविष्य में उन्हें यह अवसर न देना बहुत अहितकर होगा।

आप यह महसूस करेंगे कि गत 5-6 वर्षों में विनिवेश प्रक्रिया के कारण सरकारी क्षेत्र में अधिकांश रोजगार कम हो गए हैं। सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को बेचने से अंतत: रोजगार की संख्या और उन रोजगारों में कमी आई है जो अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए आरक्षित थे। एक ओर सुधार प्रक्रिया के कारण अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए रोजगार मिलने के अवसर कम होते जा रहे हैं। दूसरी ओर राज्य में निवेश, राजसहायता और प्रोत्साहन से निजी क्षेत्र काफी फलफूल रहा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस संकल्प के लिए आवंटित समय लगभग खत्म हो गया है। किंतु सूची में वक्ताओं की संख्या काफी है। यदि सभा सहमत हो तो हम समय को आधा घंटा या एक घंटा बढ़ा सकते हैं। सभा की सहमति लेनी होगी।

अनेक माननीय सदस्य: एक घंटा।

सभापति महोदय: समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसे चलने दीजिए। आपको एक घंटे से अधिक समय आवंटित करना चाहिए।

सभापति महोदय: यह हमेशा नहीं चलता रहेगा। इसे एक और घंटे के लिए बढ़ाया गया है क्योंकि दूसरा संकल्प भी है जिस पर विचार किया जाना है। हम एक घंटा और चर्चा करेंगे। पिछले शुक्रवार को भी। हमने इस पर चर्चा की थी। आज दूसरे दिन भी हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमें एक घंटे के भीतर ही समाप्त करना पड़ेगा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: निजी क्षेत्र राजसहायता और सरकार की सहायता से पनपने का प्रयास कर रहा है। वे सरकार से राजसहायता लेते हैं। वे सरकार से कर लाभ लेते हैं। वे राज्य से कतिपय चीजें लेते हैं। अब निजी क्षेत्र पनप रहा है। नौकरियों में आरक्षण के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र में गिरावट आ रही है और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसरों में गिरावट आ रही है। हम सब जानते हैं कि हमेशा एक छुपा हुआ पूर्वाग्रह और भेदभाव होता है। यदि मैं बहुत सक्षम व्यक्ति हूं और यदि मैं साक्षात्कार हेतु जाता हूं और पास हो जाता हूं तो भी ऐसे लोग होते हैं जो किसी उम्मीदवार का चयन करने में पक्षपात दर्शाते हैं। यदि सरकार में कोई नौकरियों में आरक्षण न होता तो मुझे स्वयं यह आशंका है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोग सरकार में होते क्योंकि यह आरक्षण ही है जो उन्हें संरक्षण देता है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें क्योंकि लगभग 12 वक्ता हैं। हमारे पास केवल एक घंटा है। अपना भाषण समाप्त करने की कृपा करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं अभी अपना भाषण पूरा कर रहा हूं। निजी क्षेत्र में विद्यमान सम्पूर्ण परिदृश्य और बड़ा हो रहा है।

इस देश में चल रही घटनाओं के साथ जहां निजी क्षेत्र की इकाइयां अधिक से अधिक आएंगी। वहां मेरा यह प्रबल विश्वास है कि निजी क्षेत्र में भी नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए क्योंकि ये निजी क्षेत्र की कंपनियां सरकार से सभी लाभ लेती हैं। मेरा विचार है कि जो उद्योग सरकार से किसी प्रकार का लाभ ले रहे हैं उन्हें अपने उद्योगों में नौकरियों में आरक्षण रखना चाहिए। ऐसी कोई वर्जन नहीं होनी चाहिए जहां एक जाति पर यह शक किया

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

जाए कि यदि आप निजी क्षेत्र में अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिए आरक्षण रखते हैं तो उस नौकरी में कार्यकुशलता बहुत कम होगी, निजी क्षेत्र का नुकसान होगा और अक्षमता रहेगी क्योंकि वे पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं होंगे और मानदंड पूरा नहीं कर पायेंगे। मेरी प्रबल धारणा है कि उन सभी आशंकाओं को समाप्त किया जाना चाहिए और अ.जा. तथा अ.ज.जा. के व्यक्तियों को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को जब अवसर दिया जाएगा तो वह बहुत कुछ सीखेगा। इसलिए, हमारे जैसे देश, जो कि समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित है, में समान समाज का निर्माण करने के लिए उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए।

महोदय, इसलिए मेरा यह प्रबल विचार है कि निजी क्षेत्र में भी नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए। इस संबंध में सरकार का कानून अवश्य बनाना चाहिए। जो उद्योग सरकार से किसी भी प्रकार की मदद ले रहे हैं, जो कर रियायतें ले रहे हैं उन सबको अ.जा. और अ.ज.जा. के लोगों के लिए आरक्षण देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस देश के अ.जा. तथा अ.ज.जा. वर्गों से संबंधित गरीब लोगों के ऋणी हैं कि उन्हें ऐसी परिसंपत्ति, जो कि स्वयं रोजगार है, रखने के लिए अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

महोदय, उनके पास भूमि नहीं है। वास्तव में देश के बहुत से भागों में भूमि-सुधार लागू नहीं किये जा रहे हैं। बहुत सी राज्य सरकारें भूमि सुधार लागू करने में रुचि नहीं ले रही हैं। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों का एक बड़ा वर्ग कृषि मजदूर और समाज का निम्नतम वर्ग बना रहा। वे सम्पूर्ण देश में गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं। किंतु इस देश के संविधान के अनुसार उन्हें अपना नौकरियों का अधिकार मांगने का हक है।

मैं इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं महसूस करता हूं कि निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: अब, श्री ए. कृष्णास्वामी। मैंने पहले भी आपका नाम पुकारा था परन्तु आप उपस्थित नहीं थे। कृपया अपना भाषण दो या तीन मिनट के भीतर समाप्त करें।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदुर): महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

मैं श्री एस. अजय कुमार द्वारा लाये गये इस संकल्प का स्वागत करता हूं। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

जनसंख्या वृद्धि के कारण और विनिवेश नीति के कारण देश में भारी बेरोजगारी है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बड़े वर्ग को विनिवेश नीति के कारण अपने रोजगार के विषय में बहुत आशंका थी। हरेक ने भविष्य में नौकरी प्राप्त करने की उम्मीद छोड़ दी थी।

केवल यही नहीं बल्कि अ.जा. और अ.ज.जा. श्रेणी से संबंधित लोग अपने प्रमाण-पत्रों के बारे में बहुत चिंतित थे। तमिलनाडु में लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र 500 रुपए में मिल रहा है। यदि कोई व्यक्ति यह पैसा देता है तो उसे डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र मिल जाता है। इसलिए, उच्च जातियों के लोग, जो धनी लोग हैं वे इन प्रमाण-पत्रों का उपयोग करके जाते हैं और पेट्रोल पम्प, गैस विक्रय केन्द्र इत्यादि प्राप्त करने का मौका पा जाते हैं। इसलिए, वास्तविक अर्थ में ऐसे लाभ लेने के पात्र लोगों को अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

सरकारी और राज्य प्रशासन में पिछले 40 से 50 वर्षों से लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। किसी प्रकार से उन्होंने अपने को स्थापित कर लिया है। वे आर्थिक रूप से सम्पन्न हो गए हैं।

मैडम मीरा कुमार यहां उपस्थित हैं। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हजारों लोग हैवी वेहिकल्स फैक्टरी में लगे हुए हैं। हमने उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए बहुत कुछ किया। इसके अतिरिक्त, हमने अवड़ी में बाबू जगजीवन राम की एक प्रतिमा लगाई। हमारे पास देश में साहस और सुविधा है। उस सुविधा अथवा अधिकार के बिना हम अपना भविष्य कैसे बनाएंगे? वह अ.जा. तथा अ.ज.जा. वर्ग के लोगों के लिए बहुत कठिन चीज होगी। आज भी अधिकांश निजी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की भर्ती करती हैं। अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों का लड़का अथवा लड़की अन्य समुदायों के लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। भारत सरकार में हमारे पास 35 वर्ष की आयु तक नौकरी प्राप्त करने की सुविधा है। अपने स्वयं के अनुभव से हमने यह देखा है।

हमारे पास श्रीपेरूम्बुदुर में ह्युंडाई कार कंपनी है, मैं उस कंपनी के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के लड़कों और लड़कियों की सिफारिश किया करता था। परन्तु कंपनी का प्रबंधन उनकी आयु के कारण उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि उन्हें 21 वर्ष से कम आयु के लोग चाहिए। भारत सरकार में हम 35 वर्ष की आयु होने तक लोगों को भर्ती करते हैं। इसलिए 10-14 वर्ष का भारी अंतर है। यह कैसे संभव है? इस पर विचार किया जाना चाहिए।

अ.जा./अ.ज.जा. तक अ.पि.व. के लोग गांवों में कार्य करते हैं। उनके लिए बहुत से कार्यक्रम हैं। यहां तक कि हमारे वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम ने बताया था कि वह एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करेंगे। यह कैसे संभव है? यदि आप एसजीआरवाई

कार्यक्रम को लें तो ठेका लेने वाले लोग मशीनों से कार्य कर रहे हैं और श्रमशक्ति को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांवों में अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को रोजगार देना कैसे संभव है?

हमें इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु योग्यता में शर्तों को देखना पड़ेगा। यह बहुत कठिन है। हमें प्रति व्यक्ति शुल्क देना पड़ता है, हमें चंदा जैसा योगदान करना पड़ता है। एक गरीब अ.जा./अ.ज.जा. का लड़का शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा और वह अपनी 21-22 वर्ष की आयु के भीतर नौकरी की तलाश में कैसे रहेगा? इस मामले पर भी सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को ऋण नहीं मिल रहा है। बजट में हम अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को ऋण देने के लिए हजारों करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं। किंतु हमें बहुत आसानी से ऋण नहीं मिलता। ऋण प्राप्त करने के लिए हमें साम्पार्श्विक प्रतिभूति देनी पड़ती है। आपको देखना होगा कि यह लोग सम्पार्श्विक प्रतिभूति कैसे दे सकते हैं, उनके पास सम्पार्श्विक प्रतिभूति देने के लिए क्या सम्पत्ति होती है? इसलिए, यह सही समय है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री इस संकल्प को एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प के रूप में देखें और एक कानून बनायें। तभी इन लोगों के भविष्य की रक्षा की जा सकेगी।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, आज यह सदन बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा कर रहा है। मैं सबसे पहले श्री एस. अजय कुमार जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि वे बहुत ही सामयिक संकल्प इस सदन में लेकर आये। नई सरकार ने भी यह प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि हम निजी क्षेत्र में आरक्षण के संबंध में विधेयक लायेंगे। मैं समझता हूं कि उस लिहाज से भी सदन में चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार के बिल लाने से पहले इस सदन की भावना क्या है? हम लोग जो पूरे देश की नुमाइंदगी इस सदन में करते हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे निजी क्षेत्र में आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं? मैं समझता हूं कि यह संकल्प उस बिल को लाने में एक आधार बनेगा और इस सदन की भावना से सरकार लोगों के जजबात को समझेगी। इस विभाग से संबद्ध मंत्री श्रीमती मीरा कुमार जी यहां बैठी हैं, वे इसे समझेंगी। निश्चित रूप से यह एक अच्छा काम है।

मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जहां तक आरक्षण का सवाल है, इस आरक्षण का बहुत मोटा और व्यावहारिक मतलब यह है कि हमारे देश में वर्ण-व्यवस्था है और एक लम्बे समय से दलितों का शोषण वर्ण व्यवस्था के नाम पर हुआ है। पिछड़ों की उपेक्षा हुई है। बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने अपने प्रयासों से आरक्षण की जो व्यवस्था कराई, उसका सीधा मतलब यह था कि जो वर्ग उपेक्षित है, जिन वर्गों के साथ न्याय नहीं हुआ, जिन वर्गों का शोषण हुआ, उन वर्गों को बराबरी पर लाने के लिए, उनको तरक्की देने के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था हुई। शुरू में आरक्षण की व्यवस्था दस वर्ष के लिए थी लेकिन दस वर्ष बाद पार्लियामेंट ने फिर कहा कि आगे आने वाले वर्षों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए क्योंकि दलितों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। आरक्षण के पीछे बुनियादी अवधारणा थी और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस मकसद से आरक्षण हमारे देश में लागू हुआ, उस मकसद में आज तक हम खरे नहीं उतरे। मुझे माफ करना, मैं इसके लिए किसी दल विशेष की आलोचना नहीं करना चाहता। यह हमारी मनोवृत्ति से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं इसको दलों की सीमा में कैद नहीं करना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि समाज में एक ऐसा वर्ग है जो नहीं चाहता कि समाज का जो उपेक्षित वर्ग है, उसके साथ इंसाफ हो। अभी पिछली बार शुक्रवार को जिन लोगों ने तकरीर की, उसमें प्रो. रासा सिंह रावत जी का भाषण मैंने सुना और उन्होंने कहा कि आरक्षण के साथ-साथ हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और हमें योग्यता और दक्षता का भी ध्यान रखना चाहिए। यह बिल्कुल सही है कि हमें योग्यता और दक्षता का ध्यान रखना चाहिए लेकिन हमें समान सुविधाओं और समान अवसर का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि निजी क्षेत्र में जो विद्यालय चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, इंजीनियरिंग कालेज चल रहे हैं, 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक डोनेशन देकर एक लड़का प्रवेश पा जाता है और प्रतिभा होने के बावजूद भी क्या कोई दलित पिछड़ा डाक्टर या इंजीनियर बन सकता है? जब हम दक्षता की बात करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्पर्धा खुली होनी चाहिए क्योंकि कुश्ती बराबरी की होती है। समाज में जिन लोगों को अवसर नहीं मिला, वे लोग आखिर तरक्की कैसे कर सकते हैं? अंग्रेजी में थोमस ग्रे की एक कविता है : "अलाजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड।" उस कविता का मूल सार यह है कि समाज में तमाम ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको उचित अवसर नहीं मिलता जिसकी वजह से वे आगे नहीं बढ़ पाए और यही निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जब हम लोग दक्षता और क्षमता की बात करते हैं तो हमें सुविधाओं की बात करनी चाहिए। हमें यह भी बात करनी चाहिए कि हमने उनको क्या सहूलियत दी है? इस देश का दुर्भाग्य यह है कि 87 प्रतिशत बच्चे इंटरमीडिएट की कक्षा तक आते-आते बैठ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके माता-पिता ...*(व्यवधान)* मीरा कुमार जी, आप हमारी बात सुनिए। मैं कह रहा था कि 87 प्रतिशत बच्चे इंटरमीडिएट की कक्षा तक जाते-जाते बैठ जाते हैं।

[श्री रामजीलाल सुमन]

अपराह्न 4.00 बजे

इसका मतलब यह नहीं है कि उनके मां-बाप उनको पढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन उनकी माली हालत गवारा नहीं करती। यह सामान्य सत्य है कि इस देश में जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, वही बहुमत में आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। तालीम की इच्छा रखने के बावजूद भी उनके मां-बाप उनको बेहतर तालीम नहीं दे सकते। अगर उनको बेहतर तालीम मिल भी जाए तो काम कहां से मिलेगा। इन सब चीजों पर गम्भीरता से सोचें, विचार करें। रासा सिंह जी को मैं कहना चाहता हूं कि प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, निजी क्षेत्रों में वे जा नहीं सकते, तो कैसे उनका उत्थान होगा।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सबको समान अवसर प्राप्त होना चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन: वही मैं कह रहा हूं। अगर यह हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के कमजोर वर्ग के लोग यह दिखा देंगे कि उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उनका कोई जवाब नहीं है और वे भी देश में नम्बर एक पर हैं। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है। इस देश का संविधान बनाने वाले डा. अम्बेडकर ही थे और उन्होंने यह कर दिखाया था। मैं भी कुछ दिनों तक श्रम मंत्री रहा हूं। बाबू जगजीवन राम के पास हिन्दुस्तान के कई महकमे रहे और वे श्रम मंत्री भी रहे। क्या उनसे भी काबिल कोई मंत्री रहा, यह सब जानते हैं। जब-जब दलितों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि उनका कोई जवाब नहीं है। निजी क्षेत्र के लोगों में बड़ी हड़बड़ी है, उद्योग जगत बहुत परेशान है, बेचैन है और वे दक्षता तथा प्रतिभा की बात कर रहे हैं।

कमजोर वर्ग के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। आज जो इस तरफ लोग बैठे हैं, वे पहले सत्ता पक्ष में थे। ये लोग धड़ल्ले से विनिवेश कर रहे थे। आप भी और हम भी उनसे एक सवाल पूछते थे कि आखिर यह विनिवेश किसके लिए है। इससे जो पैसा इकट्ठा होगा, क्या वह शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कृषि पर खर्च किया जाएगा, गरीब लोगों की माली हालत ठीक करने के लिए खर्च किया जाएगा, आखिर इस पैसे का क्या होगा, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिलता था। विनिवेश के सवाल पर दो बुनियादी चीजें थीं। पहली तो यह कि सरकार यह वादा करे कि मुनाफे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को नहीं बेचा जाएगा और दूसरी यह कि सरकार बताए कि सरकारी उपक्रमों को बेचने से जो पैसा इकट्ठा करेंगे, उसका प्रयोग किसके लिए होगा। क्या बजट का घाटा पूरा करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे या कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उसका प्रयोग करेंगे। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय था।

मैंने जैसा पहले कहा कि इस देश में सर्वाधिक नुकसान वर्ण व्यवस्था के चलते हुआ है। उससे क्या-क्या नहीं हुआ इस देश में, लोग नहीं समझ सकते। देहातों में नर्सें नहीं होती। हमारे यहां किसी मां-बहन के बच्चा होता है तो वाल्मीकि औरत बच्चा पैदा करने में उसकी मदद करती है। उसको नहलाती है, पोंछती हैं। जब बच्चा चार-पांच दिन का हो जाता है और वह उसे छूने जाती है तो मां कहती है कि इसको हाथ नहीं लगाना, यह अपवित्र हो जाएगा और मुझे गंगाजल से नहलाना पड़ेगा। इसी तरह से गांवों में कुआं खोदने के लिए दलित लोगों को बुलाया जाता है। जब कुएं में पानी आ जाता है, तो उसे वहां से पानी नहीं भरने दिया जाता। कहा जाता है कि तुम कुएं से पानी लोगे तो यह कुआं अपवित्र हो जाएगा। इसी तरह से मंदिर जब बनाया जाता है तो उसी दलित को बुलाते हैं और जब मंदिर बन जाता है, तो उसी दलित को मंदिर के भीतर नहीं जाने दिया जाता। यह कहा जाता है कि तुम्हारे जाने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। इस देश में इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं हो सकता।

दूर जाने की जरूरत नहीं है, जहां से मैं आता हूं आगरा-फिरोजाबाद, वहां पर फतेहपुर सीकरी है। वहां खांडवा का मैदान है। उस मैदान में बाबर और राणा सांगा की लड़ाई हुई थी। वहीं गांव में लोग हल चला रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा कि देश की इज्जत दांव पर लगी है, लड़ाई हो रही है और तुम लोग हल चला रहे हो। उन्होंने कहा हमारे देश में चार वर्गों में व्यवस्था बंटी हुई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो दलित हल चला रहा था, उसने जवाब दिया कि हमें तो जिंदगी भर हल चलाना है, क्योंकि लड़ाई का काम क्षत्रिय का है, हम वहां क्या करेंगे। अगर इस देश की सामाजिक एकता मजबूत रही होती तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती थी। यह सब वर्ण व्यवस्था के चलते हुए हुआ। इन सब चीजों से आज हमें सबक सीखने की जरूरत है। इतिहास में जो कुछ घटा है, उससे निष्कर्ष निकालने की जरूरत है। यह बहुत ही दुखद स्थिति है।

अंत में, समय की मर्यादा का ख्याल करते हुए, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, वैसे इस विषय पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। इस देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। आज समाज में तनाव किसी भी शक्ल में हो, लेकिन बुनियाद में जो चीज है, वह बेरोजगारी ही है। इस समस्या के निदान के लिए मोंटेक सिंह अहलूवालिया कमेटी या द्वितीय श्रम आयोग का गठन किया गया लाल किले से 1998 में भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेजी द्वारा घोषणा की गई कि हम एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वास्तव में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तमाम डिग्रियां हासिल करने के बाद, मां-बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाने के बाद जब उनके बच्चे

को रोजगार नहीं मिलता है, तो एक क्षण ऐसा आता है, जब वह नौजवान गलत रास्ते को अख्तियार करने को बाध्य हो जाता है। अगर इस बेरोजगारी की समस्या की तरफ सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय इसके गंभीर परिणाम होंगे। मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस संकल्प के सदन में आने की वजह से औद्योगिक जगत में खलबली है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सदन में बैठी हुई हैं, जब कोई अच्छा काम होता है, तो लोग याद करते हैं और ऐसे कामों को करने में अगर आलोचना होती है, तो उसकी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। असल बात यह है कि इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं, जैसाकि समाचार-पत्रों में आया है, विश्व बैंक ने कहा है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण का वे विरोध नहीं करेंगे। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में जो लोग हैं, वे यह समझते हैं कि संपत्ति पर केवल इन्हीं लोगों को अधिकार है। ये लोग अरबपति या खरबपति मां के पेट से पैदा होते ही हुए हैं। दौलत इनके साथ आई थी। समाज में दौलत पर इन्हीं लोगों का अधिकार है, इस तरह की बात की जाती है।

महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर सवाल है। मैं समझता हूं कि एक लम्बे अर्से से दलितों, कमजोर वर्ग के लोगों के साथ नाइन्साफी होती रही है। इसको दूर करने का अगर कोई हल है, तो वह केवल निजी क्षेत्र में आरक्षण के सिवाय दूसरा कोई हल नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आरक्षण के साथ-साथ कमजोर वर्गों के जो परम्परागत उद्योग हैं, उन उद्योगों को भी सशक्त बनाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, आगरा में जूते बनाने का काम होता है, चमड़े का काम होता है, जूता तैयार किया जाता है। जो जूता बनाता है, वह सिर पर डलिया लेकर जब बेचने के लिए जाता है, तो मात्र उसको 300 रुपए दिये जाते हैं। लेकिन जो खरीदता है, वह उसको एक डिब्बे में डालकर अपना ट्रैड-नेम देता है, फिर वही जूता मुम्बई और कलकत्ता के बाजार में तीन हजार रुपये में बिकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस गरीब आदमी के लिए आज बाजार की कोई व्यवस्था नहीं है। बैंक से संरक्षण नहीं है, ऋण नहीं मिलता है। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं, आज हम निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कमजोर वर्ग के लोगों, दलितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों की माली हालत में सुधार करने के जो उनके परम्परागत उद्योग हैं, उनको संरक्षण देने की आवश्यकता है, भूमि सुधार की आवश्यकता है और उन लोगों को आत्म-निर्भर बनाने की आवश्यकता है। यह काम निश्चित रूप से होना चाहिए।

समय की सीमा का ध्यान रखते हुए, मैं माननीय सदस्य, श्री एस. अजय कुमार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही व्यापक और सामयिक संकल्प इस सदन में प्रस्तुत किया है, जिससे न केवल आने वाले समय में जब इससे संबंधित बिल सदन में लाया जाएगा, तो सरकार पहले ही सदन की भावना से परिचित होगी और सरकार को इस बिल को सदन में पास कराने का आधार मिल जाएगा। सदन में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों से मैं विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि वे ऐसे गम्भीर मामले में जब हम दलितों को इंसाफ देने की बात करते हैं तो सदन को बंटना नहीं चाहिए। सबको सर्वसम्मति से इस संकल्प का समर्थन करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्य श्री एस. अजय कुमार का अवश्य धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने चर्चा का एक अति महत्वपूर्ण विषय चुना है और वर्तमान समय में यह अति महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत किया है।

महोदय, जहां तक मुझे याद है, हमारे देश के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछले वर्गों की भर्ती के संबंध में चर्चा 1950 के दशक से आरम्भ हुई, गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की भर्ती की मांग ने 1990 के दशक से जोर पकड़ा है विशेषकर भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के परिदृश्य में ऐसा हुआ है। भूमंडलीकरण के इस दौर में, गैर-सरकारी क्षेत्र उभर कर सामने आ रहा है और यदि अन्य क्षेत्रों की भांति विकास कर रहा है। राज्य में सरकारी क्षेत्र के ऐसे बहुत से उद्यम हैं जिनका इस समय निजीकरण हो रहा है। अतः, भर्ती की नीति का प्रश्न विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में आता है। यह एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने इस बात पर बहुत बल दिया है और माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में, इस विषय को शामिल किया था। इसलिए, मुझे आशा है कि स्थिति में सुधार होगा।

लेकिन दो कारणों से स्थिति अब बहुत गंभीर है। पहले तो, हर जगह कर्मचारियों की छंटनी हो रही है, यदि वह सरकारी क्षेत्र हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र। इस परिप्रेक्ष्य में, भर्ती पहले ही बंद हो चुकी है। अतः, सामान्य भर्ती नीति खतरे में है और विशेषकर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़े वर्ग अधिक खतरे में है।

हमने रेलवे की भर्ती, रेलवे भर्ती बोर्ड के भर्ती के मामले में घटी घटनाओं को देखा है और असम में जब परीक्षा हुई तो वहां

[श्री प्रबोध पाण्डा]

जो कुछ घटा, उसके बारे में भी हम जानते हैं। हमने बिहार में इस स्थिति को देखा है। हमने महाराष्ट्र की स्थिति देखी है। 3000 पदों के लिए, मैं समझता हूं कि छह लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है और दंगे हुए हैं। असम के लोगों और बिहार के लोगों के बीच दंगे भड़के। महाराष्ट्र में, यह धमकी दी गयी थी कि वहां किसी बाहरी राज्य से आने वाले को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा और महाराष्ट्र केवल महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। तो, यह परिदृश्य है। जहां तक आरक्षण का संबंध है, अधिकांश मामलों में, परीक्षा केन्द्रों में उम्मीदवार क्षेत्रों के प्रश्न को ध्यान में रखते हैं। उनके दिमाग में यह बात उभरने लगी है। जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रश्न है, जब उनकी भर्ती होती है तो पहले वे क्षेत्र और जातियों के बारे में सोचते हैं।

दूसरे मुद्दे का संबंध वर्तमान आर्थिक संकट से है, हमारे समाज के सामाजिक-आर्थिक ढांचे से है। पिछड़े वर्गों को उनका हिस्सा दिए बगैर तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनका हिस्सा दिए बगैर, यह देश वास्तव में कैसे एक कल्याणकारी राष्ट्र सकता है? न्याय और अधिकारिता सरकारी क्षेत्र की इकाइयों तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए। गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में क्या नीति होगी? कुछ कोनों से, इस संबंध में संविधान का प्रश्न उठाया गया है। इस संबंध में यह कहा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के कोटे से संबंधित निदेशों को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को विवश करने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार की कुल संख्या घट रही है। अधिकांश विभागों में, केन्द्र और राज्य दोनों ही स्थानों में भर्ती पहले से रुकी हुई है और रिक्तियों को भरा नहीं जा रहा है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश में सदियों से सामाजिक-आर्थिक विषमताएं चली आ रही हैं और हाल ही में इनमें वृद्धि हुई है। यदि इन विषमताओं को समाप्त नहीं किया जा सकता तो रोजगार में आरक्षण इन विषमताओं को कम करने का एक तरीका है। लेकिन अभी तक इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

अत:, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार इस संबंध में उचित कदम उठायेगी। सभी राजनैतिक दलों और समाज के सभी वर्गों से वार्ता करने का यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है जिससे इस संबंध में आम सहमति की जा सकती है। मैं केन्द्र सरकार से, विशेषकर माननीय मंत्री जी से इस पर विचार करने का आग्रह करूंगा कि यह सुनिश्चित करें कि गैर-सरकारी क्षेत्र में आरक्षण देने से बचने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र कोई कानूनी बहाना न लगाएं, इस संबंध में किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता है।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): सभापति महोदय, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रोजगार ढूंढने वाले हजारों युवक और युवतियों से है। इन रोजगार ढूंढने वालों का समय और ऊर्जा दोनों नष्ट हो रहे हैं। हम एक लोकोक्ति के बारे में जानते हैं जिसके अनुसार मनुष्य न केवल एक मुंह के साथ जन्म लेता है अपितु उसके दो हाथ भी होते हैं। इन लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने सक्रिय हाथों से करने के लिए कोई काम अथवा रोजगार नहीं मिल रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो रहे हैं। उनका आत्मविश्वास खोता जा रहा है। अभी-अभी, मेरे मित्र, माननीय सदस्य, जो मुझसे पहले बोल रहे थे, हमारे देश को कल्याणकारी राष्ट्र बतलाया था।

यह तो है ही। हमारा समाज सामाजिक पद्धति वाला है। ऐसे राज्य में, राष्ट्रीय विकास का लाभ अधिकाधिक वंचित वर्ग को मिलना चाहिए। अब, ये लोग, जो अनुसूचित जाति समुदाय, अनुसूचित जनजाति समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के हैं, ये सभी वंचित लोग हैं। इसलिए उन्हें हमारे राष्ट्रीय विकास का अधिक लाभ मिलना चाहिए। जब इन लोगों को किसी उत्पादन प्रक्रिया में किसी कार्य के लिए शिक्षित, प्रशिक्षित किया जाता है तो इनकी आंखों में स्वप्न होते हैं। लेकिन जब ये लोग लंबे समय तक बेरोजगार बने रहते हैं, तो उन्हें अपने दिन दिवास्वप्न में गुजारने पड़ते हैं क्योंकि उनके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। ये लोग वंचित वर्ग के, गरीब वर्ग के होते हैं। उन पर अपने माता-पिता और समाज की देखभाल का भी उत्तरदायित्व होता है। लेकिन उन्हें कोई अवसर नहीं मिल पाता इसलिए केवल वही लोग गरीबी और भुखमरी का शिकार बनते हैं।

माननीय सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है। सभा में इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरम्भ करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। गैर-सरकारी क्षेत्र में आरक्षण ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्थिति में सुधार हो सकता है। यदि हम रोजगार के अवसर नहीं बढ़ायेंगे तो मैं समझता हूं कि आरक्षण लाभप्रद नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे देश का रोजगार परिदृश्य बहुत खराब है और यह दिन-प्रतिदिन और अधिक खराब होता जा रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं। हमारे देश में सरकारी क्षेत्र में रोजगार वर्ष 1999 में 194 लाख था। लेकिन वर्ष 2002 में, इसमें कमी आयी है। अब यह सरकारी क्षेत्र में 188 लाख है। गैर-सरकारी क्षेत्र की भी यही स्थिति है। वर्ष 1999 में, यह 86.98 लाख था लेकिन वर्ष 2002 में यह 84 लाख था। इसलिए, दिन-प्रतिदिन इसमें गिरावट आ रही है। अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ करना है। अब हमें कुछ ठोस कार्यवाही करनी है ताकि बड़ी संख्या में पद सृजित हो

सकें। मेरे राज्य में स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि असम में रोजगार की वृद्धि दर वर्ष 1999 तक 1.9 प्रतिशत थी। लेकिन उसके पश्चात्, असम की भूतपूर्व सरकार और केन्द्र सरकार ने एक ज्ञापन जारी किया जिसके माध्यम से उन्होंने सभी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। हजारों पद समाप्त कर दिये गये। तो, यदि हम अन्य सभी बेरोजगार लोगों के साथ-साथ अपने इन दु:खी लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें मार्ग ढूंढने होंगे, हमें रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उपाय खोजने होंगे। मेरे राज्य में, जिस आदेश से सभी पद खारिज कर दिये गये, उसे वापस लिया जाना चाहिए और सभी पदों को यथावत बहाल करना चाहिए। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, मैं समझता हूं। हमारी कृषि अब भी इस देश का सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में हमारे पास है। मैं यह महसूस करता हूं कि कृषि क्षेत्र अब भी असंगठित है। यदि हम अपने कृषि क्षेत्र को संगठित कर लें, जो आजकल हमारे उद्योगों से पीछे नहीं है, तो मैं समझता हूं कि पदों की संख्या बढ़ायी जा सकती है।

ऐसे कई राज्य हैं जहां एकल-फसल पद्धति है। लोग अब भी इसी पद्धति को अपनाते हैं। यदि हम एकल फसल पद्धति को दोहरी फसल पद्धति में बदल लें तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसके अलावा, श्रम सघन वाले कुछ छोटे उद्योग हैं। यदि हम उन्हें प्रोत्साहित करें तो उनमें बड़ी संख्या में लोग खप सकते हैं। अन्य कई क्षेत्र भी उपलब्ध हैं। इसलिए, हमें यह पता लगाना होगा कि हम कैसे रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर सकते हैं ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनके साथ-साथ, हमारी श्रेणी के लोग, अर्थात् आरक्षित श्रेणी के लोगों को भी उचित रोजगार मिल सके।

फिर, सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है लेकिन मैंने पाया कि कई मामलों में यह आरक्षण नीति कुछ क्षेत्र में क्रियान्वित नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए, किसी खास क्षेत्र में 20 से 25 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातियों की हो सकती है लेकिन विद्यालयों के रिक्त पदों के लिए उन्हें केवल 7.5 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाता है। कुछ मामलों में यदि आप उनकी योग्यता को देखते हैं तो उन्हें ज्यादा पद दिये जाने चाहिए लेकिन वास्तव में उन्हें कम पदों पर रखा जाता है। एक नीति है कि जो लोग बिल्कुल योग्यता के आधार पर नौकरियों ने चुने जाने के योग्य हैं उन्हें चुना जाना चाहिए लेकिन उनका चयन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को केवल 7.5 प्रतिशत पदों पर ही चयन करते हैं। यदि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तुलना करें तो आप पाएंगे कि कम से कम अनुसूचित जनजाति के लोगों को पूरा अवसर मिलता है क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जनजाति के लोग ही सारी नियुक्तियां पाते हैं लेकिन अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए ऐसा अवसर नहीं है।

इसके साथ ही मैं सरकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की नीति को लागू करने का अनुरोध करता हूं। यदि निजी क्षेत्र में रिक्तियां हैं तो निजी क्षेत्र में आरक्षण नीति को लागू करते हुए उन्हें भरा जाना चाहिए और जिस किसी उद्योग को सरकार सहायता देती है तथा जो संस्थान सरकारी अनुदान से चलता है उन्हें इस आरक्षण नीति को लागू करने के लिए सरकार द्वारा बाध्य किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में वह नीतिगत कदम उठाए जिससे कि इन लोगों की दशा में सुधार हो।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्री पी.के. वासुदेवन नायर का एक महत्वपूर्ण संकल्प है जिसे इस संकल्प के बाद रखा जाना चाहिए। आज की सभा समाप्त होने में ठीक 1 घंटा और 35 मिनट का समय बाकी रह गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भी एक महत्वपूर्ण संकल्प है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए, आपसे मेरा अनुरोध है कि दूसरा संकल्प जिसे रखा जाना है, आज लाया जाए और बाद में जब सभा की बैठक अगस्त में होती है तब हम इसे ला सकते हैं तथा इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है।

महोदय, इस संकल्प पर कई माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले रहे हैं जिसे श्री अजय कुमार द्वारा लगाया गया है और ऐसा लगता है कि यह एक पक्षीय खेल हो गया है। मेरा अलग विचार है। यद्यपि मैं इस संकल्प से बिल्कुल असहमत नहीं हूं लेकिन थोड़ी असहमति है। इसलिए, मैं मेरा अनुरोध है कि मुझे अपने विचार रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।

सर्वप्रथम, इस संकल्प के संबंध में मेरे मन में कुछ आशंकाएं हैं जो इसके उल्लिखित वाक्यांशों के कारण हैं। मूलत: इस संकल्प में तीन बातें हैं। इसमें कहा गया है कि देश में बेरोजगारी की स्थिति में बढ़ोत्तरी विनिवेश के कारण हुई है। मैं इससे सहमत नहीं हूं और बहुत से और सदस्य भी इससे सहमत नहीं हैं। फिर, इसमें कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण ने भी बेरोजगारी की स्थिति को गंभीर बना दिया है। मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। बेरोजगारी बढ़ने के पीछे कई कारण हैं।

महोदय, विनिवेश इस देश के लिए एक आवश्यकता है या नहीं, यह एक बिल्कुल अलग विषय है। फिर, क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण से बेरोजगारी बढ़ी है, यह भी बहस का

[श्री भर्तृहरि महताब]

विषय है। लेकिन आज जिस बिंदु पर चर्चा हो रही है और जिसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं वह आरक्षण का मुद्दा है। दूसरा विषय सरकारी सेवाओं में कटौती का है। यह आज के समय में एक आवश्यकता बन गई है। आरक्षण की नीति को निजी क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए या नहीं, वास्तव में आज इसी पर चर्चा हो रही हैं लेकिन मैं माननीय श्री एम. अजय कुमार द्वारा रखे गए इस तर्क से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं।

सर्वप्रथम, मैं इस सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली राजग सरकार के समय में ही तत्कालीन प्रधान मंत्री और हमारे माननीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसदीय सौध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए दिसम्बर, 2003 में विशेषरूप से कहा था कि आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने है। यदि सरकारी क्षेत्र में आरक्षण हो सकता है तो निजी क्षेत्र में क्यों नहीं? यही मुद्दा है और मैं समझता हूं कि सभा को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूरे देश में इस पर वाद-विवाद और चर्चा होनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए माहौल तैयार करना चाहिए। इस भेदभाव को खत्म करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सभी सदस्य इससे सहमत होंगे। राजग सरकार के ध्यान में यह बात थी। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि, उन्होंने, वस्तुत: हिन्दी में, कहा था कि 'आरक्षण' पहला कदम है, शुरुआती कदम। आरक्षण एक प्रकार की बैसाखी है। यदि आपके पैर में चोट है, आप चल फिर नहीं सकते हैं, तो अच्छा है कि आप इसके सहारे चलें। लेकिन इस बैसाखी को ही पैर मान लेना गलत है।" मैं समझता हूं कि यह आरक्षण क्या है और क्या होना चाहिए, यह इसकी सही व्याख्या है।

यह प्रस्ताव एक संवेदनशील मुद्दा है और जैसाकि आज हमने इस सभा में तथा इस सभा के बाहर भी देखा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी निजी क्षेत्र में आरक्षण के इस प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं है या इससे अनिच्छुक नहीं है। लेकिन व्यापारिक घरानों ने इस पर अलग ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। व्यापारिक तथा औद्योगिक घरानों के लगभग सभी प्रतिनिधि इस विचार के विरुद्ध हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार की नीति से सृजन तथा गुणवत्ता प्रभावित होगी। मैं समझता हूं कि श्री रामजीलाल सुमन ने बड़े सही रूप में इसकी व्याख्या की है वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। अन्य लोगों का कहना है कि वे विदेशी और घरेलू निवेश से भयभीत हैं। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं एक प्रतिष्ठित न्यायविद, श्री फाली एस. नरीमन, जो दूसरे सभा के सदस्य भी हैं द्वारा कही बात की ओर इस सभा का ध्यान दिलाना चाहूंगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि निजी क्षेत्र में नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ वर्गों के लिए भी, आरक्षण की सरकार की योजना सैद्धांतिक रूप में सही है लेकिन इसे क्रियान्वित करना तथा इसकी निगरानी करना बहुत ही कठिन है।

यहां, मैं अपने संदर्भ शाखा से इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि वास्तव में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आज स्थिति क्या है? पिछले बहुत दिनों से संविधान के प्रावधानों पर नजर रखने के लिए एक समिति बनी है कि उनका सही रूप में क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। इस सभा में भी कई रिपोर्टें रखी जा चुकी हैं। मैंने 1971 से एक तुलनात्मक रिपोर्ट देखी है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उद्यमों में आरक्षण है। समूह 'क' और 'ख' में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत। समूह 'ग' के लिए अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, आरक्षण था। समूह 'घ' के लिए अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति के अन्य चार अलग-अलग वर्गों के लिए 7.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण था।

लेकिन 1971 में स्थिति क्या थी? 1971 में समूह 'क' के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए यह 0.52 प्रतिशत था। 1980 में यह 2.90 प्रतिशत था और 2002 में यह यह 11.20 प्रतिशत था। 1 जनवरी, 2003 में यह 11.20 प्रतिशत था। 11.75 प्रतिशत था जो 15 प्रतिशत तक नहीं पहुंच सका न ही यह समूह 'ख' में इस स्तर तक पहुंच सका। समूह 'ग' में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है अर्थात्, 2002 में 19.4 प्रतिशत। 2003 में यह 19.38 प्रतिशत था। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में यही स्थिति है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए यह ऐसा नहीं है जहां यह 7.5 प्रतिशत माना जाता था, केवल समूह 'ग' में वृद्धि हुई है। समूह 'क' और 'ख' में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस संबंध में अनुसूचित जाति के लिए जो अपेक्षित संख्या आरक्षित है, उस सीमा तक नहीं पहुंचा है। मुझे अन्य पिछड़ी जातियों के बारे में रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। उस पर अभी हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी एक आयोग है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी एक आयोग है। संसद की एक संयुक्त संसदीय समिति भी है जो इसके ब्यौरे की विस्तृत छानबीन करती है। लेकिन यहां समस्या सुस्पष्ट है कि यदि निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए कोई कानून लागू किया जाता है तो इसकी निगरानी कौन करेगा? मैं यह जाना चाहता हूं कि क्या संसदीय समिति ही यह जांच करके पता लगाएगी कि निजी क्षेत्र में कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियां दी गई हैं। यह मैं इसलिए याद कर रहा हूं कि श्री नारीमन ने पुन: कहा है,

"मेरा कहना यह नहीं है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में कानून द्वारा आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती, बल्कि ऐसा करने से परेशानी होगी। इसे न्यायालयों में चुनौती दी जाएगी। संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा करना अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित होगा।" मैं इस बात पर बाद में चर्चा करूंगा। परन्तु यहां तक कि संशोधनों का भी आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना होगा। यह एक संविधान संशोधन है। संविधान के अनुच्छेद 16(4क) के अनुसार आरक्षण सरकारी क्षेत्र के रोजगार पर लागू होता है। परन्तु यह निजी क्षेत्र के निकायों पर लागू नहीं होता है। तथापि, सरकार ने निजी शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है। यहां पहले ही कतिपय व्यतिक्रम हुआ है। हम इसका लाभ उठा सकते हैं। परन्तु साथ ही साथ हमें याद रखना चाहिए कि एक संविधान संशोधन की आवश्यकता है। अनुच्वेद 16(4) में किस बात का उल्लेख है? यह सरकारी क्षेत्र के रोजगार से संबंधित है जो किसी राज्य को नागरिकों के पिछड़े हुए किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन हमारे संविधान का पहला संशोधन आरक्षण के बारे में है। यह संविधान संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था जिसके द्वारा मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दुरैराजन मामले में फैसले के पश्चात् संविधान में अनुच्छेद 16(4) को जोड़ दिया गया था। इस अनुच्छेद के माध्यम से, राज्य नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अथवा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन हेतु कोई विशेष प्रावधान कर सकेगा। ये प्रावधान शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती हेतु आरक्षण नीति बनाने का आधार तैयार करते हैं।

मैं इस सभा को यह याद दिलाना चाहता हूं कि भारत में आज जनता के बीच चर्चा के सर्वाधिक विवादास्पद मुद्दों में से एक मुद्दा हमारे समाज के दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण नीति है। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे समाज का सम्पूर्ण शिक्षित वर्ग जाति के आधार पर आरक्षण दिये जाने के मुद्दे पर एकमत नहीं है। कुछ इसके पक्ष में हैं तो कुछ इसके बिल्कुल विरोधी। आरक्षण की विरोधी वे हिन्दू जातियां हैं जिन्हें इसकी वजह से रोजगार के अवसर छिन जाने का भय है जबकि आरक्षण के समर्थक वंचित वर्ग हैं जो अपने उन्नयन हेतु और अधिक अवसर चाहते हैं। यहां मुख्य मुद्दा अवसर प्रदान करना है। कुछ कोडर है कि वे अवसर खो देंगे, जबकि कुछ लोग आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे कारण कि पिछले अनेक वर्षों से, वे इससे वंचित रहे हैं। मुख्य मुद्दा अवसर का है। सरकार ही अवसर प्रदान करने वाली है। मैंने इसी वजह से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का जिक्र किया था जहां नौकरियां आरक्षित हैं परन्तु उन आरक्षित पदों को भरा नहीं गया है। चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की बात करें अथवा रोजगार के क्षेत्र में, मुख्य मुद्दा अवसर का ही है। इस अवसर को कौन प्रदान करने जा रहा है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपकी बात में बाधा डाले वगैर यह कहना चाहता हूं कि अवसर नहीं दिये जाने का मुख्य कारण सामाजिक पिछड़ापन है।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। क्षेत्र और इलाकों का पिछड़ापन, शहर और गांव के बीच का अंतर *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, मैं आपको बाधित करना नहीं चाहता हूं परन्तु मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे हेतु आवंटित समय समाप्त हो गया है। कुछ और सदस्य भी इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। यदि सभा की सहमति से तो हम इस समय को एक घंटे के लिए और बढ़ायेंगे।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, हमारे पास उन सदस्यों की एक लम्बी सूची जो बोलना चाहते हैं तथा यह विषय भी काफी महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय: यदि सभा की सहमति है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि सभा सहमत है तो हम वाद-विवाद को एक घण्टा और जारी रख सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: श्री महताब, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर: महोदय, यदि समय बढ़ाया जाता है तो मुझे अपना संकल्प पुर:स्थापित करने का समय दिया जाए।

सभापति महोदय: समय बढ़ाया जाता है। आप अपना संकल्प कुछ समय बाद रखेंगे।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, वह अपना संकल्प अभी रख सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): उन्हें अपना संकल्प रखने दें और तत्पश्चात् श्री महताब अपनी बात जारी रख सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री पी. के. वासुदेवन नायर: क्या मैं इसे अब रख सकता हूं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री महताब, अब आप मुख्य मुद्दे पर आइए।

श्री भर्तृहरि महताब: अवसर उपलब्ध कराने का काम सरकार का है। इसलिए अवसर सृजित करने की जिम्मेवारी भी सरकार की है।

चुनावों से पूर्व, राजग ने अपने घोषणापत्र में स्पष्ट तौर पर कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन समुदायों के साथ अन्याय न हो निजी क्षेत्र से परामर्श का कार्य शुरू किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार, कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वायदा किया है वे इन समुदायों हेतु नौकरियां सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ वार्ता करेंगे। इस मामले में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसी वजह से मैंने शुरू में कहा था कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकमत हैं परन्तु राजनीतिक व्यवस्था से बाहर के लोगों की राय अलग-अलग है। आज कोई भी राजनीतिक दल इस स्थिति में नहीं है कि वह सदन के भीतर या बाहर आरक्षण के विरोध में कोई बात कह सके। कोई भी राजनीतिक दल इसके लिए तैयार नहीं है अथवा ऐसा करने में सक्षम नहीं है। राजग और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन दोनों की एक ही राय है कि तत्संबंधी वार्ता की जानी चाहिए।

यह हमारा ध्यान माननीय मंत्री, श्रीमती मीरा कुमार के अंतिम वक्तव्य की ओर आकर्षित करता है। उन्होंने कहा है—वह यहां उपस्थित हैं तथा मेरा भाषण काफी ध्यानपूर्वक सुन रही हैं—कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और वह किसी भी समय कानून बना सकती है। परन्तु उन्होंने अपने दृष्टिकोण में यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पहले सर्वसम्मति बनाना चाहती है और कानून बाद में, और वह भी आवश्यक हुआ तो।

मैं बिजनेस स्टैन्डर्ड से उनकी बातों को उद्धृत करना चाहता हूं:

> "आरक्षण लागू करने वाले लोगों को इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए तथा इसे इस धारणा के प्रतिफलन के रूप में लेना चाहिए कि शताब्दियों से कुछ वर्ग के लोगों के साथ हो रहे अन्याय को आवश्यक रूप से दूर किया जाना चाहिए। मैं किसी पर कुछ थोपने के पक्ष में नहीं हूं। मैं सुपात्र लोगों को अवसर देने में विश्वास रखती हूं।"

यह भी छपा है जिसे मैं उद्धृत करता हूं:

> "उन्होंने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से बातचीत शुरू कर दी है और वे उनसे अगले एक सप्ताह तक बातचीत करेंगी।"

यह बात 'बिजनेस स्टैण्डर्ड' में छपी है। महोदया, मैं आपकी ही बातों को उद्धृत कर रहा हूं। हम यह जानना चाहेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। यह बात 11 जून, 2004 के 'बिजनेस स्टैण्डर्ड में छपी है। हम यह जानना चाहते हैं कि करीब एक महीने के दौरान और कुछ क्या घटित हुआ। निस्संदेह, उन्हें विश्वास में लेना एक पहलू है। आप कानून बनाने हेतु एक विधेयक लाने में पूर्ण सक्षम हैं, परन्तु मेरी राय में यह एक तात्कालिक उपाय है। अवसर मुहैय्या कराने की जिम्मेवारी सरकार की है तथा जब आप निजी क्षेत्र पर आरक्षण थोप रहे होंगे और उन्हें इस संबंध में विश्वास में ले रहे होंगे तो आप एक तात्कालिक उपाय कर रहे होंगे। दीर्घावधि के लिए बेहतर यह है कि अवसर सृजित किए जाएं। आरक्षित श्रेणी में अभी भी काफी संख्या में नौकरियां रिक्त पड़ी हुई हैं क्योंकि दलित व पिछड़े वर्गों के लोगों को पढ़ाई हेतु पर्याप्त अवसर मुहैय्या नहीं कराये जा रहे हैं। यदि उनको अवसर मुहैय्या कराये जाते हैं तथा उनकी शिक्षा के लिए समुचित वातावरण तैयार किया जाता है तो मेरी समझ से, जैसा कि श्री रामजीलाल सुमन ने कहा है, उनका बेहतर विकास हो सकता है। हिन्दू जाति के लोग, जैसाकि हम उन्हें पुकारते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद विदेशों में चले जाते हैं। शिक्षा समाज में विकास करने और सफलता के सोपान पर अग्रसर होने का रामबाण हो गया है। परन्तु साथ ही साथ, सभी को अवसर प्रदान करना आवश्यक है। क्रीमी लेयर काफी चर्चा का विषय है। मैं नहीं समझता हूं कि इस विभाजन के लिए इस देश में वातावरण अभी अनुकूल है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्रीमी लेयर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: यह लागू नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूं। आर्थिक स्थिति पर अभी यह अंतर किया जाना बाकी है। इसका अभी भी निर्धारण किया जाना है कि इस मानदण्ड को कैसे निर्धारित किया जाएगा। चाहे आर्थिक वर्ग हो अथवा अनुसूचित जाति की पहली पीढ़ी हो, सम्पन्न वर्ग का निर्धारण किया जाना हो। परन्तु, मेरे विचार से अब वाद-विवाद आरंभ होना चाहिए।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का आंशिक रूप से समर्थन करता हूं। परन्तु मैं पूर्णत: सहमत नहीं हूं कि निवेश, निजीकरण और सरकार के आकार को कम किए जाने से बेरोजगारी बढ़ी है और स्थिति गंभीर हुई है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्री एस. अजय कुमार द्वारा प्राइवेट सैक्टर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं।

अभी पिछली सरकार ने एक नारा स्वदेशी-स्वदेशी का दिया था। उसमें मैं कहना चाहूंगा कि तमाम विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया गया और सरकार की यह मंशा भी रही कि जो तमाम हमारे लाभ वाले उपक्रम थे, उनका विनिवेश करके उनका निजीकरण करने की बात कही गई है। इस बारे में हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा, जैसाकि आदरणीय रामजी लाल सुमन जी ने कहा कि विनिवेश का जो पैसा आएगा, उससे हम क्या करेंगे? वह कहां पर खर्च होगा? क्या हम कोई दूसरा उपक्रम लाएंगे? ये तमाम सारे सवाल हमारे सामने हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लाभ वाले संस्थान हैं, उन्हें कतई बेचा न जाए बल्कि जो घाटे में हैं, उन पर सरकार विचार करे। खासकर समाजवादी पार्टी का स्पष्ट कांसेप्ट रहा है कि नागरिक उड्डन, बीमा, संचार, और कम्युनिकेशन से संबंधित जितने उपक्रम हैं, इनका निजीकरण न किया जाए। यदि किया जाता है तो हमारी पार्टी इसका खुलकर विरोध करेगी।

दूसरी बात यह है कि जो एससीएसटी और पिछड़े वर्गों के आरक्षण संबंधित बातें यहां पर उठाई गईं, यहां चर्चा हो रही है। आज आप देखें चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के जो भी सम्मानित सदस्य बैठे हैं, वे गंभीरता से विचार करें कि गांव देहात या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो नजौवान हैं, वे देहात छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं खासकर कामगार मजदूर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। वे जिस क्षेत्र से आते हैं, निर्माण की बात होती है तो हमारे इसी तबके की निर्माण में पूरी भागीदारी होती है लेकिन बनने के बाद उसको बहुत दूर रखा जाता है। अभी जैसा सुमन जी ने कहा कि वर्ण-व्यवस्था की जहां तक बात है, यह बहुत पहले से चली आ रही है। उसका खामियाजा आज हमें समाज में भोगना पड़ रहा है। लेकिन गांव की तरफ आप गौर करें खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, इनको गांव में कृषि योग्य जमीनें कहीं एक बीघा, डेढ़ बीघा या कुछ बीघा जमीन खेती के लिए दी जाती है। उनका परिवार भी बढ़ रहा है। सही मायने में वे अपने परिवार का भरण-पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से वे पलायन करके शहर की ओर भाग रहे हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है। इस पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए और खासकर मैं यह मांग करना चाहूंगा कि जो तमाम दलित शोषित समाज है और पिछड़े वर्ग की जो तमाम जातियां हैं, जिनका अपना पुश्तैनी धंधा है, मैं चाहूंगा कि उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार उनको आर्थिक रूप से बैंकों से मदद करे ताकि उनके पुश्तैनी धंधे को बनाये रखा जा सके जिससे वे उसमें लिप्त होकर परिवार का भरण-पोषण कर सके और उन्हें सरकारी तौर से भी कुछ मदद होनी चाहिए।

मैं इलाहाबाद से चुनकर आता हूं। इंडस्ट्रियल एरिया हमारे नैनी साइड में है। यमुना नदी से उस पार तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। मैं देख रहा हूं कि तमाम उपक्रम हैं चाहे वह भारत पंप कम्प्रैसर लिमिटेड हो या आईटीआई हो, जीसी कंपनी हो, उसमें ऐसे सैमी गवर्नमेंट या प्राइवेट फैक्टरियां हैं जहां पर तमाम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों से काम और वह भी कांट्रैक्ट बेसिस पर लिया जाता है और जो सही रूप से उनको मजदूरी मिली चाहिए, वह उनको नहीं मिल पाती। ठेकेदार उनको पैसा कम देता है। सरकारी संस्थानों से या गैर सरकारी संस्थानों से उनको पूरा पैसा मिलता है लेकिन कांट्रैक्ट बेसिस पर वे अपना कमीशन काट लेता है। इस पर भी सरकार को सोचना पड़ेगा। खासकर सरकारी विभागों में इस समय भर्ती पर रोक लगी है। कभी कोर्ट का निर्णय आ जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। चाहे केन्द्र की सरकार हो या राज्य सरकारें हों, जब चुनाव में हम लोग जाते हैं तो अपने क्षेत्रों में बड़े-बड़े वादे करके और नारे देकर जीत कर आते हैं। लेकिन उसके बाद हमें उन पर गम्भीरता से सोचना होगा कि हम उन पर कितना अमल करते हैं। मेरा मानना है कि हम उन पर कोई अमल नहीं करते हैं। तमाम सरकारें जो आती हैं, कहती हैं कि हम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देंगे या रोजगार देंगे, लेकिन वादा कोई सरकार पूरा नहीं करती। आज भी इन लोगों का शोषण हो रहा है। सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों को इस पर गम्भीरता से सोचना होगा।

जहां तक आरक्षण कोटे को भरने की बात है, चाहे केन्द्र सरकार के विभाग हों या राज्य सरकारों के विभाग हों, सभी जगह अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति और पिछड़े वर्ग के कोटे भरे नहीं गए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि तमाम जो सरकारें आती हैं, जब हम गांवों में या अपने क्षेत्रों में जाते हैं और कहते हैं कि भर्ती पर अपनी आवाज सदन में उठाएंगे, लेकिन उस पर कितना गौर कर पाते हैं, इस पर सभी सदस्यों को सोचना होगा। आप रोजगार दफ्तरों में जाकर सूची निकाल कर देखें। पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग वहां पर पंजीकरण के लिए जाते थे। आज यह तबका पंजीकरण के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, भर्तियां नहीं निकल रही हैं। इस वजह से हमारे नवयुवक बहुत मायूस हैं। रोजगार नहीं मिलने की वजह से वे गलत दिशा में जा रहे हैं। वे क्राइम करते हैं और क्रिमिनल बन जाते हैं। इसलिए

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

सभी सदस्यों को इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह समाज के लिए एक कलंक है। इसलिए सरकार भी गम्भीरता से इस बात को ले। पूरे देश में आप देखें किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, चाहे प्राइवेट सैक्टर हो या सरकारी उपक्रम हों, उनमें ज्यादातर कामगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को मिलेंगे। मुझे याद आता है जब बाबू जगजीवन राम जी केन्द्रीय मंत्री थे और अब माननीय मंत्री महोदया यहां बैठी हैं। उनसे हमारी बड़ी अपेक्षा है। खासकर जो आरक्षित सीट्स से जीतकर आए हुए माननीय सदस्य हैं, वे आपसे बड़ी उम्मीद करते हैं। जब हम छोटे थे तो गांव में एक नारा लगता था—हरिजन नेता, एक ही नाम, बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। उनके मंसूबों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए इसलिए मैं मंत्री महोदया से आग्रह करना चाहूंगा कि जब इस संबंध में बिल आए तो वह उसे सर्वसम्मति से पास कराने का प्रयास करें। हमारे सदस्यों को भरोसा दिलाएं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे उनको अपना जीवन आगे चलाने के लिए, भरण-पोषण करने के लिए, परिवार को पालने के लिए क्या किया जाएगा। इस पर सरकार गम्भीरता से सोचे और इसके लिए एक कार्यक्रम बनाए।

हमें याद आता है जब आरक्षण की बात आती है, तो हमें डा. अम्बेडकर जी की याद आती है। डा. अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम जी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को सम्भालते हुए बहुत कुछ किया था। लेकिन उनकी काबलियत में कोई कमी नहीं थी। आज भी हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन विभिन्न विभागों में उनकी बड़ी उपेक्षा होती है। मैं जब 12वीं लोक सभा में चुनकर यहां आया था, तो मैंने देखा था कि अनुसूचित जाति के एक जज थे। जब उनका एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ट्रांसफर हुआ तो उनकी कुर्सी को धोने का काम किया गया था। अगर इस तरह की विषमता बनी रही समाज में, तो उनको कैसी संरचना दे सकते हैं, कैसे समाज की सेवा कर सकते हैं, यह देखना होगा। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

अपराह्न 5.00 बजे

आज हमें श्री राम मनोहर लोहिया जी की भी याद आती है। उन्होंने कहा था कि विशेष अवसरों का लाभ इन पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी समाज में मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि की-पोस्ट पर जहां-जहां भी लोग काम करते हैं, उनकी पोस्ट पर केवल विशेष वर्ग के लोगों को ही नियुक्त नहीं करना चाहिए, बल्कि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के काबिल लोगों को भी नियुक्त करना चाहिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण पूर्ण रूप से हो, इसके लिए मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरे देश की निगाहें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की निगाहें सरकार की तरफ लगी हुई हैं। आरक्षण की दिशा में आपकी तरफ से कदम उठाया जाए, ऐसे लोग वहां नियुक्त हों और वे अपना तथा अपने परिवार का जीवन-यापन कर सकें।

अंत में, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): सभापति महोदय, मैं श्री एस. अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें क्योंकि मेरे पास उपलब्ध सूची के अनुसार कई वक्ता इस संकल्प पर भाषण देना चाहते हैं।

डा. टोकचोम मैन्या: महोदय, मैं समय की कमी की समस्या से पूर्णत: अवगत हूं। मैं श्री एस अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। यह सत्य है कि देश में बेरोजगारी की समस्या विनिवेश, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण, सरकारी सेवाओं की संख्या को कम करने और सरकारी विभागों आदि में भर्ती न करने से गंभीर हुई है।

अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कार्य करने की स्थिति बहुत ही गंभीर है। नि:संदेह हम इस मुद्दे पर गत शुक्रवार को हमारे विद्वान सहयोगियों के द्वारा कही गई बातों को सुनते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आरक्षण संविधान के लागू होने से दस वर्षों की अवधि तक के लिए ही था। परन्तु इसके बावजूद कमजोर वर्गों नामत: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हमारे मित्र अपेक्षित स्तर पर आ पाने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। हम कानून के समक्ष समानता, दर्जे में समानता की बात करते हैं, परन्तु अभी भी वे देश में व्याप्त इन परिस्थितियों में कतिपय भेदभाव से जूझ रहे हैं।

साथ ही आजकल, केवल एक ही क्षेत्र ऐसा है जहां रोजगार दिया जा रहा है, और वह है निजी क्षेत्र के उपक्रम, जहां सरकार भी धन का निवेश कर रही है। इसलिए, वहां थोड़ी संभावना बन गई है। यदि हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की स्थिति को पूरी तरह सुधारना चाहते हैं, तो उनके रोजगार के क्षेत्र को आरक्षित रखा जाना चाहिए। एक बार इसे आरक्षित कर दिए जाने से संभवत: वे मुख्यधारा में आ पाने में समर्थ होंगे।

यह कहना सही नहीं है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हमारे मित्रों में प्रतिभा नहीं है। मैं इस दृष्टिकोण के बहुत विरुद्ध हूं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हमारे मित्र उन कार्यों को करने में समर्थ हैं, जो सामान्य कोटि के लोग भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए, हमें उनकी प्रतिभा की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उन्हें गंभीरता से लेते हैं, उन्हें तैयार करते हैं और उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षण देते हैं, तो वे भी हम सब की तरह समान दर्जा प्राप्त करने में समर्थ होंगे।

जैसाकि माननीय सभापति महोदय मुझे यह स्मरण करा रहे हैं कि समय बहुत कम है तो इसके मद्देनजर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह संसद में मेरा पहला भाषण है, जबकि मैंने आज सुबह 'शून्य काल' का नोटिस रखा था। अपने राज्य में समस्या होने की वजह से मैं जल्दी में हूं। मैं कल मणिपुर जा रहा हूं क्योंकि मेरा राज्य जल रहा है। पिछले दो अथवा तीन दिनों से यह समस्या वहां है। वहां आंदोलन हो रहा है। आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिसकर्मियों का अपहरण कर लिया है। मेरे राज्य में ऐसी स्थिति है। मैं कल जा रहा हूं और परसों सोमवार को मैं सत्र में सम्मिलित हो पाऊंगा।

मैं स्पष्ट रूप से यह कहूं कि पिछले 30 वर्षों से मैं शिक्षण कर रहा था। मैं 2000 में चुनावी राजनीति में शामिल हुआ और मणिपुर विधान सभा का चुनाव लड़ा और मंत्री बना। फिर, मैं 2004 का संसदीय चुनाव लड़कर यहां आया। इन दो वर्षों में, मुझे दो चुनाव लड़ना पड़ा।

साथ ही, मैं ईश्वर का आभारी हूं कि मैं अपने मित्रों यथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार में आरक्षण दिए जाने संबंधी संकल्प का समर्थन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मित्र, श्री एस. अजय कुमार ने इसे सही समय पर रखा है। हमने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का उल्लेख किया है। हमें प्रतिशतता को भूल जाना चाहिए। हमें यह याद रखना है कि इन लोगों को, संवैधानिक संरक्षण दिया जाना चाहिए।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि हम इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे अपने सम्मानित सहयोगी, श्री एस. अजय कुमार द्वारा रखे गए संकल्प पर इस वाद-विवाद में भाग लेने का यह अवसर प्रदान किया। यह संकल्प अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार में आरक्षण प्रदान करने से है। यह एलपीजी यथा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों का पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अपनाये जाने से उत्पन्न हुई स्थिति की न्यूनतम आवश्यकता है। मेरे मित्र, श्री महताब ने इस वक्तव्य के विरुद्ध तर्क दिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि यहां ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं पूरी विनम्रता से उनके तर्क को चुनौती दे रहा हूं। क्या कोई यह तर्क दे सकता है कि पिछले दस वर्षों में रोजगार की स्थिति बेहतर है? पिछले दस वर्ष वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण का दशक था।

रोजगार की स्थिति किन कारणों से बिगड़ी है। ऐसा इन नीतियों के कारण है। प्रशासन की संख्या को कम करना सरकार का नारा था, जोकि पूर्व वित्त मंत्रियों के बजट भाषण में परिलक्षित हुआ था। प्रशासन की संख्या को कम करने का क्या तात्पर्य है? क्या इसका अर्थ और संख्या में रोजगार का सृजन है? अथवा रोजगार के अवसरों में कमी है? रोजगार परिदृश्य इतना खराब हो गया है कि लाखों लोगों को सरकारी सेवा और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से रोजगार से बाहर निकाल दिया गया है। निजी क्षेत्र में उत्पादन और लाभ कमाने में हुई वृद्धि से सुधार आया है। अब, निजी क्षेत्र में रोजगार परिदृश्य में वैज्ञानिक आविष्कारों और तकनीकी क्रांतियों के कारण दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है, जोकि यह दर्शाता है कि कम से कम रोजगार के अवसरों का सृजन करके कैसे लाभ कमाया जाए/समय के अभाव के कारण मैं विस्तार से नहीं कह रही हूं।

कई सहयोगियों ने इस विधान की आवश्यकता, व्यावहारिकता के बारे में बात की है। मैं उनका विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यही कह रहा हूं कि इस पर एक आम सहमति तैयार किये जाने की आवश्यकता है। सरकार को इस सभा के सभी सदस्यों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पहल करनी चाहिए। यह सभा ऐसे विधान को लागू करने में सक्षम है।

माननीय सदस्य ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के इस विधान के पक्ष में होने की बात की है। इससे क्या हुआ? हमारे सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों ने पददलित लोगों के बारे में खूब बातें कीं। हर किसी ने इसी तरह की बात की।

सभी ऐसे अवसरों को भाषणों से सुशोभित किया जाता है। ऐसे अवसरों पर पददलित लोगों को भाषण तो मिल जाता है, लेकिन रोजगार, भोजन, वस्त्र और शिक्षा नहीं मिलती। उन्हें भाषण ही भाषण मिल रहे हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि पिछली बार भी पूर्व प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कहा। वह शब्दों के जादूगर हैं। वह वाक्पटु व्यक्ति हैं, वह कवि हैं। लेकिन आपने देश के गरीब लोगों को क्या दिया? मैं इसके बारे में विस्तार में नहीं कर रहा हूं।

[श्री पी. राजेन्द्रन]

मैं आपसे इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने का अनुरोध करता हूं। मैं सरकार से निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाने का अनुरोध करता हूं।

एक बार फिर, मैं अपने सम्माननीय साथी श्री एस. अजय कुमार को इस संकल्प को रखने हेतु बधाई देता हूं। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और मैं इस सम्माननीय सभा से हमारे देश के पिछड़े वर्गों के समर्थन के लिए इसे अंगीकार करने और संविधान का अंग बनाने का अनुरोध करता हूं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री एस. अजय कुमार द्वारा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग करने वाले प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

अधिकतर मनुष्य अत्यधिक क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, कुछ में ही श्रेष्ठ मस्तिष्क होता है और कुछ भी मानसिक रूप से मंद होते हैं। परिस्थितियों और वातावरण में ही उनका पालन-पोषण होता है और यहीं उनकी क्षमता विकसित होती है जोकि उनके क्रियाकलाप, उनकी वृद्धि और उनके व्यक्तित्व आदि से संबंध रखती है।

जब अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बात होती है तो उन्हें प्राय: इन सभी परिस्थितियों से वंचित रखा जाता है। इसलिए, उन्हें अपनी क्षमताओं के विकास का मौका नहीं मिलता। यह उनकी गलती के कारण नहीं है। बल्कि यह उन ऐतिहासिक कारकों की गलती है जोकि भारत में सदियों से चलते रहे हैं। इन कारकों में से जैसाकि कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया। जाति प्रथा अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

जैसाकि आप को अवगत है जाति प्रथा के व्यवहार और अनुष्ठानों में लोगों से भेदभाव है और उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। यही कारण है कि अगले वर्ग ने धर्म का उपयोग करके सभी लाभ अर्जित किए। पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, आवाजाही की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था। यहां तक कि महिलाओं को अपने वक्ष स्थल को ढकने के लिए वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं थी, कोई हमारे देश में ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता है लेकिन यह स्थिति भारत में व्याप्त थी।

सौभाग्य से, हमारे महान नेताओं और सुधारकों द्वारा चलाए गए विभिन्न जागरूकता और प्रगतिशील आन्दोलनों के कारण, यह सामाजिक कलंक मिट पाया। यह भी 20वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। जब आजादी मिली तब भी यही सामाजिक प्रणाली हमारे देश में विद्यमान थी।

जब भारत, संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना और हमारा संविधान अस्तित्व में आया तो इन वंचितों और पददलित समुदायों के अधिकारों के लिए कई उपबंध किए गए। इसमें समता और अवसर के अधिकार के लिए कई उपबंध थे। इससे ही पिछड़े वर्गों को अवसर मिला, तबसे लगभग पचास वर्ष का समय बीत गया लेकिन इन वर्गों को यह अवसर नहीं मिला। उन्हें कई शताब्दियों से यह न्याय नहीं मिला था।

अपराह्न 5.17 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के वही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं जो पहली या दूसरी पीढ़ी के हैं और वह भी तब जब संविधान के अंतर्गत उन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ। संविधान में शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष संरक्षण का प्रावधान है। हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में प्रत्येक नौकरी के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों की केवल पहली या दूसरी पीढ़ी ही योग्यता के इस स्तर तक पहुंच पायी है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के बावजूद भी उन्हें यथानुपात अवसर नहीं मिल पाए। वास्तव में उन्हें और अधिक अवसर चाहिए।

पूर्व के वक्ता ने कतिपय वर्तमान आंकड़ों का उल्लेख किया। हमारे देश में विभिन्न रोजगार अवसरों के आंकड़े एकत्र करने का कोई तंत्र नहीं है। मैं समझता हूं कि मंडल आयोग के दौरान ही कुछ अध्ययन कराये गये और कुछ आंकड़े प्रकाशित किए गए। तत्संबंधी रिपोर्ट बताती है कि 87.5 प्रतिशत जनसंख्या पिछड़े वर्गों से संबंध रखती है लेकिन उन्हें 22.5 प्रतिशत या 25 प्रतिशत रोजगार अवसर मिले हुए हैं। अगड़े समुदाय से संबंधित जनसंख्या लगभग 22.5 प्रतिशत है लेकिन उन्हें लगभग 87.5 प्रतिशत रोजगार अवसर प्राप्त है। यही कारण है कि मंडल आयोग ने केन्द्र सरकारी क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की सिफारिश की थी।

वर्तमान में, बदलते परिवेश में सरकार अपने रोजगार अवसरों को सीमित कर रही है और निजी क्षेत्र सरकार के इस हिस्से को लेता जा रहा है। इसलिए अवसर कम होते जा रहे हैं।

दूसरा मुद्दा यह है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना ही नहीं है। आरक्षण का अति महत्वपूर्ण भाग शासन या सत्ता में लोगों की भागीदारी से जुड़ा है। यही कारण

है कि हम विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में भी आरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आरक्षण का मुख्य उद्देश्य लोगों के विभिन्न समुदायों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना है और यह अवसर सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या घटाने से रोका जा रहा है। इसलिए, वर्तमान परिदृश्य में अवसर कम होते जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचति जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अत: श्री एस. अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत निजी क्षेत्र में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के संकल्प का समर्थन करता हूं।

इसलिए, सरकार को इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ सर्वसम्मति बनानी चाहिए। मैं समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल इस आरक्षण के विरुद्ध नहीं होगा, सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक पार्टियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को निजी क्षेत्र में पर्याप्त आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लेना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय श्री एस. अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हमारे राष्ट्र की रीड़ हैं। ये हमारा इतिहास और संस्कृति है। आरक्षण कोई विशेषाधिकार नहीं है बल्कि अधिकार, न्याय और समता का सवाल है। निजीकरण, विनिवेश, विश्वव्यापीकरण और छंटनी की प्रक्रिया से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के रोजगार के अवसर निश्चित तौर पर कम हो गए हैं।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के समाज में भी असाधारण और अति बुद्धिमान लड़के और लड़कियां पैदा होती हैं जो विशेषाधिकार सम्पन्न अन्य समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तथापि, उनका प्रतिशत बहुत कम है। यदि दक्षता के नाम पर निजी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कोई आरक्षण नीति नहीं होगी तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच बेरोजगारी की समस्या विकट हो जायेगी। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति के बिना निजीकरण करना एक प्रकार से व्यवस्थाजन्य भेदभाव की नीति है।

महोदय, पूर्वोत्तर में कुछ राज्य पूर्णत: जनजातीय राज्य हैं इसलिए रोजगार में अनुसूचति जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, मेरे राज्य मणिपुर में कुल जनसंख्या की 33 प्रतिशत आबादी जनजातीय हैं जो रोजगार के मामलों में अत्यधिक भेदभाव का शिकार है। सन् 1981 से मणिपुर राज्य में यह 27 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी और इसे आज तक भी अद्यतन नहीं किया गया है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात तो छोड़िये, केन्द्रीय सहयाता से ठेके के आधार पर की जाने वाली सरकारी भर्तियों में भी प्राधिकारियों ने आरक्षण इस आधार पर देने से मना कर दिया कि ये स्थायी और राज्य सरकार की नौकरियां नहीं हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार आकस्मिक, तदर्थ और कार्यानुसार मजदूरी वाले कर्मचारियों को भी वरिष्ठता के आधार पर नियमित कर रही है जो पूर्णत: आरक्षण नीति के विरुद्ध है। परिणामत: केवल वे जो बिना कोई निम्नलिखित भर्ती नियमों के भर्ती किये गये हैं वे ही नियमित होंगे।

इसी प्रकार, जनजातीय लोगों को उनकी भूमि संबंधी संपत्ति के आधार पर ऋण और साख सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं जिसका आधार यह है कि भूमि का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

अन्त में, मेरा अनुरोध है कि इस सम्माननीय सभा द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए एक आरक्षण नीति बनाने का कोई निर्णय लिया जाए।

मैं श्री एस. अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प का पूर्णत: समर्थन करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी माननीय सदस्य, श्री एस. अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु समय दिये जाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

यह संकल्प अनिवार्य क्यों है? इसके तीन कारण हैं—पहला अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि. वर्ग के नौजवान लड़के व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले सकते हैं; दूसरा वे सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं; और तीसरा वे अपना निजी व्यवसाय भी आरम्भ नहीं कर सकते हैं।

यदि आप दक्षिण भारत में जाकर देखें, तो छात्र 300 अंकों में से 297 से 299 प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश मिल जाता है और अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि. वर्ग के वे छात्र जो कम अंक प्राप्त करते हैं उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं मिलता है क्योंकि चिकित्सा महाविद्यालय

[श्री एस.के. खारवेनथन]

में एक सीट की कीमत 25 लाख रुपये है। वे इन सीटों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न सरकारी नौकरी पाने का है। वे न तो प्रभावित कर पाते हैं, वे न ही धन खर्च कर सकते हैं, उनके पास कोई सिफारिश भी नहीं होती है, इसलिए वे नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

बहुत से चिकित्सा स्नातक बेरोजगार हैं और बहुत से सरकारी अस्पताल ऐसे हैं, जो बिना डाक्टर, मेरे संसदीय क्षेत्र नाथम और कंजीयम में पचास-पचास बिस्तरों वाले, सरकारी अस्पताल हैं और उनमें कई वर्षों से डाक्टर नहीं हैं, चूंकि सरकार छंटनी करना चाहती है और नई नियुक्ति नहीं करने का निर्णय कर चुकी है। कई विद्यालय बिना शिक्षकों के चल रहे हैं। सरकार किसी को नियुक्त नहीं करना चाहती है और अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि. वर्ग के बहुत से स्नातक नौकरी के लिए भटक रहे हैं। यदि उन्हें सरकारी अस्पतालों एवं विद्यालयों में नियुक्त कर दिया जाता है तो वे समाज की बेहतर ढंग से सेवा कर सकते हैं किन्तु उन्हें नियुक्त नहीं किया जा रहा है।

सभा के सूचनार्थ मैं कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु में थाडको (टी.एच.ए.डी.सी.ओ.) विभाग में एक योजना है जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. के युवकों को ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं। वे उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता के अनुसार करते हैं और यह सूची राष्ट्रीयकृत एवं अग्रजी बैंकों को भेज रहे हैं। ये बैंक क्या कर रहे हैं? ये बैंक आवेदकों से कभी आज कभी कल आने के लिए कहते हैं, वे उन्हें भटकाते रहते हैं और अन्त में मना कर देते हैं; वे ऋण पाने में असमर्थ रहते हैं और न ही अपना व्यवसाय शुरू कर पाने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़े वर्गों के युवक बेरोजगार हो गए हैं।

मैं इस सभा की सूचना के लिए एक बात और कहना चाहूंगा। सारे देश में, अधिकतर सरकारें अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों को उचित मंत्रालय देने की इच्छुक नहीं हैं। स्वर्गीय श्री कामराज इस देश के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अ.जा./अ.ज.जा. के विधायक, श्री परमेश्वरन को एचआरएण्डसीई मंत्री रूप में नियुक्त किया था। उन दिनों अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और उन्हीं मंदिरों जो अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं देते थे, उस अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्ति का जोरदार स्वागत किया। स्वर्गीय श्री कामराज ने श्री कक्कन को गृह मंत्री नियुक्त किया जो संविधान के हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से एक थे, उन्होंने उस पद पर कई वर्षों तक कार्य किया।

वर्तमान में, हम बातें तो कई कर रहे हैं किन्तु हम अ.जा./अ.ज.जा. के युवकों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं यहां केवल रामायण का एक संदर्भ देना चाहूंगा। जब राम, लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे थे, तो नदी पार करने में उनकी सहायता गुहा ने की। वह मछुआरा समुदाय से संबंधित था, परन्तु राम ने उसे अपना दूसरा भाई कहा था। आजकल, हमराम का उपयोग मात्र चुनाव के लिए कर रहे हैं किन्तु हम गरीब और दलित लोगों की सहायता के लिए राम के पदचिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए, अब 57 वर्षों के पश्चात् समय आ गया है जब हमें अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि. वर्ग के युवकों के बारे में सोचना चाहिए। इस सरकार को निजी संस्थानों में रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला समुचित अधिनियम पारित करना होगा।

मेरे संसदीय क्षेत्र में, बहुत सारे उद्योग धन्धे हैं। वे उद्योग एक भी नौकरी अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को नहीं दे रहे हैं। वहां वस्त्र उद्योग, दुग्ध उद्योग और अन्य ऐसे कई उद्योग हैं। किन्तु वे उन्हें नौकरी प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसलिए, हमें अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि. वर्ग के युवकों की सहायता के लिए समुचित आदेश पारित करने होंगे। समय देने के लिए धन्यवाद।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): उपाध्यक्ष महोदय, श्री एस. अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प के बारे में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। हम अपनी स्वतंत्रता के 57वें वर्ष में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

संविधान, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी में आरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। हम अपनी स्वतंत्रता के 57वें वर्ष में हैं। हम देख सकते हैं कि पूरे देश में सरकारी क्षेत्र में क्या हो रहा है।

संविधान बनाते समय, हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य दबे-कुचले लोगों का उत्थान करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना था। पूरे देश की स्थिति को देखते हुए, हम कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। अनुसूचित जातियों और अनुसचित जनजातियों की स्थिति काफी खराब है। छूआछूत की समस्या अभी बनी हुई है। हमारे देश के कुछ भागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पानी पीने के लिए गिलास भी नहीं दिए जाते। इस वर्ग के लोगों पर इस तरह के और भी कई अत्याचार किये जाते रहे हैं। आरक्षण नीति का पालन करके ही इस दबे-कुचले वर्ग का उत्थान किया जा सकता है। इससे उन्हें समाज की मुख्यधारा में आने का एक अवसर मिलेगा।

संविधान सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसरों में आरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है। दूसरी ओर, पिछले कुछ दशकों में क्या हो रहा है, यह देखा जाना चाहिए। वैश्वीकरण और निजीकरण

का दौर शुरू होने के बाद, सरकारी क्षेत्र कुल मिलाकर कमजोर हुआ है। विपक्ष से मेरे एक मित्र कह रहे थे कि रोजगार के अवसरों में कोई कमी नहीं आई है। यह सही नहीं है। आंकड़े ये स्पष्ट कर देंगे कि वैश्वीकरण और निजीकरण की कुछ पद्धतियों के आरंभ होने के बाद से, कुल मिलाकर रोजगार के अवसरों में कमी आई है। निजीकरण शब्द का अर्थ ही है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और हम योग्यतम की उत्तरजीविता देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कमजोर वर्गों के अधिकतर लोगों का सफाया हो चुका है और कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र कमजोर हुआ है।

पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में रोजगार क्षेत्र के लोगों का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो गया। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक से समझौता करते समय, वे पहली शर्त रोजगार के अवसर घटाने की रखते हैं। केरल में भी यही हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। इसके कारण समाज के कमजोर वर्गों के लिए रोजगार के अवसरों की स्थिति खराब हो गई है केवल यही उपाय नजर आता है कि रोजगार के क्षेत्र में कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जाए।

निजी क्षेत्र किस प्रकार कार्य कर रहा है? पंजीकरण के लिए भी, एक कंपनी के पंजीकरण के लिए सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। इसी प्रकार से, लाइसेंस अथवा वित्तपोषण के लिए भी आपको सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

करदाताओं के धन से ही यह निजी क्षेत्र सुदृढ़ होता जा रहा है। अत: निजी क्षेत्र द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कुछ निर्देश होने चाहिएं। कमजोर वर्गों को इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए किसी कानून के माध्यम से विशेष निर्देश होना चाहिए। ऐसा केवल कानून द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए, इस प्रस्ताव को इस सम्माननीय सदन का सर्वसम्मत समर्थन मिलना चाहिए।

यूपीए सरकार द्वारा रेल बजट और आम बजट प्रस्तुत करने के बाद लोगों में यह धारणा बन गई है कि सरकार समाज के निम्न वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है। उन्हें आशा है कि इस सरकार द्वारा इस संबंध में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियां प्रदान करने के लिए एक कानून होना चाहिए।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्यों ने व्यापक रूप से चर्चा की। मैं आरक्षण के सिद्धांतों अथवा आरक्षण के इतिहास के विवरण में नहीं जाना चाहता। जो भी हो, संविधान में आरक्षण की गारंटी दी गई है और आपको इसका पालन करना है। अब हमारा अनुभव यह है कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। यूपीएससी और एसपीएससी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। रिक्तियों की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। उनसे लोगों को नियुक्त करने को नहीं कहा जा रहा है। सरकारी क्षेत्र में भी यही स्थिति है। प्रतिदिन यह क्षेत्र बंद होता जा रहा है। भारत में सरकारी क्षेत्र के एक के बाद एक कई संस्थान बंद होते जा रहे हैं। रोजगार प्राप्त करने का अवसर ही कहां है। हमारी नई आर्थिक नीति के लागू होने के कारण सरकारी क्षेत्र की कई इकाइयां निजी क्षेत्र की इकाइयों में परिवर्तित होती जा रही है। इस स्थिति में संविधान में प्रावधान होने का क्या लाभ है? संविधान में गारंटी का क्या अर्थ है? अत:, हमें संविधान का पालन करना है। हमें संविधान के अनुसार चलना है। इसके लिए, निजी क्षेत्र में भी इसका विस्तार किया जाना होगा। अन्यथा, इसका कोई अर्थ नहीं है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी सिद्धांत रूप में इसे स्वीकृति दी गई है। इसलिए मेरा सविनय निवेदन है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिएं। अत:, मैं श्री एस. अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय अजय कुमार जी द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की सुविधा देने के बारे में जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

कुछ बिन्दुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। आज तक यह देखने में आया है और सभी सदस्यगण ने भाषण के द्वारा जानकारी दी है कि जो सरकारी सैक्टर है, वहां पर सरकार के कानूनों के रहते हुए भी अनुसूचित जाति, जनजाति के रिक्त पदों पर भर्ती की पूर्ति नहीं की जाती। अगर पूर्ति भी की जाती है तो इस तरह से की जाती है कि कई लोगों को इण्टरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उन्हें पात्र नहीं कह दिया जाता है।

अगर पात्र होते हैं तो भी पात्र होने के बावजूद उन्हें रिजैक्ट कर दिया जाता है। इससे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गयी। इस कारण आज भी समाज में असमानता की स्थिति है, भेदभाव की स्थिति है। अगर मैं इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहूं और उसे मुहावरे के रूप में प्रस्तुत करना चाहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

[श्री पुन्नूलाल मोहले]

कीचड़ से फूल निकले, उसे हम ईश्वर पर चढ़ाते हैं,
क्या कीचड़ से गये बीते, लोग हमसे छुआ जाते हैं।
मैला से गोभी, आलू उपजे, उसे लोग बड़े चाव से खाते हैं,
पर जो उसे पैदा करने वाले हैं, उसे लोग छुआ जाते हैं।

हमें इन बातों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आज की परिस्थिति में जितने प्राइवेट सैक्टर्स हैं, उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित नजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं लिया जाता। इससे देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। उन लोगों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। कोई शराब के नशे में धुत है, कोई मार-पीट के झगड़े में फंस रहा है तो कोई नक्सल समस्या की ओर जा रहा है। इस प्रकार वे नीचे की ओर ही धंसते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई संभालने वाला नहीं है, कोई उन्हें समानता की ओर ले जाना वाला नहीं है।

मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने सरकारी सैक्टर या गैर-सरकारी सैक्टर में अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाया है, उसी तरह प्राइवेट सैक्टर में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के बंधुओं को भी आरक्षण देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सैक्टर के लिए भी ऐसा नीतिगत कानून बनाया जाये और उसमें कठोर प्रावधान रखे जायें। अगर उसमें कठोर प्रावधान नहीं रखे गये तो जो व्यक्ति भर्ती करने वाला सरकारी या गैर-सरकारी है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इस संकल्प पर चर्चा का निर्धारित समय समाप्त हो गया है। यदि सदन सहमत है तो हम संकल्प पर चर्चा का समय सायं 6 बजे तक बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले: ऐसी परिस्थिति में उसमें कठोर प्रावधान बनाया जाये। जो इस कानून का पालन न करे, उससे फाइन लिया जाये, उसे सस्पेंड करने या टर्मिनेट करने का भी प्रावधान होना चाहिए। इस तरह का कानून बनाकर प्राइवेट सैक्टर में भी तथा सरकारी सैक्टर की भांति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को भर्ती किया जाये। अगर यह अनिवार्य हो जायेगा तो जो भर्ती करने वाला व्यक्ति है, वह उसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा। अगर भर्ती की पूर्ति केवल कागज तक होती रहेगी तो रिक्त पदों की पूर्ति कभी नहीं होगी।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि प्राइवेट सैक्टर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का जो प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस तरह का कानून बनाकर उसे लागू करायें।

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं गैर-सरकारी सदस्यों के इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए और इस पर चर्चा आरम्भ कराने के लिए श्री एस. अजय कुमार और इस बार चर्चा में भाग लेने के लिए सभी 29 अन्य माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूं। इस संकल्प पर हमने पिछले शुक्रवार को चर्चा की थी और आज भी हमने इस पर चर्चा की है।

महोदय, मैंने दिए गए सभी सुझावों को नोट कर लिया है। ये बहुत मूल्यवान और उपयोगी सुझाव हैं। संक्षेप में यह बहुत ही लाभदायक बहस थी। मैं इसे बहुत ध्यान से सुन रही थी क्योंकि प्रत्येक वक्ता अपने दिल से बोल रहा/रही थी। प्रत्येक सदस्य का भाषण बहुत ही समर्पित और जोशपूर्ण था।

महोदय, मैं अपना ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि यह पहली बार है कि किसी सरकार ने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सहित सकारात्मक कार्रवाई की है, जो इसके न्यूनतम साझा कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है।

ऐसा पहली बार हुआ है। महोदय, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने इस कार्यक्रम को कांग्रेस के घोषणा-पत्र के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में शामिल किया था। वस्तुत:, जब यूपीए गठबंधन ने इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करना आरंभ किया था, तो, मैं यह बात जोर देकर कहूंगी कि यूपीए के गठबंधन दलों के सभी सदस्य इसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम का भाग बनाने पर सर्वसम्मत रूप से सहमत थे। डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार इसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब यह सब कहकर मैं सबको इसका इतिहास बताना चाहती हूं।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर: वामपंथी दलों ने भी इसका समर्थन किया था।

श्रीमती मीरा कुमार: हां, मैंने कहा कि सभी ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया था। वामपंथी दलों के सभी माननीय सदस्यों ने उठकर ऐसे जोरदार भाषण दिए, जो वास्तव में बहुत ही अभिभूत करने वाले थे।

मैं आपको इतिहास के अति प्राचीन समय में ले जाना चाहती हूं। विश्व में समाज संपन्न और निर्धन, अमीर और गरीब के रूप में विभाजित हैं। लेकिन हमारे समाज में एक अनिश्चित विभेद यह भी है कि हमारा समाज न सिर्फ धनी और निर्धन में बंटा हुआ है, बल्कि विभिन्न जातियों में बंटा हुआ है। इससे भेदभाव बहुत बढ़ा जिसके परिणामस्वरूप जाति व्यवस्था के निचले दर्जे की जातियां पंगु और अक्षम हो गईं। यही कहानी है। इसे ठीक करने के लिए अनेक प्रयास किये गये। ये प्रयास हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जारी रहे। जब संविधान लिखा जा रहा था, तब संविधान के निर्माता और प्रत्येक व्यक्ति ने मिलकर यह फैसला किया कि स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय किये जाने चाहिए। कुछ व्यक्तियों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निश्चित सुविधा के रूप में आरक्षण देने की वकालत की। मैं इसे सुविधा नहीं कहूंगी बल्कि सुधारात्मक उपाय कहूंगी, एक प्रकार की क्षतिपूर्ति कहूंगी जो समाज के कुछ वर्गों नामत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जा रही है। ऐसा हमारे संविधान में किया गया था। डा. अम्बेडकर इसके बारे में अत्यंत चिंतित थे। महात्मा गांधी इसके बारे में अत्यंत चिंतित थे। इसके अतिरिक्त उस समय के सभी महान नेता इसके बारे में अत्यंत चिंतित थे। तभी यह हमारे संविधान का एक भाग बना है।

इसमें राजनीतिक आरक्षण का उपबंध किया गया था इसके साथ ही केन्द्र और राज्य सरकारों की नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उपबंध भी किया गया था। 21 नवंबर 1947 को जारी सरकारी आदेश के द्वारा अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया गया था और दिनांक 13 सितंबर 1950 के सरकारी आदेश के द्वारा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया था।

तथापि कई वर्षों से ऐसा देखा गया है कि यद्यपि आरक्षण का उपबंध किया गया है लेकिन बकाया रिक्तियां थी। कटक के मेरे मित्र भर्तृहरि महताब ने कहा है कि बकाया रिक्तियों को भरा नहीं जा रहा है। इसलिए बकाया रिक्तियों की समस्या है। यद्यपि, सफाई कर्मचारियों को छोड़कर 'घ' और 'ग' वर्गों की बकाया रिक्तियां भरी गई थी। लेकिन जहां तक अनुसूचित जातियों का संबंध है तो 'क' और 'ख' वर्गों की नौकरियों में इनकी संख्या में कमी आई है तथा जहां तक अनुसूचित जनजातियों का संबंध है तो 'क' 'ख' और 'ग' वर्गों की नौकरियों में इसकी संख्या में कमी आई है।

इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष प्रयास किये, बाबू जगजीवन ने बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष प्रयास किये और श्री राजीव गांधी ने भी बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष प्रयास किये। वस्तुत: जब वह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि आरक्षण समाप्त न हो जाए। क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पदों को समाप्त करने की परम्परा बन गई थी। इसलिए जब वह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आरक्षण समाप्त न हो जाए। इसलिए 1989, 1990, 1991, 1993, 1995 और 1996 में विशेष अभियान चलाए गए थे। ये विशेष अभियान बकाया रिक्तियों को भरने के लिए चलाए गए थे। मैंने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से आंकड़े प्राप्त किए हैं। जिसमें अभी भी कुछ बकाया रिक्तियां हैं। हम लगातार लिख रहे हैं। हम राज्यों को भी लिख रहे हैं कि वे बकाया रिक्तियों को भरने के उपाय करें।

अब क्या हुआ है? स्वतंत्रता के बाद के इन साठ वर्षों में या सत्तावन वर्षों के बाद हम सोच रहे थे कि हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समाज के अन्य वर्गों के बराबर ले जाएंगे। हम सोच रहे थे कि हम इन्हें मुख्यधारा में लाने में कामयाब हो जाएंगे और इन्हें अपने समाज में आदर का स्थान और मान देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्वधारणाओं की जड़ें बहुत गहरी और बहुत पुरानी हैं और हजारों वर्षों से विद्यमान है इसलिए इन पूर्वधारणाओं को हटाने के लिए ये साठ वर्ष नाकाफी हैं। ये जारी हैं इसलिए इन पूर्वधारणाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय भी जारी रखने होंगे।

अब यह हुआ है कि हमारे आर्थिक सुधारों के अनुसार हमें निजीकरण करना पड़ा, हमें भूमंडलीकरण करना पड़ा, हमें विनिवेश करना पड़ा और हमें संख्या कम करनी पड़ी और हमें सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती रोकनी पड़ी। केवल सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जा रहा था। जब इन क्षेत्रों में गिरावट आनी शुरू हुई, तो हम केवल हाथ जोड़कर बैठकर यह नहीं कह सकते "क्षमा करें"। हम आपको नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि अब सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसर नहीं हैं और हमने सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर दिया है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि समाज के पददलित और शोषित वर्गों के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है।

हमारे कुछ सामाजिक दायित्व हैं। इसलिए नौकरी के अवसरों के लिए हम निजी क्षेत्र की ओर देख रहे हैं। अब निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का बड़ा संचालक बन गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का यह बड़ा खिलाड़ी है। इसके पास नौकरी के बहुत अवसर हैं। इसके पास देने के लिए नौकरियां हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम इसक्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करेंगे।

[श्रीमती मीराकुमार]

महोदय, जहां तक इस क्षेत्र का संबंध है अखबारों में कुछ समाचार छपा है। केवल इसलिए कि अखबारों में ऐसे समाचार आए हैं इसलिए यह सोचना कि पूरा निजी क्षेत्र इसका प्रतिरोधक कर रहा है, पूरा निजी क्षेत्र इसका विरोध कर रहा है, उचित नहीं होगा। हमने इस क्षेत्र के साथ वार्तालाप, परामर्श और एक अनौपचारिक विचार-विमर्श शुरू किया है, जो राष्ट्रीय वार्तालाप का एक हिस्सा है।

मैं केवल न्यूनतम साझा कार्यक्रम में लिखे गए पैरे को पढ़ना चाहती हूं जिसमें कहा गया है कि:

> ''संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे के प्रति बहुत संवेदनशील है इसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण भी शामिल है। निजी क्षेत्र किस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकते हैं इसके लिए सरकार सभी राजनीतिक दलों से, उद्योगों और अन्य संगठनों से तत्काल राष्ट्रीय वार्तालाप करेगी।''

इसलिए हमें वार्तालाप शुरू करना चाहिए। हम विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न मंचों और विभिन्न लोगों से विचार करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुके हैं। अब हमें राजनीतिक दलों, उद्योगों और अन्य संगठनों से परामर्श करना चाहिए। अन्य संगठनों में विभिन्न गैर-सरकारी संगठन, विभिन्न अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के संगठन सम्मिलित हैं इसके अतिरिक्त हम इस क्षेत्र के समाज वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और अन्य प्रतिबद्ध लोगों से भी विचार-विमर्श कर रहे हैं। इसलिए हम यह करने की प्रक्रिया में हैं।

योग्यता के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: महोदया, आप कितना समय लेंगी?

श्रीमती मीरा कुमार: मुझे नहीं पता। यह आप पर निर्भर है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): यदि हम 45 मिनट और बैठने का निश्चय करते हैं तो शायद उत्तर दिया जाए और संकल्प को समाप्त किया जा सकता है। तब हम अगले संकल्प को भी ले सकते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नियत समय 6.00 बजे तक है।

श्री खारबेल स्वाईं: यदि माननीय मंत्री इसे 5-10 मिनट में समाप्त कर सकते हैं तो यह सही है। अन्यथा आप आज के लिए सभा को स्थगित कर सकते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य दिवस पर इस पर विचार किया जा सकता है।

श्रीमती मीरा कुमार: मैं 5-10 मिनट में समाप्त कर दूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सोचता हूं कि सभा इसके लिए सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्रीमती मीरा कुमार: मैं समाप्त कर दूंगी। यहां योग्यता का प्रश्न किया गया है। मैं आपको महाभारत की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूं। कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

सायं 6.00 बजे

महाभारत का एक युवा पात्र भी अछूत था। उसका नाम एकलव्य था। उस समय एक महान गुरु थे। वे अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र तैयार करते थे। उनके छात्र हमेशा अत्यंत प्रतिभाशाली होते थे। इसलिए उन्होंने अर्जुन से वादा किया कि वे उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा।'' अर्जुन ने उनके अधीन प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। वे दोनों, एक दिन जंगल से गुजर रहे थे। प्राय: वे दोनों अपने कुत्ते के साथ शिकार करने जाया करते थे। उनका कुत्ता भौंक रहा था। अचानक उसने भौंकना बंद कर दिया। वह वापस आया तो उसका मुंह तीरों से बंद था वह इस प्रकार बंद था कि वह अपना मुंह खोलकर भौंक नहीं सकता था लेकिन उसके मुंह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था? तीरों ने केवल उसके मुंह को बंद किया हुआ था। द्रोणाचार्य अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और यह देखकर कि अर्जुन से अधिक सक्षम और परिश्रमी धनुर्धर विद्यमान है वे बहुत चिंतित भी हुए। वह यह सोचने लगे कि उन्होंने अर्जुन से जो वादा किया है उसका क्या होगा।

अत: वह इस व्यक्ति को देखने के लिए गए और उन्होंने वहां पर तथाकथित नीची जाति के युवक, एक अछूत एकलव्य को पाया। वह वहां पर अभ्यास कर रहा था। उन्होंने उससे पूछा: ''तुम्हारा गुरू कौन है?'' युवक ने उत्तर दिया: ''आप मेरे गुरू हैं''। उन्होंने पूछा: ''मैं तुम्हारा गुरु कैसे हूं? मैंने कभी तुम्हें शिक्षा नहीं दी है। उसने कहा: ''आपने मुझे शिक्षा दी है, मैंने आपकी यह मूर्ति बनाई है और मैं प्रतिदिन इस मूर्ति के सामने अभ्यास करता हूं और इस प्रकार आप मेरे गुरु हुए।'' द्रोणाचार्य ने कहा: ''यदि मैं तुम्हारा गुरू हूं, तो हम मुझे मेंरी गुरुदक्षिणा दो।'' एकलव्य ने पूछा: ''गुरुदक्षिणा क्या है?'' उन्होंने कहा ''तुम अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट कर मुझे दे दो।'' युवक ने कहा: ''हां''। उसने अपना दायां अंगूठा काटा और उन्हें दे दिया। इस प्रकार, अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया क्योंकि एकलव्य से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का अवसर छीन लिया गया था।

यह कहानी आज भी जारी है। यह कहानी योग्यता की है, यह कहानी गुण की है। द्रोणाचार्य की वह मानसिकता हमारे आज के समाज में अभी भी मौजूद है। अतः, हर समय हम गुण की बात करते हैं और उस पर विचार करते हैं, हम इसे इस संदर्भ से नहीं हटा सकते। हमें हमेशा उन अनेक लोगों के संदर्भ में इसका विचार करना होगा जिनके पास जबर्दस्त प्रतिभा और योग्यता है परन्तु उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा है। तथा राष्ट्र को उनकी सेवा से वंचित किया जा रहा है जोकि अवसर मिलने पर इस देश की प्रगति के लिए कार्य कर सकते हैं।

अतः, जब लोग योग्यता की बात करते हैं तथा यह कहते हैं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, गरीबों और दलित वर्ग के व्यक्तियों के पास योग्यता नहीं होती तो मुझे यही बताना है—यदि हम उन्हें अवसर दें, तो वे योग्यता सिद्ध करेंगे। किसी मामले में, हम भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमारे मंत्रालय द्वारा उनके लिए कोचिंग और संबद्ध योजना चलाई जा रही है। हमारे सभी राज्यों की राजधानियों और विश्वविद्यालयों में केन्द्र हैं जहां पर हम उन्हें मेडिसिन, एमबीए, इंजीनियरिंग आदि में प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग दे रहे हैं। मैं यह सूचित करना चाहूंगी कि कोचिंग लेने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के बहुत से छात्रों का परिणाम बहुत अच्छा रहा है। अतः योग्यता के मामले में, मैं केवल यही कहना चाहती हूं।

अन्य बात जो मैं कहना चाहती हूं, वह यह है कि मैं अति सकारात्मक हूं तथा मुझे पूरा विश्वास है कि निजी क्षेत्र इस अवसर का लाभ उठाएगा। यह निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र के बड़े व्यावसायियों, उद्योगपतियों को अपने आपको दिखाने का ऐतिहासिक अवसर है और उनमें से अधिकांश ने पहले भी सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। उनमें प्रतिबद्धता की कमी नहीं है। मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगी। मैं उनके प्रति नकारात्मक नहीं हूं।

उन्होंने सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मेरे विचार से, यह उनके सामने बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने इस अवसर को स्वीकार करना है तथा इस देश, जनता के सामने यह सिद्ध करना है कि उनमें प्रतिबद्धता है कि एक समय जब हमारे उद्योग को समर्थन, सुरक्षा, कोटे, छूट, किसी प्रकार की रियायत की जरूरत थी तो सरकार यह सब हमें दे रही थी। सरकारी खजाने से इसके लिए पैसा दिया जा रहा था। लेकिन अब, उन्होंने विकास किया है, वे यह नहीं भूलेंगे कि उन्हें क्या प्राप्त हुआ है और यहां उनके पास यह सिद्ध करने का अवसर है कि वे भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के युवकों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील हैं। वे स्वीकारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेंगे। स्वीकारात्मक कार्रवाई अधिकार प्रदान करने, जनशक्ति को बढ़ावा देने तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए है और वे उससे भी आगे बढ़ेंगे तथा आरक्षण के लिए भी प्रावधान करेंगे।

मुझे इसका पूरा विश्वास है तथा मैं इस कार्य को अति सकारात्मक माहौल अति हार्दिक माहौल में करना चाहती हूं तथा हम बातचीत कर रहे हैं। विशिष्ट प्रश्नों के बारे में कुछ लोगों ने कहा है कि इसके लिए समय सीमा होनी चाहिए कि यह किस प्रकार होगा, वह विशिष्ट प्रक्रिया क्या होगी जिसे अपनाया जाएगा, इसके तौर-तरीके क्या होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर इस बातचीत से निकलेगा और हम इस बातचीत को अपने दलित भाइयों और बहनों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के युवकों के हित में अति सौहार्दपूर्ण बनाना चाहते हैं। डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हमने अपने आपको पूरे मन से इस कार्य के करने के लिए समर्पित किया है?

मैं माननीय सदस्य, श्री एस. अजय कुमार से गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प को वापस लेने का अनुरोध करती हूं क्योंकि हम इस कार्य को करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

श्री सी.के. चंद्रप्पन: महोदय, माननीय मंत्री ने कोई वादा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह चाहती है कि निजी क्षेत्र सकारात्मक उत्तर दें। संभवत: महात्मा गांधी ही ऐसे थे जिन्होंने उन्हें समाज का न्यासी कहा था?

श्रीमती मीरा कुमार: मैंने सब कुछ कहा है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अजय कुमार, यदि आप संकल्प को वापस लेना चाहें, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस समय आप और भाषण नहीं दे सकते।

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार और माननीय मंत्री को बधाई देना चाहूंगा। मुझे आशा है कि सरकार माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों को गंभीरता से लेगी। मैं संकल्प का दबाव नहीं डाल रहा हूं और मैं संकल्प को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या सभा श्री एस. अजय कुमार द्वारा रखे गए संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

(दो) कृषि क्षेत्र में कर्मकारों हेतु राहत उपायों के बारे में—*विचाराधीन*

उपाध्यक्ष महोदय: मद संख्या 17, श्री पी.के. वासुदेवन नायर।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरुअनंतपुरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कृषि क्षेत्र में आए अभूतपूर्व संकट, जिसके परिणामस्वरूप कृषक और कृषि कर्मकार ऋण, बेरोजगारी और निर्धनता के कुचक्र में फंस गए हैं और बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों के परिवारों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त राहत उपाय करे तथा कृषि क्षेत्र को पुन: वित्तपोषण के उपायों के साथ-साथ ऋण से राहत प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए ताकि कृषि क्षेत्र को देश के अति महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के रूप में पुन: पुनर्जीवित किया जा सके।"

उपाध्यक्ष महोदय: हमें इस संकल्प पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करना होगा। सामान्यत:, प्रथम दृष्टि में दो घंटे आबंटित किये जाते हैं। यदि यह सभा सहमत हो, तो चर्चा के लिए दो घंटे आबंटित किये जा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: हम सहमत हैं।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर: महोदय, मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप अपनी बात अगली बार जारी रखेंगे।

अब सभा सोमवार, 19 जुलाई, 2004 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 19 जुलाई 2004/28 आषाढ़, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री बीर सिंह महतो श्री राम कृपाल यादव	162
2.	श्री सुरेश कुरूप श्री मोहन सिंह	163
3.	श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	164
4.	श्री रघुराज सिंह शाक्य श्री मिलिन्द देवरा	165
5.	श्री सुरेश चन्देल श्री तथागत सत्पथी	166
6.	श्री दलपत सिंह परस्ते श्री बाबू लाल मरांडी	167
7.	श्री प्रकाश परांजपे श्री अब्दुल रशीद शाहीन	168
8.	श्री विजय कृष्ण श्रीमती निवेदिता माने	169
9.	डा. रामकृष्ण कुसमरिया	170
10.	श्री नीतीश कुमार श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	171
11.	श्री अनवर हुसैन	172
12.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा श्री प्रदीप गांधी	173
13.	योगी आदित्यनाथ	174
14.	श्री बी. विनोद कुमार श्री कैलाश मेघवाल	175
15.	श्री के.एस. राव	176
16.	श्री अजय चक्रवर्ती श्री उदय सिंह	177
17.	श्री एन.एन. कृष्णदास	178
18.	श्री वरकला राधाकृष्णन	179
19.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक श्री कीर्तिवर्धन सिंह	180
20.	प्रो. रासासिंह रावत	181

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2
आचार्य, श्री बसुदेव	1386
आठवले, श्री रामदास बंडु	1401, 1464, 1498, 1518, 1527
बैठा, श्री कैलाश	1382
बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज	1410
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	1378
बुधौलिया, श्री राजनरायन	1366
चक्रवर्ती, श्री अजय	1447, 1490, 1512
चालिहा, श्री किरिप	1422, 1461, 1479
चन्देल, श्री सुरेश	1439, 1486, 1509, 1523
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	1366, 1388
चौधरी, श्री निखिल कुमार	1401
चौहान, श्री शिवराज सिंह	1393, 1453, 1492
चौधरी, श्री अधीर	1377, 1434, 1452, 1455, 1509
दासगुप्त, श्री गुरुदास	1403, 1406
डेलकर, श्री मोहन एस.	1385
देवरा, श्री मिलिन्द	1432, 1484
देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1392, 1490
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1368, 1467, 1499
गढ़वी, श्री पी.एस.	1419

1	2
गंगवार, श्री संतोष	1413, 1472
गेहलोत, श्री थावरचन्द	1387
हुसैन, श्री अनवर	1443, 1530
जगन्नाथ, डा. एम.	1360, 1463
झा, श्री रघुनाथ	1404, 1468, 1500, 1534
जोगी, श्री अजीत	1371, 1418, 1465, 1477
कामत, श्री गुरुदास	1417, 1478
करुणाकरन, श्री पी.	1397, 1459
खैरे, श्री चन्द्रकांत	1414
खां, श्री सुनील	1357, 1406, 1461
कृष्ण, श्री विजय	1440, 1487, 1510, 1524
कृष्णदास, श्री एन.एन.	1448
कुरूप, श्री सुरेश	1437
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	1441
'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1465
महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1390
महाजन, श्री वाई.जी.	1363, 1452, 1490
माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1361
महताब, श्री भर्तृहरि	1415, 1474, 1505
मनोज कुमार, श्री	1380, 1476, 1506, 1521, 1533
माझी, श्री परसुराम	1373, 1396, 1431, 1465
मंडल, श्री सनत कुमार	1526
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	1450, 1487, 1491
माने, श्रीमती निवेदिता	1440
मेघवाल, श्री कैलाश	1457, 1494, 1515, 1526
मोदी, श्री सुशील कुमार	1399, 1452, 1461
मोहले, श्री पुन्नूलाल	1370, 1466

1	2
मूर्ति, श्री ए.के.	1364, 1427, 1463, 1529
नायक, श्री अनंत	1407, 1465
निखिल कुमार, श्री	1395, 1455, 1509
नीतीश कुमार, श्री	1442, 1488, 1511
ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1402, 1408, 1477, 1529
पाण्डा, श्री प्रबोध	1369, 1458, 1495
पासवान, श्री रामचन्द्र	1418
पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	1374
पटेल, श्री दिनशा	1423, 1480
पटैरिया, श्रीमती नीता	1426
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	1424, 1482, 1507, 1522
पाटील, श्री शिवाजी अधलराव	1379, 1435, 1485, 1513, 1525
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	1375, 1451
राधाकृष्णन, श्री वरकला	1449
राजेन्द्रन, श्री पी.	1458, 1522
राणा, श्री काशीराम	1394, 1454
राव, श्री रायापति सांबासिवा	1398, 1460, 1496, 1516
रावले, श्री मोहन	1411
रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1421, 1505, 1508
रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	1381, 1436, 1503
सरोज, श्री तूफानी	1409, 1471, 1502
सत्पथी, श्री तथागत	1406, 1429
सेठी, श्री अर्जुन	1412
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1446
शैलेन्द्र कुमार, श्री	1425
शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1401, 1532
शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1391

1	2
सिंह, श्री दुष्यंत	1400, 1462, 1497, 1517, 1528
सिंह, श्री गणेश	1376, 1394, 1481
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1440, 1450
सिंह, श्री मोहन	1445
सिंह, श्री प्रभुनाथ	1362, 1470, 1501, 1519
सिंह, श्री सीताराम	1383
सिंह, श्री उदय	1452
सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह	1438
सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	1384
सुब्बा, श्री मणि कुमार	1358
सुजाता, श्रीमती सी.एस.	1405, 1461, 1469
सुमन, श्री रामजीलाल	1465
सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1456, 1493, 1514
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1365, 1428
थामस, श्री पी.सी.	1389
तीरथ, श्रीमती कृष्णा	1531
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1406, 1483, 1508
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1446
वीरेन्द्र कुमार, श्री	1383, 1473, 1504, 1509, 1520
वेंकटस्वामी, श्री जी.	1420
वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1416, 1475
वर्मा, श्रीमती ऊषा	1396
विनोद कुमार, श्री बी.	1444, 1489
यादव, श्री बालेश्वर	1445
यादव, श्री मित्रसेन	1359
येरननायडू, श्री किन्जरपु	1367, 1433
जाहेदी, श्री महबूब	1372, 1430

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	
कोयला और खान	:	167, 173
वाणिज्य और उद्योग	:	165, 170, 179, 181
कम्पनी कार्य	:	168
वित्त	:	162, 163, 166, 169, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 180
विधि और न्याय	:	
वस्त्र	:	164

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	1382, 1390, 1392, 1394, 1408, 1416, 1418, 1426, 1437, 1449, 1463, 1471, 1474, 1477, 1481, 1486, 1514, 1529, 1532, 1533
कोयला और खान	:	1371, 1393, 1396, 1399, 1412, 1458, 1464, 1490, 1505, 1506, 1510, 1512, 1517, 1521, 1527
वाणिज्य और उद्योग	:	1359, 1360, 1364, 1367, 1369, 1373, 1376, 1377, 1380, 1384, 1385, 1397, 1398, 1405, 1409, 1413, 1415, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1430, 1432, 1434, 1439, 1441, 1442, 1444, 1451, 1454, 1455, 1456, 1457, 1459, 1460, 1461, 1469, 1478 1479, 1480, 1482, 1488, 1493, 1496, 1507, 1516, 1519, 1522, 1524
कम्पनी मामले	:	1462, 1495
वित्त	:	1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1370, 1372, 1375, 1378, 1379, 1387, 1395, 1400, 1402, 1403, 1404, 1407, 1410, 1411, 1417, 1419, 1420, 1427, 1429, 1431, 1435, 1436, 1440, 1443, 1446, 1447, 1448, 1450, 1452, 1453, 1465, 1466, 1467, 1468, 1470, 1473, 1475, 1476, 1483, 1484, 1485, 1487, 1489, 1491, 1492, 1494, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1509, 1513, 1515, 1518, 1523, 1525, 1526, 1528, 1530, 1531, 1534,
विधि और न्याय	:	1368, 1374, 1381, 1389, 1414, 1428, 1433, 1520
वस्त्र	:	1357, 1358, 1383, 1386, 1388, 1391, 1401, 1406, 1438, 1445, 1472, 1508, 1511

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स श्री एन्टरप्राइजेज प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।